लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 13 नवम्बर, 1973/22 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 2, *Tuesday, November* 13, 1973/*Kartika* 22, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
21	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा से भूमि कटाव	Gangetic Erosion in Murshidabad District c West Bengal . .	1–3
22	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अरब सागर में तेल के लिए खुदाई	Drilling of Oil by O & NGC in the Arabian Sea	3–6
23	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को सोडियम-ट्रिप्लोली फास्फेट बनाने की अनुमति देने की सिफारिश	M. R. T. P. Commission's Recommendation for permission to Hindustan Lever Ltd., for Manufacture of Sodium Tripoly Phosphate	6–11
25	रेलवे बोर्ड द्वारा मितव्ययता लाने के लिए किये गये उपाय	Steps taken by Railway Board to bring about Economy in Expenditure	11–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
24	अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Crude Oil in International Market . . .	14–15
26	अक्तूबर, 1973 में उड़ीसा में चक्रवात तूफान के कारण हुई क्षति	Damage caused due to Cyclonic Storm in Orissa in October, 1973	15
27	दिल्ली में बिजली का बंद होना	Power Break-downs in Delhi . .	15–16
28	आल इंडिया लोकोमैन एंड रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेताओं को दिए गये आश्वासन	Assurances given to Leaders of All India Locomen and Running Staff Association	16–19
29	बिजली इंजीनियरों की मांगों की जांच करन के लिये समिति	Committee to Look into Demands of Power Engineers	19
30	विदेशी तेल कम्पनियों से मांगा गया स्पष्टीकरण	Explanation sought from Foreign Oil Companies	19
31	वानेक बोरी तापीय बिजलीघर परियोजना की मंजूरी	Clearance of Wanek Bori Thermal Power Station Project . .	20
32	उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियां	Electoral Rolls in U. P. . .	20

*किसी नाम पर अंकित यह+इसबात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—27 L. S. S. (ND)/73

*तारां० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
33	कोचीन कायमकुलम समुद्र-तटीय रेलवे लाईन का निर्माण	Construction of Cochin-Kayamkulam Coastal Railway . . .	20
34	भारत को कच्चे तेल की सप्लाई पर इसरायल-मिस्त्र के युद्ध का प्रभाव	Impact of Israel-Egypt war on Crude Oil Supply to India . . .	21
36	इंधन पर आधारित उर्वरक एककों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी निवेश आकर्षित करन की योजना	Scheme to attract private investment for setting up Fuel Based Fertilizer Units	21
37	दिल्ली तथा अन्य महानगरों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिए पम्प लगाना	Installation of Kerosene Oil Distribution Pumps in Delhi and other Metropolitan Cities . . .	21–22
38	कावेरी जल विवाद के संबंधी में हुई बैठकें	Meetings held on the Cauvery Water Issue	22–23
39	एच० एम० बी०/ई० एम० आई० के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए की गई कार्यवाही	Action taken to break Monopoly of HMV/EMI	23
40	ब्रह्मपुत्र नदी के जल के उपयोग के लिए स्वायत्तशासी निगम	Autonomous Corporation for Utilization of Brahmaputra River water	23

अतारां० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
202	ईराक में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना में भारत का सहायता देने का प्रस्ताव	India's Offer of Assistance for setting up a Fertilizer Plant in Iraq .	24
203	गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना	Setting up of Petro-Chemical Industries in Gujarat . . .	24
204	बहु-राष्ट्रीय औषध निर्माता फर्मों द्वारा अर्जित किये गये अतिशय लाभ की जांच	Inquiry into Excesive Profits made by the Multi-National Drug Firms	24
205	अतिरिक्त फार्मुलेशन क्षमता की मांग करने वाली विदेशी औषध निर्माता फर्में	Foreign Drug Firms seeking Additional Formulation Capacity .	25
206	36 डाउन बरौनी-जोगबनी रेलगाड़ी के यात्रियों से नकदी तथा 10,000 रुपये के मूल्य की कीमती वस्तुओं का लुटा जाना	Looting of Cash and Valuable Worth Rs. 10,000 from Passengers of 36 Dn. Barauni-Jogbani Train .	25
207	सितम्बर, 1973 में पूर्वोत्तर रेलवे पर बेगुसराय के निकट डाकूओं द्वारा यात्रियों को लूटा जाना तथा महिलाओं को नग्न किया जाना	Looting of Passengers and Stripping of Women by Dacoits near Begusarai on N.E. Railway in September, 1973	25–26
208	दिल्ली के बिजली घरों में तोड़ फोड़ की घटानाएं	Sabotage incidents in Power Stations of Delhi	26
209	कोयले के संकट के कारण उत्तर बिहार की रेल-सेवा तथा स्टीमर सेवा पर प्रभाव	Effect of coal crisis on North Bihar Train Services and Steamer Services	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
210	लीबिया से अशोधित तेल का आयात	Import of Crude Oil from Libya .	26–27
211	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बेंचों को शुरू करने के लिए किया गया अभ्यावेदन	Representation made for starting Supreme Court Bench and High Court Benches	27
212	विमानों की गति कम करके विमान-इंधन की बचत	Saving of Aviation Fuel by reducing the speed of Aircraft . . .	27
213	पांचवीं योजना के अंतर्गत नए तापीय संयंत्र	New Thermal Plants in Fifth Plan .	27–28
214	वामन पुरम सिंचाई परियोजना का पांचवीं योजना में सम्मिलित किये जाने के बारे में अभ्यावेदन	Representation re : Inclusion of Vamana Puram Irrigation Project in Fifth Plan	28
215	पांचवीं योजना में केरल के लिए सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects for Kerala in Fifth Plan	28
216	देश को कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपाय	Steps to meet the country's requirements of Crude Oil and Petroleum Products	28–29
217	अगस्त/सितम्बर, 1973 में शोलापूर डिवीजन में आन्दोलन के कारण हुई हानि	Loss suffered due to Agitation on Sholapur Division in August/September, 1973	29–30
218	कुछ कम्पनियों के कदाचारो को रोकने के लिये एकाधिकार अधिनियम की धारा 27 को प्रभावी बनाना	Invocation of Section 27 of the Monopolies Act to Restrict Malpractices by certain companies .	30
219	देशीय औषध फर्मों को अपना विस्तार करने के लिये रियायतें देना	Grant of concessions to indigenous Drug Firms for their expansion .	30–31
220.	पांचवीं योजना के दौरान भारतीय इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अधीन स्थापित होने वाले दो औषध कारखानों के स्थापना-स्थानों के नाम	Location of two Drugs Units under IDPL during Fifth Plan . .	32
221	जापान के सहयोग से पांचवीं योजना के दौरान उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up Fertilizer Plants during Fifth Plan in Collaboration with Japan	32
222	भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्रों की क्षमता के आंशिक उपयोग के कारण उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilisers due to partial utilisation of capacity of plants of Fertilizer Corporation of India .	32–33
223	पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड और झांसी जिलों में अतिरिक्त भूमि की सिंचाई	Irrigation of additional land in Bundelkhand and Jhansi Distt. of U.P. in Fifth Plan . . .	33–34
224	पश्चिम बंगाल तथा आसाम के गांवों का विद्युतिकरण	Electrification of villages of West Bengal and Assam . . .	34

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
225	एल० पी० गैस एजेन्सियों का आवंटन करने का मानदंड	Criteria of allotment of L. P. Gas Agencies	34
226	भारतीय तेल निगम द्वारा एल० पी० गैस एजेन्सियों आवंटित करने के लिए मानदंड	Criteria for allotment of L. P. Gas Agencies by the Indian Oil Corporation	35
227	गुजरात तथा मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल-विवाद के मामले को पुनः उठाने का प्रस्ताव	Proposal for reopening of Narmada Water Dispute between Gujarat and Madhya Pradesh . .	35
228	नर्मदा नदी जल विवाद को शीघ्र हल करने के लिये गुजरात के मुख्य मंत्री का अनुरोध	Gujarat Chief Minister's request for early settlement of Narmada River Water dispute	35-36
229	कोंकण रेलव परियोजना के स्थान पर रत्नागिरी-कोल्हापुर तथा कराड़—चिपलून रेलवे परियोजना को चलाना	Replacement of Konkan Railway Project by Ratnagiri-Kolhapur and Karad-Chiplun Railway Project	36
230	महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले के सावंतवाड़ी तालुक में तिराली बांध में सीमेंट कंकरीट के प्रयोग के बारे में विशेषज्ञों की सलाह	Expert advice on use of Cement concrete in Tirali Dam in Sawantwadi Taluk of Ratnagiri Distt. (Maharashtra)	36
231	हड़पसर स्टेशन के निकट सितम्बर, 1973 में मालगाड़ियों में टक्कर	Collision between Goods Trains near Hadapsar Station in September, 1973	37
232	शोलापूर डिवीजन को मध्य रेलवे जोन में शामिल किये जाने का आश्वासन	Assurance given for inclusion of Sholapur Division in Central Railway Zone	37
233	भारतीय तेल निगम द्वारा नागपाल अम्बाडी पेट्रोलियम रिफाइनिंग कम्पनी द्वारा उत्पादित ट्रांसफार्मर आयल की बिक्री में कथित घोटाला	Alleged bungling by IOC in the matter of marketing of Transformer Oil Produce by Nagpal Ambadi Petroleum Refining Company	37
234	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तथा पेट्रोल का राशन	Prices of Petroleum products and Rationing of Petrol . . .	38
235	भूमि के लिए मुआवजा	Compensation for Lands .	38
236	गत छः महीनों में रेलगाड़ियों में डकैतियां	Robberies in Railway Trains during the last six months . . .	38-39
237	रेलगाड़ियों में हत्याएं रोकने के लिए उठाए गये कदम	Steps taken to stop murders in Trains	39-40
238	कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण फर्मों के विरुद्ध मुकदमे चलाना	Prosecutions launched against Firms for violating the Provisions of Companies Act . . .	40
239	भारत द्वारा इराक में तेल की खोज	Oil Exploration by India in Iraq .	40
240	मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए रूस से मशीनों का आयात	Import of Machinery from USSR for Mathura Oil Refinery . .	41

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
241	रेलवे के लिए बिजली की घरों की स्थापना करना	Setting up of Power Houses for Railways	41
242	विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग	Use of Coal for Power Production	42
243	विद्युत सप्लाई उद्योग का पुनर्गठन	Restructure of Power Supply Industry	42
244	विदेशी तेल कम्पनियों का कार्य जारी रहना	Continuance of Foreign Oil Companies	42–43
245	राज्य व्यापार निगम द्वारा औषध उद्योग को अधिक मूल्य पर आयातित कच्चे माल की सप्लाई किया जाना	Supply of Imported Raw Materials by STC to Drug Industry at Higher Prices	43
246	कावेरी जल विवाद का हल	Solution of Cauvery Waters Dispute	43
247	समुद्र-तट से दूर तेल की खुदाई करने संबंधी कार्य को पूरा करने के कार्य में विलंब	Delay in Execution of work relating to Off-shore Drilling	43–44
248	उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती	Power cut in U. P.	44
249	राज्यों में बिजली की कटौती समाप्त करना	Restoration of Power cut in States	44–46
250	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड	Hindustan Lever Limited	46–47
251	मिट्टी के तेल की कमी और इसके मूल्यों में वृद्धि	Shortage of Kerosene Oil and increase in its prices	47
252	लोको कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे की हुई हानि	Loss suffered by Northern and Western Railways due to Loco Stir	48
253	स्टीम इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों से गाड़ियों को चलाना	Trains to be run with Diesel Engines in place of Steam Engines	48
255	करनाली पन बिजली परियोजना	Karnali Hydel Project	48
256	एक वर्ष की अवधि के बजाय पांच वर्ष के लिये "अधिक अन्न उपजाओं" योजना के अंतर्गत रेलवे भूमि का आवंटन	Allotment of Railway Land under "Grow More Food" Scheme for Five Years instead of One Year at a Time	48–49
257	पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिये बिहार द्वारा मांगी गई धनराशि	Financial Outlay sought by Bihar for construction of Western Kosi Canal	49
258	समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा रक्सौल तक और मुजफ्फरपुर से बरास्ता मोतीहारी तक बड़ी लाईन का बढ़ाया जाना	Extension of Broad Guage Lines from Samastipur to Raxaul via Darbhanga and from Muzaffarpur via Motihari	50
259	भारत द्वारा करनाली पन-बिजली परियोजनाओं का डिजाइन तयार करना	Designing of Karnali Hydro Electric Projects by India	50
260	पश्चिम बंगाल में हेलजर्स ग्रुप आफ जूट मिल्स के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against Heilger's Group of Jute Mills in West Bengal	50–51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
262	एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अधीन निबटाये गये मामले	Cases decided by MRTP Commission under Sections 21,22and 23 of the MRTP Act	51
263	बदरपुर तापीय बिजलीघर में बिजली का उत्पादन	Generation of Electricity from Badarpur Thermal Power Plant . .	52
264	कुछ रेलवे यूनियनों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threat of Strike by Certain Railway Unions	52
265	भारत तथा विदेशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत	Per capita Consumption of Electricity in India and in Foreign Countries	53
266	नांगल डैम आर होशियारपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अपर्याप्त व्यवस्थाएं	Inadequate arrangements for passengers at Nangal Dam and Hoshiarpur Railway Stations. . .	53
268	दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के जनित्र एककों के कार्यकरण में दोष	Defects in the working of generation units of Indraprastha Power Station in Delhi	53-54
269	कोसी बांध योजना में रेत जमा होने की समस्या	Silting Problem of Kosi Barrage Scheme	54
270	कोयले की कमी के कारण बन्द गाड़ियाँ	Trains cancelled due to shortage of Coal	54-55
271	भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'पिलर्स' के निर्माण के लिये ठेका दिया जाना	Contract for construction of Pillars by Bhakra Control Board . .	55
272	'आठ वैगन लूट लिए' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Item captioned "Aath Wagon Loot Liye"	55-56
273	कानपुर जाने वाली गाड़ी में 2 अगस्त, 1973 को फर्रूखाबाद के निकट डकैती	Dacoity in the Train bound for Kanpur near Farrukhabad on 2nd August, 1973	56
274	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि	Increase in the Salary and Allowances of Judges of High Courts .	56
275	विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पद	Vacancies in various High Courts .	57-58
276	वर्ष 1971 से 1973 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं	Train Accidents during 1971 to 1973	59
277	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे संबंधी कार्य का आरंभ और पूरा किया जाना	Commencement and completion of Underground Railway in Calcutta	60
278	पश्चिम बंगाल के ग्रामों में बिजली लगाया जाना	Electrification of Villages in West Bengal	60
279	रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर की सुविधाएं समाप्त करना	Withdrawal of Alarm Chain facilities from Trains	61
280	लारसन एंड टुब्रो लिमिटड के निदेशक बोर्ड का भारतीयकरण	Indianisation of the Board of Directors of Larsen and Toubro Limited	61
281	वर्ष 1973 के पहले 6 महीनों में रेलवे में अपराधों में वृद्धि का रूख	Upward trend in crimes on Railways during the First Six Months of the year 1973	62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
282	वनस्पति उद्योग को लागत-लेखे का रिकार्ड रखने के सबंध में निदेश	Directions to Vanaspati Industry to keep Records of Cost Accounting	63
283	केन्द्रीय क्षेत्र की बिजली उत्पादन परियोजनाओं द्वारा उत्पादित बिजली का क्षेत्रीय आधार पर वितरण	Sharing of Power Generated by Central Sector Projects on Regional Basis	63
284	रेलवे के प्रशासनिक ढांचे का सुधार और पुनर्गठन	Streamlining and Reorganising of Railways Administrative Set up	63–64
285	कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर स्नोसेम (इंडिया) लिमिटेड तथा फिलट्रोना (इंडिया) लिमिटेड द्वारा मारुति लिमिटेड में कथित पूंजी निवेश	Reported investment by Snosem (India) Ltd., and Filtrona (India) Ltd., in Maruti Ltd. against the provisions of the Companies Act .	64
286	गरीबों को कानूनी सहायता देने संबंधी प्रतिवेदन की जांच	Examination of the Report on Legal Aid to the Poor	65
287	अरब देशों द्वारा तेल का मूल्य बढ़ाया जाना और उसका भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Raising prices of oil by Arab countries and its Impact on Indian Economy	65
288	राज्यों के बीच जल के बंटवारे संबंधी विवाद के निपटारे के लिये राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करना	Creation of National Authority for Settlement of Disputes on Sharing of Water Among States. .	65–66
289	फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्ज़ ट्रावणकोर की कोचिन डिवीजन में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts working in the Cochin Division of F.A.C.T. . .	66–67
290	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर की इंजीनियरिंग और डिजाइन डिवीजन द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने में विलंब	Delay in setting up of a fertilizer plant by F.A.C.T. Engineering and Design Division . . .	67
291	भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन	Restructuring of the Fertilizer Corporation of India . .	67
292	गाड़ियों के चलन समय में कमी	Reduction in the Running Time of Trains	68
293	सितम्बर, 1973 के दौरान वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की हड़ताल	Strike by Station Masters and Asstt. Station masters in Varanasi Division in September, 1973 (North Eastern Railway) . . .	68
294	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा रिहंद बांध को भरने के लिए कृत्रिम वर्षा का आयोजन	Artificial Rain for filling Rehand Dam by U. P. State Electricity Board . . .	68–69
295	कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलवे की क्षति	Loss suffered by Railways due to employees' strike	69
296	गत पांच महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken on Ticketless Travellers during the last five months . .	69

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
297	विगत पांच महीनों में दक्षिण मध्य रेलवे पर तोड़–फोड़ की कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप हुई रेल दुर्घटनाएं	Accidents caused by Sabotage Activities on South Central Railway during the last five months . .	70
298	रेलवे कर्मचारियों को दिये गए समयोपरी भत्ते में वृद्धि	Increase in Payment of Overtime Allowance to Employees of Railway Ministry	71
299	राज्यों में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि से लेकर निर्माणाधीन मुख्य सिंचाई परियोजनाएं	Major Irrigation Projects under construction in States since First Plan period	71
300	आवश्यक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to raise prices of essential drugs	71
302	दुर्गापुर केमीकल्ज का कार्यकरण	Functioning of Durgapur Chemicals	72
303	उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरक्षण और परिचालन कर्मचारियों की मांगें	Demands of maintenance and operation staff of State Eectricity Board of UP.	72–73
304	सियालदह डिवीजन में रेल सेवाओं का अस्तव्यस्त होना	Dislocation of Train Services in Sealdah Division	73
305	सियालदह डिवीजन के इ० एम० यू० डिब्बों में से गायब पंखे, बल्ब, सीटों, दरवाजों के शीशों और खिडकियों के शटर	Missing fans, bulbs, seats, door panes and window shutters of EMU coaches of Sealdah Division .	73–74
306	पांचवीं योजना के दौरान मुख्य सिंचाई परियोजनाएं	Major Irrigation Project during Fifth Plan	74
307	राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress in construction work on Rajasthan Canal	74–75
308	वैगनों की कमी का कोयले के परिवहन पर कुप्रभाव	Effect of Shortage of Wagons on movement of coal . . .	75–76
309	जापान से प्राप्त किये गये ड्रिलिंग प्लेटफार्म से "बाम्बे हाई" में तेल की खोज	Oil Exploration in "Bombay High" with drilling platform procured from Japan	76–77
310	तट से दूर क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए विदेशी सहायता	Foreign assistance for oil Exploration in Off-Shore areas . . .	77
311	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि की मांग	Demand for a further increase in prices of Petroleum and Petroleum products by Foreign Oil Companies	77–78
312	गत छः महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण विलंम्बित हुई तथा रद्द की गई रेल गाड़ियां	Trains which were late or were cancelled due to shortage of coal during the last six months . .	78–89
313	लोको कर्मचारियों द्वारा की गई गत हड़ताल के बाद गाड़ियों का देरी से चलना	Late running of trains since the last strike by Loco men	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
314	दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में रिंग रेलवे के निर्माण मे हुई प्रगति	Progress in construction of Ring Railways in Delhi, Bombay and Calcutta	79
315	गाड़ियों मे सिटों/बर्थो के आरक्षण संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Reservation of Seats/Berths in Trains . .	80
316	गत छ: महीनों के दौरान हावड़ा से और हावड़ा के लिए एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों का देरी से चलना	Late running of Express and Mail Trains to and from Howrah during the last six months . . .	80–81
317	सोन जल विवाद संबंधी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा बाणसागर परियोजना के समझौते के विरोध में त्याग पत्र	Resignation by Members of Advisory Committee on Sone Water Dispute in protest against agreement on Banasagar Project . . .	81
318	भारत सरकार के मंत्रियों के दल द्वारा बिजली संकट पर पुर्नविचार	Review of Power Crisis by Group of Ministers of Govt. of India .	81–82
319	मध्य रेलवे के लेखा विभाग में पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पदों का सीधे भरती किये गये स्नातकों के लिये आरक्षण	Reservation of posts for Graduates direct-Recruits in resultant vacancies due to upgradation of posts in Accounts Department of Central Railway	82–83
320	भारत में तेल की खोज करने के लिए रूस द्वारा खुदाई रिंगों की सप्लाई	Supply of drilling rigs by USSR for Oil exploration in India . .	83
321	एक यात्री गाड़ी में रेल मंत्री के सुरक्षा गार्ड को छुरा घोंपा जाना	Stabbing of Security Guard of the Minister of Railways in a Passenger train	83–84
322	रूस से टर्बो जनित्र का आयात	Import of Turbo Generators from USSR	84
323	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों में नयी वृद्धि की मांग	Demand for a fresh increase in price of crude oil by Foreign Oil Companies	84–85
324	माल डिब्बों की कमी को दूर करने के लिये उठाये गये पग	Steps taken to remove shortage of wagons	85
325	बाढ़ के कारण मकानों, पशुधन तथा फस्लों की क्षति	Damage caused to houses, cattles, crops due to floods	85–86
326	राजस्थान नहर के निर्माण पर मई, 1973 तक, हुआ व्यय	Expenditure incurred on construction of Rajasthan Canal upto May, 1973	86
327	रेलवे स्टेशनों का विद्युतिकरण	Electrification of Railway Stations .	87
328	सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के बिराती स्टेशन पर ब्लाक उपकरण का खराब होना	Failure of block instrument at Birati Station in Sealdah Division (Eastern Railway)	87–88
329	राजभाषा (विधायी) आयोग के सचिव के पद को भरना	Filling the post of Secretary of the Official Languages (Legislative) Commission	88

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
330	19 अप्रैल, 1973 को कांटे में खराबी आ जाने के कारण सियालदह डिवीजन में कालीघाट स्टेशन के बाहर एस० जी० 11 अपगाड़ी का रोका जाना	Detention of SG 11 Up on 19th April, 1973 outside Kalighat Station in Sealdah Division due to failure of point	88–89
331	मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा आयोजित सिंचाई परियोजनाएं	Centrally sponsored Irrigation projects in M. P.	89
332	बाणसागर परियोजना पर होने वाले व्यय का मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश द्वारा परस्पर बांटा जाना	Share of Expenditure to be incurred on Bansagar Project by M. P., Bihar and U. P.	89–90
333	राज्यों में संसद् के चुनावों के लिये तैयारी	Preparation for Parliamentary Elections in States	90
334	कुछ औषध-निर्माता फर्मों को कुछ औषधियों के उत्पादन के लिये दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस	C. O. B. Licences granted to certain Drug Firms for production of some items	90–91
335	औषध निर्माता फर्मों द्वारा उत्पादन में विविधता लाया जाना	Diversification of Production by Drug Firms	91
336	विदेशी औषध-निर्माता फर्मों को दिये जाने वाले सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिये अनुमति तथा अनापत्ति पत्रों के अंतर्गत आने वाली सूत्रीकरण फार्मूलेशन क्षमता	Formulation capacity covered by Permission and no objection letters for C.O.B. Licences to foreign Drug Firms	92
337	अतिरिक्त सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिये कुछ औषध निर्माता फर्मों द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र	Additional C.O.B. Licences applied for by Drug Firms	93
338	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कमाये गये लाभ तथा स्वदेश भेजी गई धन राशि	Profits earned and remittances made by Foreign Oil Companies .	93–94
339	डीज़ल से रेलगाड़ियाँ चलाने के कार्यक्रमों के बारे में मतभेद	Controversy over Dieselisation Programmes	94
340	प्रमुख सिंचाई तथा बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की लागत वृद्धि पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on rise in costs of Major Irrigation and Multi-Purpose Projects . . .	94–95
341	संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन	Report of the committee appointed to review the working of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies.	95–96
342	पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने का उपाय	Measures to curb consumption of Petroleum Products	96
343	पश्चिम बंगाल में चलती हुई रेलगाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि	Increase in the Incidents of Robberies in running trains in West Bengal .	96–97

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
344	बिजली इंजीनियरों द्वारा हड़ताल के कारण विद्युत परियोजनाओं के चालू होने वाली समय सारणी का बाधित होना	Set-back to commissioning schedules of power projects due to strike by power Engineers . . .	97
345	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के कार्य में हुई प्रगति	Progress made with regard to underground Railway work in Calcutta	97–98
346	बिजली इंजीनियरों की हड़ताल के कारण रेलगाड़ियों का निलम्बित किया जाना	Suspension of train services due to strike by Electrical Engineers . .	98
347	बाणसागर परियोजना पर करार	Agreement on Banasagar Project .	98–99
348	राज्यों में विद्युत संकट	Power crisis in States . . .	99
349	पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के विकास की योजना	Scheme to develop Patna Junction Railway Station . . .	99
350	लोको रनिंग स्टाफ की कठिनाइयों पर ध्यान देने वाली समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to look into the Grievances of Loco Running Staff	100
351	हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर 27 जून और 27 जुलाई को यात्री टिकटों की बिक्री	Sale of Passenger Tickets at Howrah and Sealdah Station on 27th June and 27th July, 1973 . .	100
352	निर्वाचनों को कम खर्चीला बनाने हेतु निर्वाचन कानून में प्रस्तावित संशोधन	Proposed Amendment to Election Law to Reduce the Cost of Election	100–101
353	रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का कार्य	performance of R.P.F. Personnel .	101
354	वर्ष 1971 अथवा 1972 के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 233ए के अधीन कम्पनियों की विशेष लेखा परीक्षा	Special Audit of Company Accounts under Section 233A of the Companies Act during 1971 or 1972	102
355	संगणक लगाने, बिजलीकरण और विद्युतीकरण के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी	Reduction in Staff due to Computerisation, dieselisation and Electrification	102
356	औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अंतर्गत दवाई विक्रेताओं को दिया गया दंड	Punishment Awarded to Chemists under the Drugs (Price Control) Order, 1970	102
357	राज्यों में बिजली में कटौती	Power cut in States . . .	103–104
358	विभिन्न क्षेत्रों में तापीय विद्युत केन्द्रों के चयन के लिये समिति का गठन	Setting up of a Committee for Selection of Sites for Thermal Power Stations in Different Regions .	104
359	राष्ट्रीय रेयन निगम के निदेशक बोर्ड में कम्पनी विधि बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों की अवधि	Term of Company Law Board's Nominees on Board of Directors of National Rayon Corporation .	104–105
360	कुछ विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा अपने एककों के विस्तार के लिये आवेदन पत्र	Applications for expansion of Units from some Foreign Drug Firms .	105

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
361	तटीय राज्यों में तेल शोधनशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to Establish Oil Refineries in Coastal States . . .	105
362	बम्बई और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन के लिए दासगांव और पानाम्बुर के बीच इंजीनियरिंग सर्वेक्षण	Engineering Survey between Dasgaon and Panambur for Railway Line between Bombay and Mangalore	105
363	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना	Completion of Major Irrigation Projects	106
364	पनबिजली परियोजनाओं पर परमाणु बिजली तथा तापीय विद्युत परियोजना को तरजीह	Preference to Nuclear and Thermal Power Projects over Hydel Power Projects	106
365	गुजरात में गांवों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Electrification of Villages in Gujarat . .	106–107
366	अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी द्वारा विद्युत उत्पादन का बढ़ाया जाना	Expansion of Generation of Power by Ahmedabad Electricity Coy. .	107
367	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तबका कुओं से तेल का परीक्षणात्मक उत्पादन	Trial Production of Oil by O. & N. G.C. from Tabka Wells in Gujarat	107–108
368	पटना में प्रस्तावित गंगा पुल परियोजना में रेलवे बोर्ड द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Railway Board in Proposed Ganga Bridge Project at Patna	108
369	भारतीय रेलवे के लिए विश्वबैंक ऋण	World Bank loan for Indian Railways	108–109
370	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages of U. P. by R.E.C.	109
371	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज में बदलना	Conversion of Metre Gauge Line into Broad Guage Line during Fourth Five Year Plan . . .	110
372	सितम्बर, 1973 को लखनऊ-सुल्तानपुर यात्री रेल गाड़ी की एक बस के साथ टक्कर	Collision of Lucknow-Sultanpur Passenger train with a bus in September, 1973	110
373	सितम्बर, 1973 में पूर्वी रेलवे के कलकत्ता स्थित "सिटी बुकिंग ऑफिस" से नकदी की चोरी	Theft of cash from City Booking Office, Calcutta in September, 1973 (Eastern Railway) . .	110–111
374	काकीनाड़ा में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for setting up of a fertilizer plant at Kakinada . . .	111
375	बिजली की कमी	Power Shortage	111–112
376	कुछ प्रमुख फर्मों के प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के मामलों की एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच	Investigation by the M.R.T.P. Commission into cases of restricted trade practices by some leading firms	112–114

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
377	रेल वैगनों की अनुपलब्धता और कोयला परिवहन में कार्यचालन अदक्षता के कारण उत्पादन में गिरावट	Fall in production of goods due to non-availability of wagons and operational inefficiency in transporting coal	114
378	उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss incurred due to strike by Electricity workers in Uttar Pradesh .	115
379	आयातित कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण मिट्टी के तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Kerosene and petrol products due to increase in price of imported crude . .	115–116
380	बम्बई में गहरे समुद्र में तथा त्रिपुरा में तेल संसाधनों की खोज	Exploration of oil resources in Bombay High and in Tripura . .	116
381	महाराष्ट्र के कोयना परियोजना के शिव सागर बांध में प्रकंप	Tremors in Sivsagar Dam of Koyna Project in Maharashtra . .	117
382	चीनी उद्योग में कम पूंजी निवेश वाली कम्पनियां	Under-capitalised concerns in Sugar Industry	117
383	उत्तर रेल्वे के "खानपान प्रबन्ध" कर्मचारियों द्वारा रेलवे के साथ कथित धोखाधड़ी	Alleged Fraud on Railways by the catering Staff of Northern Railway	118
384	बदरपुर बिजली परियोजना के चालू किये जाने एवं उसके निष्पादन में विलम्ब	Delay in Commissioning and Execution of Badarpur Power Project .	118–119
385	एकाधिकारी कम्पनियों का अच्छी और बुरी के रूप में वर्गीकरण	Classification of Monopolies into good and bad monopolies . .	119
386	बड़े पैमाने पर कास्टिक सोडा बनाने वालों को राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रियायतें	Concessions granted by State and Central Governments to large scale manufacturers of Cuastic Soda .	119
387	विद्युत उपकर का राज्यों की विकास सहायता के लिए दिया जाना	Proposal to pass on Electricity Cess to States as Development Aid .	119–120
388	दिल्ली की कालोनियों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को रोकड़ वसूली सुविधा	Cash Collection facility of DESU in Colonies of Delhi . . .	120
389	कर्नाटक में एक अन्य उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Location of another Fertilizer Plant in Karnataka	120
390	बंगलौर–कर्नाटक-कोम्बेटूर बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Bangalore-Mysore-Coimbatore Broad Gauge Railway Line	121
391	स्वदेश में तैयार किये गये उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन में दोष	Defects in indigenously designed Fertilizer Plants . . .	121–122
392	बुन्देलखण्ड में राजघाट बांध परियोजना के लिये केन्द्रीय बोर्ड का गठन	Constitution of Central Board for Rajghat Dam Project in Bundelkhand	122

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
393	मिराज और लोंधा (दक्षिण-मध्य रेलवे के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलते समय उसे बरास्ता गोकक ल जाने के लिए मरचेंट्स एसोसिएशन, गोकक से अभ्यावेदन	Representation from Merchants' Association, Gokak for Diversion of line via Gokak Town on Conversion of Metre Gauge to Broad Gauge between Miraj and Londha (S.C. Railway)	122
394	आकोडिया-मंडी के लोगों द्वारा प्लेटफार्म ऊंचा करने तथा एक प्रतिक्षालय बनाय जाने की मांग	Demand by the People of Akodia-Mandi for raising the platform level and for constructing a waiting hall	123
395	गुना-मक्शी लाइन को पूरा करने मे विलंब	Delay in completion of Guna-Maksi line	123
396	देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा पूर्ति	Demand and supplly of petroleum products in the country	123–124
397	हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा नई दिल्ली स्थित अपने भवन की मैसर्स ओरियन्टल कम्पनी, फरीदाबाद को कथित बिक्री	Reported sale by Hindustan Times of its Building in New Delhi to M/s Oriental Company, Faridabad	124
398	रेलवे के प्रबंध में रेलवे कर्मचारियों का भाग लेना	Railway Employees' Participation in Management of Railways	124
399	पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Petroleum products	124–125
400	गत छः महीनों के दौरान हुई रेलवे दुर्घटनाएं	Railway accidents during the last six months	125–126
401	देश में बिजली बोर्डों के विद्यत इंजीनियरों की हड़ताल	Strike by Power Engineers of Electricity Boards	126
402	आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी	Power shortage in Andhra Pradesh	126–127
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	दिल्ली मे अन्तर्राष्ट्रिय हशिश गिरोह के पता लगाना का समाचार—	Reported unearthing of international hashish racket in Delhi—	
	श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapoor	127
	श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	127–128
	पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि संबंधी अध्यादेश जारी करने के बारे में	Re. Issue of Ordinance increasing Excise Duty on Petrol, Kerosene Oil, etc.	132–134
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	134
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	135
	कार्यमंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	33वां प्रतिवेदन	Thirty-third Report	135–136

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under rule 377—	
पटसन के माल पर निर्यात शूल्क मे कमी करने के बार म सभा को जानकारी देने में सरकार की कथित असछलता	Alleged failure of Government to inform the House of reduction in Export Duty on Jute Goods	136–138
भारतीय खाद्य निगम (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में छटनी के बारे में	Re. Retrenchment in Food Corporation of India (U. P. region) .	138
कोयले की कमी के कारण 250 यात्री-गाडियों को रद्द करने के बारे में	Re. cancellation of 250 Passenger Trains due to scarcity of coal .	138
टेक्सटाइल समिति (संशोधन) विधेयक	Textile Committee (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव,—	Motion to consider—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya .	138–139, 146–147
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . . .	139
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani .	139
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	140
श्री मध लिमये	Shri Madhu Limaye	140
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	140–141
श्री धामनकर	Shri Dhamankar .	141
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya .	141–142
श्री मूलचंद डागा	Shri M. C. Daga .	142
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Snukla .	142
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan .	143–144
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh .	144–145
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	145
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha	145
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	145
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	146
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	146
खंड 2 से 10 तथा 1	Clasues 2 to 10 and 1 . . .	148–149
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	149
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	149
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya .	149

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक—	Direct Taxes (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	150–151
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda . .	151–152
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve . . .	152–154
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . .	154–155
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	155

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बासिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुत्तु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्. श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
वाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरुलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मु, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदा बक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मछिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री वी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडि-वनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुद्दूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंद्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोबीचे टिट्टूपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पसवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 13 नवम्बर, 1973/22 कार्तिक, 1895 (शक)
Tuesday, November 13, 1973/Kartika 22, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा से भूमि कटाव

*21. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में धूलिया, जंगीपुर और औरंगाबाद में गंगा द्वारा भूमि कटाव से प्रत्येक वर्ष अत्यधिक क्षति तथा भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य अथवा केन्द्र ने इस समस्या को स्थाई रूप से हल करने के लिए कोई व्यापक आयोजना अथवा योजना सुझाई थी, और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बराज के अनुप्रवाह में गंगा के दायें किनारे पर लालगोला और नयनसुख के बीच 51 किलोमीटर की लम्बाई में भूमि-कटाव की समस्या बनी हुई है । यह कटाव भिन्न-भिन्न स्थानों में और विभिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न मात्रा में होता आया है जिससे धुलियन, औरंगाबाद, बिश्वनाथपुर आदि जैसे मुख्य नगरों के क्षेत्रों में नुकसान हुआ है ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार ने 63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत फरक्का बराज के अनुस्रोत गंगा नदी के दायें किनारे पर कटाव के प्रति सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक स्कीम तयार की थी जिसमें आठ-आठ सौ के अन्तराल पर 90 मीटर लम्बी पत्थर की ठोकरों का निर्माण शामिल है, इनके बीच तीन अवगाहन-क्षम ठोकरे होंगी । मार्च, 1973 में प्राप्त इस स्कीम की

2—27 LSS/73

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में मोटे तौर पर जांच की गई थी। यह देखा गया था कि यह बहुत बड़े परिव्यय वाली स्कीम विस्तृत अनुसंधानों तथा प्रारूप अध्ययनों पर आधारित नहीं थी। अतः राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वे विस्तृत सर्वेक्षण तथा प्रारूप अध्ययन करके एक व्यापक स्कीम तैयार करें और इस बीच 1973 की बाढ़ों से पूर्व बहुत नाजक पहुंचों में आपातिक किस्म के तात्कालिक कार्य किए जाएं।

जो आपातिक कार्य किए जाने थे, वे 31 नई अवगाहन-क्षम ठोकरों का निर्माण तथा 25 वर्तमान ठोकरों का पुनरूपेण थे। राज्य सरकार ने हाल ही में यह सूचित किया है कि ये आपातिक कार्य लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं और इनके अच्छे परिणाम निकले ह। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 160 लाख रुपये है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : विवरण में बताया गया है कि सरकार ने इस समस्या पर विचार किया था और 63 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की एक योजना मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। यह महसूस किया गया कि वह योजना व्यापक नहीं है और इसलिये राज्य सरकार से एक अन्य योजना बनाने के लिये कहा गया था। फरक्का बराज बन जाने के कारण गंगा नदी के कटाव से उन क्षेत्रों में हर वर्ष भारी क्षति हो रही है। क्या मंत्री महोदय फ़रक्का बराज के कारण इसको राष्ट्रीय समस्या समझते हैं और यदि हां, तो इस काम का बोझ राज्य सरकार पर डालने के बजाय केन्द्रीय सरकार इसे स्वयं क्यों नहीं कर लेती ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विशेषज्ञों की राय में यह बात ठीक नहीं है कि केवल फ़रक्का बराज के कारण ही यह कटाव हो रहा है। उनका विचार यह है कि फ़रक्का बराज से पहले भी यह कटाव हो रहा था और फ़रक्का बराज के साथ उसका वैसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः मेरे विचार में ये दोनों प्रश्न परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं। जैसा कि भारतीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना सम्पूर्ण नहीं है, बहुत सी बातों का हिसाब लगाया जाना है। अतः उसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया था और वे आवश्यक आंकड़े और ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। इस बीच कुछ तात्कालिक उपायों के सुझाव दिये गये थे और वे किये भी गये थे। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष कोई विशेष क्षति नहीं हुई है और ये तात्कालिक उपाय चालू वर्ष से सहायक सिद्ध हुए हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : विवरण में लिखा है कि विभिन्न वर्षों में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में कटाव होता रहा है जिससे धुलियन जैसे महत्वपूर्ण कस्बों में क्षति होती रही है। मात्रा भिन्न भले ही हो परन्तु हर वर्ष क्षति हो रही है। जब नदियों पर अधिकांश रूप से केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग का नियंत्रण है, फ़रक्का बराज के अतिरिक्त क्योंकि यह गंगा के कटाव का प्रश्न है, तब यह मंत्रालय ब्यौरे की जांच करने और योजनाए बनाने का काम अपने जिम्मे क्यों नहीं लेना चाहता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गंगा बहुत बड़ी नदी है और इससे पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कटाव हुआ है। देश में अन्य नदियों से भी कटाव होता है। सामान्य नीति यह है कि स्थिति में सुधार करने के लिये किये जाने वाले उपायों पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों को देना होता है।

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार से व्यापक योजनाएं बनाने और आदर्श अध्ययन आदि करने में सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अप्रैल 1973 में दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्य इंजीनियर सहित तकनीकी अधिकारियों की सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में बैठक हुई थी। इसी बैठक में तात्कालिक

उपायों के बारे में निर्णय किया गया था। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि बड़ी योजना के लिये, जो राज्य सरकार ने पहले भेजी थी, क्या ब्यौरा अपक्षित है।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : विवरण के अन्तिम पैरा में लिखा है कि तात्कालिक उपायों के अच्छे परिणाम निकले हैं। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई स्थाई कार्य किया है या योजना बनाई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो उपाय किये गये हैं वे स्थायी हैं। ठोकरों का निर्माण किया जा रहा है और जिन ठोकारों का निर्माण पहले किया गया था उन्हें सुदृढ बनाया जा रहा हैं। ये उपाय स्थाई है। वे तात्कालिक कार्यवाही के रूप में किये गये थे जो कि आवश्यक थे। हमारा इरादा यह था कि वर्षा के मौसम से पहले ही कुछ उपाय तत्काल किये जाने चाहिये।

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : क्या ये निर्माण-कार्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किये जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :जी हां। ये निर्माण-कार्य पश्चिम बंगाल सरकार करा रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में लिखा है कि नहर के दाये किनारे में कटाव को रोकने के लिये राज्य सरकार ने एक योजना बनाई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र, खड़गवासला को भेजी गई थी अथवा केवल केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इस योजना पर विचार किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में इस योजना पर विचार किया गया था। ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में यही सामान्य प्रक्रिया है।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या यह सच नहीं है कि बाढ़ और बाढ़ से होने वाले कटाव को कम से कम करने के लिये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों को मिला देना अच्छा होगा? यदि हां तो ब्रह्मपुत्र को गगा से मिलाने की भारत सरकार की योजना की अब क्या स्थिति है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न का मूल प्रश्न के साथ वस्तुत: कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बी० के० दास चौधरी : विशेषज्ञों ने कटाव को कम से कम करने का सुझाव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव कार्यवाही करने के लिये है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या बिहार सरकार ने सिंचाई और विद्यत् मंत्रालय को लिखा था कि फ़रक्का के कारण मुंगेर और भागलपुर ज़िलों में कटाव हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अरब महासागर में तेल के लिए खुदाई

*22. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में अरब सागर में तेल के लिए खुदाई आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक व्यधन कार्य में 4,500 मीटर की गहराई की योजना के विपरीत लगभग 1,600 मीटर की गहराई तक प्रगति हुई है, 1,600 मीटर की गहराई पर कुए में गैस पाए जाने के संकत मिले हैं।

(ग) 30 सितम्बर, 1973 तक पूरी परियोजना पर कुल व्यय (जिसमें ठेके पर करवाये गये सर्वेक्षण भी सम्मिलित हैं) 495.85 लाख रुपये है।

Shri Arvind M. Patel : Sir, May I know the actual location of this project and whether there is any indication of oil or not and with whose collaboration it is being done ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह बम्बई हाई के तारापुर क्षेत्र में है जो बम्बई से लगभग 120 किलोमीटर है। 4500 किलोमीटर की कुल प्रस्तावित खुदाई में से केवल 1,600 किलोमीटर तक खुदाई की जा सकी है। खुदाई का काम 11 अक्तूबर को आरम्भ हुआ था। अब वे एक दरार में खुदाई कर रहे हैं जो छिद्र-रहित (नान-पोरस) क्षेत्र है। एक अन्य क्षेत्र भी है जो छिद्र-युक्त (पोरस) है और जहां गैस और तेल--दोनों को जमा किया जा सकता है। अब तक केवल गैस के संकेत मिले हैं। यह काम किसी के सहयोग से नहीं किया जा रहा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ही इस काम को कर रहा है। उन्होंने आफ्शोर ड्रिलिंग कम्पनी को ठेकेदारों के रूप में रखा हुआ है। वहां लगभग 17 विदेशी विशेषज्ञ हैं। हमारे अपने इंजीनियर और श्रमिक भी हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि इसमें सफलता मिल गई तो बग्गियों और बैलगाड़ियों की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी।

Shri Birendra Singh Rao : In view of acute shortage of petrol I would like to know whether any special steps have been taken to step up this task? Whether any amount has been sanctioned for this purpose in the Fifth Plan in order to make the country self-sufficient, if so the details thereof?

Shri D. K. Borooah : Off-shore drilling is the first step in this direction. A begining has been made and I think it will continue.

In order to achieve self-sufficiency the country is not to depend on off-shore drilling only we have to go far on shore drilling as well. We shall make efforts but we have to depend on luck also in so far as oil is concerned.

Shri Birendra Singh Rao : I would like to know . . .

Mr. Speaker : You cannot ask second question.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : बम्बई हाई में तट-दूर खुदाई की सफलता को देखते हुए क्या सरकार अब तट पर भी अधिक खुदाई करायेगी ? केरल तट पर भी खुदाई कराने का सरकार का प्रस्ताव था। क्या इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किया जायेगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : अभी यह कहना कठिन है कि खुदाई सफल रही है। अभी केवल पहले कुएं की खुदाई की जा रही है। हमें 4,500 फुट की गहराई तक खुदाई करनी है। हम दरार वाले क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। तेल और गैस मिलेगा या नहीं, यह कहना कठिन है। अब इस निर्णय तक पहुंचने में कुछ और समय लगेगा।

जहां तक तट दूर खुदाई का काम देश के अन्य भागों में करने का सम्बन्ध है, 13 क्षेत्र चुने गये हैं और उनमें से अधिकांश में अन्य देशों के सहयोग से खुदाई की जा रही है। इस काम के लिये अनेक देशों ने पेशकश की है।

केरल तट भी भूगर्भीय रूप से सम्भावित क्षेत्र है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : तेल उत्पादक देशों के विश्व के तेल बाजार में रवैये को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित सहयोग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार महसूस करती है कि यह सहयोग वर्तमान में भी और भविष्य में भी देश के हित में होगा।

श्री देवकान्त बरुआ : अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग के बिना अब तक किसी भी देश ने तट-दूर खुदाई में सफलता प्राप्त नहीं की। हम उनके साथ जिस व्यवस्था के बार में बात-चीत कर रहे हैं वह सामान्य ठेकेदारों की व्यवस्था है। वे तेल में हिस्सा रख कर या भुगतान के आधार पर, हमारे लिये काम करेंगे। इन सब बातों पर और ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है अतः इस अवस्था में कोई बात बताना उचित नहीं होगा।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या यह देश के हित में है, यह अवश्य हमारे देश के हित में है कि अपने तेल संसाधनों में अधिकाधिक वृद्धि की जाए।

Shri Jagannathrao Joshi : The floating platform got from Japan for oil exploration near Bombay was found defective and returned back. Since it was not delivered in time heavy damages have been caused. May I know whether its delivery has now been made to us, if so whether it has started functioning there?

Shri D. K. Borooah : The platform manufactured by Mitsubishi Company of Japan was earlier scheduled to be delivered on 30th September, 1972. When it was being put to trial the Electric Installation not the whole ship— was found defective. It was to be got duly repaired. Now the defect has been removed. The same platform is being used for drilling in Tarapur in Bombay High at present. It has been working since 19th September for the delay we have been paid 182 million yens, that is about Rs. 53 lakhs, in the form of damages.

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रायोजित छिद्रण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इस कार्यक्रम पर कुल कितनी लागत आएगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये 17 विशेषज्ञ, जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, किस किस देश के हैं?

श्री देवकान्त बरुआ : दिनांक 19 अक्तूबर से कल तक उन्होंने 1,600 मीटर छिद्रण किया है। मुझे हिसाब बहुत अच्छा नहीं आता; माननीय सदस्य स्वयं इसका हिसाब लगा लें। मेरा अनुमान है कि वे इस कार्य को दिसम्बर के अन्त तक पूरा कर लेंगे क्योंकि छिद्रण-कार्य नित्य नहीं किया जा सकता। उन्हें कुछ मरम्मत और अन्य इसी प्रकार के कार्य भी करने पड़ते है। प्रतिदिन छिद्रण-कार्य नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत देर के लिये इस कार्य को रोकना पड़ता है तथा अन्य उपाय करने पड़ते हैं। मुझे ब्यौरे की जानकारी नहीं है। प्रत्येक 7 अथवा 15 दिन के पश्चात् कार्य बन्द भी रहता है।

जहां तक लागत का प्रश्न है अकेले छिद्रण प्लेटफार्म की ही लागत ग्यारह करोड़ रुपया है। इसके अतिरिक्त हमने सप्लाई बेस और सप्लाई शीट पर भी धनराशि खर्च की है। मेरे विचार से 11 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त लगभग 4,00,95,000 रुपयों की और लागत आएगी। अतः कुल लागत लगभग 15 से 16 करोड़ रुपया तक आएगी। आपको ज्ञात ही है कि तट-दूर छिद्रण-कार्य बहुत महंगा कार्य है।

जहां तक 17 विशेषज्ञों का प्रश्न है ये एक अमरीकी कम्पनी से आये हैं, संभव है वे अमरीकी नागरिक हो। लेकिन हो सकता है ये किसी अन्य देश के ही नागरीक हो, मुझे इस बारे में निश्चित पता नहीं है। इतना अवश्य है कि वे अमरीकन आफशोर ड्रिलिंग कम्पनी की ओर से कार्य कर रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या यह छिद्रण-कार्य निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है अथवा उससे आगे चल रहा है? दूसरे, क्या बर्मा तेल क्षेत्रों के निकट अंडमान द्वीपसमूह में तेल का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है?

श्री देवकान्त बरुआ : दिनांक 11 अक्तूबर से ही, जब हमने प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया, इसका कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। किन्तु कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था जिसका कारण यह था कि इसके ट्रायल में ही विलम्ब हो गया था। दूसरे, यह प्लेटफार्म यहां 8 या 9 जून को पहुंचा। इसके बाद इसका कार्यकरण भी मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका कार्य तभी आरम्भ किया जा सकता है जब लहरें 2 मीटर, अर्थात् 6 फीट से ऊंची न हों तथा हवा की गति 15 नोट्स से अधिक न हों। किन्तु एक बार कार्य आरम्भ किये जाने पर यह प्रतिकूल स्थिति में भी कार्य कर सकता है।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में निवेदन है कि अंडमान को तेल मिलने की सम्भावनाओं वाला क्षेत्र समझा गया है किन्तु माननीय सदस्य के कथनानुसार नहीं। बर्मा की ओर वाला अण्डमान क्षेत्र बहुत गहरा है किन्तु भारत की ओर वाले अण्डमान क्षेत्र में, जो भारत और द्वीपसमूह के बीच है, तेल पाए जाने की सम्भावनाएं हैं।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को सोडियम-ट्रिओपोलो फास्पेट बनाने को अनुमति देने की सिफारिश

*23. **श्री मधु दण्डवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को साबुन-इतर (नानसोपी) प्रक्षालकों के निर्माण के लिये आवश्यक सोडियम ट्रिआपोली फास्फट का निर्माण करने हेतु एक परियोजना चालू करने की अनुमति देने की सिफारिश की है; और

(ख) क्या इसके फलस्वरूप इस विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर लिम्टिड की एकाधिकारवादी शक्तियां नहीं बढ़ जायेंगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

श्री मधु दण्डवते : संक्षिप्तता को चातुर्य की आत्मा कहा जाता है किन्तु मंत्री महोदय के उत्तर की आत्मा भी संक्षिप्तता की प्रतीक होती है। वह कुछ अधिक विस्तृत उत्तर दे सकते थे।

सरकार ने इस नीति की घोषणा की हुई है कि देश में कम से कम एकाधिकार को नहीं पनपने दिया जाए। यदि एकाधिकार आयोग की मैंजोरीटी रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान लीवर, जिसमें वास्तव में 85 प्रतिशत विदेशी पूंजी है, को सिंथैटिक डेटर्जेंट के उत्पादन के लिये अपेक्षित सोडियम ट्रिपोली फोस्फेट के उत्पादन के लिये पूर्ण रूप से एकाधिकार दिया गया है तो क्या इससे आपके विचार से हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की एकाधिकार प्राप्ति की स्थिति और अधिक मजबूत

नहीं होगी ? इससे उनके हाथों में आर्थिक शक्ति भी सिमट सकती है तथा इससे ऐसे छोटे उत्पादकों का अहित और उनकी उपेक्षा भी हो सकती है जो सिंथैटिक डेटरजेंट को उत्पादन करना चाहते हैं। मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : एकाधिकार का प्रश्न होने के कारण ही इस मामले को एकाधिकार आयोग को सौंपा गया था तथा जैसा की माननीय सदस्य को पता है एकाधिकार आयोग में भीं मतभेद है। मैजोरिटी रिपोर्ट भी है तथा माइनोरिटी रिपोर्ट भी दी गई है। माननीय सदस्य ने मैजोरिटी रिपोर्ट में निहित जिस बात का उल्लेख किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। किन्तु मैजोरिटी रिपोर्ट में विभिन्न शर्तों के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है . . .

श्री मधु दण्डवते : किन्तु अल्प संख्यकों के विचारों की कभी परवाह नहीं की जाती जैसे कि इस सदन में होता है।

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार से निर्णय करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के लिये बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों दोनों के विचार ही महत्वपूर्ण हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माइनारिटी रिपोर्ट पर भी उतनी ही सावधानी से विचार किया जाएगा जितनी मैजोरिटी रिपोर्ट पर। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि इस पर विचार करूंगा तथा दूसरी पर नहीं। मैं दोनों पर विचार करुंगा। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैजोरिटी रिपोर्ट में भी प्रतिबन्ध लगाये बिना हम प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की सिफारिश नहीं की है। बहुत से प्रतिबन्धों का प्रस्ताव किया गया है तथा उनमें से एक का सम्बन्ध माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पहलू से है तथा वह शर्त यह है कि हम कम्पनी में विदेशी पुंजी की मात्रा 85 प्रतिशत, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, से घटा कर 70 प्रतिशत कर दी जाए। एकाधिकार आयोग की मैजोरिटी रिपोर्ट की यह सिफारिश है। इसके अतिरिक्त भी कई शर्तें लगाई गई हैं। इन सभी पर विचार किया जा रहा है तथा नके बारे में मैं आज अन्तिम निर्णय की जानकारी नहीं दे सकता कि सरकार किस बात को स्वीकार करेगी तथा किसको नहीं। किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार दोनों प्रतिवेदन पर विचार किये बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करेगी।

श्री मधु दण्डवते : आयोग का यह विचार नहीं है कि साबुन से इत्तर डेटरजेंटों के लिये मांग' जिसके आधार पर इस सोडियम ट्रिपोली फोटस्फेट को उत्पादन के लिये सम्पूर्ण अनुमान लगाये गये हैं, वास्तव में उन अवास्तविक अनुमानों को ध्यान में रखते हुये गलत है कि 25 प्रतिशत क्षमता बकार पड़ी है। इस बात को देखत हुये क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इस बारे में दृढ़ निश्चय करे कि क्या इस देश में उद्योगों के समानान्तर एकीकरण की अनुमति दी जाए अथवा प्रृथक-पृथक उद्योग रखे जाएं जैसा कि विश्व के अधिकतर भागों में हो रहा है जिससे एक प्रकार के उद्योग कच्चे माल का उत्पादन करें तथा दूसरे प्रकार को उद्योग साबुन के इतर डेटरजेंटों का उत्पादन करें जिससे कि एकाधिकार की स्थिति को न पनपने दिया जाए ? हमार जैसे देश में 42 प्रतिशत जनता गरीबी लाइन के नीचे की स्तर पर जीवन बिताती है. . .

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री मधु दण्डवते : इसका पूरा सम्बन्ध है। हमारे जैसे देश में जहां 42 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा हैं क्या साबुन की बजाय नान-सोपी डेटरजेंट का उपभोग किया जाता है ? क्या इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है ? क्या इस बारे में स्पष्ट उत्तर दिया जाएगा कि सभी पहलुओं पर विचार किये बिना जल्दबाजी में निर्णय नहीं किया जाएगा ?]

श्री एच० आर० गोखले : उद्योगों के एक दूसरे पर आश्रित होने के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं किया जाएगा। वस्तुत: माइनारिटी रिपोर्ट में मुख्यत: इसी बारे में जांच की गई है। तथा इस बारे में सावधानी से विचार किया जाएगा कि क्या वर्टीकल इंटेग्रेशन की अनुमति दी जाए या नहीं तथा क्या प्रायोजित मांग वास्तविक है अथवा बढ़ाचढाकर की गई है। हम इन सभी बातों की जाच कर रहे हैं। जो भी निर्णय किया जाएगा वह वास्तविक मांग से सम्बद्ध होगा तथा वह पांचवीं योजना के अंत तक रहेगा।

श्री धामनकर : इस समय एस० बी० पी० पी० का उत्पादन करने वाले केवल मैसर्स एल्बर्ट मोरेरजी और पंडित एण्ड कम्पनी हैं जिनका सम्पूर्ण उत्पादन कमिटेड है तथा वह लघु उद्योगों तथा मध्यम स्तर के उद्योगों के लिये उपलब्ध नहीं है। खाद्य तेलों को मानव उपभोग के लिये बचाने को डेटरजेंटों के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी तथा एस० टी० पी० पी० के उत्पादन में भी वृद्धि करनी होगी। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के सम्बन्ध में शीघ्रता करेगी तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को एस० टी० पी० पी० के उत्पादन के लिये लाइसेंस देगी बशर्ते कि वह उसकी बिक्री एस० एस० आई० तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को सरकारी दरों पर करे जिससे कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड एकाधिकार पूर्ण रवैया न अपना सके।

श्री एच० आर० गोखले : यदि मैजोरिटी रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया जाए तो उसके आधार पर भी एक यह शर्त है कि एस० टी० पी० पी० के सम्पूर्ण उत्पादन का वह स्वयं उपयोग नहीं कर सकते। इन्हें अपने उत्पादन का एक भाग ऐसे व्यक्तियों को बेचना ही पड़ेगा जो उससे अंतिम उत्पाद बनाएंगे। अगली शर्त यह है कि वह इसका मूल्य इससे अधिक नहीं ले सकते जिस पर वे अपने एककों को एल० एस० डी० के उत्पादन के लिय एस० टी० पी० पी० देते हैं। यह प्रश्न, कि क्या स कम्पनी को यह दिया जाएगा कि नहीं अभी विचाराधीन है। माइनोरिटी रिपोर्ट ने भी यह नहीं कहा है कि एस० टी० पी० पी० का उत्पादन आवश्यक नहीं है। सम्भव है वह कुछ ऐसे वैकल्पिक सुझाव दें जिनपर हम भी विचार कर रहे हो।

श्री राजा कुलकर्णी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि आयोग की रिपोर्ट दो भागों में विभक्त है--मजोरिटी रिपोर्ट और माइनोरिटी रिपोर्ट--या सरकार बताएगी कि विशेषकर भारतीय उद्योगियों की ओर से प्राप्त कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं? हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की तुलना में शीघ्र ही अपनी परियोजना आरम्भ किये जाने तथा आर्थिक दृष्टि से भी एकाधिकार आयोग ने निर्णय क्यों नहीं किये है .....

अध्यक्ष महोदय : आपने जो यह प्रश्न पूछा है इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। मूल प्रश्न एकाधिकार आयोग की मैजोरिटी और माइनोरिटी रिपोर्ट के बारे में था।

श्री राजा कुलकर्णी : रिपोर्ट में केवल हिन्दुस्तान लीवर पर ही विचार नहीं किया गया वरन् अन्य अनिर्णित आवेदन पत्रों पर भी किया गया है। ऐसे कितने आवेदन पत्र अभी अनिर्णित पड़े हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। प्रतिवेदन में बहुत सी बातें हो सकती हैं किन्तु यहां एक विशेष प्रश्न चल रहा है।

श्री राजा कुलकर्णी : हिन्दुस्तान लिवर का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हिन्दुस्तान लीवर के साथ-साथ क्या कोई अन्य आवेदन पत्र भी अनिर्णित रख गए हैं और क्या उसके साथ साथ अन्य अनिर्णित आवेदनपत्रों पर कोई निर्णय किया गया है।

श्री एच० आर० गोखले : सम्भवत: माननीय सदस्य को यह गलतफहमी है कि एकाधिकार आयोग में कई आवेदनपत्र अनिर्णित पड़े थे। जहां तक मुझे जानकारी है आयोग हिन्दुस्तान लीवर

के मामले पर विचार कर रहा था। यह सच है कि एल्बर्ट-मोरारजी जैसे कुछ अन्य व्यक्तियों को भी उल्लेख किया गया था। वे वहां गये तथा उन्होंने आपत्तियां की। उनकी आपत्तियां सुनी गई। वे केवल माइनोरिटी को ही स्वीकार्य थी मेजोरीटी को नहीं। यह भिन्न मामला है।

कुछ अन्य प्रस्ताव भी हैं। उनको आयोग के पास भेजने की आवश्यकता नहीं। अतः यह ऐसा प्रश्न नहीं जिसका एकाधिकार आयोग द्वारा विचार किया जाए। उनपर सरकार विचार कर रही है। यदि आवश्यक समझा गया तो उनको भी आयोग को सौंप दिया जाएगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने सभा को यह आश्वासन दिलाया है कि सोडियम ट्रिपोली फोस्फेट के उत्पादन के लिये परियोजना आरम्भ करने अनुमति दिए जाने से पूर्व मंत्री महोदय मामले की जांच करेंगे। किन्तु क्या उन्हें पता है कि इसी हिन्दुस्तान लीवर में डालडा के उत्पादन में उस समय कमी कर दी जब देश को इसकी अधिक आवश्यकता थी। हिन्दुस्तान लिवर का यह कार्य राष्ट्र-विरोधी कार्य था। उनके कृत्यों तथा देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय उन शिकायतों की जांच करेंगे तथा सभा को इस बात की सूचना देंगे कि उपयुक्त जांच करा ली गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसकी यहां कोई संगति नहीं है। यह एक सुझाव मात्र है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमारी मुख्य आपत्ति यह है कि उनके कृत्यों को देखते हुए उनको परमिट क्यों दिया जा रहा है। क्या इन शिकायतों की जांच की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक पृथक प्रश्न की सचना दे सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह 21 दिन के बाद आएगा और सम्भव है अतारांकित प्रश्न ही रह जाए।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इस प्रश्न पर यहां कैसे घसीटा जा सकता है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या आयोग को यह अधिकार है कि वह कोई ऐसी भी सिफारिश कर सकता है जो सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध हो।

आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विदेशी पुंजी को 85 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत किया जाए। जहां तक हमें ज्ञात है सरकार की घोषित नीति यह है कि विदेशी पुंजी की प्रतिशतता 50 से कम ही रखी जाए। अतः क्या आयोग यह सिफारिश कर सकता है कि विदेशी पुंजी को घटाकर 70 प्रतिशत किया जाए। दूसरे, सरकार ने यह आवश्यक क्यों समझा कि हिन्दुस्तान लीवर के प्रस्ताव को आयोग के पास भेजा जाए जबकि अन्य प्रस्ताव भी उनके समक्ष थे ? क्या इसका आशय यह नहीं है कि सरकार हिन्दुस्तान लीवर के प्रस्तावों का ही अनुमोदन करना चाहती है ?

श्री एच० आर० गोखले : पहली बात तो यह है कि आयोग के प्रत्येक पास प्रस्ताव को ही नहीं भेजा जाता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जब अन्य प्रस्ताव भी अनिर्णित थे तो सरकार ने इसको ही क्यों भेजा ?

श्री एच० आर० गोखले : इस मामले में, इस में स्पष्ट रूप से एक ऐसी एकाधिकारी फर्म है जिसमें अधिक विदेशी पुंजी लगी हुई है। हम ने यह सोचा था कि आयोग का परामर्श लिये बिना हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरी बात का उत्तर नहीं दिया जा रहा है । उनके सामने अन्य प्रस्ताव भी थे । सरकार ने केवल इसी एक मामले को ही क्यों भेजा ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ । उन पर अभी विचार किया जा रहा है । मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके मामले को आयोग के पास नहीं भेजा जायेगा । मैं तो यह कह रहा हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसक संबंध में विचार पूरा किया जा चुका है और कि इसे आयोग को भेजा गया था । अन्य मामलों को भी आयोग के पास भेजा जा सकता है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है । क्या आयोग ऐसी सिफारिश भी कर सकता है जो विदेशी पुंजी के संबंध में सरकार की घोषित नीति से मेल न खाती हो । मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए ।

श्री एच० आर० गोखले : सब से पहले कानून के अन्तर्गत ऐसी एक मान्यता है कि कम्पनियों में जो बनी हूई है अवासी पूंजी के संबंध मे सोमा निर्धारित है। भविष्य के लिये बनाये जा रहे नए कानून के अन्तर्गत गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विदेशी पुंजी को 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकता है—मुझे ठीक प्रतिशतता के बारे में स्मरण नहीं है । यहां तक एकाधिकार संबंधी आयोग का संबंध है, यह उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिये स्वतंत्र है जो वह उचित समझे । किन्तु निश्चय ही सरकार ऐसी बात नहीं कर सकती है जो इसकी घोषित नीति के विरुद्ध जाती है । एकाधिकार संबंधी आयोग की सिफ़ारिशों को मानना सरकार के लिये अनिवार्य नहीं है । हम सरकार की वर्तमान नीति सहित सभी पहलुओं पर विचार करेंगे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सरकार का कोई भी अंग सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध नहीं जा सकता । आयोग भी सरकार का एक अंग है ।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे खेद है कि यह सरकार का एक अंग नहीं है ।

श्री के० लक्कप्पा : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस मामले के संबंध में कोई कार्यवाही करते समय एकाधिकार संबंधी आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशी पुंजी वाली कम्पनी के रूप में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को, जिसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं हम देश में कमज़ोर वर्गों के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक वस्तुओं के बनाने की अनुमति दी गयी है । क्या माननीय मंत्री कोई लेने से पूर्व इस कम्पनी को लेने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी प्रकार के भ्रम को दुर रहने के हेतु इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिये पग उठाये गये हैं ताकि सरकार इस विदेशी पूंजी वाली कम्पनी को ले सके।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिए । क्या मंत्री महोदय ने उनके प्रश्न को समझ लिया है ।

श्री के० लक्कपा : मैं अपने प्रश्न को बहुत ही थोड़े शब्दों में बताउंगा ताकि माननीय मंत्री महोदय हमें समझ लें । हम तथ्य को देखते हुए कि मामले का निपटान नहीं किया है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण का कोई प्रयास किया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इस कम्पनी के विरुद्ध अनेक शिकायतों को देखते हुए क्या सरकार इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में ले लेगी ।

श्री के० लक्कपा : श्रीमन् जी,......

अध्यक्ष महोदय : हमें और न उलझायें।

श्री एच० आर० गोखले : हिन्दुस्तान लीवर के विरुद्ध इस बात के अतिरिक्त मामला ही क्या है कि निस्संदेह ही इसमें अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनी है ? यह बात भी सच है कि यद्यपि मूल्य आदि जैसे कुछ मामलों के संबंध में इस प्रश्न के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तथापि मैं सभा को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि हमने कम्पनी के संबंध में निरीक्षण करने के लिए कम्पनी कानून के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग किया है और कर रहे, हैं और यह निरीक्षण किये जा रहे हैं ।

Shri Madhu Limaya : Mr. Speaker. It is very clear that all these big international companies and monopolistic companies in our country always try to pre-empt the capacity so that no new unit may be set up in future. You have made your present Monopoly Act and set up a Monopoly Commission in such a manner that neither they, have got any power to check the monopoly nor you want this. I want to know that how to pre-empt the capacity, whether the Government would check it? If they don't want to do it, there is no need of Monopoly Act and Monopoly Commission. Why money is being wasted on this?

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने का सुझाव है ।

Shri Madhu Limaya : I am asking whether you would take any action to check the pre-empting of capacity? You would accept the majority report now, there is no question of considering the implications of new companies afterwards.

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक एस० टी० पी० पी० का संबंध है, इस कारण से क्षमता को पूर्व अधिकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि यदि बहुमत से की गई सिफारिश को सरकार स्वीकार कर लेती है, जिसके बारे में मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें बड़ी सावधानी से बहुमत के प्रतिवेदन पर विचार करेंगे, फिर भी एक शर्त, जिसे बहुमत ने लगाया है, यह है कि यद्यपि कुछ क्षमता के अनुसार उत्पादन करने की अनुमति दी जा सकती है, तथापि उन्हें अपने लिये अपनी समूची क्षमता का उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया जायेगा । दूसरा, विचाराधीन प्रार्थनापत्रों के संबंध में परि जित मांग इतनी अधिक है; मेरे विचार में इस समय ये 20,000 हैं और पांचवी योजना अवधि में ये लगभग 1,35,000 हो जायेंगी। किन्तु माननीय सदस्य, श्री मधु दण्डवते के अनुसार इसे भी बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है । किन्तु यह एक भिन्न बात है परियोजित मांग इतनी अधिक है कि अन्य सुझावों, अर्थात् छोटे उद्यमियों को प्राथमिकता देकर, के लिये अनुमति देने की पर्याप्त गुंजाइश है, जिसकी ओर इस विचार से ध्यान दिया जायेगा । **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaya : First take them, afterwards take Hindustan Levers.

रेलवे बोर्ड द्वारा मितव्ययता लाने के लिए किये गये उपाय

*25. **श्री शशि भूषण** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय में मितव्ययता लाने के लिये रेलवे बोर्ड ने कुछ उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) गैर-योजना पक्ष में, यह मितव्ययता फुटकर खर्च और यात्रा भत्ते का खर्च घटा कर की जायगी। योजना खर्च के संबंध में अपेक्षाकृत निम्न अग्रता वाले निर्माणकार्यों और योजनाओं में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है। यह सुनिश्चित करने की सावधानी रखी गई है कि रेलों के महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों पर इस मितव्ययता के कारण की जाने वाली कटौती से बुरा प्रभाव न पड़े और आवश्यक निर्माण-कार्यों की प्रगति जारी रहे।

श्री पी० एम० मेहता : सरकार इस सभा में सभी ओर के सदस्यों के द्वारा रेलवे बोर्ड को भंग करने की गयी मांग को जानती है और इसे भंग करने से ही काफ़ी धन राशि की बचत होगी तथा इससे कार्य कुशलता में भी सुधार होगा। क्या रलवे बोर्ड को भंग करने के लिये कोई निर्णय किया गया है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे बोर्ड को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पी० एम० मेहता : मैंने यह नही पूछा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव है। प्रत्येक बजट अधिवेशन में सदस्यों द्वारा रेलवे बोर्ड को भंग करने की मांग की जाती है। क्या सरकार ने उस मांग के संबंध में कोई निर्णय लिया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जब कभी भी रेलवे विभाग संबंधी कुछ मांगें सभा के समक्ष पेश की जाती है, तो कुछ माननीय सदस्य रेलवे बोर्ड को भंग करने की मांग करते हैं। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और यह पाया है कि रेलवे बोर्ड में कुछ योग्य तकनोकी विद होते हैं जो अच्छे का कर रहे हैं और रेलवे बोर्ड को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहों है।

श्री पी० एम० मेहता : रेलवे विभाग अपने व्यय को कम करना चाहती है। दूसरी और रेलवे विभाग अपने कर्मचारियों पर हड़ताल करने पर विवश करता है और व्यय में कमी करने की बजाये भारी हानि होती है। कर्मचारियों और रेलवे प्रबन्ध के बीच औद्योगिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिये क्या पग उठाये गए हैं ? रेलवे कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग के त सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमारे कार्य पर कई तरह से प्रभाव पड़ा था। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों द्वारा हड़तालें की जाती हैं तथा वे धीरे काम करने की चालों को अपनाया जाता है। शोलापुर बन्द जैसे अन्य मामले भी होते हैं, जिनका रेलों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। लोको स्टाफ की हड़ताल के परिणामस्वरूप रेलवे को लगभग 14.67 करोड़ रुपए की हानि हुई है और शोलापुर बन्द के जो लगभग दस दिन तक रहा, कारण हमें एक करोड़ रुपए से अधिक की हानि उठानी पड़ी। इनका रेलवे कर्मचारियों का कोई संबंध नहीं था। संसद्द्वारा स्वीकृत 1973-74 के बजट अनुमानों द्वारा 9.80 करोड़ के घाटे को पूरा नहीं किया गया था। उस उमय हमने वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार नहीं किया था जिसका अर्थ यह हुआ कि हमें 48 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना होगा प्रथम अन्तरिम महंगाई भत्ता, द्वितीय अन्तरीम महंगाई भत्ता, वेतन मंडलों की सिफारिशों का कार्यान्वयन के जैसे अन्य खर्चों के कारण रेलवे के लिए 110 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होंगा। मैं इस समय की स्थिति का वर्णन करूंगा। 20 सितम्बर, 1973 के अनुसार आय बजट बजट लक्ष्य से लगभग 44.44 करोड़ रुपए से कम हो गयी है।

श्री डी० एन० तिवारी : यह सच है कि कोयले की बचत करने तथा खर्च को कम करने के लिये रेलवे ने 200 से अधिक गाड़ियों को रद्द कर दिया है, केवल समस्तीपुर सेक्शन में ही 50 से अधिक गाड़ियों का रद्द किया गया है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सच है कि हमने कुछ गाड़ियों को रद्द किया है, किन्तु ये ब्रांच लाइनें हम विचार से महत्वपूर्ण नहीं है कि इन क्षेत्रों में सड़क परिवहन उपलब्ध हैं।

श्री त्रिदिप चौधरी : यह समाचार मिला है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने खर्च को 500 करोड़ रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है जिसमें से राज्यों द्वारा 100 करोड़ रुपए का खर्च कम किया जायगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि 400 करोड़ की इस कटौती में से रलवे को कितना खर्च कम करना होगा ? क्या रेल मंत्रालय का गम्भीरतापूर्वक यह विचार है कि केवल यात्रा भत्ता तथा फुटकर खर्चों को कम करके वह मितव्ययता ला सकता है ? क्या लाइनों को बन्द करने के अतिरिक्त अधिक गम्भीरता से विचार नहीं किया जाना चाहिये ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैं ने कहा है कि हमने मूल बजट में 10 प्रतिशत की कटौती की है। हमने गैर-योजना व्यय में भी कटौती करने के लिये विभिन्न उपाय किये है और इन कटौतियों से लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की मितव्ययता होगी। उसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 20 करोड़ रुपए तक की कुल मितव्ययता होगी।

श्री के० मालवा : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या रेलवे बोर्ड ने रेलों को सुधारने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐसोसियेशन से कोई ऋण लिया है और यदि हां, तो इसने कितनी धनराशि ली है और किस प्रयोजन के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न मितव्ययता के बारे में है।

श्री के० मालवा : मितव्ययता में रेलों का सुधार भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसकी यही व्याख्या है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता।]

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास माननीय सदस्य द्वारा मांगी गयी सूचना नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, there are many special saloons in Railways and the Officers use these special saloons adequately. I want to know whether Railway Minister has been considering any proposal to abolish all the saloons and the Railway officer should travel by ordinary trains.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Now these saloons are lesser in number as compared with those during the British Rule.

Shri Atal Bihari Vajpayee : How many,

Shri Mohd. Shafi Qureshi : These are about 400. But these are inspection carriages not saloons. The officers have to use them for inspection and these are usea for this purpose and moreover instructions have been issued for their minimum use.

श्री दशरथ देव : उत्तर पूर्व रेलवे में लगभग 22 गाड़ियों को रद्द किया गया है जिस के कारण खाद्य पदार्थ लाने ले जाने और यात्रियों की यात्रा में काफ़ी अधिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। क्या व्यय में मितव्ययता लाने की नीति के कारण भी ऐसा हुआ है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में गम्भीर कोयला स्थिति के कारण हुआ है कि हमें कुछ गाड़ियों को रद्द करना पड़ा और यह मितव्ययता लाने का प्रयास के अंश के तौर पर नहीं हुआ है। ज्यों ही कोयला स्थिति में सुधार होगा त्यों ही इन गाड़ियों को पुन: चालू कर दिया जायेगा।

Shri R. P. Yadav : In the context of economy I want to know whether Hon'ble Minister is aware that when his General Manager have to go, special trains are run for them and the Heads of all the departments also accompany them, they get Jerking allowance in addition to other allowances. Is this the example of economy?

Mr. Speaker : You have started the general debate on the Railways.

Shri R. P. Yadav : My question is this that I want to know whether it is an example of economy to have another officers club at a cost of 2 lakhs in Varanasi, while already one such Officer's Club is functioning there?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : General Managers use inspection Carriages while going outside on inspection. As Hon'ble member has said that other employees also go with them in those inspection carriages, this is also an example of economy. If ten officers travel together in one inspection carriage, there would be economy in expenditure.

As far as Club is concerned, I have got no information at present.

Shri R. P. Yadav : Mr. Speaker, my question regarding Jerking allowance remains unanswered.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने शोलापुर बन्द का उल्लेख किया है। क्या कार्यकुशलता को प्रभावित किये बिना मितव्ययता लाते समय सरकार देश में युक्तियुक्त आधार पर रेलवे जोनों पर के पुनर्गठन के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगी, ताकि ऐसे बन्द न किए जायें। उदाहरणार्थ, गुटाकल डिविज़न को, जिसे अधिक युक्तियुक्त आधार पर दक्षिण केन्द्रीय रेलवे में शामिल किया जाना चाहिये, दक्षिणी रेलवे में शामिल कर दिया गया है और शोलापुर डिविजन के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अतः क्या सरकार जोनों के पुनर्गठन के बारे में विचार करेगी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे जोनों को केवल संगठनात्मक तथा प्रशासनिक आधार पर बनाये गए हैं। उनका भाषायी अथवा क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठन करने का प्रश्न ही नहीं है। यदि केवल संगठनात्मक, प्रशासनिक अथवा परिचालन आधार पर कुछ जोनों की मांग की जाती है, तो सरकार उन पर निश्चय ही विचार करेगी।

श्री एस बी० गिरि : अब जबकि पैट्रोल में मूल्य की अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आटोमोबाइल उद्योग द्वारा परिवहन में कमी हो गयी है, तो क्या रेल मंत्री सभी यात्री तथा माल परिवहनों के नियंत्रण को लेने के लिये प्रबन्ध करने को तैयार हैं ?

श्री मुहमद शफी कुरेशी : रेलवे की अपनी कठिनाइयां है। रेलवे के लिये देश के समूचे परिवहन व्यवस्था को ले लेना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

मैं सदस्यों से प्रार्थना करुंगा कि वे अपने प्रश्नों के साथ कोई भूमिका या भाषणों को न जोड़े। हम अनेक प्रश्नों को नहीं ले पाते। मैं कल से ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं केवल यह देखता रहा हूं और आप का ध्यान आकर्षित करता रहा हुं ताकि आप अपना इच्छा से ऐसा करने लगेंगे। किन्त आप ऐसा नहीं करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS QUESTIONS

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि

*24. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशियाई संकट के परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में बहुत तजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा आयात किए जा रहे कच्चे तेल का इस समय क्या मूल्य है; और

(ग) भावी सप्लाई और मूल्यों के सम्बन्ध में क्या संभावनाएं है ?

पैट्रोलियम और रसायनमंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) पैट्रोलियम नियतिक देश के संगठन के गल्फ सदस्यों द्वारा 16–10–1973 से कच्चे तेल के पोस्टेड मूल्यों में एक तरफा संशोधन के कारण मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(ख) भारत द्वारा आयातित लाईट ईरानीयन कच्चे तेल का विद्यमान अन्तरिम एफ. ओ. बी. मूल्य 3.86 डालर प्रति बैरल है तथा अरोबियन मिक्स का 3.58 डालर प्रति बैरल।

(ग) कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरे करने में किसी कठिनाई की संभावना नहीं है। परन्तु अनुमान है कि मूल्य में वृद्धि होती रहेगी।

अक्तूबर, 1973 में उड़ीसा में चक्रवात तूफान के कारण हुई क्षति

*26. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अक्तूबर, 1973 में चक्रवात तूफान के कारण कुल कितनी जाने गई और फसलों को कुल कितनी क्षति हुई; और .

(ख) क्या कोई उपचारात्मक उपाय किये गये है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 12 अक्तूबर की प्रात: को एक गंभीर चक्रवातीय तूफान उड़ीसा के समुद्री तट पर आया जिसके परिणामस्वरूप हुई भारी वर्षा और बाढ़ों से मुख्यत: बालासोर और मयूरगंज जिले प्रभावित हुए। राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 2.9 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ और 43 व्यक्तियों की जानें गईं।

(ख) चक्रवातों का आना एक प्राकृतिक घटना है और इनको रोका नहीं जा सकता। बहरहाल, प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये अग्रिम चेतावनियां जारी करके जन और सम्पत्ति की हानि की सुरक्षा और इसकी हानि को न्यूनतम करने के लिये उपाय किये जाते है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 7 अक्तूबर से चक्रवात की चेतावनियां जारी की थीं। तदनुसार, राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को सावधान कर दिया था। चक्रवात और बाढ़ों से पहले और बाद दोनों स्थितियों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तत्काल-सहायता की व्यवस्था के लिये भी प्रबन्ध किये गये थे।

दिल्ली में बिजली का बन्द होना

*27. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत छ: महीनों में बार–बार बिजली बन्द हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) बिजली की सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) गत छ: महीनों में दिल्ली में विद्युत उत्पादन केन्द्रों में बड़े पैमाने पर दो बार ब्रेकडाउन हुआ।

(1) 26 जून, 1973 को ब्रेकडाउन, भारी प्रणाली कोडिंग, प्रणाली लोडिंग स्थितियों के कारण भाखड़ा सप्लाई की अत्यधिक निम्न वोल्टेज के साथ-साथ कुछ विद्युत-उत्पादन यूनिटों के फोर्सड आउटेज के कारण हुआ था।

(2) 10 अगस्त के ब्रेकडाउन के लिए ठीक-ठीक कारणों की जांच एक समिति द्वारा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट शीघ्र आने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, वितरण प्रणाली में खराबियों के परिणामस्वरूप विभिन्न बस्तियों अथवा क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई में बहुत सी स्थानीय रुकावटें आई है।

(ग) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के सदस्य (ताप) की अध्यक्षता में एक समिति ने जिसने उत्पादन केन्द्रों में ब्रेकडाउन के प्रश्न पर विचार किया था, बहुत से सुझाव दिए है जिनमें सुरक्षा रिले स्थापित करना तथा समन्वय, निवारक रख-रखाव आदि शामिल है। इन सुझाओं पर अनुगामी कारंवाई प्रगति पर है।

वितरण प्रणाली में खराबियों के कारण स्थानीय रुकावटों को रोकने के लिए बहुत से उपाय शुरु कर दिए गए है, जैसे सप्लाई के वैकल्पिक स्रोतों के लिए प्रबंध, जहां आवश्यक हो, ओवरहैड हाई टेंशन लाइनों को भूगत केबलों में बदलना, जहां आवश्यक हो मेन्स तथा उपकेन्द्रों का आवर्धन, लाइनों और उप केन्द्रों का अधिक प्रभावकारी रख-रखाव, वितरण लाइनों पर सैक्शन बाक्सों की व्यवस्था आदि।

आल इंडिया लोकोमेन एण्ड रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के नेताओं को दिये गये आश्वासन

*28. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत हड़ताल के दौरान आल इंडिया लोकोमेन एण्ड रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के नेताओं को दिये गये सभी आश्वासन पूरे किये जा चुके है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन सी ऐसी मांगे है, जिन पर अभी तक चर्चा की जा रही है; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) विचाराधीन सभी आश्वासन या तो लागू किये जा चुके हैं या लागू किये जा रहे है। इसका विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है :—

आश्वासन	स्थिति
1. जैसे ही वर्तमान आन्दोलन समाप्त कर दिया जायेगा वैसे ही उन लोगों को छोड़कर, जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़ की कार्रवाई, रेल सम्पत्ति को हानि और हिंसक कार्यों के लिए अदालत में मुकदमें चल रहे है, अन्य सब कर्मचारियों को रिहा कर दिया जायेगा जो इस आन्दोलन (मई से अगस्त 73) के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये है।	1. गिरफ्तार किये गये सभी कर्मचारी छोड़ दिये गये है। भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत दर्ज किये गये सभी आरोप पत्रों की वापसी के संबंध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जो कर्मचारी तोड़-फोड़, रेल सम्पत्ति को हानि पहुंचाने और हिंसा के मामलों में शामिल न रहे हों और जिनके विरुद्ध

आश्वासन	स्थिति
जिन व्यक्तियों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों की धाराओं के अन्तर्गत ऐंसे कार्यों के लिए, जिनमें तोड़-फोड़, रेल सम्पत्ति को हानि या हिंसा के काम में शामिल नहीं है, आरोप पत्र दाखिल किये गये है, समिति द्वारा उनकी समीक्षा की जायेगी और इन आरोप पत्रों को वापस लिये जाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी। रेल सम्पत्ति को हानि पहुंचाने, तोड़-फोड़ और हिंसक कार्यों के बारे में राज्य सरकारों से कहा जायेगा कि ऐसे मामलों पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाये और उपर्युक्त कार्रवाई की जाये।	अदालतों में मुकदमा न शुरू किया गया हो, उनके आरोप पत्र वापस ले लिये जायें और उन मामलों में आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी जाये जिनमें अदालतों में कार्यवाही पहले से ही शुरू कर दी गयी हो।
2. गिरफ्तारी से छूटने वाले सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले लिया जायेगा।	2. यह कर दिया गया है।
3. जिन कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई करने, रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने और हिंसा की कार्रवाई करने का आरोप है, उन्हें छोड़कर, आन्दोलन के फलस्वरुप या आन्दोलन के सम्बन्ध में दण्ड के रुप में किये जाने वाले स्थानान्तरण, परावर्तन, मुअत्तिली और बर्खास्तिगियों को वापस ले लिया जायेगा।	3. इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की गयी है। लेकिन तदर्थ समिति के लोकों कर्मचारी के सदस्यों ने कुछ स्थानान्तरणों आदि को समिति के अध्यक्ष के ध्यान में लाया है जो उनके विचार से दंडनीय थे लेकिन रेल प्रशासनों द्वारा ऐसा नहीं समझा गया है। समिति के अध्यक्ष इन मामलों की जब और जसे ही उनके ध्यान में लाये गये है, व्यक्तिगतरुप से जांच कर रहे है।
4. सेवा–भंग को माफ कर दिया जायेगा।	4. कर दिया गया है।
5. 1–8–73 से किये गये वर्तमान आंदोलन के कारण होने वाली अनुपस्थिति की अवधि अर्जित छुट्टी में समायोजित कर दी जायेगी और जिन मामलों में अर्जित छुट्टी बाकी नहीं है उनमें निकट भविष्य में अर्जित की जाने वाली छुट्टी में समायोजित की जायेगी।	5. कर दिया गया है।
6. आन्दोलन (मई-अगस्त, 1973) के फलस्वरुप होने वाली श्रमिक संघ की गतिविधियों या अन्य गतिविधियों से सीधे सम्बन्धित प्रशासकीय स्वरुप के आरोप-पत्र वापस ले लिये जायेंगे।	6. रेल प्रशासन को यह हिदायत दी गयी है कि वे न केवल इस आश्वासन का अनुपालन करें बल्कि उन सभी मामलों की समीक्षा करें जिनमें दण्ड दिया जाना था।
7. एन० एफ० आई० आर० और ए० आई० आर० एफ० कई वर्षों से स्थायी वार्ता तंत्र के बैठकों में तथा अन्यत्र काम के घंटों की समीक्षा करने की मांग करती रही है। काम के घंटों का यह प्रश्न मिया भाई अधिकरण को सौंपा गया था जिसने	7. दस घंटे की कार्यविधि को क्रियान्वित करने के ढंग और तरीके के सम्बन्ध में समिति अभी भी विचार कर रही है क्योंकि यह मामला पेचीदा है। लेकिन इस बीच प्रत्येक रलवे पर एक विशेष संगठन की स्थापना करने के लिए कार्रवाई

आश्वासन	स्थिति
अगस्त, 1972 में अपनी सिफारिश दे दी थी । अन्तर्राष्ट्रीय मानको और परिपाटियों की तथा देश की वर्तमान परिस्थितियों की जांच करने के बाद अधिकरण ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया था कि रनिंग कर्मचारियों जैसे लोकोमेन, गार्ड और ब्रेकमेन के काम के घंटों (लगातार ड्यूटी) में कमी करने का मामला बनता है । मैं स्थिति को स्वीकार करता हूं । विगत दस दिनों की अवधि में मैंने दो मान्यता-प्राप्त फेडरेशनों अर्थात् एन० एफ० आई० आर० और ए० आई० आर० एफ० के नेताओं के साथ भी कई बैठकें की और इस पेचीदा मामले में उनके विचारों से लाभ उठाया । इस प्रश्न पर खूब सोच–विचार करने के पश्चात् तथा कर्मचारियों की मांग के जवाब में मैं इसमें संशोधन करने के लिए सहमत हो गया हूं जो स्पष्ट शब्दों में नीचे दिया गया है:– 'काम पर हाजिर होने से लेकर काम से छटने तक एक बार में लोको रनिंग कर्मचारियों से 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा ।" इस आन्दोलन को वापस लेने के छः सप्ताह के भीतर लोको रनिंग कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की जायेगी और उसकी बैठक की जायेगी जो दस घंटे के काम की व्यवस्था को कार्यान्वित करने के ब्यौरे, ढंग और तरीके पर विचार विमर्श करके उसे अन्तिम रूप देगी ।	की गयी है जो यह सुनिश्चित करेगा कि दस घंटे की कार्यविधि को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जायें ।
8. जुलाई, 1967 से आज तक सरकार द्वारा दिये गये उन सभी आश्वासनों को, जो अभी तक पूरे नहीं किये गये है, यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा ।	8. सरकार द्वारा दिये गये सभी आश्वासन पूरे कर दिये गये है ।
9. लोको रनिंग कर्मचारी जब काम पर वापस आ जायेंगे तो शिकायतों के अन्य मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए उसके पांच दिन के भीतर रेल उप मंत्री श्री मोहम्मद शफी	9. रेल मंत्री के साथ विचार–विमर्श के दौरान, जिसकी वजह से 13–8–73 को रेल मंत्री ने संसद में बयान दिया था, लोको रनिंग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों

आश्वासन	स्थिती
कुरेशी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय के पांच वरिष्ठ अधिकारियों और लोको रनिंग कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधियों की एक समिति गठित कर दी जायगी जो अपना काम प्रारम्भ कर देगी। समिति की बैठक में श्रम मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा।	ने निम्नलिखित शिकायतों का उल्लेख किया था:– (1) वेतन-संरक्षण – इसमें मील भत्ता और विकोटिकरण से तीन माह की अवधि के भीतर नौकरी देने की गारंटी भी शामिल है। (2) समान से काम के लिए समान वेतन। (3) मील भत्ते की अदायगी के आधार को युक्तिसंगत बनाना। समिति को अभी इन तीनों मदों पर विचार करना है।

बिजली इंजीनियरों की मांगों की जांच करने के लिए समिति

*29. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1973 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में "पैनल टु लुक इन्टु डिमाण्ड्स आफ इंजीनियर्स" (इंजीनियरों की मांगों की जांच करने के लिए समिति) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरों तथा मजदूरों द्वारा हड़ताल तथा तोड़ फोड़ के कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने देश में बिजली इंजीनियरों की मांगों को पूरा करने के बारे में क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंन्त) : (क) जी, हां।

(ख) देश में विद्युत् सप्लाई उद्योग अधिकांशत: विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के कार्यभार के अन्तर्गत संगठित है और विद्युत् अभियंता अधिकांशत: राज्य बिजली बोर्डों के कर्मचारी हैं। अत: उनकी शिकायतों और मांगों पर राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना होता है। जहां तक केन्द्रीय संवर्ग से संबंधित विद्युत् अभियंताओं का संबंध है, उनकी मांगों की वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

Explanation sought from foreign oil companies regarding cut in Crude Oil imports

*30 **Shri Bhagirath Bhanwars :** Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state whether Government have called for explanation from two foreign oil companies regarding cut in crude oil imports for their refineries in India ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) The use of oil as a weapon by the Arab world is a deliberate act to bring pressure on countries who have supported Israel and have been unfriendly to the Arabs in their just struggle for asserting their legitimate rights and liberating their territory occupied by Israeli aggression. Government have been assured that the supply of crude oil to India will not be affected on this account. However, the companies importing crude oil into India have informed Government that if there is any reduction in their overall avialability they would have to strictly prorate their supplies to the various countries but they would do their best to avoid a cut. The extent of reduction in supplies cannot be precisely estimated at present. The oil companies have further assured that no part of their supplies would be diverted to the countries on the "banned list".

वानेक बोरी तापीय बिजली घर परियोजना को मंजूरी

*31. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोरसायन समूह की स्थापना के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले रसायन उद्योगों और अल्युमीनियम तथा उर्वरक क्षेत्रों के उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वानेक बोरी तापीय बिजलीघर परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में निर्वाचक-नामावलियां

*32. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री झारखंडे राय :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में निर्वाचक-नामावलियां अभी तक पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक तैयार कर लिया जाएगा; और

(ग) वहां निर्वाचन कब कराये जायेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में वर्तमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण संबंधी कार्य पूरा होने वाला है और नामावलियां अन्तिम प्रकाशन के लिए तैयार कराई जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधान सभा की अवधि 16 मार्च, 1974 को समाप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग, संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड (i) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचन का समय नियत करने के बारे में उचित समय पर कार्रवाई करेगा।

Construction of Cochin-Kayamkulam Coastal Railway

*33. **Shri Hemendra Singh Banera :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a proposal to construct CochinKayam kulam Coastal Railway is under the consideration of Government ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and when the construction work will start?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत को कच्चे तेल की सप्लाई पर इसरायल-मिस्र के युद्ध का प्रभाव

*34. **श्री एम० एस० पुरती :**

सी० के० मालन्ना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के इसरायल–मिस्र युद्ध का भारत को किए जाने वाले कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) उन देशों, जिन्होंने इसरायल का समर्थन किया है और जो आरबों के न्यायसंगत अधिकारों का दावा किये जाने तथा इसरायली आक्रमण द्वारा कब्जे में किये गये उन की इलाके को स्वतन्त्र करवाने में अरब देशों का विरोध–करते रहे हैं, पर दबाव डालने के लिये आरब देशों द्वारा हथियार के रूप में तेल का प्रयोग एक सोद्देश्य कार्यवाही है। सरकार को आश्वासन दिया गया है कि इस के कारण भारत को की जा रही कच्चे तेल की सप्लाई में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, भारत में कच्चे तेल का आयात करने वाली कम्पनियों ने सरकार को सूचित किया है कि उन की कुल उपलब्धि में यदि कोई कमी हुई तो उन्हें अपनी सप्लाई को विभिन्न देशों में सख्ती से अनुपात में बाटना पड़गा किन्तु वे कटौती न करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इस समय सप्लाई में कमी की सीमा का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तेल कम्पनियों ने और आश्वासन भी दिया है कि उन की सप्लाई का कोई भी अंश उन देशों को नहीं भेजा जायेगा जो "प्रतिबंधित सूची" में हैं।

ईंधन पर आधारित उर्वरक एककों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी निवेश आकर्षित करने की योजना

*36. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन–तेल पर आधारित उर्वरक एककों की स्थापना के लिए गैर–सरकारी निवेश आकर्षित करने की किसी योजना को अन्तिम रुप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनको दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का स्वरुप क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) उर्वरक सम्भारण सामग्री के सम्बन्ध में सरकारी नीति को दृष्टिगत करते हुए उर्वरक उद्योग में नये निवशों में तजी से वृद्धि लाने के बारे में पर्याप्त प्रोत्साहन की व्यवस्था करने का आम प्रश्न विचाराधीन है। इसमें अनेक मामले सम्बन्धित है जिनके सम्बन्ध में एकीकृत आधार पर कार्य करना है। इस बीच सरकार ने उर्वरक उत्पादन के लिए सम्भरण सामग्री के प्रयोग पर ईंधन तेल पर से उत्पाद शुल्क की छूट देने का निर्णय किया है।

दिल्ली तथा अन्य महानगरों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिए पम्प लगाना

*37. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के विभिन्न भागों में मिट्टी के तेल के वितरण पम्प लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने पम्प लगाये जाने का विचार हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य महानगरों में भी यह सुविधा देने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जनता की सुविधा के लिए मिट्टी के तेल वितरण पद्धति में सुधार करने के लिए हाल ही में दिल्ली में एक मिट्टी के तेल के वितरण हेतु पम्प लगाया गया था। मिट्टी के तेल के मूल्य के साथ हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य में कुछ समानता से युक्त सुविधाजनक स्थानों पर वर्तमान फुटकर बाजारों में तेल कम्पनियों से मिट्टी के तल के बिक्री को चालू करने का प्रस्ताव है। फुटकर बाजारों को सही संख्या अलग अलग डीलर के आहाते में जिनमें निजी पम्पों से मिट्टी के तेल का वितरण किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस समय तेल कम्पनियों द्वारा जांच की जा रही है। चालू महीने के अन्त तक इस योजना को प्रयोगिक रुप में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के सम्बन्ध में एक बार जनमत प्राप्त करने के बाद इस योजना को अन्य महानगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फुटकर बाजारों में चालू किया जायेगा।

कावेरी जल विवाद के संबंध में हुई बैठकें

*38 **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री एम० कत्तामुतु :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मुख्य मंत्रियों के बीच कावरी जलविवाद के संबंध में अब तक कितनी बैठकें हुई है; और

(ख) उन बैठकों का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केरल, कर्नाटक और तमिल नाडु के मुख्य मंत्रियों / मंत्रियों ने कावेरी जल के मामले पर 1970 के दौरान पांच बैठकें, 1972 में एक बैठक और 1973 में अब तक दो बैठकें की हैं।

(ख) मई, 1972 में मुख्यमंत्रियों के बीच हुए विचार–विमर्श के परिणामस्वरुप यह सर्व-सम्मत राय बनी कि यथासम्भव शीघ्र समझौते द्वारा विवादों को सुलझाने के लिए गंभीर रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह भी सर्वसम्मति थी कि कावेरी जल, उनके समुपयोजना तथा सिंचाई पद्धतियों के संबंध में तथा कावरी बेसीन में विद्यमान, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में भी सभी संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए केन्द्र को एक तथ्यानवेषी समिति नियुक्त करनी चाहिए। यह समिति वर्तमान सप्लाई की पर्याप्तता तथा सिंचाई के लिए जल के अत्यधिक उपयोग की भी जांच करे। तदनुसार, 12 जून, 1972 को भारत सरकार ने एक तथ्यानवेषी समिति का गठन किया।

तथ्यानवेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1972 में प्रस्तुत कर दी थी। अप्रैल, 1973 में इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मुख्य मंत्रियों की इच्छानुसार, फसली क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र आदि के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई किए गए आंकड़ों का पुनरवलोकन करने तथा आवश्यकतानुसार सत्यापन कार्यों को शुरू करने के लिए मई, 1973 में समिति को पुनः कार्य करने के लिए कहा गया। समिति न अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट अगस्त, 1973 में प्रस्तुत कर दी है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री और केरल तथा तमिलनाडु के मंत्रियों तथा केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने 9 और 10 अक्तूबर, 1973 को समिति की रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया। विचार–विमर्श से इस बात का पता चला कि समझौत द्वारा कावेरी जल पर विवाद का निपटारा

संभव हो सकता है। विचार–विमर्श के दौरान, राज्य इस बात पर सहमत हो गए कि वर्तमान जल समुयोजन तथा नई परियोजनाओं में "परिकल्पित समुपयोजन में किफायत करना आवश्यक है। राज्यों ने इच्छा व्यक्त की कि भारत सरकार की जल के इस्तेमाल में किफायत करने के क्षेत्र में अध्ययन करना चाहिए। अब ये अध्ययन किए जा रहे हैं और कुछ सप्ताहों में इनके पूर्ण होने की संभावना है।

एच० एम० वी०/ई० एम० आई० के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए की गई कार्यवाही

*39. **श्री मधु लिमये** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० वी०/ई० एम० आई० का मामला एकाधिकार आयोग को भेजा गया है अथवा उक्त मामले को एकाधिकार आयोग ने अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग किन मामलों की जांच कर रहा है;

(ग) क्या इस कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने और उसकी प्रतिबन्धात्मक प्रक्रियाओं को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या उक्त कम्पनी को कलाकारों और विक्रेताओं के साथ अपनी शर्तें सुधारने की सलाह दी गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तथा (ख) रजिस्ट्रार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा ने, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (iii) के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत, ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को बहुत सी निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत होने की जांच हेतु एक आवेदन–पत्र दिया है।

(ग) रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा ने पहिले ही, इस प्रकार के आदेश, जो जांच के पश्चात् जिसमें काफी प्रगति की जा चुकी है, आवश्यक समझे जाए, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की सूचना में ला दिये है। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 के आधार पर, कथित आयोग, अगर जांच के पश्चात्, इस राय में है कि कोई भी निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा लोकहित के विपरीत है, आदेश देने में समर्थ है।

(घ) रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र की अभी आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

Autonomous Corporation for Utilization of Brahmaputra River Water

*40. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have given their approval for setting up an autonomous Corporation for the utilization of Brahmaputra river water; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) A proposal for the constitution of a Brahmputra River Board in the Central Sector for the planning and implementation of flood control measures in the Brahmputra valley has been approved by Government. The Draft Bill for the purpose is being finalised and is proposed to be introduced in the current Session of Parliament.

ईराक में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना में भारत का सहायता देने का प्रस्ताव

202. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये भारत सरकार ने ईराक सरकार को अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) ईराक में उर्वरक परियोजना के संयुक्त उद्यम की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ बातों पर दोनों सरकारों के बीच विचार–विमर्श हो रहा है ।

गुजरात में पैट्रो-रसायन उद्योगों को स्थापना

203. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थापित किये गये अथवा किये जाने वाले विभिन्न पेट्रो–रसायन उद्योगों की मुख्य बातें क्या है;

(ख) कितने निर्माणाधीन है तथा कितने विचाराधीन है; और

(ग) क्या बातें इसमें बाधा डाल रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पेट्रो-रसायन एककों, जिन्हें गुजरात में स्थापित किया जाना है, के बारे में परिशिष्ट में बताया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5666/73**] एलकोइल एपाइन्स तथा वी० सी० /पी० वी० सी० की क्षमता के अनुमोदन की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ।

(ग) कोई विशेष कठिनाई नहीं आई ।

बहु-राष्ट्रीय औषध निर्माता फर्मों द्वारा अर्जित किये गये अतिशय लाभ की जांच

204. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 7 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 239 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहु-राष्ट्रीय औषध निर्माता फर्मों द्वारा गत दिनों अर्जित किये गये अतिशय लाभ की जांच करने का है जैसा कि ब्रिटेन सरकार ने किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जिन फर्मों ने अतिशय लाभ अर्जित किया है उन्हें लाभ लौटाना पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चूंकि औषधी पदार्थों के मूल्य को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है उसके समान यू० के० में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता यद्यपि कम्पनियों जिन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 के अन्तर्गत विकल्प दिया है, के लिए कुछ बिक्री के 15% से अधिक होने वाले लाभ को अलग फण्ड में रखना है, अपेक्षित है जिसका उपयोग सरकार के पूर्ण अनुमोदन से आदेश में दिये गये निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जायेगा ।

अतिरिक्त फार्मुलेशन क्षमता की मांग करने वाली विदेशी औषध निर्माता फर्मे

205. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 7 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2351 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अनिर्णीत आवेदनपत्र कितने दिनों से विचाराधीन है;

(ख) इन आवेदनपत्रों पर कब तक अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा; और

(ग) फार्मुलेशन क्षमता में वृद्धि के लिये विदेशी फर्मों के आवेदनपत्रों पर किन परिस्थितियों के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) 7 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2351 के उत्तर में बताए गए शेष प्रार्थना–पत्रों का विवरण जो आज तक लंबित है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5667/30**] इन प्रार्थना–पत्रों को शीघ्र ही अंतिम रूप देने की आशा है।

(ग) पार्टियों द्वारा ये प्रार्थना–पत्र औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दिये जाते है तथा इन पर उपरोक्त अधिनियम तथा सरकार को समय समय पर लागू औद्योगिक लाइसेंसिग नीति के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाता है।

36 डाउन बरौनी-जोगबनी रेलगाड़ी के यात्रियों से नकदी तथा 10,000 रुपयों के मूल्य की कीमती वस्तुओं का लूटा जाना

206. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अगस्त, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पिस्तौलों और गंडासों से लैस युवकों के एक दल ने 36 डाउन बरौनी जोगबनी रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे के यात्रियों से थाना बीहपुर और स्वाहिक स्टेशनों के बीच नकदी तथा 10,000 रुपये के मूल्य की कीमती वस्तुएं लूट ली; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में रेलवे विभाग ने अब तक कोई जांच कराई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां, 24/25-8-1973 की रात को पूर्वोत्तर रेलवे के थाना बिहपुर और खरिक स्टेशनों के बीच 36 डाउन में एक डकैती हुई। दस–बारह यात्रियों से केवल लगभग 1,000 रु० के मूल्य का सामान लूट लिया गया।

(ख) बिहार पुलिस ने इस डकैती के लिए जिम्मेदार एक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनसे देशी पिस्तौलें और एक बडा चाकू बरामद किये गये है। अभियुक्तों के विरुद्ध जल्दी ही, न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किये जा रहे है।

Looting of Passengers and Stripping of Women by Dacoits near Begusarai on N. E. Railway in September, 1973

207. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on the night of the 10th September, 1973 dacoits numbering 60 looted the passengers and stripped the women and girls at Choriabariyarpur near Begusarai on Barauni-Hazipur section line on N.E. Railway :

(b) whether any enquiry has been conducted into this incident; and

(c) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. However, on 8/9-9-73 dacoity occurred in 32Down passenger train between Mohidinagar and Vidyapatinagar stations of North-Eastern Railway. Eight to ten armed criminals looted a passenger, who was travelling with his mother and two sisters, of his wrist watch, golden chain and ring.

(b) and (c) The Bihar Police has already arrested the members of the gang responsible for this dacoity. They are likely to be charge-sheeted in the court shortly.

Sabotage Incidents In Power Stations of Delhi

208. **Shri Chandu Lalchandrakar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of persons held guilty by the high power enquiry Committee appointed sometime back in connection with the sabotage incidents in the Power Stations of Delhi.

(b) the action taken against the guilty persons;

(c) the estimated loss suffered thereby; and

(d) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheswar Prasad) : (a) to (c) A High Power Committee has been appointed by the Lieutenant Governor, Delhi on 14th September, 1973, to enquire into the causes of the breakdowns in the generation stations of DESU and to determine whether the were on account of any lapses on the part of officers or employees of the Undertaking. The report of the Committee is awaited.

(d) The question does not arise as yet.

Effect of Coal Crisis on North Bihar Train Services and Steamer Services.

209. **Shri Chandu Lal Chandrakar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether due to coal crisis, North Bihar train services on N. E. Railway and steamer services have been adversely affected;

(b) if so, the loss suffered by the Railways as a result thereof; and

(c) the reasons for not taking precuationary measures in time?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Momd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes.

(b) The estimated loss in revenue during the period 1-5-1973 to 31-10-1973 is Rs.2,73,359.

(c) From early this year, the supplies of steam coal to Railways have been inadequate. This was due to a spurt in the demand by industries, other consumers and for meeting export committments. Consequently Railways' requirements could not be met in full. The position deteriorated in summer months due to set back in production on account of power cuts and was further aggravated in August and September, 1973 by staff trouble on Railways and less offers of steam coal by collieries in October, 1973 due to a number of holidays. Lately one of the main mines in Assam supplying coal to N. E. Railway was flooded resulting in suspension of its production.

Import of Crude Oil from Libya.

210. **Shri Bhagirath Bhanwar :**
Shri M. Kathamuthu :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state .

(a) whether Government have concluded an agreement with Libya for the import of crude oil; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) Yes Sir. An agreement has been entered into between the Government of Libyan Arab Republic and the Government of India concerning co-operation in the field of oil. The agreement provides for purchase of crude oil from Libya, strengthening of technical co-operation between the two countries in the field of oil and making available experts and technicians between the two countries.

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बैंचों को शुरू करने के लिए किया गया अभ्यावेदन

211. **श्री एम० कात्तमुत्तु :**

श्री एस० ए० मुरुगन्नाथन् :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय की एक बैंच तथा उच्च न्यायालयों के अनेक बैंचों को शुरु करने के लिए हाल मे अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उच्चतम न्यायालय की बैंच स्थापित किए जाने के लिए अभी हाल में कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है। तथापि, कतिपय उच्च न्यायालयों की बैंचों की स्थापना के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) विधि आयोग ने राज्य में विभिन्न केन्द्रों मे उच्च न्यायालयों की बैंचे स्थापित किए जाने का इस कारण से विरोध किया था कि इससे उच्च न्यायालय की कार्यक्षमता में कमी आएगी जिसका अवश्यभावी परिणाम यह होगा कि न्याय प्रशासन के स्तर मे गिरावट आ जाएगी। बकाया मामलों संबंधी उच्च न्यायालय-समिति ने भी इस विषय पर यही विचार प्रकट किए है।

विमानों की गति कम करके विमान इंधन की बचत

212. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रक्षा तथा नागर विमानन मंत्रालयों को अपने विमानों की गती कम करके विमान इंधन बचत कि जाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला तथा उक्त मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित मंत्रालयों में इस मामले की जांच की जा रही है।

पांचवीं योजना के अंतर्गत नए तापीय संयंत्र

213. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना में किसी भी नए तापीय संयंत्र को बनाए जाने से इन्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने इसके क्या कारण बताए हैं ; और

(ग) क्या योजना आयोग के रवैये के कारण विजयवाड़ा, सुपर थर्मल स्टेशन का निर्माण रद्द कर दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसे योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, शामिल करने के लिए नए ताप विद्युत केन्द्रों की बहुत सी स्कीमों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) 200–200 मैगावाट के दो सैटों के साथ विजयवाड़ा में एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की स्कीम की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

वामन पुरम सिंचाई परियोजना का पांचवीं योजना में सम्मिलित किए जाने के बारे में अभ्यावेदन

214. **श्री वयालार रवि** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामन पुरम सिंचाई परियोजना को पांचवीं योजना में सम्मिलित किए जाने के बारे में सरकार को दिनांक 3 अगस्त, 1973 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था। केरल सरकार से परियोजना रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

पांचवीं योजना में केरल के लिए सिंचाई परियोजनाएं

215. **श्री वयालार रवि** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में केरल राज्य के लिए कौन–कौन मुख्य सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित की गई है; और

(ख) कौन–कौन सी वर्तमान परियोजनाओं को पांचवीं योजना के अंतर्गत रखे जाने की संभावना है तथा नवीनतम अनुमानों के अनुसार उनके कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पेरियार घाटी, पाम्बा, कुट्टियाड़ी, चित्तरपुझा, पझासी, कान्हीरापुझा और कल्लड़ा परियोजनाएं, जिनपर कार्य पहले ही हाथ में है, पांचवी योंजना में भी जारी रहेंगी? इन परियोजनाओं की प्रगति विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5668/73**] केरल सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के प्रस्तावों में करापुझा, अट्टापड़ी, इदामलायर, चिमोनी–मोपली, वामनपुरम्, मुवट्टुपुझा, कक्कादाबु और कुरियाकुट्टी की नई परियोजनाओं पर भी कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। पांचवीं योजना के कार्यक्रमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

देश को कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपाय

216. **श्री धामनकर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने से देश की तेल–शोधन संबंधी आवश्यकताओं के कहां तक पूरा हो जाने की आशा हैं ;

(ख) इस समय देश में कितने कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की मांग है और उसमें कितना माल देश में ही पैदा किया जाता है तथा कितना अन्य स्रोतों से और इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्गस्त है; और

(ग) क्या देश की आगामी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था और सरकार का, भूमि पर तट-दूर तथा विदेशों में तेल की खोज द्वारा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने एवम् इस दिशा में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) मथुरा शोधनशाला के पूर्ण होने पर देश की शोधन क्षमता में 6 मिलियन टन की वृद्धि होगी।

(ख) वर्ष 1973-74 के लिए कच्चे तेल की अनुमानित आवश्यकता 23 मिलियन मीटरी टन के लगभग है जिसमें से करीब 8 मिलियन मीटरी टन की स्वदेश में उत्पादित होने की आशा है और शेष आयात होगा इसके अतिरिक्त 4.4 मिलियन मीटरी टन और शोधित पदार्थों के आयात किये जाने की आशा है। आयात का स्रोत पश्चिम एशिया गल्फ हैं जिसमें ईरान, साऊदी अरबिया, कुवैत और ईराक सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल का सोवियत संघ से भी आयात किया जा रहा है। कच्चे तेल के आयात पर लगभग 300 करोड़ रुपये तथा उत्पादों के आयात पर 131 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय है।

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर तेल शोधन पर कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना के अन्त तक 43 मिलियन मीटरी टन की शोधन क्षमता प्राप्त किये जाने की सिफारिश की है; आयातित कच्चे तेल के मूल्य में तीव्र और निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में यथासम्भव कमी करने का प्रस्ताव है ताकि देश में उत्पाद आवश्यकता कम हो। स्वदेशीय कच्चे तेल के उत्पादन को बढाने के लिए भूमि पर और अपतटीय तैल अन्वेषण का तीव्रीकरण किया जा रहा है। विदेशों में भी तेल अन्वेषण का कार्य हाथ में लिया गया है और कुछ अपतटीय क्षेत्रों में विदेशी पार्टियों के सहयोग से अन्वेषण के प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

अगस्त/सितम्बर, 1973 में शोलापुर डिवीजन में आन्दोलन के कारण हुई हानि

217 श्री धामनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में विलय के लिये दक्षिण मध्य रेलवे के शोलापुर डिवीजन में अगस्त/सितम्बर, 1973 के दौरान हुये आन्दोलन के फलस्वरुप कितने राजस्व की हानि हुई ;

(ख) कितने मूल्य की सम्पत्ति, रेल के डिब्बों आदि की क्षति हुई, कितनी जन शक्ति की हानि हुई, सवारी यातायात तथा भाड़े की कितनी हानि हुई और अन्य कितनी हानि हुई ; और

(ग) आन्दोलन के कारणों का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई समिति कब तक अपने निष्कर्षों पर पहुंच जायेगी तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :(क)अनुमान लगाया गया है कि आन्दोलन के कारण रेलों को एक करोड़ रुपये अधिक की हानि हुई।

(ख) (i) यात्री यातायात में हानि — लगभग 52 लाख रुपये

(ii) माल यातायात में हानि — लगभग 56 लाख रुपये

(iii) टूट फूट, चोरी और उठायीगीरी आदि को मिलाकर रेल सम्पत्ति को हुई कुल हानि — लगभग 62,000 रुपये

(iv) जन घंटों की हानि — 38,66,295

(ग) समिति की बैठक तीन बार अर्थात् 1–9–73, 9–10–73 और 10–10–73 को हो चुकी है और उसने विभिन्न पक्षों के साक्ष्य लिये हैं जिनमें रेल कर्मचारी, व्यापार मण्डल, और जन-प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति द्वारा विचार विमर्श चल रहा है और आगामी बैठक 17–11–73 को होनी है। अभी यह कहना संभव नहीं है कि समिति कब अपने निष्कर्ष तैयार करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

कुछ कम्पनियों के कदाचारों को रोकने के लिये एकाधिकार अधिनियम की धारा 27 को प्रभावी बनाना

218. श्री धामनकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों तथा व्यापारों को एक साथ मिलाकर चलाने वाली कम्पनियों के वित्त, उत्पादन तथा विक्रय संबंधी आचार का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि एकाधिकार अधिनियम की धारा 27 को प्रभावी करके कुछ कम्पनियों द्वारा किये जा रहे कदाचारों के विरुद्ध कड़े कदम उठाये जा सकें ;

(ख) इस प्रकार का अध्ययन कब आरम्भ होगा और कितने समय तक चलेगा; और

(ग) अब तक कितने मामलों में एकाधिकार अधिनियम की धारा 27 को प्रभावी बनाया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग को जांच हेतु मामले क्या उपक्रम की परिसम्पत्तियों के किसी खण्ड की, उपक्रम के किसी व्यापारिक प्रभागहेतु आदेश देना लोकहित में समोचीन है, या किसी उपक्रम के प्रभाग या अन्त: संबंधित उपक्रम, जो इस प्रकार के उपक्रमों की संख्या में न्यायोचित पाये जाएं, एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के खण्ड क की परिधि में आने वाले उपक्रमों के कार्यकरण के यथाक्रम में कोई राय प्रस्तुत करने के लिए क्या कोई आधार है, क्या उनका कार्यकरण एकाधिकारी के और/या निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाओं का अंगीकरण लोकहितों के विपरीत है, या प्रवाहित हो गया है, प्रवाहक हो रहा है या प्रवाहक होने की संभावना है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्ययन के पश्चात ही केवल संदर्भित किये जाते हैं। इस प्रकृति में निहित बहुत से उपक्रमों के अध्ययन के लिए काफी समय और श्रम अपेक्षित है और इससे केन्द्रीय सरकार आयोग को जांच हेतु अभी तक कोई भी मामला भेजने में समर्थ नहीं हुई है। हालांकि यह विषय केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

देशीय औषध फर्मों को अपना विस्तार करने के लिये रियायतें देना

210. श्री धामनकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशीय औषध निर्माता कम्पनियों को अपना विस्तार करने में सहायता देने के लिये भविष्य में अनेक रियायतें दिये जाने की आशा है और इससे विदेश कंपनियों के पनपने में किस सीमा तक रोक लग सकेगी ;

(ख) क्या औषधों तथा भेषजों के निर्माण के लिये कोई क्रम–बद्ध विस्तार कार्यक्रम तैयार करने का इरादा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यिटिकल लिमिटेड और हिन्दुस्तान एन्टी-बोयोटिक्स नामक दो सरकारी उपक्रम अपने वर्तमान ढांचे में बहते हुए अपना विस्तार कर सकेंगे; और

(घ) देश में औषधों तथा भेषजों का निर्माण करने वाले निकायों का क्रमबद्ध तथा सुदृढ़ आधार पर संबर्द्धन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ताकि व न केवल देशीय बाजार में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी विदेशी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा औषधों और भेषजों के लिए स्थापित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तत कर दी है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट योजना आयोग का ध्यान आकर्षित कर रही है। योजना को अन्तिम रुप देते समय पंचवर्षीय योजना की अवधि में औषध और भेषज के विस्तार तथा विकास का लक्ष्य ध्यान में रखा जाएगा।

सरकार द्वारा इस उद्योग के विदेशी क्षेत्र के नियंत्रण एवं विकास हेतु तथा साथ साथ देशीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न लिखित विशेष कदम उठाए गए हैं:—

(i) निर्माण योजनाओं के लिए इस उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रपुंज औषधों की संख्या का बढता हुआ उत्पादन।

(iii) विदेशी फर्मों को प्रपूंज औषधों के निर्माण से संबंधित किये बिना, सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये सामान्य रूप से लाइसेंस नहीं दिये जाते।

(iv) विदेशी फर्मों से प्रपूंज औषधों का निर्माण अधिक मूल चरणों से करने के लिए कहा जाता है तथा उनको क्षमता विस्तार हेतु नए कार्य हाथ में लेने की तब स्वीकृति दी जाती है जब वे प्रपुंज औषधों के उत्पादन का अधिक भाग देश के असम्बद्ध निर्माताओं को देने के के लिए सहमत हो जाते हैं।

(v) सामान्यतः विदेशी फर्मों पर क्षमता विस्तार या नए कार्य हाथ में लेने को स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य रूप से उचित मात्रा का निर्यात करने की शर्त लगाई जाती है।

(vi) उनके विकास तथा निर्माण के कार्यों की स्वीकृति देते समय विदेशी साम्य पूंजी सहयोग में प्रगतिशील कमी तथा भारतीय शेयरों की तुलनात्मक वृद्धि करने को कहा जाता है।

देश में औषधों का उत्पादन जो 1948 से 12 करोड़ रुपये का था, 1958 में 58 करोड़ रूपय, 1965 में 150 करोड़ तथा 1971 में 304 करोड़ रुपये तक बढ़ गया और उसका इस वर्ष 350 करोड़ रुपये से भी अधिक का होने का अनुमान है। गत तीन वर्षों में सरकारी क्षत्र एककों में औषधों का उत्पादन निम्न लिखित रहा जो तीव्र विकास तथा सरकारी क्षेत्र में इसको और अधिक बढ़ाने की क्षमता का प्रतीक है:—

रुपये करोड़ों में

	1970–71	1971–72	1972–73
आई० डी० पी० एल० . . .	10.30	15.55	19.60
एच० ए० एल० . .	6.20	7.28	8.57
कुल .	16.50	22.83	28.17

पांचवीं योजना के दौरान भारतीय इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अधीन स्थापित होने वाले दो औषध कारखानों के स्थापना-स्थानों के नाम

220. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अधीन स्थापित होने वाले दो औषध कारखानों की स्थापना के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या इस संदर्भ में केरल के दावे पर विचार कर लिया गया है तथा केरल को एक कारखाना आबंटित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जापान के सहयोग से पांचवीं योजना के दौरान उर्वरक कारखानों की स्थापना

221. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जापान के सहयोग से देश में दो उर्वरक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अन्तिम रूप से कोई करार हो गया है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जहां ये कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) पांचवी योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में पांच नये, उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इन संयंत्रों को मथुरा (उत्तर प्रदेश), भटिंदा (पंजाब), पानीपत (हरियाणा), पारादीप (उड़ीसा) तथा ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। अपने कार्यक्रमों के लिये विदेशी सहायता, जो ऐसी सप्लाई तथा सेवाओं तक सीमित होगी जो भारत में उपलब्ध नहीं है के बारे में, और बातों के साथ साथ, जापान सरकार से बातचीत की जा रही है।

भारतीय उर्वरक निगम, के संयंत्रों की क्षमता के आंशिक उपयोग के कारण उर्वरकों की कमी

222. **श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के अनेक समाचार पढ़े है कि उनके उर्वरकों की कमी का कारण भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्रों की क्षमताओं को केवल आंशिक रूप से उपयोग में लाना है;

(ख) इसके फलस्वरुप निष्क्रिय पुंजी निवेश, विदेशी मुद्रा पलायन, आंतरिक कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादन पर औद्योगिक निर्भरता के क्षेत्रों में इस पर कितना भार पड़ा ; और

(ग) भविष्य में आडे आने वाली समस्याओं को दूर करने तथा वर्तमान संयंत्रों में उर्वरक उत्पादन की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जहां तक भारतीय उर्वरक निगम का संबंध है; 1972–73 के ैरान इसके 5 कार्यरत यूनिटों की क्षमता 3.76 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन थी। यह सम्पूर्ण उद्योग में उस वर्ष के अन्तर्गत कार्यरत क्षमता का लगभग 25.7 प्रतिशत था अर्थात् 1.46 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन। भारती उर्वरक निगम के एककों का उत्पादन 2.76 लाख मीटरी टन था जो सम्पूर्ण भारत के उत्पादन का 26% था। नंगल में अल्प स्तर पर विद्युत की उपलब्धता गोरखपुर में विद्युत एवं श्रमिक समस्याएं सिन्दरी में पुराने संयंत्र को प्रोद्योगकीय समस्याओं के कारण उत्पादन में हुई हानि के बावजूद भारतीय उर्वरक निगम के एककों सहित समस्त संचालित एककों के रा नाइट्रोजन के 1.06 मिलियन मीटरी टन के सम्पूर्ण उत्पादन के विपरित 1972–73 के दौरान नाइट्रोजन के रूप में उर्वरक की कुल खपत 1.83 मिलियन मीटरी टन थी। अतः कमी को आयात के द्वारा पूरा करना पड़ा।

(ग) विभिन्न उर्वरक एककों के क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए उठाये जा रहे मुख्य कार्य मे से कुछ निम्नलिखित है :—

(1) सिन्दरी के विभिन्न अनुभागों के मरम्मत एवं नवीकरण।

(2) राजस्थान जिप्सम के स्थान पर सिन्दरी सुव्यवस्तीकरण परियोजना के कार्यान्वयन।

(3) कोयला/कोक ओवन गैस को ईंधन तेल से स्थान लेने के लिए सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन।

(4) ट्राम्बे के एन० पी० के तथा यूरिया संयंत्र के कठिनाइयों को दूर करना।

(5) ट्राम्बे में अमोनिया / मेथनाल उत्पादन के लिए गैस उपलब्धता का सम्पूर्ण।

(6) अमोनिया के उत्पादन के लिए ईंधन तेल द्वारा विद्युत के प्रयोग के बदले नांगल विस्तार परियोजना का कार्यान्वयन।

(7) प्रतिस्थापत फालतू उपकरणों को पूर्ण रूप में अधिक उपयोग करने के लिए गोरखपुर में कठिनाइयों को दूर करने हेतु एक प्रायोजना।

(8) एफ० ए० सी० टी० के उद्योग मण्डल के कुछ भागों में तकनीकी बाधाओं पर काबू पाने के साधन।

(9) राउरकेला पर अमोनिया के उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता के सम्पूर्णता हेतू सुविधाएं देना।

(10) नेवेली में सम्भरण सामग्री को लिग्नाईट से ईंधन तेल में बदलने की योजना का कार्यान्वयन।

Irrigation of Additional Land in Bundelkhand and Jhansi Distt. of U. P. in Fifth Plan

223. **Dr. Govind Das Richharia**: Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the additional acreage of land proposed to be irrigated in Uttar Pradesh, particularly in Bundelakhand and Jhansi District in the next Five Year Plan;

(b) the steps being taken in Bundelkhand for the purpose; and

(c) the expenditure proposed to be incurred in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power Shri S iddheshwar Prasad : (a) to (c) additional potential likely to be created from the co ntinuing and new major and medium irrigation schemes in Uttar Pradesh during the Fifth Plan per io d

4—27 LSS/73

is 20.05 lakh hectares. Out of this, the potential likely to be created in Bundelkhand region of the State is 0.81 lakh hectares. In Jhansi district the potential likely to be created is 0.21 lakh hectares. One major and 12 medium irrigation schemes have been proposed for inclusion in the Fifth Five Year Plan of the State for this purpose. An outlay of Rs. 53.7 crores has been recommended by the working Group of on Major and Medium Irrigation and Flood Control of the Planning Commission for continuing and new schemas in the Bundelkhand region during the Fifth Plan period. The Fifth Five Year Plan of the State has not yet been finalised.

पश्चिम बंगाल तथा आसाम के गांवों का विद्युतिकरण

224. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में ग्रामीण-विद्युतीकरण योजनाओं के फलस्वरुप पश्चिम बंगाल तथा आसाम के कितने गांवों में बिजली पहुंची है अथवा इन योजनाओं का लाभ हुआ है; और

(ख) चौथी योजना में पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और उस राशि में से कितनी राशि अब तक खर्च हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान पश्चिम बंगाल और असम में विद्युतीकृत ग्रामों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :- -

वर्ष	पश्चिम बंगाल	असम
1971-72 (1-4-71 से 31-3-72) . . .	362	52
1972-73 (1-4-72 से 31-3-73) . .	2209	151

(ख) चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतिकरण के लिए 10 करोड़ रुपयेका प्रावधान रखा गया था। इसमें से चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1971-72 तक, के दौरान 6.38 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे। यह प्रत्यशा है कि चौथी योजना को शेष अवधि के दौरान 4.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे ?

Criteria of Allotment of L. P. Gas Agencies

225. **Shri Arvind M. Patel :**
Shri N. R. Vekaria :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals a** be pleased to state

(a) who can allot L. P. Gas agencies under the rule ;

(b) whether the agent is appointed by the Indian Oil or by the officers of the Resettlement Department of Defence; and

(c) the date from which the Rules framed for alloting the L. P. Gas agency became effective ?

The Mininister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) I OC's distributorships of L.P.G. are being awarded preferentially to disabled defence personnel, widows/dependents of those killed on duty or missing in action and ex-Servicemen, on the recommendations made by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence.

(b) The appointment letter is issued by the Indian Oil Corporation on the basis of the nominations received from the Director General of Resettlement, Ministry of Defence.

(c) The above mentioned system has become effective from 28-12-1971.

भारतीय तेल निगम द्वारा एल० पी० गैस एजेन्सियां आवंटित करने के लिए मानदंड

226. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० पी० गैस एजन्सियां आवंटित करने के लिये इंडियन आयल द्वारा क्या मानदंड अपना गये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में प्राथमिकता सरकारी संस्थाओं को दी जाती है अथवा भूतपूर्व सैनिकों को; और

(ग) जिन नियमों के अधीन प्राथमिकता दी जाती है वे नियम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय तेल निगम की वर्तमान तेल नीति के अनुसार भारतीय तेल निगम की एल०पी० जी० की वितरण एजेंसियां, अपंगु रक्षा सैनिकों, युद्ध में मारे गये अथवा लापता सैनिकों की बिधवों/आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्रालय, पुनर्वास के महानिदेशक द्वारा की गई सिफारिशों आधार पर दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत इस समय सहकारी संस्थानों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। किन्तु जब कभी रक्षा योजना के क्षेत्र के बाहर विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत कोई एजेंसी दी जानी होती है तो विशेष मामले के रूप में इस पर विचार किया जाता है। भारतीय तेल निगम द्वारा एजेंसी के लिए नियुक्ति पत्र जारी किये जाते हैं। उपर बताय गये सनिकों के विभिन्न श्रेणियों में से निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के आधार पर रक्षा मंत्रालय पुनर्वास के महानिदेशक द्वारा टोएजं को चयन किया जाता है।

गुजरात तथा मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल-विवाद के मामले को पुनः उठाने का प्रस्ताव

227. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच व्याप्त नर्मदा जल-विवाद के मामले को पुनः उठाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जबकि न्यायाधिकरण के सम्मुख नर्मदा विवाद पर न्यायनिर्णयन की कार्यवाही चल रही थी, सम्बद्ध चार राज्यों के मुख्यमंत्री जुलाई, 1973 को मिले और महाराष्ट्र के लिए जल के आवंटन पर सहमत हो गये तथा प्रधान मंत्री से अनुरोध किया कि वे मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच शेष जल के आवंटन के संबंध में तथा नवगाम बांध की उंचाई के संबद्ध में निर्णय दें। सम्बन्ध राज्यों ने पहले हो अपने अपने मामलों को प्रधान मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। प्रधान मंत्री का निर्णय प्रतीक्षित है।

नर्मदा नदी जल विवाद को शीघ्र हल करने के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री का अनुरोध

228. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी जल-विवाद को शीघ्र ही हल करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) नर्मदा नदी जल-विवाद को शीघ्र हल करने के लिए सम्बद्ध राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जबकि न्यायाधिकरण के सम्मुख न्याय निर्णयन कार्यवाही प्रगति पर थी, चार राज्यों के सम्बद्ध मुख्यमंत्रियों ने जुलाई, 1972 में बैठक की और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के बीच जल के आवंटन के संबंध में तथा नवगाम बांध की उंचाई के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रधान मंत्री से अनुरोध किया। सम्बद्ध राज्यों ने अपने-अपने मामले पहले ही प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दिए हैं। प्रधान मंत्री के निर्णय की प्रतीक्षा है।

कोंकण रेलवे परियोजना के स्थान पर रत्नागिरि-कोल्हापुर तथा कराड-चिपलुन रेलवे परियोजना को चलना

229. **श्री मधु दण्डवते : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि कोंकण रेलवे परियोजना के स्थान पर रत्नागिरी कोल्हापुर और कराड़ चिपलुन रेलवे परियोजना को चलाया जाये;

(ख) क्या कोंकण रेलवे परियोजना के अन्तर्गत 108 किमी० लम्बे आप्टा-दासगांव मार्ग पर 'स्केयरसिटी वर्क' रूप में आरम्भ किया गया खुदाई-कार्य तक रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोंकण रेलवे परियोजना का पूरी तरह से परित्याग कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले के सावन्तवाड़ी तालुक में तिराली बांध में सीमेंट कंकरीट के प्रयोग के बारे में विशेषज्ञों की सलाह

230. **श्री मधु दण्डवते : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के सावन्तवाडी तालुक में तिराली बांध में बांध की सुरक्षा के लिए मिट्टी के काम के स्थान पर सीमेंट कंकरीट का प्रयोग किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि तिल्लारी के लिए अभी परियोजना अध्ययन किए जा रहे हैं और ऐसी कोई विशेष सलाह नहीं मिली जिसके अनुसार मिट्टी-बांध से कंक्रीट बांध को वरीयता दी जाए।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता।

हड़पसर स्टेशन के निकट सितम्बर, 1973 में मालगाड़ियों में टक्कर

231. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों द्वारा सितम्बर, 1973 में की गई हड़ताल के दौरान भारतीय प्रादेशिक सेना ने अत्यावश्यक मालगाड़ी सेवा चलाने का भार सम्भाला था;

(ख) क्या उक्त अत्यावश्यक सेवा का भार प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों द्वारा सम्भाल लिये जाने के परिणामस्वरूप हड़पसर स्टेशन के निकट मालगाड़ियों में टक्कर हो गई थी जिससे दो जवानों की मृत्यु हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) एक टक्कर हुई थी परन्तु यह टक्कर प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों द्वारा थोड़ी सी गाड़ियां चलाये जाने के परिणामस्वरूप नहीं हुई।

(ग) इस दुर्घटना की जांच हो रही है। इस जांच के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने पर जो कार्रवाई आवश्यक होगी, की जायेगी।

शोलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे जोन में शामिल किये जाने का आश्वासन

232. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर डिवीजन द्वारा उक्त डिवीजन को मध्य रेलवे जोन में शामिल किय जाने की मांग के बारे में संसद् सदस्यों और रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति को कोई आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आश्वासनों को क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम द्वारा नागपाल अम्बाडी पेट्रोलियम रिफाइनिंग कम्पनी द्वारा उत्पादित ट्रांसस्फार्मर आयल की बिक्री में कथित घोटाला

233. **श्री समर मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय तेल निगम द्वारा नागपाल अम्बाडी पेट्रोलियम रिफाइनिंग कम्पनी द्वारा उत्पादित ट्रांसफार्मर आयल की बिक्री में कथित घोटाले की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकर ने भारतीय तेल निगम के विपणन विभाग द्वारा नागपाल अम्बाडी पेट्रोलियम कम्पनी से किये गये सौदों के बारे में जांच करने का आदेश दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय तेल निगम का मैसर्स नागपाल अम्बाडी पैट्रोलियम रिफाइनिंग कम्पनी के साथ समझौते के कुछ पहलुओं तथा अवरोक्त द्वारा उत्पादित ट्रान्सफार्मर तेल के बेचे जाने को वर्ष 1970-71 के लिये भारतीय तेल निगम (मार्केटिंग प्रभाग) की आडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है।

(ख) यह विषय की इस समय सरकारी उपक्रमों पर संसदीय समिति द्वारा जांच की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तथा पेट्रोल का राशन

234. श्री समर मुखर्जी :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पैट्रोलियम उत्पादों के क्या मूल्य निश्चित किये गये है; और

(ख) क्या पैट्रोलियम की सप्लाई के लिये राशन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5669/73**]

(ख) इस समय मोटर स्पिरिट के लिये राशन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूमि के लिए मुआवजा

235. श्री शशि भूषण :

श्री श्री किशन मोदी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 सितम्बर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडिया लूजिंग रुपीज 10,000 ए डे औन कोसी प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर दिलाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सरकार, जिसका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया था, ने कहा है कि पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण कार्य निलम्बित नहीं किया गया था बल्कि इसे वर्षा ऋतु के कारण धीमा कर दिया गया था और इसलिए 10,000 रु० प्रति दिन को हानि का प्रश्न ही नहीं उठा।

बहरहाल, नेपाल क्षेत्र में भूमि के मालिकों द्वारा ऊंचे मुआवजे की मांग के कारण भूमि के अधिग्रहण में कुछ देरी हुई थी। इस मामले को अब हल कर लिया गया है।

गत छः महीनों में रेल गाड़ियों में डकैतियां

236. श्री शशि भूषण :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में भारतीय रेलवे में रेलों में कितनी संख्या में डकैतियां पड़ी;

(ख) कितनी संख्या में डाकुओं को पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या बरामद माल को उनके मालिकों को लौटा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय म उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5670/73**]

रेल गाड़ियों में हत्यायें रोकने के लिए उठाए गये कदम

237. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 सितम्बर, 1973 के "नवभारत टाइम्स" में "रेलों में हत्याएं रोकने की व्यवस्था अधिक सफल नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1971, 1972 और 1973 (जून तक) के दौरान सभी भारतीय रेलों पर हत्या के मामलों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	हत्या के मामलों की संख्या।
1971	123
1972	91
1973 (जून तक)	63

सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और गाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों के विरुद्ध अपराधों की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है :—

(1) प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात की सभी महत्वपूर्ण गाडियों में यथासम्भव सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की जाती है।

(2) रेलवे सुरक्षादल के कर्मचारियों को निदेश दिया गया है कि रेलों पर अपराध की घटनाओं का पता लगाने में सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस को सक्रिय सहयोग दें।

(3) प्रभावित खंडों में सक्रिय बदमाशों पर कड़ी निगा रखने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क कायम रखा जाता है।

(4) रेलमंत्री ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गाड़ियों/रेल परिसरों में यात्रियों को प्रभावित करने वाले अपराधों जैसे हत्या, लूटपाट और डकैती की बढ़ती हुई घटनाओं से क्षुब्ध होकर 2-11-72 को इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के नाम पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों और खासकर बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था करें। रेल मंत्री ने इस संबंध में 21-3-73 को कुछ राज्यों के गृह मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की ताकि यात्री जनता के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। इस बैठक के फलस्वरूप केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है जो इस बैठक में दिये गये विभिन्न सुझाओं की पुरी तरह जांच करेगा और इस समस्या को कारगर ढंग से हल करने के लिए उपाय सुझायेगा।

कार्यकारी दल की अभी तक एक बैठक हुई है जिसमें सर्व सम्मति से यह सहमति हुई कि सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु, राज्य सरकारों ने यह अतिरिक्त खर्च बर्दाश्त करने में असमर्थता प्रकट की और यह इच्छा व्यक्त की कि केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता देकर इस बढ़ हुए खर्च को बर्दाश्त करे। तदनुसार वित्त आयोग को एक ज्ञापन विचारार्थ भेज दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण फर्मों के विरुद्ध मुकदमे चलाना

238. **श्री शशि भूषण :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण फर्मों के विरुद्ध मुकदमें चलाये जाने के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों के क्या परिणाम रहे; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान। अधिनियम की विधिन्न धाराओं के साथ साथ जिनके अन्तर्गत 1972/73 की अवधि में मुकदमे चलाये गये थे, का उल्लेख करते हुए, एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5671/73**]

(ख) गत तीन वर्षों में चलाए गये मुकदमों के परिणाम, कम्पनी अधिनियम के कार्यकरण एवं प्रशासन को अपने अपने वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित करा दिये गये है, जो संसद के सम्मुख प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

भारत द्वारा ईराक में तेल की खोज

239. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को ईराक में दिये गये क्षेत्र में तेल खोज-कार्य इस शीत ऋतु में आरम्भ हो जायगा; और

(ख) उक्त क्षेत्र से भारत को कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) जब तक भूकम्पीय सर्वेक्षण एवं अन्वेषणात्मक व्यधनकार्य नहीं किये जाते, तेल की कुल मात्रा जो क्षेत्र में उपलब्ध होगी के सम्बन्ध में यथार्थ संकेत देना असम्भव है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए रुस से मशीनों का आयात

240. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा में 70 लाख टन क्षमता वाले प्रस्तावित तेलशोधक कारखाने के लिये भारत मशीनों ओर उपकरणी का रुस से आयात करेगा;

(ख) क्या दोनों देशों के विशेषज्ञ सितम्बर, 1973 के अन्त में मिले थे तथा उन्होंने अंतिम रुप से उपकरण की सूची तैयार की थी; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन तथा कितने उपकरणों का आयात किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 20 जुलाई, 1973 को भारत तथा रुस की सरकारों के बीच हुई संधि में 6 मिलियन मीटरी टन क्षमता वाली मथुरा शोधन शाला के निर्माण में दोनों देशों के बीच सहयोग किया जाना निहित है। रुस भारत को एसे उपकरणों एवं सामग्रियों की सप्लाई करेगा जो इस शोध शाला के निर्माण के लिए आवश्यक समय के भीतर भारत में प्राप्त नहीं हो सकते ।

(ख) और (ग) उपरोक्त संधि के अनुसार, शोधनशाला के डिजाइन के लिये निदेशों के ज्ञापन को अन्तिम रुप देने के लिये रूसी संस्था ने 19 अक्तूबर, 1973 को रूसी विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया था और इसके नवम्बर, 1973 के अन्त तक मुकम्मल किये जाने की आशा है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिस के जनवरी, 1975 तक तैयार हो जाने की आशा है, के बाद ही रूस द्वारा सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों तथा सामग्रियों के स्वरुप तथा मात्रा के बारे में जाना जा सकेगा ।

रेलवे के लिए बिजलीघरों की स्थापना करना

241. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए बिजल घरों की स्थापना करने के बारे में सरकार ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की स्थापना की है;

(ख) क्या उक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) पूर्वी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में गम्भीर कमी को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि रेलों द्वारा अपने विद्युतीकरण खण्डों के साथ-साथ दो या तीन स्थानों पर अतिरिक्त बिजली-घरों का निर्माण किया जाये और किफायती परिचालन के लिए, उन्हें राज्य बिजली बोर्ड की सप्लाई व्यवस्था के साथ सम्बद्ध करके चलाया जाये ।

विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग

242. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत उत्पादन के लिए तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कोयले से विद्युत् उत्पादन में विलम्ब करने के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) तेल और तेल-उत्पादनों के लिए आयात पर निर्भरता और उसकी विदेशी मुद्रा और अन्य पेचीदगियों को देखते हुए भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया है कि विद्युत के उत्पादन के लिए तेल और तेल उत्पादनों की खपत को न्यूनतम किया जाना चाहिये । इसके अनुपालन में यह निर्णय किया गया है कि चार बृहत ताप विद्युत केन्द्रों अर्थात् गुजरात में अहमदाबाद और धुवरन महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे और बिहार में बरौनी, जहा इस समय तेल, प्रारम्भिक इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, की प्रारम्भिक इंधन के रूप में कोयला प्रयोग करने वालों में बदल दिया जाए । विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संयंत्र और उपस्कर में ऐसे परिवर्तन कर दें कि उनमें कोयला आरम्भिक इंधन के रूप में प्रयोग किया जा सके । विद्युत केन्द्रों के ऐसे परिवर्तन में बायलर का पुनः अभिकल्पन, एस-हृण्डलिंग संयंत्रों की प्रतिष्ठापना, कोयले की सप्लाई के उचित स्रोत को निश्चित करना और विद्युत-केन्द्रों को ऐसे कोयले की सप्लाई तथा परिवहन आदि कार्य सम्मिलित होते है । इस संबंध में आवश्यक उपायों की योजना बनाई जा रही है और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

विद्युत सप्लाई उद्योग का पुनर्गठन

243. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विद्युत सप्लाई उद्योग का पुनर्गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत सप्लाई उदयोग की पुनः संरचना के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी तेल कम्पनियों का कार्य जारी रहना

244. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों को कार्य करते रहने देने के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्दयनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष के अन्त तक ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा औषध उद्योग को अधिक मूल्य पर आयातित कच्चे माल की सप्लाई किया जाना

245. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम औषध उद्योग को बहुत अधिक मूल्य पर आयात किये हुए कच्चे माल की सप्लाई कर रहा है :

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उक्त उद्योग को काफी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त उद्योग को उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा वस्तुओं के वितरण के लिए विक्रय मूल्य 1973–74 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीचे के खण्ड 1 के पैरा 74 एवं 75 के अनुसार आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित फार्मुला के आधार पर निश्चित होगा ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा लिए गये अधिक मूल्य के कारण क्षमता के उपयोग न करने का किसी मामले के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कावेरी जल विवाद का हल

246. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद का कोई हल ढुंढ लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस मामले पर अभी भी संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

समुद्रतट से दूर तेल की खुदाई करने सम्बन्धी कार्य को पूरा करन के कार्य में विलम्ब

247. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
श्री विक्रम महाजन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समुद्र तट से दूर तेल की खुदाई करने सम्बन्धी कार्य को पूरा करने में काफी विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या इस कारण सरकार को भारी मात्रा में हानि हुई है ; और यदि हां, तो अब तक कुल कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) उक्त कार्य में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) विलम्ब मुख्य रूप से दो कारणों से हुआ था—अर्थात "सागर सम्राट" को सौपने में 6 माह का विलम्ब और "सागर सम्राट" के पहुंचने के तुरन्त बाद ही बम्बई ऊंके चे समुद्र में मौसम की खराबी । लेकिन "सागर सम्राट" के सप्लाइअरों से उसको विलम्ब से सौपने के एवज में परिसमाप्त हानि को वसूल कर लेने से सरकार को कोई ऐसी क्षति नहीं उठानी पड़ी जिसको कि दूर किया जा सकता था । खराब मौसम के कारण हुई देरी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के नियंत्रण से बाहर थी । इस विलम्ब की अवधि में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कुछ खर्च उठाना पड़ा जो कि 7000 डालर प्रतिदिन था और व्यधन ठेकेदार को नावों की सप्लाई और उसके लिए नाविकों, आदि के लिए देना पड़ा । लेकिन इसमें से 20% व्यय रुपयों में था ।

(ग) इस प्लेटफार्म की सहायता से 11 अक्तुबर 1973 को गहरे पानी में प्रथम अन्वेषणात्मक कूप के व्यधन का कार्य आरंभ कर दिया गया था । आयोग ने अगले 2 या 3 वर्षों के लिए अतटीय व्यधन कार्यों के बारे में एक योजना भी बनाली है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती

248. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती को समाप्त करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या ओवरा बिजलीघर के लिए दो जनरेटरों का आयात करने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध की केन्द्रीय सरकार ने स्वोकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसका भारत हैवी इलैट्रीकल्स लि०, हरिद्वार द्वारा आयात किया जा रहा है, और उक्त उपकरणों के कब तक भारत पहुंचने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य में विद्युत की कमी को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की सहायता करने के उद्देश्य से पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश को 150 मैगावाट तक विदयुत की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए हैं। ओबरा ताप विद्युत् केन्द्र पर अतिरिक्त उत्पादन सेटों को चालू करने में भी यथासंभव तेजी लाई जा रही हैं ।

(ख) और (ग) ओबरा विद्युत् केन्द्र के लिए की 2 उत्पादन सैटों के आयात स्वीकृति दे दी है । उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सलाह दी गई है कि मैसर्स बी० एच० ई० एल० के द्वारा आयात का प्रबंध करें । इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और बी० एच० ई० एल० के बीच प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

राज्यों में बिजली की कटौती समाप्त करना

249. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती समाप्त करने के लिए अन्य क्या-क्या उपाय किये गये है ; और

(ख) क्या बिजली की सप्लाई स्थिति में सुधार हुआ है ; और यदि हां, तो कितना ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मानसून आ जाने और जल विद्युत जलाशयों के भर जाने से विभिन्न राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति में आम तौर पर सुधार हो गया । बहरहाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश राज्यों में और दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में जहां अभी भी पाबन्दियां लगी हुई हैं, ऊर्जा उपलब्धता पर्याप्त नहीं है । जहां तक दामोदर घाटी निगम का संबंध है ताप विद्युत केन्द्रों में यूनिटों के आउटेंजिज के कारण क्षेत्र में सप्लाई में कमी रही है ।

विद्युत उत्पादन सैटों की मरम्मत और उनको शीघ्रतया कार्य में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं और निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन यूनिटों के चालू करने में शीघ्रता लाने के लिए कार्रवाई की गई है । गत मई से ऊर्जा उपलब्धता में जिस स्तर तक सुधार हुआ है वह संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

विवरण

राज्य का नाम	सभी अंक मिलियन यूनिट/ दिन में	
	उर्जा उपलब्धता	
	मई 1973,	नवम्बर, 1973
	फालतू (+) कमी (−)	
उत्तरी क्षेत्र :		
हरियाणा	(−) 1.96	(−) 1.70
हिमाचल प्रदेश	(−) 0.23	(−) 0.14
जम्मू एवं कश्मीर	(−) 0.23	(−) 0.40
पंजाब	(−) 1.27	(−) 0.54
राजस्थान	(−) 1.38	(−) 1.10
उत्तर प्रदेश	(−) 4.55	(−) 7.00
दिल्ली	(−) 0.15	..
चण्डीगढ़	(−) 0.06	(−) 0.03
नंगल फर्टीलाइजर	..	..
योग	(−) 9.83	(−) 9.91
पश्चिमी क्षेत्र :		
गुजरात	..	..
मध्य प्रदेश	(−) 0.55	..
महाराष्ट्र	(−) 7.10	..
योग	(−) 7.65	..

राज्य का नाम	सभी अंक मिलियन यूनिट/दिन में	
	उर्जा उपलब्धता	
	मई, 1973	नवम्बर, 1973
दक्षिणी क्षेत्र :		
आन्ध्र प्रदेश . .	(−) 3.21	(−) 0.47
केरल . . .	..	(+) 1.14
कर्नाटक	(−) 1.80	(−) 2.20
तमिलनाडु	(−) 9.45	(−) 3.37
योग .	(−) 14.46	(−) 4.90
पूर्वी क्षेत्र :		
बिहार	(−) 0.06	(−) 0.90
पश्चिम बंगाल	(−) 0.35	(−) 0.97
दामोदर घाटी निगम . . .	(−) 0.79	..
उड़ीसा	(−) 1.60	..
योग .	(−) 2.80	(−) 1.87
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र :	(−) 0.06	..
योग सारा भारत .	(−) 34.8	(−) 16.68

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

250. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान लीवर लि० के निदेशक बोर्ड में पूर्णतः व्यावसायिक प्रबन्धक हैं जिनकी नियुक्ति और पदावधि यूनीलीवर लन्दन के नियन्त्रणाधीन है, और यदि हां, तो यूनीलीवर लन्दन द्वारा भारत का शोषण रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि० के मामले में विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक में निर्धारित इक्विटी पुंजी के 40:60 के अनुपात से छूट दी जा रही है, और यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(ग) क्या जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कम्पनी विधि विभाग के निर्देश पर हिन्दुस्तान लीवर लिमिटड के कार्यक्रम की जांच की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 259, 388 व 310 के उपबन्धों द्वारा प्रशासित होता है, वह इसके लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973, जनवरी, 1974 से लागू होगा। इस अधिनियम की धारा 29 में प्रारुपित है कि 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी हिस्सेधारियों वाली कम्पनी को अपने वर्तमान व्यापारिक कार्य-कलापों को पूर्ववत रखने के लिये, रिजर्व बक की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले में छूट देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत एक निरीक्षण आदेश दे दिया गया है ।

मिट्टी के तेल की कमी और इसके मूल्यों में वृद्धि

251. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की भारी कमी है ।

(ख) मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो गावों और नगरों में उचित दर पर मिट्टी का तेल सप्लाई करने के लिए क्या और कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश में मिट्टी के तेल की समस्त उपलब्धि कुल आवश्यकता को पूरा करने से काफी अधिक है। परंतु भूतपूर्व में मिट्टी के तेल की काफी मात्रा का हाई स्पीड तेल की ओर अपवर्तन किया गया था जिस के कारण विशेष छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय कमी उत्पन्न हो गयी थी ।

(ख) मिट्टी के तेल के मूल्य में निम्नलिखित वृद्धियां की गयी हैं :

	उच्च मिट्टी का तेल
	रु०/किलो लिटर
1. उत्पाद की लागत में वृद्धि के कारण . . (13-11-73 से लागू)	77.54
2. 29.50 सेन्टीग्रेड पर उत्पादन कर में वृद्धि के कारण . (9-11-73 से लागू)	98.64
कुल वृद्धि	176.18

(ग) मिट्टी के तेल का मूल्य लगभग एच एस डी के मूल्य के बराबर हो जाने के साथ तेल कम्पनियां मिट्टी के तेल की सप्लाई बढाने के लिये सामान्य एजन्टों के अतिरिक्त मिट्टी का तेल अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करने के लिये कदम उठा रही है ।

लोको कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण उत्तर रेलवे और पश्चिमी रेलवे को हुई हानि

252. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोको कर्मचारियों के अभी हाल के आन्दोलन के कारण उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे को कितनी क्षति पहुंची ; और]

(ख) नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लोको रनिंग कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के कारण उत्तर और पश्चिम रेलों को लगभग 2.70 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ख) हानि को पूरा करना सम्भव नहीं है ।]

स्टीम इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों से गाड़ियों को चलाना

253. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर और पश्चिम रेलवे पर कितनी गाड़ियों को स्टीम इंजनों के स्थान पर डीज़ल इंजनों से चलाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): निकट भविष्य में उत्तर रेलवे पर मुगलसराय और जम्मू तवी के बीच 51 अप/52 डाउन सियालदह-जम्मू तवी एक्सप्रेस और पश्चिम तथा उत्तर रेलों पर अजमेर और दिल्ली के बीच 31 अप/32 डाउन दिल्ली-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस को डीज़ल इंजनों से चलाने का विचार है ।

करनाली पन-बिजली परियोजना

255. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाली पन-बिजली बृहत परियोजना के लिये भारत और नेपाल का संयुक्त पैनल गठित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा प्रति वर्ष कितनी मात्रा में बिजली खरीदी जायेगी और उक्त बिजली का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत से उचित प्रतिनिधियों के साथ करनाली जल विद्युत परियोजना के लिए उच्च शक्ति प्राप्त 'निदेशन समिति' के गठन का प्रश्न नेपाल सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) करनाली परियोजना से भारत द्वारा खरीदी जाने वाली विद्युत की वार्षिक मात्रा पर अभी नेपाल सरकार के साथ एक समझौता किया जाना है । इस विद्युत के उत्तरी से क्षेत्र में समुपयोजन करना अपेक्षित है ।

एक वर्ष की अवधि के बजाय पांच वर्ष के लिये 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत रेलवे भूमि का आबंटन

256. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत वार्षिक आधार पर आवेदकों को रेलवे भूमि देने की वर्तमान व्यवस्था में कुछ कमियां रहती है क्योंकि उसमें रेलवे को अधिक लाभ नहीं मिलता है;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन का विचार 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत एक वर्ष की बजाए पांच वर्ष के लिये रेलवे भूमि पट्टे पर देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्तमान कार्यविधि के अनुसार, जहां तक सम्भव है, स्टेशनों के बीच रेलवे की फालतू भूमि राज्य सरकारों को सौंप दी जाती है जो अन्ततोगत्वा 'अधिक अनाज उपजाओ' प्रयोजनों के लिए लाइसेंस पर दे देती हैं । केवल ऐसी भमि जिसे राज्य सरकारों ने नहीं लिया हो, रेल प्रशासन द्वारा शुरू में खेती करने के लिए एक या दो वर्षों की अवधि के लिए सीधे लाइसेंस पर दी जाती है और यदि लाइसस की शर्तों का पालन किया गया है तो संबंधित राज्य सरकार के काश्तकारी कानून को ध्यान में रखने के बाद मूल लाइससधारी को फिर से उक्त भूमि दी जा सकती है । वर्तमान कार्य-विधि में कोई कमी नहीं पायी गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिये बिहार द्वारा मांगी गई धनराशि

257. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष तथा समस्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिये बिहार द्वारा की गई वित्तीय मांग की नवीनतम स्थिति क्या है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि देने की स्वीकृति दी है या देने का विचार है ;

(ख) क्या नहरों में गाद की समस्या को हल करने और पश्चिम कोसी नहर को पानी सप्लाई करते रहने के लिये कमला नदी के उपलब्ध जल का उपयोग करके कमला नदी की बाढ़ की समस्या हल करने के विचार से पश्चिमी कोसी नदी के मिलन-बिन्दु (क्रासिंग प्वाइंट) पर जयनगर के निकट कमला बांध बनाने के बारे में विचार किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिमी कोसी नहर की अनुमानित लागत 41.62 करोड़ रु० है । बिहार सरकार ने बताया है कि राज्य योजना में 1973-74 के लिए पश्चिमी कोसी नहर के लिए 150 लाख रु० का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त नेपाल में पडने वाले पश्चिमी कोसी नहर के एक भाग के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार बिहार सरकार को राज्य योजना की सीमा के बाहर विशेष सहायता के रूप में 250 लाख रु० देने के लिए मान गई हैं ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1974-75 के वित्तीय वर्ष के लिए 6 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है । पांचवीं योजना में राज्य ने 33.80 करोड़ रु० के प्रावधान का प्रस्ताव रखा है ; पांचवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । भारतीय क्षेत्र में कोई उपयुक्त बांध स्थल नहीं मिला है ।

जिस जगह पर पश्चिमी कोसी नहर कमला नदी से मिलती है, वहां लेवल-क्रासिंग के रूप में काम देने के लिए एक वीयर की संभाव्यता की राज्य सरकार जांच कर रही है ।

समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा रक्सौल तक और मुजफ्फरपुर से बरास्ता मोतीहारी तक बड़ी लाइन तक बढ़ाया जाना

258. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा हो कर समस्तीपुर से रक्सौल तक और मोतीहारी हो कर मुजफ्फरपुर से बड़ी लाइनों को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखाएं क्या हैं, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) बरास्ता दरभंगा रक्सौल तक बड़ी लाइन बढ़ाने और झरझरपुर से लौकाहा तक मीटर लाइन बढ़ाने का काम आरम्भ करने और पूरा करने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दरभंगा या मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर—रक्सौल मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है । यह आसान परिवर्तन किस मार्ग से किया जाये इसके सम्बन्ध में विनिश्चय इस जांच के पूरा हो जाने के बाद किया जायेगा ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए, दरभंगा के रास्ते रक्सौल तक बड़ी लाइन के विस्तार के काम को प्रारम्भ और समाप्त करने की तारीख के बारे में नहीं बताया जा सकता । झंझारपुर—लौकहाबाजार मीटर लाइन रेल सम्पर्क के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किये गये अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की जांच की जा रही है । जांच का काम पूरा हो जाने के बाद कोई अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा ।

भारत द्वारा करनाली पन-बिजली परियोजना का डिजाइन तैयार किया जाना

259. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री पी० वेंकटासुब्बय्या :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अक्तूबर, 1973 से भारत की यात्रा के समय नेपाल के नरेश से कहा था कि भारत को करनाली पन-बिजली परियोजना का डिजाइन तैयार करने दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1973 के मध्य में महामहिम नेपाल के महाराजा के साथ तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्री ने अपने किए गए विचार-विमर्श के दौरान बताया कि यदि महामहीम की सरकार ऐसी इच्छा व्यक्त करती है तो भारत को अनुसंधान तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में नेपाल को कोई भी सहायता करने में प्रसन्नता होगी ।

पश्चिम बंगाल में हेलजर्स ग्रुप आफ जूट मिल्स के विरुद्ध शिकायतें

260. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हेलजर्स ग्रुप आफ जूट मिल्स के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सारांश में, शिकायत में आरोप लगाए गये हैं कि हेलजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अंशधारणों को नार्थब्रुक जूट कम्पनी लिमिटेड के एक श्री रामगोपाल गनेरीवाला, जो एक सटोरिया है और कम्पनी के यथार्थ हितों की चिन्ता नहीं करता है, को बेच दिये ।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि 10-9-1973 को हेलजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 48,901 के सामान्य हिस्से, निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार, चार पार्टियों को नार्थब्रुक जूट कम्पनी लिमिटेड में हस्तांतरित किये :–

हस्तांतरित हिस्सों की संख्या	पार्टी का नाम जिसको हस्तांतरित किये गये
5,350	भुबन्धर टी कम्पनी लिमिटेड
41,551	रामगोपाल गनेरीवाला प्राइवेट लिमिटेड
1,000	श्री सुरेश कुमार गनेरीवाला
1,000	श्री रामगोपाल गनेरीवाला

पूर्वोक्त संदर्भित दो कम्पनियों के सीमित निरीक्षण के निर्देश दिये जा चुके हैं और आगे कार्यवाही अगर आवश्यक पाई गई तो निरीक्षण रिपोर्टों के परीक्षण के पश्चात् ही की जायेगी ।

एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अधीन निपटाये गये मामले

262. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अधीन एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग द्वारा अब तक क्रमश: कितने मामलों पर विचार किया गया और कितने मामलों को अन्तिम रूप से निबटाया गया ; और

(ख) किस प्रकार के उद्योगों और किन-किन पार्टियों को अपने कारखानों का विस्तार करने की अनुमति दी गई है और वे कहां कहां स्थित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21, 22 व 23 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर, कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले सकता है। केन्द्रीय सरकार, इन धाराओं के अन्तर्गत किसी आवेदन-पत्र को, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को उस स्थिति में निर्देशित कर सकती है, जहां उसकी यह राय हो, कि आयोग की पुन: जांच-पड़ताल'* के बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, एवं आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, इस प्रकार के प्रत्येक आवेदन-पत्र पर, केवल केन्द्रीय सरकार ही अन्तिम आदेश पारित करती है। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21, 22 व 23 के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को अब तक 44 मामले निर्देशित किये जा चुके है। निर्देशित विषयों, उन पर प्राप्त रिपोटों, एवं उनपर केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों, से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण-पत्र 'क' तथा 'ख' में दी जा रही है। [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5672/73**]

बदरपुर तापीय बिजलीघर में बिजली का उत्पादन

263. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

श्री ए० के० गोपालन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजलीघर की वह यूनिट, जिसके अभी हाल में पूरा होने के बारे में समाचार प्राप्त हुआ है, पूरी क्षमता से कार्य करने लगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में बिजली पैदा की गई और उपभोक्ता बिजली बोर्डों को सप्लाई की गई;

(ग) उक्त परियोजना की अन्य यूनिटों के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या अपूर्ण यूनिटों की डिजाइन अथवा क्षमता में कोई परिवतन करने संबंधी योजना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र पर पहली 100 मैगावाट यूनिट को चालू कर दिया गया है और पहले ही पूर्ण भार (100 मैगावाट) तक परीक्षण कर लिया गया है।

(ख) 11-11-1973 तक उत्पादित तथा इन्द्रप्रस्थ केन्द्र से सम्बद्ध ग्रिड को सप्लाई की गई विद्युत् की मात्रा निम्नलिखित है :—

(1) उत्पादित विद्युत् . . . . 18.44 मि० यूनिट

(2) सप्लाई की गई विद्युत् . . . 15.79 मि० यूनिट

(ग) 100 मैगावाट को दूसरी यूनिट के जुलाई, 1974 तक कम्पलैक्स परीक्षण हेतु चालू करने के लिए तैयार होने की संभावना है और तीसरी यूनिट को उसके 4 महीने के पश्चात् ।

(घ) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

कुछ रेलवे यूनियनों द्वारा हड़ताल की धमकी

264. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे यूनियनों ने 28 फरवरी, 1974 के हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पता चला है कि अक्तूबर, 1973 के तीसरे सप्ताह में हैदराबाद में हुई आम सभा की अपनी बैठक में आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें बातचीत द्वारा समझौते के लिए प्रयास करने के पश्चात् 27 फरवरी, 1974 से अनिश्चित काल के लिए देशव्यापी आम हड़ताल का आवाहन किया गया है ।

(ख) सरकार और श्रम संगठनों के बीच विभिन्न मंचों पर विचार-विनिमय होता रहा है और आगे भी होता रहगा। वास्तव में, स्थायी वार्ता तंत्र तथा संयक्त परामर्श तंत्र की सामान्य बैठकों के अतिरिक्त, आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन और नैशनल फेडरशन आफ इंडिया रेलवेमेन के साथ विशेष संयुक्त बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है ।

भारत तथा विदेशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

265. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के आंकड़े क्या है;

(ख) भारत के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के तदनुरूपी आंकड़े क्या है।

(ग) विश्व तथा कुछ अन्य मुख्य देशों की प्रति व्यक्ति खपत के तदनुरूप आंकड़े क्या है; और

(घ) क्या पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में सरकार पिछड़े राज्यों को अग्रिम राज्यों के समान स्तर तक लाने के लिए कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान क्रमशः 90, 94 और 97.2 युनिट थी।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की बिजली की प्रति व्यक्ति खपत उपाबंध एक में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5673/73**]

(ग) वर्ष 1970 के लिए विश्व की तथा कुछ प्रमुख विदेशों की विद्युत् की प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े उपाबंध-दो में दिए गए है।

(घ) क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना पांचवीं योजना के उद्देश्यों में से एक है। विद्युत् विकास कार्यक्रम इस उद्देश्य के अनुकूल तैयार किए जा रहे है।

नांगल डैम और होशियारपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये अपर्याप्त व्यवस्थाएं

266. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर रेलवे के नांगल डैम और होशियारपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दो स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) नंगल डैम और होशियारपुर रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों स्टशनों पर पर्याप्त छत वाले ऊंचे प्लेटफार्म, तीसरे दर्जे के तथा ऊंचे दर्जे के प्रतिक्षालय, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था, रोशनी का उपयुक्त प्रबन्ध, परिचलन क्षेत्र आदि जैसी सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। तथापि 7-5-1973 को उत्तर रेलवे के साथ संसद् सदस्यों की अनौपचारिक परामर्श समिति की जो बैठक हुई थी उसमें होशियारपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ सुधार करने के लिए कहा गया था और तदनुसार काम पूरा किया जा चुका है।

दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के जनित्र एककों के कार्यकरण में दोष

268. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** :

श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन चार महीनों से दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम के इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन स्थित पांच जनित्र एककों में से दो में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इन्द्रप्रस्थ विद्युत् केन्द्र, दिल्ली के पांच विद्युत् उत्पादन यूनिटों में से एक का मई, 1973 से बृहद अनुसूचित ओवरहाल किया जा रहा है। शेष यूनिट विभिन्न मेकैनिकल/वैद्युत् दोषों के कारण, जो कि कार्य करते समय पैदा हो गए थे, अल्पकालीन आउटेजिज को छोड़कर कार्य करते रहे है। ताप विद्युत् उत्पादन संयंत्रों में कई यांत्रिक सहायक उपस्कर और उप-प्रणालियां होती हैं। यह सर्व विदित है कि इन मशीनों में खराबियां अक्सर आ सकती हैं। हाल ही में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के सदस्य (ताप) की अध्यक्षता में एक समिति ने बिजली की खराबियों की समस्या पर विचार किया और प्रक्रिया और प्रणाली में कई एक परिवतन करके इसे कम करने के लिए कई सुझाव दिए। इन सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है।

कोसी बांध योजना में रेत जमा होने की समस्या

269. **श्री मधु लिमये** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कोसी बांध योजना बनाई गई थी तो जल विज्ञान संबंधी समस्याओं जिनमें रेत जमना जैसी मुख्य समस्या भी शामिल हैं की गहराई से जांच नहीं की गई थी;

(ख) क्या रोक बांध और संचय बांध जैसी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति के संबंध में उस समय नेपाल सरकार से बातचीत नहीं की गई थी;

(ग) क्या रेत जम जाने के कारण नदी की तलहटी और कोसी बांधों की सीमाओं के भीतर भूमि का स्तर उठता जा रहा है;

(घ) क्या अगले 15 वर्षों में कोसी नदी का पानी बांधों के उपर से बहने लगेगा और वे टूट जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस विनाश को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोसी परियोजना को जल वैज्ञानिक और अन्य पहलुओं के विस्तृत अध्ययनों तथा कई वर्षों तक सावधानीपूर्वक अन्वेषणों के बाद तैयार किया गया था ।

(ख) कोसी परियोजना पर संशोधित भारत नेपाल समझौते में यह व्यवस्था है कि कोसी समस्या के पूर्ण हल के लिए आवश्यक रोक बांधों और संचय बांधों का सर्वेक्षण और अन्वेषण भविष्य में, महामहिम की नेपाल सरकार के सहयोग के साथ किया जाएगा।

(ग) से (ङ) कोसी तटबंध 1959 में पूर्ण हो गए थे और तब से नदी तल में हुए परिवर्तनों के अध्ययन के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। अभी तक नदी तल के स्तर में खतरे को स्थिति के कोई संकेत नहीं मिले हैं। आवश्यकता होने पर उचित उपाय करने के दृष्टिकोण से स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

कोयले की कमी के कारण बन्द गाड़ियां

270. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ सप्ताहों में कोयले की कमी के कारण उत्तर-पूर्व फ्रंटियर, पूर्व तथा अन्य रेलवे जोनों में काफी गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है; और

(ख) क्या यह कमी रेलवे की असफलता के कारण है, और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। लेकिन सितम्बर, और अक्तूबर 1973 में उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण और पश्चिम रेलों में ही गाड़ियां रद्द की गई।

(ख) कमी रेलों की गलती के कारण नहीं हुई। इस वर्ष के शुरू से रेलों को भाप कोयले की सप्लाई अपर्याप्त रही है। उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा और निर्यात के लिए कोयले की मांग एकदम बढ़ गयी और कोयले की कुछ उपलब्धता को देखते हुए रेलों की आवश्यकतापूर्ति के साथ-साथ ही इन मांगों को न्यायिक रूप से पूरा करना था। गर्मी के महीनों में पूर्वी क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती के कारण बिजलीकृत खण्डों में गाड़ी संचलन और बंगाल-बिहार क्षेत्र की कोयला खानों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ गयी। अगस्त और सितम्बर, 1973 में लोको रनिंग कर्मचारियों और सवारी व माल-डिब्बा कर्मचारियों के आन्दोलन और बाद में पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों पर कर्मचारियों और जनता द्वारा किये गये अनेक आन्दोलनों के कारण लदान में और भी कमी हुई। अक्तूबर, में कोयला खानों के कर्मचारियों द्वारा पूजा और दिवाली की छुट्टियां मनाने के कारण भाप कोयला कम मात्रा में मिला। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को कोयला सप्लाई करने वाली असम की एक मुख्य कोयला खान में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण उत्पादन रुक गया। इंजनों के कोयले की सप्लाई में सुधार के लिए कोयला खान प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

Contract for Construction of Pillars by Bhakra Control Board

271. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Bhakra Control Board gave a contract amounting to Rs. 233 lakhs in January, 1963 for constructing various types of pillars;

(b) whether the contractor did not fulfil the conditions of contract, while supplying the material resulting in great loss to Government; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government for making good the loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Punjab State Electricity Board, with the approval of the Bhakra Control Board, awarded in January, 1963 a Contract for an amount of Rs. 233 lakhs to M/s. Alcock Ashdown, Bombay, for fabrication and supply of Steel Towers required for 220 KV Transmission Lines, covered under Bhakra Right Bank Power Project.

(b) and (c) The contractors were not able to fulfil the delivery programme.

The question of levy of penalty, as provided in the contract, was considered earlier by the Bhakra Management Board who decided that there was not sufficient justification for levy of penalty. However, the matter is being placed before the Board for reconsideration.

News item captioned "Aath Wagon Loot Liye"

272 **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item appearing in the 'Nav Bharat Times' of 6th August under the caption "Aath Wagon Loot Liye" (eight wagons looted); and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways Shri Mohd, (Shafi Qureshi) : (a) and (b) Yes, on 4-8-73 about 200 men looted consignment worth Rs. 28,700/-from eight wagons stabled in Duggirala station yard (a non-R. P. F. station)of the South-Central Railway.

Railway Protection Force/Government Railway Police, Tenali rushed to the spot and recovered stolen property worth Rs. 6,650/- with the arrest of 29 persons.

Government Railway Police, Tenali have registered a case under Section 461, 395 IPC and investigations continue.

Dacoity in the Train bound for Kanpur near Farrukhabad on 2nd August, 1973.

273. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Railways** be pleased to **state :**

(a) whether incidents of looting continue to take place in the trains running on the Agra-Lucknow Section of the North-Eastern Railway;

(b) whether a dacoity was committed in the train bound for Kanpur between Khudaganj and Kamalganj Railway stations, 20 :ilometres away from Farrukhabad on 2nd August, 1973 as reported in the 'Nav Bharat Times' of 4th August, 1973. and whether Government ha ve a ed to find and clue of the culprits and to check such ii c dents; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No. Only one case of dacoity in trains running on the Agra-Lucknow section of the North-Eastern Railway, which occurred on 31-7-1973/1-8-1973, has so far been reported during 1973.

(b) and (c) On the night of 31-7-73/1-8-73 while train No. 116 Down was running between Kamalganj and Khudaganj stations, seven miscreants, who had entered a third class compartment of the train at Kamalganj, looted the belongings of a Passenger travelling in the compartment.

No recovery or arrest has so far been made. Government Railway Police, Farrukhabad have registered a case under section 395/397 IPC and Police investigations continue.

As a preventive measure, all night passenger trains in the affected section are being escorted by armed police.

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि

274. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यह वृद्धि किस तारीख से करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) यह आम भावना है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सेवा सम्बन्धी निबंधन और शर्तें ऐसी नहीं है कि जिससे योग्य वकील न्यायाधीशों के पदों पर आने के लिए आकर्षित हों ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पद

275. श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री रानेन सेन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में सितम्बर, 1973 को न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त थे ;

(ख) इस प्रकार के रिक्त पद कब से खाली पड़े हैं और इन्हें भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 12 रिक्त पद लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष से अधिक की अवधि से खाली पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों पर नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) 11 नवम्बर, 1973 तक की अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। कतिपय उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और विचाराधीन है। अन्य उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव जिन राज्य प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने की प्रतीक्षा है, उन्हें स्मरण करा दिया गया है।

(ग) और (घ) यह तथ्य है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कतिपय रिक्तियां काफी लम्बे समय तक बिना भरी रहीं। यह इस कारण हुआ कि राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए उन्हें कई बार निर्दिष्ट करने पड़े।

विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	रिक्तियां		वह तारीख जिसको रिक्ति हुई
इलाहाबाद . . .	स्थायी न्यायाधीश—4	1	22-6-73
		2	19-7-73
		3	15-9-73
		4	6-11-73
	अपर न्यायाधीश—3	1	12-12-72 अपराह्न
		2	जुलाई, 73
		3	जुलाई, 73
आन्ध्र प्रदेश . .	स्थायी न्यायाधीश –1		22-8-73
	अपर न्यायाधीश—3	1	10-6-73
		2	10-6-73
		3	10-6-73
बम्बई . . .	अपर न्यायाधीश—3	1	13-7-72
		2	9-9-72
		3	अक्तूबर, 73

उच्च न्यायालय का नाम	रिक्तयां	वह तारीख जिसकी रिक्ति हुई
कलकत्ता . . .	अपर न्यायाधीश—4	1 फरवरी, 73 } नए सर्जित पद
		2 अगस्त, 73 }
		3 27-8-73
		4 27-8-73
गोहाटी	स्थायी न्यायाधीश—1	10-9-73
गुजरात	स्थायी न्यायाधीश—1	17-7-73
केरल . .	स्थायी न्यायाधीश—3	1 21-5-73
		2 4-6-73
		3 17-7-73
मध्य प्रदेश . . .	स्थायी न्यायाधीश—1	19-8-73
	अपर न्यायाधीश—5	1 15-4-72 } नए सर्जित पद
		2 फरवरी, 73 }
		3 फरवरी, 73 }
		4 फरवरी, 73 }
		5 मई, 73
मद्रास . .	स्थायी न्यायाधीश—3	1 19-1-73
		2 15-6-73
		3 15-7-73
	अपर न्यायाधीश—3	1 30-6-73 } नए सर्जित पद
		2 30-6-73 }
		3 30-6-73 }
मैसूर .	स्थायी न्यायाधीश—1	7-6-73
	अपर न्यायाधीश—1	24-4-73
उड़ीसा .	अपर न्यायाधीश—1	17-1-72
पटना .	स्थायी न्यायाधीश—2	1 18-11-72
		2 7-3-73 } नए सर्जित पद
	अपर न्यायाधीश—2	1 जून, 72 }
		2 जून, 72
पंजाब और हरियाणा	स्थायी न्यायाधीश—1	17-9-73
	अपर न्यायाधीश—4	1 22-8-72 } नया सर्जित पद
		2 19-12-72 }
		3 5-9-73
		4 5-9-73
राजस्थान	स्थायी न्यायाधीश—2	1 14-2-73
		2 11-8-73

वर्ष 1971 से 1973 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं

276. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1971 और सितम्बर, 1973 के बीच देश में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) उक्त अवधि में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और उनके क्या कारण थे ; और

(ग) उक्त दुर्घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महंमद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1971 से सितम्बर, 1973 तक की अवधि में, भारत की सरकारी रेलों में टक्कर, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में आने वाली 1510 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि नवम्बर, 1969 से सितम्बर, 1971 की इसी अवधि में 1680 ऐसी दुर्घटनाएं हुई थीं। इन 1510 गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
1. रेल कर्मचारियों की गलती	792
2. रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गलति	271
3. रेल उपस्कर की खराबी	251
4. तोड़-फोड़	14
5. संयोगवश	131
6. कारण स्थिर न हो सका	41
7. कारण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया	110
जोड़ :	1,510

(ग) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराये गये 817 रेल कर्मचारियों को अभी तक निम्नलिखित दण्ड दिया गया है :—

1. सेवा से हटाये गये/बर्खास्त किये गये	18
2. निचले ग्रेड में या उसी ग्रेड में अवनति	123
3. भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए वेतन वृद्धि रोकी गयी	532
4. पदोन्नति रोकी गयी	2
5. परिनिन्दा की गयी/चेतावनी दी गयी	79
6. पास और पी० टी० ओ० रोक दिये गये	61
7. जुर्माने किये गये	2
जोड़ :	817

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे सम्बन्धी कार्य का आरम्भ और पूरा किया जाना

277. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे संबंधी निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की आशा है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में विद्युत की भारी कमी को देखते हुए प्रस्थावित भूमिगत रेलवे को चलाने के लिए विद्युत सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महंमद शफी कुरेशी) : (क) कलकत्ता भगत रेल का निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है। इस परियोजना के 1979 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) हाल में बिजली की व्यापक कमी और इसके फलस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में बिजली बन्द होने और बिजली में कटौती करने के परिणामस्वरूप, जिसका प्रभाव रेल परिचालन पर पड़ा, बिजली की सप्लाई की समस्या पर विचार करने और दीर्घकालिक आधार पर निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने बिजलीकृत खण्डों के साथ-साथ रेलों के अपने बिजलीघर स्थापित करने की सिफारिश की है।

योजना आयोग के परामर्श से रेलें पश्चिम बंगाल में अपना एक बिजलीघर स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं। स्थान का निर्णय अभी नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामों में बिजली लगाया जाना

278. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1972 से पश्चिम बंगाल के कितने ग्रामों में बिजली लगाई गई है ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1973 में 10,000 ग्रामों में बिजली लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) मार्च, 1974 के अन्त तक पश्चिम बंगाल की बिजली की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है और आवश्यकता को पूरा करने में कितनी कमी होगी; और

(घ) पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल में अप्रैल, 1972 से अक्तूबर, 1973 तक 4,362 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1973-74 के दौरान पश्चिमी बंगाल में विद्युत की अनुमानित आवश्यकता (दामोदर घाटी निगम द्वारा सेवित भारों को छोड़कर) 906 मैगावाट है। यह मूल्यांकन किया गया है कि वहां केवल 62 मैगावाट की ही कमी रह जाएगी।

(घ) राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से उत्पादन क्षमता मे वृद्धि करने के निमित्त उपाय किए गए हैं। संथालदोह में 120—120 मैगावाट की 4 यूनिटों के अतिरिक्त, बन्देल ताप विस्तार (1× 200 मै० वा०) और कोलाघाट ताप केन्द्र (3× 200 मै०वा०) कार्यान्वयनार्थ स्वीकृत किए गए हैं।

रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर की सुविधाएं समाप्त करना

279. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अधिकांश रेलगाड़ियों में खतरे की जंजीर की सुविधा समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों के लाभ के लिए कोई वैकल्पिक सुविधा दी जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय लगभग 625 गाड़ियों में खतरे की जंजीरे हटा दी गयी हैं ताकि बदमाशों द्वारा इनका दुरुपयोग करके गाड़ियाँ खड़ी करने की कोशिश को रोका जा सके। फिर भी गाड़ियों में खतरे की जंजीर हटाये रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए, स्थिति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ख) ऐसा कोई वैकल्पिक उपाय व्यावहारिक नहीं पाया गया है जिससे वास्तविक यात्रियों द्वारा गाड़ी खड़ी की जा सके लेकिन महिलाओं के डिब्बों और डाक के पूरे डिब्बों की जंजीरें नहीं हटायी गयी हैं।

लारसन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का भारतीयकरण

280. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्म लारसन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड को अपने निदेशक बोर्ड का पूर्णतया भारतीयकरण करने तथा एक भारतीय को प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस बीच आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है; और

(ग) क्या इसी प्रकार की कई अन्य फर्में हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) प्रबन्ध नियंत्रण के भारतीयकरण का सुझाव इस विचार पर आधारित है कि यद्यपि इस कंपनी में विदेशी हिस्सेधारिता 3 प्रतिशत से किंचित अधिक हैं, परन्तु नियंत्रण मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों में निहित है।

(ख) कम्पनी ने कार्यकारी निदेशकों के रूप में चार भारतीय निष्पादन अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है एवं उन वित्तीय संस्थानों, जिनके पास कम्पनी के सारवान हिस्से है, के दो मनोनीतों को, अपने निदेशक मंडल में, सम्मिलित होने के लिये भी आमंत्रित किया है।

कम्पनी को सूचित कर दिया गया है कि दो विदेशी उप-प्रबन्ध निदेशक, जो 31 मार्च, 1974 को पदमुक्त होने को है, को इस कम्प अथवा इसकी किसी सहायक कम्पनी में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिये। कम्पनी को यह सूचना भी दे दी गई है कि अपने प्रबन्ध निदेशक व अध्यक्ष की वर्तमान 31 मार्च, 1974 तक की अवधि कि समाप्ति पर उन्हें 31 मार्च, 1975 तक एक वर्ष के लिये कार्य-विहिन अध्यक्ष के पद पर बने रहने दिय जाय।

(ग) जहां तक इस विभाग की जानकारी है, इस प्रकार की समरूपतः स्थित अन्य कोई कम्पनी नहीं है।

वर्ष 1973 के पहले 6 महिनों में रेलवे में अपराधों में वृद्धि का रुख

281. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विशेषकर पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे में इस वर्ष के पहले 6 महीनों में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य प्रशासन, जहां से ये लाइनें गुजरती हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार रेलवे सम्पत्ति के उचित संरक्षण के लिए धन देती है, प्रत्याशित संरक्षण की व्यवस्था में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं ; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई नये उपाय करन का विचार है कि लूटपाट को घटनाएं नियंत्रण में रहे?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं, जनवरी-जून, 1973 कि अवधि के दौरान रेलों पर अपराधों की घटनाओं में बढोतरी नहीं हुई है । लेकिन, इस अवधि में पूर्व रेलवे पर हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं का रुख कुछ बढ़ती का ओर रहा । इस अवधि के दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों पर इस प्रकार की घटनाओं में कुछ कमी हुई है ।

(ख) जी नहीं । सम्बन्धित राज्य सरकारें रेलों पर अपराधों की रोकथाम करने के काम में यथेष्ट चि ले रही हैं ।

(ग) रेलों पर ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारात्मक उपाय किये जा रहे हैं :

(1) रात की महत्वपूर्ण सवारी गाडियों के साथ सशस्त्र पुलिस की अनुरक्षियों की व्यवस्था की जाती है ।

(2) जाने-माने अपराधियों और बदमाशों के उपर निगरानी रखने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्ती ड्यूटियों की व्यवस्था की जाती है ।

(3) अपराधियों की गतिविधियों पर नज़र रखने तथा जानकारी हासिल करने के लिए सादा लिबास में पुलिस के सिपाही तैनात किये जाते हैं ।

(4) पूर्व, दक्षिण-पूर्व एवं पूर्वोत्तर सीमा रेलों के पश्चिम बंगाल में पड़ने वाले क्षेत्रों में, पिछा करने वाले गश्ती दल की पद्धति शुरू की गयी है । रेलों पर ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए प्रतिरोध-दस्तों के गठन के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है ।

(5) राज्य/केन्द्रीय सरकार (रेलों सहित) के वरीष्ठ अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है जो रेलों पर अपराधों की स्थिति की बारीकी से जांच करेगा तथा उनकी समस्या के प्रभावशाली समाधान के बारे में उपायों को सुझायेगा । फिलहाल इस दल की एक बैठक हुई है जिसमें, एकमत से, यह तय पाया गया कि सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है । लेकिन राज्य सरकारों ने इस अतिरिक्त खर्चे को उठाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और उनकी इच्छा थी कि संख्या बढ़ाने पर आने वाला खर्च केन्द्रीय सरकार को सहायक अनुदान देकर बर्दाश्त करना चाहिए । तदनुसार वित्त आयोग को एक ज्ञापन दिया गया है ।

वनस्पति उद्योग की लागत-लेखे का रिकार्ड रखने के सम्बन्ध में निदेश

282. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग को लागतलेखों का रिकार्ड रखने के सम्बन्ध में निदेश दिये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निदेश पहले न दिये जाने के क्या कारण है जब ये अन्य उद्योगों को दिये गये थे ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमन् ।

(ख) वनस्पति निर्माण करने वाली कम्पनियों के वर्ग के लिये नियमों के विनिधान का प्रस्ताव 1969 के अन्त में प्राप्त हुआ था । इसके पश्चात् इस वर्ग की कम्पनियों के लिये नियम बनाने के लिये आवश्यक पग उठाये गये थे । ये नियम नवम्बर, 1972 में अधिसूचित किये गये थे ।

केन्द्रीय क्षेत्र की बिजली उत्पादन परियोजनाओं द्वारा उत्पादित बिजली का क्षेत्रीय आधार पर वितरण

283. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र की बिजली उत्पादन परियोजनाओं द्वारा उत्पादित की गई सारी बिजली तत्संबंधी 'रीजनल ग्रिड सिस्टम्स' (श्रेत्रीय ग्रिड प्रणालियों) को देने के लिये निर्णय किया गया है अथवा करने का विचार है ताकि उसे भिन्न-भिन्न राज्यों में समान रूप से बांटा जा सके ।

(ख) यदि हां, तो दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड मे नेवेली और कलपक्कम से बिजली के वितरण के लिये क्या व्यवस्था की गई है अथवा उस पर विचार किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय क्षेत्र को बिजली उत्पादन परियोजनाओं की बढ़ती हुई भूमिका और क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में एक राष्ट्रीय निति अविलंब प्रतिपादित करने की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परमाणु विद्युत केन्द्रों और केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत् उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् के आबंटन को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों की जांच की जा रही है ।

(ख) इस समय, नेवेली और कलपक्कम केन्द्रों में उत्पादित विद्युत को तमिलनाडु को आबंटन करने के लिए आरंभ में की गई व्यवस्था में परिवर्तनत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

रेलवे के प्रशासनिक ढांचे का सुधार और पुनर्गठन

284. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन और सुधार करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कुछ उपाय सुझाये हैं और सहायता देने के लिये शर्त के रूप में उनके क्रियान्वयन पर जोर दिया है ; और

(ग) सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले और विश्व बैंक द्वारा सुझाये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) औप (ग) भारतीय रेलों की जरुरतों कों पूरा करने के लिए 1-1-1974 से आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं की क़ीमत अदा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से जो नया ऋण लिया जाना है उसके सम्बन्ध में की जाने वाली बातचीत के दौरान हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने रेलवे बोर्ड के गठन तथा उसके उत्तरदायित्वों के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है। इस समय वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ नये ऋण के लिये बातचीत चल रही हैं।

कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर स्नोसेम (इण्डिया) लिमिटेड तथा फिलट्रोना (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा मारुति लिमिटेड में कथित पुंजी निवेश

285. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपाडिया बन्धुओं के नियन्त्रणाधीन दो कम्पनियों, स्नोसेम (इण्डिया) लिमिटेड तथा फिलट्रोना (इण्डिया) लिमिटेड ने भारतीय कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके मारुति लिमिटेड में भारी पूंजी निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जांच कराने का है जिनके अन्तर्गत इन कम्पनियों ने मारुति लिमिटेड में भारी पूंजी निवेश किया और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) तथा (ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के पास प्रस्तुत मैसर्स मारुति लिमिटेड की नवीनतम वार्षिक विवरणी के अनुसार मैसर्स स्नोबीम (इण्डिया) लिमिटेड का, मारुति लिमिटेड की पूंज़ी में, कोई हिस्सा नहीं है।

मैसर्स फिलट्रोना (इण्डिया) लिमिटेड की बावत, इस की 10 रु० प्रति हिस्से की दर के 24,000 पूर्ण प्रदत्त साम्य हिस्सों की हिस्सेधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि 29 सितम्बर, 1973 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी की तारीख तक, मैसर्स मारुति लिमिटेट की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी, 1,36,11,450 रु० है इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372(2) जो साथ साथ, नियोजन कर्ता कम्पनी को किसी अन्य निगम निकाय की अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत तक के किन्हीं हिस्सों में नियोजन करने की शक्ति प्रदान करता है, का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यद्यपि, 3 जनवरी से, 1 मार्च, 1972 की अवधि के मध्य, नियोजन कर्ता कम्पनी ने दस प्रतिशत की अधिकतम सीमा का अतिक्रमण कर दिया था, परन्तु नियोजित कम्पनी की पूंज़ी की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, नियोजन कर्ता कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं का परिशोधन कर दिया गया था।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

गरीबों को कानूनी सहायता देने संबंधी रिपोर्ट की जांच

286. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मोख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री गरीबों को काननी सहायता देने संबंधी समिति की रिपोर्ट से संबंधित 24 जुलाई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने संबंधी समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) समिति की रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अरब देशों द्वारा तेल का मूल्य बढ़ाया जाना और उसका भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव

287. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का उत्पादन करने वाले अरब देशों ने हाल ही में अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की विदेशी मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में बढ़े हुए मूल्यों से 16 मिलियन मीटरी टन के अशोधित तेल को लाने के लिये आयात बिल प्रतिवर्ष लगभग 114 करोड़ रुपये से बढ़ जायेंगे ।

(ग) स्थिति को काबू में करने के लिये सरकार के कुछ अल्पावधि उपाय पहले ही अपनाये है और स समय कुछ दीर्घाविधि उपाय अपनाने के बारे में रुचि रही है ।

राज्यों के बीच जल के बंटवारे संबंधी विवाद के निपटारे के लिये राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करना

288. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य नदी जल विवाद के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने जल की राष्ट्रीय परिसम्पत्ति बनाने के लिए और राज्यों में जल की साझेदारी के विवादों का निपटारा कराने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करने हेतु मुख्य मंत्रियों के विचार मांगे है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रुप रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत में प्राय : सभी बड़ी बड़ी नदियां अपने आकार-प्रकार के कारण अंतर्राज्यीय है और इन अंतर्राज्यीय नदियों

पर परियोजनाओं के आयोजन और प्रचालन में संबंधित राज्यों मे मतभेद उत्पन्न होते हैं । निम्नलिलित अंतर्राज्यीय नदियों के जल के समुपयोजन के संबंध में इस समय प्रधान मतभेद है :

कृष्णा :	आंन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक
गोदावरी :	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान
कावरी :	केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु
नर्मदा :	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान

(ख) और (ग) : जी, हां । देश के सीमित जल-संसासाधनों का इष्टतम उपयोग करने के विचार से, राष्ट्र के समग्र हित में विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिये उपलब्ध जल के सर्वाधिक लाभदायी एवं समान आबन्टन तथा जल आवश्यकता का सतत मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने और जल विवादों को शीघ्रता से सुलझाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन करने की आवश्यकता अनुभव की गई है । प्रथम कदम के रूप में संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन करने का सुझाव किया गया है जिससे जल के एक राष्ट्रीय सम्पत्ति होने की धारणा प्रतिबिंबित हो सके और अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा समझौता मध्यस्थता अथवा इसी प्रकार के अन्य उपायों से करने की व्यवस्था की जा सक । एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् तथा इसके अ - करणों के जरिए विवादों का निपटारा करने के लिए प्रस्तावों को सामान्यत: प्रोत्साहन मिला है । जबकि कुछ राज्यों ने संशोधन का विरोध किया है, अधिकांश राज्यों ने महसूस किया है कि संशोधन का क्षेत्र केवल अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों तक हो सीमित रहना चाहिए तथा जल नियंत्रण और उपयोग के बारे में राज्यों के वर्तमान अधिकार इसी प्रकार भविष्य में भी जारी रहने चाहिए । राज्यों द्वारा अभि-व्यक्त किए गए विचारों के प्रकाल में इस मामल पर आगे और अध्ययन किया जा रहा है ।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज ट्रावनकोर की कोचिन डिवीजन में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञ

289. **श्री वयालार रवि** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजयर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के कोचीन डिवीजन में कुछ विदेशी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र में कार्य करने वाले ऐसे विशेषज्ञ कितने है और उन पर होने वाले व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विदेशी विशेषज्ञ संयंत्र के दोषों को दूर करने में कहां तक सफल हुए है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) और (ख) इस समय, कोचीन प्लांट को चालू करने के लिये यंत्र प्रदाताओं तथा प्रक्रम अनुज्ञप्तिदाताओं के 25 प्रवासी कर्मचारी एफ० ए० सी० टी० की सहायता कर रहे हैं । उन पर किया गया कुल व्यय तथा उसका वर्षवार ब्यौरा निम्नप्रकार है :

वर्ष	(रुपया लाखों में)
1968–69	1.00
1969–70	19.00
1970–71	21.00
1971–72	49.00
1972–73	53.00
1973–74	22.00
योग	165.00

(ग) प्रवासी अर्मचारी विभिन्न यांत्रिक एवं परिचालन समस्याओं का पता लगाने और आवश्यक संशोधन और अन्य शोधक कदम उठाने के उद्देश्य से एफ०ए०सी०टी० के साथ काम कर रहे हैं। इन के लगभग छः महीनों में पूरा होने की आशा है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर की इंजीनियरिंग और डिजाइन डिवीजन द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने में विलम्ब

290. श्री वयालार रवि :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग और डिजाइन की उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से 12 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ था और इस परियोजना को पूरा करने में छः महीने का विलम्ब हो गया है ; और

(ख) क्या कम्पनी को विलम्ब के लिए हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की 12 लाख रुपया प्रति माह की दर से देना पड़ा और क्या यह विलम्ब प्रबन्धकों की गैर-जिम्मेदारी के कारण हुआ और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एफ० ए० सी० टी० के इंजीनियरिंग एवं डिजाइन संस्थान को संदर्भित आर्डर प्राप्त हुआ था । वर्तमान संकेतों के अनुसार, परियोजना को मुकम्मल करने में विलम्ब हो सकता है, किन्तु परियोजना को शीघ्र मुकम्मल करने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं । हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के साथ हुए करार के अन्तर्गत एफ० ए० सी० टी० के इंजीनियरिंग एवं डिजाइन संस्थान द्वारा कोई हर्जाना दिये जाने का प्रश्न और यदि ऐसा हो तो उस की मात्रा तथा इसके कारणों को तभी जाना जा सकेगा जब परियोजना मुकम्मल हो जाएगी ।

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

291. श्री सतपाल कपूर :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले भारतीय उर्वरक निगम के लिए एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या अब नियंत्रक कम्पनी का प्रस्ताव खटाई में पड़ जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन के मंत्रालय का किस ढंग से भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन करने का विचार है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) इस समय उर्वरकों के क्षेत्र में होलडिंग कम्पनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी क्षे में तीन कम्पनीयां है, यह है भारतीय उर्वरक निगम, फर्टीलाईजर एण्ड कैमीकल ट्रावनकोर लि० और मद्रास फर्टिलाजर लि० । उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तीन संयत्रों के निर्माण तथा उनको चलाने के लिय चौथी कम्पनी की स्थापना सिद्धान्त रूप से मानी गई है।

गाड़ियों के चलन समय में कमी

292. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के दौरान से अब तक कुछ गाड़ियों के चलन समय में कमी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों के नाम क्या है तथा प्रत्येक गाड़ी के चलन समय में कितनी कमी की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वे गाडियां दिखायी गयी हैं जिनके चालन समय में 1973 की अवधि में (नवम्बर, 1973 की समय सारणी में) 15 मिनट या इससे अधिक की कमी की गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9674/73]**

सितम्बर, 1973 के दौरान वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की हड़ताल

293. **श्री सतपाल कपूर** :

श्री एम० सुदर्शनम् :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलव के वाराणसी डिवीजन में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों ने सितम्बर, 1973 के तीसरे सप्ताह में हड़ताल की थी;

(ख) उनकी क्या मांगें है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर कितनी अवधि तक हड़ताल पर रहे और इस हड़ताल के फलस्वरूप रेल गाड़ियों को रद्द करने से सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगें सहायक स्टेशन मास्टरों से सम्बन्धित मामलों को निबटाने वाले वाराणसी मण्डल की कार्मिक शाखा के कुछ बिल क्लर्कों के तत्काल स्थानान्तरण करने तथा मण्डल की कार्मिक शाखा के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में थी। उन मांगों को तत्काल स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) 20 सितम्बर से 25 सितम्बर, 1973 तक। गाड़ियों को रद्द किये जाने और उनके चालन क्षेत्र में कटौती करने के कारण रेलों को लगभग 12.61 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है।

Artificial rain for filling Rehand Dam by U. P. State Electricity Board

294. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh State Electricity Board had planned to cause artificial rain for filling Rihand Dam;

(b) the total expenditure incurred thereon; and

(c) the results achieved there from ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Shiddeshwer Prasad) : (a) At the instance of the Govt. of Uttar Pradesh experiments on artificial rain making were arranged by the Indian Meteorological Department and the Indian Institute of Tropical Meteorology, in the catchment area of the Rihand Dam.

(b) An expenditure of about Rs. 4.5 lakhs was incurred.

(c) The reservoir level increased by 27.6 ft. during the period of the experiments. However, it is not yet possible to state how much of this was due to natural causes and how much due to these experiments. This assessment is being made by the India Meteorological Department and the Indian Institute of Tropical Meteorology.

Loss suffered by Railways due to employees strike

295. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the estimated loss suffered by the Indian Railways due to strikes of Railway employees during the last two years; and

(b) Government's reaction in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The loss suffered by the Railways during the last two years i.e. 1971 and 1972 due to strikes by railway employees is estimated to about Rs. 3.30 crores.

(b) The legitimate demands of all categories of staff are considered and solved through the various tiers of the collective bargaining machinery—the Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consutative Machinery—which have functioning constitutionally and purposefully over a long period of time. Further, representations coming from any source, including unrecognised Unions, are given due consideration and action, as is appropriate in each case, is taken. When there is so much of scope for raising the points of grievances and getting them redressed, there should really be no room for sudden out-bursts of illegal strikes or agitations like 'Work-to-Rule', 'Work-to-Safety' etc.

Whatever demands are presented to the administration are given due consideration with the utmost sympathy. It has to be realised by staff that just because certain demands have been voiced, it does not mean that they should be conceded forthwith. Government have to consider the demands taking into consideration factors like financial resources, the framework of the rules and regulations, justification for accepting the demands and the repercussions of their acceptance.

Action taken on ticketless travellers during the last five months

296. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons against whom action was taken on the charge of ticketless travelling in North-Eastern Railway during the last five months; and

(b) the amount collected as fine from ticketless passengers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 53,500 (April to August '73).

	Rs.
(b) (i) Fare	1,35,691
(ii) Excess Charges—	
(a) Lower excess charges	3,325
(b) Higher excess charges	4,56,370
(iii) Judicial fine	1,10,180

Accidents caused by sabotage activities on South Central Railway during the last five months

297. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of accidents caused by sabotage activities on the South Central Railway during the last five months; and

(b) the plan of Government to check sabotage activities?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) During the period 1-6-1973 to 31-10-1973 no such accident occurred on the South Central Railway.

(b) The following measures have been/are being taken to prevent such activities :—

By State Governments :

(i) Patrolling of the railway track, specially in vulnerable sections.

(ii) Conducting educative publicity among the villagers residing in close proximity to the railway track.

(iii) Enlisting help of village defence societies where they exist.

(iv) Granting rewards to persons giving timely information about subversive activities of anti-social elements;

(v) Collecting intelligence about mischievous, disgruntled and anti-social elements indulging in such activities.

(vi) Bringing the culprits to book, where possible by launching prosecutions under the Indian Penal Code as well as under Indian Railway Act.

By the Railways :

(i) The Railway Protection Force assist the State Police in the detection, apprehension and prosecution of culprits by collecting intelligence and exchanging it with the police.

(ii) The Dog Squads maintained by the Railway Protection Force are deployed to track the culprits, where possible.

(iii) Strict suveillance is kept over suspects, specially black-smiths, dealers in scrap materials and other known criminals and anti-social elements.

(iv) Close co-operation and co-ordination is maintained with the State Police by holding periodical meetings and exchanging information at various levels.

(v) Engineering and Permanent Way Staff have been instructed not to stack loose railway materials or tools near the track.

(vi) Deterrent punishment is awarded to the Railway Staff in cases where tampering is facilitated by lapses on their part.

(vii) The antecedents of the labourers employed on the track are verified.

Increase in payment of overtime allowance to employees of Railway Ministry

298. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there has been considerable increase in the amount of Overtime Allowance of the employees working in his Ministry in the financial year 1972-73 as compared to the amount during the financial years 1970-71 and 1971-72;

(b) if not, year-wise, amount of expenditure incurred on Overtime Allowance during the said financial years; and

(c) whether Government propose to cut down the estimated amount of expenditure to be incurred on Overtime allowance during the financial year 1973-74 in view of the financial crisis and if so, how?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Year-wise amount of expenditure incurred on overtime allowance is as under :—

1970—71	Rs. 8,99,921.15
1971—72	Rs. 8,42,000.00
1972—73	Rs. 6,77,450.00

(c) Proper scrutiny is made by senior officers of overtime booking in each case with a view to keep down the expenditure as far as possible consistent with administrative requirements.

राज्यों में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि से लेकर निर्माणाधीन मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

299. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा है जो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि से निर्माणाधिन है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों तथा परियोजनाओं के नाम क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं। ज्योंही बृहत् और मध्यम परियोजनाओं का राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान किया जाता है तथा उन्हे अन्तिम रूप दे दिया जाता है, तो इन्हे इनको जांच करने और राज्य योजना में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को भजा जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक औषधियों के मूल्यों से वृद्धि करने का प्रस्ताव

300. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ आवश्यक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :- (क) और (ख) 23 प्रपुंज औषधियों एवं अन्य संबंधित मामलों के मूल्य पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य के अध्यक्ष के अध्याधीन स्थापित कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

दुर्गापुर कैमिकल्ज का कार्यकरण

302. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर कैमिकल्ज पुराना दोषी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) यूनिट का उत्पादन निर्धारित क्षमता से बहुत कम हुआ है । ऐसा संचालन संबंधी अनेक समस्याओं तथा श्रमिक अशान्ति के कारण हुआ जिससे कार्य के शुचारू रूप में चलने में बाधा पड़ी है ।

गत तीन वर्षों के दौरान सारणीकृत क्षमता तथा उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	लाइसेंसीकृत क्षमता मी० टन/वर्ष	उत्पादन (मी० टन)		
		1970	1971	1972
फैनोल .	6,600	583	502	607
फैथलिक एनीहाइड्राइट	6,600	1,417	789	325
पेन्टा क्लोरो फैनोल	990	एन०एन०ए०	शून्य	शून्य
कास्टिक सोडा	10,500	1,976	2,241	2,078
क्लोराइन . . .	8,916	991	1,658	1,365

उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरक्षण और परिचालन कर्मचारियों की मांगें

303. **श्री माधुर्य हाल्दर** :

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरक्षण और परिचालन कर्मचारियों की मांगें क्या है;

(ख) कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले है; और

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए या बरखास्त किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के रखरखाव तथा प्रचालन स्टाफ की मांगें ये है—विद्युत उपक्रमों के लिए केन्द्रीय विद्युत वेतन बोर्ड के सुझावों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित वर्गीकरण और वेतनों तथा वेतन-मानों का तत्काल संशोधन ।

(ख) विद्युत उपक्रमों के लिए केन्द्रीय वेतन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनमानों को, जिनको स्टाफ के सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया था, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट कर दिया था। जल विद्युत कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें यह स्पष्ट किया गया था कि वे न्यायाधिकरण के पंचाट की प्रतीक्षा करें किन्तु वे इसपर सहमत नहीं हुए और उन्होंने हड़ताल कर दी।

(ग) इस संबंध में कुल 6283 व्यक्ति गिरफ्तार हुए है। अभी तक किसी कर्मचारी को भी मुअतिल नहीं किया गया है। ये गिरफ्तारियां वफादार कर्मचारियों को डराने, धरना और घेराव करने तथा पारेषण लाइनों की तोड़फोड़ के मामले में की गई थी।

सयालदह डिवीजन में रेल सेवाओं का अस्त व्यस्त होना

304. **श्री माधुर्य हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पूर्वी रेलवे के सयालदह डिवीज़न में कितनी बार रेल सेवाओं में व्यवधान पैदा हुआ है; और

(ख) इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जनवरी से अक्तूबर, 1973 तक 60 बार।

(ख) 21 मामले ऊपरी तांबे के तारों और विसर्पण रोधी (एन्टी क्रीप) तारों की चोरियों अथवा चोरी के प्रयास के कारण, 27 मामले यात्रियों के प्रदर्शन और रेलपथ पर धरना देने के कारण, 7 मामले यात्रियों द्वारा रेल कर्मचारियों को मारने-पीटने के कारण, 2 मामले बदमाशों की हरकतों के कारण, 2 मामले कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण और एक मामला गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण हुआ।

सयालदह डिवीजन के इ० एम० यू० डिब्बों में से गायब पंखे, बल्ब, सीटों, दरवाजों के शीशों पर खिड़कियों के शटर

305. **श्री माधुर्य हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने सयालदह डिवीज़न के ई० एम० यू० डिब्बों से गायब हुए पंखों, बल्बों, सीटों, दरवाजों के शीशों और खिड़कियों के शटरों के बारे में कोई जांच कराई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी चीजें गायब पाई गई और रेलवे को इससे कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सियालदह मण्डल में सुविधा-फिटिंगों का अंतिम सर्वेक्षण 7-5-73 को किया गया था जब पंखो, बत्तीयों, होल्डरों, दरवाजों और खिड़कियों के पल्लों की गणना की गई थी। इस गणना में सीटें शामिल नहीं थीं क्योंकि इन सीटों की उपलब्धता संतोषजनक थी। सियालदह मण्डल की बिजली गाड़ियों में 7-5-73 को उपर्युक्त फिटिंगों में रहने वाली कमियां और उनके बदलाव पर आने वाली अनुमानित लागत इस प्रकार थी।

	कमियां (संख्या)	लाखत (लाख रुपयों में)
पंखे	4,534	10.35
लैम्प होल्डर	918	0.10
दरवाज़े	2,796	17.55
खिड़की के पल्ले .	1,095	1.18
जोड़		29.18 (लाख)

पांचवीं योजना के दौरान मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

306. **श्री माधुर्य हाल्दर : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान कोई मुख्य परियोजना प्रारम्भ न करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सिंचाई विकास को जारी रखने के लिए पांचवीं योजना में नई बृहत सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है । बहरहाल विस्तृत प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में प्रगति

307. **डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में अब तक अवस्थावार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान नहर परियोजना के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) पांचवी पंचवर्षिय योजना के अधीन इसके लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) निम्नलिखित कार्य पूर्ण हो चुके है :—

चरण-एक

(1) अपनी पूर्ण लम्बाई में राजस्थान फीडर (134 मील) ;

(2) राजस्थान मुख्य नहर 0 से 83 मील;

(3) सूरतगढ शाखा प्रणाली;

(4) नौरंगदेसर, रावतसर, जोरावरपुर, खोदान खेतावली, थेटर कनौर, चुली, जेसामारी सोमासर और मोनेवाली सीधी वितरणियां ।

निम्नलिखित कार्यों पर कार्य चल रहा है :

चरण–एक

(1) राजस्थान मुख्य नहर 83 से 124 मील;

(2) पगल शाखा अनुपगढ़ शाखा प्रणाली;

(3) सीधी वितरणियां 48 से 124 मील; और

(4) लूनकरनसार-बीकानेर लिफ्ट नहर प्रणाली;

(5) मिट्टी की नालियों और माइनर का पलस्तर काय;

(6) कमान प्रणाली के लिये सर्वेक्षण और सब-रेकटैन्गूलेसन है।

चरण–दो

(1) जल सप्लाई नाली के निर्माण में मिट्टी का कार्य;

(2) सड़कों और भवनों का निर्माण कार्य;

(3) बिजली पारेषण लाइनों को लगाना; और

(4) नाली-संरेखण के संबंध में सर्वेक्षण कार्य।

(ख) राजस्थान नहर राज्य योजना का एक भाग है। राज्य ने चालू वर्ष के लिए 11.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बहरहाल, व्यय में हाल की कटौती के कारण राज्य प्राधिकारी इस प्रावधान में कुछ कमी करने पर विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने चालू वर्ष के लिए 1.97 करोड़ रुपए का एक गैर-योजना सहायता स्वीकृत की है।

(ग) राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए अपनी पांचवीं योजना में 70 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया है।

वैगनों की कमी का कोयले के परिवहन पर कुप्रभाव

308. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की कमी जारी रहने से कोयले के संचलन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिससे कि एक ओर तो उद्योगों को भारी कठिनाई हो रही है और दूसरी ओर खानों के मुहानों तथा लदान प्लेटफार्मों पर कोयले का भारी मात्रा में संचयन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले प्रत्येक 6 महीनों क दौरान कोयला संचलन हेतु वैगनों की वास्तविक आवश्यकता क्या थी और कितने वैगन उपलब्ध हुए; और

(ग) वैगनों की कमी जारी रहने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोयले के परिवहन के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता पर ऐसे अनेक प्रतिकूल तत्वों का प्रभाव पड़ता है जो बहुधा रेलवे के नियंत्रण से परे होते हैं जैसे कि बिजली में कटौती जिसका प्रभाव गाड़ियों के परिचालन तथा

कोयले के उत्पादन दोनों पर पड़ता है । हड़तालें, रेल कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार और पद के अनुसार काम करना, रेल की पटरी पर धरना देना, गाड़ी संचालन में बाहरी हस्तक्षेप, भारी वर्षा, लाइनों की टूट-फूट, रेलों के ग्राहकों द्वारा माल लादने और उतारने के काम में अनुचित विलम्ब के कारण माल डिब्बों का रुका रहना आदि ।

यद्यपि सभी उद्योगों की मांगें सम्पूर्णतः पूरी नहीं की जाती तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योगों के चालू रहने के निमित्त अपक्षित कोयला पहुंच रहा है, उपलब्ध कोयले का उनमें समुचित अनुपात में वितरण किया जाता है ।

कोयला खानों के मुहानों तथा लदान प्लेटफार्मों कोयला जमा नहीं हो गया है जैसा कि बताया गया है । दूसरी ओर खदानों के मुहानों पर कोयले का स्टाक, जो 1-1-1973 को विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 70. लाख मीटरी टन था 1-9-73 को घटकर 59.5 लाख मीटरिक टन रह गया है ।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1973 तक माल डिब्बों की दैनिक औसत मांग और लदान इस प्रकार है :—

(आकड़े चौपहियों में)

महीना	मांग	लदान
अप्रैल, 1973 . . .	11870	8067
मई, 1973 . .	11061	7649
जून, 1973 .	10974	7635
जलई, 1973	10681	7541
अगस्त, 1973	10378	7081
सितम्बर, 1973	11090	7209

(ग) मद (क) के उत्तर में कम माल डिब्बे उपलब्ध होने के कारण दिये गये हैं । किंतु कोयले और दूसरे यातायात की प्रस्थापित बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए रेलें अधिक माल डिब्बे प्राप्त कर रही है ।

जापान से प्राप्त किये गये ड्रिलिंग प्लेटफार्म से "बोम्बे हाई" में तेल की खोज

309. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'बोम्बे हाई' में तेल की खोज़ हेतु जापान से खुदाई करने वाला प्लैटफोर्म प्राप्त होगया है, और क्या ते की खोज प्रारम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या तट दूर तेल की खोज हे तु कोई अन्य योजनाएं भी है; और यदि हां, तो तत् संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है, और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां, इस प्लैटफार्म का उपयोग करते हुए 11 अक्तूबर, 1973 को व्यधन आरम्भ किया गया।

(ग) भारतीय महाद्वीपी शैल्फ को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है । इन में से बोम्बे हाई और उसके आसपास के क्षत्र के ब्लाक का अन्वेषण केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है । अन्य 9 क्षेत्रों के लिये विदेशी तेल कम्पनियों से, तेल अन्वेषण और विकास के लिये सरकार को कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये विचाराधीन हैं ।

तट से दूर क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए विदेशी सहायता

310. **श्री हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तट से दूर मुख्य क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये विदेशी धन एवं सहायता प्राप्त करने के सरकारी निर्णय के अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) तेल की इस खोज के लिये किन विशिष्ट तट दूर क्षेत्रों को चूना गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) विदेशी पार्टियों, जिन्होंने हमारे महाद्विपीय मग्नतर भमि (कान्टीनेन्टल शैल्फ) में अपतटीय तल अन्वेषण के बारे में बातचीत के लिये प्रस्ताव दिये हैं, के चयन के संबंध में बातचीत प्रगति पर है; और

(ख) महाद्वीपीय मग्नतटभूमि के समस्त भागों, काम्बे की खोड़ी तथा दक्षिण में अरब सागर के निकटवर्ती भाग को छोड़ कर (16 अक्षांश तक) विदेशी सहायोग के साथ अपतटीय समन्वेषण के लिए खुला छोड़ दिया गया है ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में ोर वृद्धि की मांग

311. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियां पैट्रोलियम की खपत को और कम करने के उद्देश्य से पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि का आग्रह करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तेल कम्पनियों की इस बारे में क्या मांग है और पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की खपत को कैसे कम किया जायेगा;

(ग) भारत में पैट्रोल तथा अन्य उत्पादों की प्रतिव्यक्ति खपत अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिम-जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान तथा विश्व की प्रति व्यक्ति औसत खपत की तुलना में कितनी बैठती है; और

(घ) तेल कम्पनियों की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) विदशी तेल कम्पनियों ने पट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में, इन पदार्थों के उपभोग में और अधिक कमी करने के विचार से, और वृद्धि करने का आग्रह नहीं किया है । समस्त तेल कंपनियों सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए, कच्चे तेल का मूल्य वृद्धि द्वारा हुई क्षति-पूर्ति हेतू उत्पाद मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गैसोलीन और पैट्रोलियम उत्पादों का अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, फान्स, जापान, भारत तथा विश्व का प्रति व्यक्ति उपभोग नीचे दिखाया गया है :—

देश	प्रतिव्यक्ति उपभोग गैसोलीन (स्थानीय मांग के आंकड़ों के आधार पर)	(कि० ग्राम में) पैट्रोलियम उत्पाद
अमेरिका	1432	3696
इंगलैंड	395	1918
पश्चिमी जर्मनी	468	2342
फ्रांस	377	2196
जापान	366	2259
भारत	4 (विक्रय आंकड़ों पर आधारित)	39
विश्व	प्राप्त नहीं	685

सोवियट रूस तथा पूर्वी जर्मनी के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) 3 नवम्बर, 1973 से प्रपुंज शोधित पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है ।

गत छः महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण विलम्बित हुई तथा रद्द की गयी गाडियां

312. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री एस० ए० मुरुगानन्तम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण बहुत सी गाड़ियां प्रायः देरी से आती हैं अथवा उन्हें रद्द कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) रेल यार्डों पर कोयले की इस प्रकार की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से पग उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां । कोयले की कमी के कारण 1-5-1973 से 31-10-1973 तक की अवधि में 84 गाड़ियां देर से चलीं और 15,557 सवारी गाड़ियां रद्द की गयीं ।

(ग) उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा तथा निर्यात के लिये कोयले की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई और उसे कोयले की समग्र उपलब्धता के भीतर रेलों की आवश्यकताओं के साथ-साथ साम्यिक रूप से पूरा करना पड़ा । यह स्थिति ग्रीष्म के महीनों में और खराब

हो गयी जब पूर्वी क्षेत्र में बिजली की भारी कमी का दुष्प्रभाव बिजलीकृत खंडों में गाड़ियों के संचलन और बंगाल-बिहार क्षेत्रों में कोयले की खानों के उत्पादन पर पड़ा । अगस्त और सितम्बर, 1973 में, लोको रनिंग कर्मचारियों और सवारी व माल डिब्बा कर्मचारियों के आन्दोलन तथा बाद में पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेल में कर्मचारियों और जनता के आन्दोलनों के कारण लदान पर और बुरा प्रभाव पड़ा । अक्तूबर में पूजा और दीवाली के दिनों में खान कर्मचारियों द्वारा छुट्टियां मनाने के कारण स्टीम कोयला कम मात्रा में उपलब्ध हुआ । पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को असाम का कोयला सप्लाई करने वाली मुख्य कोयला खानों में से एक खान में बाढ़ का पानी भर गया जिससे वहां उत्पादन रुक गया । इंजनों के कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए कोयला खान प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

लोको कर्मचारियों द्वारा की गयी गत हड़ताल के बाद गाड़ियों का देरी से चलना

313. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको कर्मचारियों द्वारा की गयी गत हड़ताल के बाद अधिकांश गाड़ियां देरी से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता को हो रही असुविधा को दूर करने हेतु गाड़ियों को पुनः सामान्य रूप से चलाने के लिये कौन कौन से पग उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन विगत कुछ महीनों के दौरान गाड़ियों के समय-पालन में ह्रास हुआ है । इसके मुख्य कारण थे लोकोकर्म-चारियों की हड़ताल और उसका परिणामी प्रभाव, क्षमय समय पर जनता तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन, बिजली सप्लाई में कटौती, दरारें, दूर-संचार तारों की चोरियों के कारण सिगनल और दूर-संचार व्यवस्था भंग हो जाना, खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि आदि ।

(ग) गाड़ियों के समय-पालन पर क्षेत्रीय रेलें सभी स्तरों पर कड़ी नज़र रखती हैं और महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन पर रेलवे बोर्ड द्वारा कड़ी नज़र रखी जाती है । परिहार्य अवरोधों के मामलों में कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों के संचलन में सुधार करने के लिए निवारक उपाय किये जाते हैं ।

दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में रिंग रेलवे के निर्माण में हुई प्रगति

314. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, और कलकत्ता की जनता की बढ़ती हुई यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन नगरों में रिंग रेलों के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिये समयबद्ध लक्ष्य रखे गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कलकत्ता और बम्बई में रिंग रेलवे बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । लेकिन उत्तर रेलवे की दिल्ली माल परिहार लाइन के समानान्तर व्यापक द्रुत परिवहन लाइन की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गाड़ियों में सीटों/बर्थों के आरक्षण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

315. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में बर्थों के आरक्षण के मामले पर विचार करने के लिए गठित की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 9 अक्तूबर, 1973 को दे दी है ।

(ख) पहली रिपोर्ट आरक्षण प्रणाली के तीन मुद्दों के सम्बन्ध में है :—

(i) अग्रिम आरक्षण के लिए समय-सीमा,

(ii) आरक्षण कार्यालयों के काम के घंटे, और

(iii) प्रतीक्षा सूची ।

समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) सभी दर्जों के स्थान के लिए अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा एक वर्ष होनी चाहिए ।

(ii) सभी दर्जों में आरक्षण के लिए काम के घंटे एक से होने चाहिए और सभी बड़े स्टेशनों के आरक्षण कार्यालयों को दो पारियों के आधार पर प्रतिदिन 16 घंटे काम करना चाहिए ।

(iii) प्रतीक्षा सूची के विस्तार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए । गाड़ी के प्रस्थान कर जाने पर प्रतीक्षा-सूची समाप्त नहीं होनी चाहिए और सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिये आरक्षण बूथ की व्यवस्था पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए ।

इन सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

गत छः महीनों के दौरान हावड़ा से और हावड़ा के लिए एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों का देरी से चलना

316. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा तक आने जाने वाली दोनों पूर्वी रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलव की गाड़ियां का समय पर आना जाना कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान देरी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या कितनी है; और

(ग) गाड़ियों के देरी से चलने को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा कौन कौन से पग उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, लोको कर्मचारियों के आन्दोलनों, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के धीमे काम करने के हथकण्डों

और तोड़फोड़, बिजली की खराबी और उसकी कमी, बदमाशों द्वारा रेल सेवाओं से छेड़छाड तथा खतरे की जंजीर का खींचना, पूर्वीतट, उत्तरी बंगाल और असम में तूफान और बाढ़ के कारण ।

(ख) पूर्व और दक्षिणी पूर्व रेलों की हवड़ा पहुंचने वाली 4163 डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में से 1820 गाड़ियां लेट थीं । 15 अक्तूबर, 1973 को समाप्त होने वाली 6 महीनों की अवधि में हवड़ा से छूटने वाली पूर्व और और दक्षिणी पूर्व रेलों की 4170 गाड़ियों में से 946 गाड़ियां लेट थीं ।

(ग) गाड़ियों के समय-पालन के काम पर क्षेत्रीय रेलें सभी स्तरों पर कड़ी निगाह रखती हैं और कुछ चुनी डाक एक्सप्रैस गाड़ियों पर रेलवे बोर्ड स्तर पर निगाह रखी जाती है । परिहार्य विलम्ब के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों के चालन में सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है । यहां तक कि समय पालन में सुधार लाने के लिए कुछ गाड़ियों में से खतरे की जंजीर के उपकरण के नाकाम कर दिये गये हैं ।

सोन जल विवाद संबंधी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा बाणसागर परियोजना के समझौते के विरो में त्याग पत्र

317. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह **बताने की** कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या सोन जल विवाद संबंधी राज्य सरकार की 13 सदस्यों की सलाहकार समिति के सभी सदस्यों ने बाणसागर परियोजना के संबंध में बिहार—मध्य प्रदेश—उत्तर प्रदेश के 16 सितम्बर के समझौते के विरोध में त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से पग उठाये गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्री के बीच विचार-विमर्श के पश्चात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारों के बीच बाणसागर परियोजना पर एक करार हुआ था ।

बिहार सरकार द्वारा बाणसागर परियोजना के मामलों पर उनको सलाह देने के लिए बिहार में 13 व्यक्तियों की सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी । करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् सलाहकार समिति के सदस्यों ने अपना-अपना त्यागपत्र दे दिया । इन त्यागपत्रों से संबंधित मामलों पर विचार करना बिहार सरकार का कार्य है ।

भारत सरकार के मंत्रियों के दल द्वारा बिजली संकट पर पुनर्विचार

318. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **सिंचाई और** विद्युत मंत्री बिजली संकट के संबध में कुछ मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने के लिए तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के एक सुझाव के बारे में 27 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4816 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत के संबंध में भारत सरकार के मंत्रियों ने बिजली संकट संबंधी मामले पर पुनर्विचार किया है तथा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दृष्टि से राहत के लिये समन्वित राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है और क्या राज्यों के साथ परामर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन उपायों के संबंध में विद्युत से सम्बद्ध मंत्रियों का दल समय-समय पर विद्युत स्थिति के विभिन्न पहलुओं का नरवलोकन कर रहा है । जहां आवश्यक हुआ, सिफारिशों को तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने में राज्यों के साथ सलाह की गई है । विद्युत संकट के दौरान जिसका मार्च, 1973 में अनुभव किया गया था और जो मानसून के शुरू होने तक जारी रहा, ताप संयंत्रों से अधिकतम उत्पादन करने, देश के विभिन्न भागों में अन्य केन्द्रों के साथ जल-विद्युत केन्द्रों के प्रचालन का समन्वयन करने और यथा संभव शीघ्र नए संयंत्रों को चालू करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के साथ सलाह करके सभी संभव उपाय किए गए। 1973 की मानसून शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश और दामोदर घाटी निगम क्षेत्र को छोड़ कर विद्युत स्थिति में सुधार हो गया है । तमिलनाडु और कर्नाटक में अभी कुछ कमी विद्यमान । ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में जिनपर मंत्रियों के दल द्वारा विचार किया गया और जिनपर उनकी सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही शुरू कर दी गई है, निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता के समुपयोजन को अधिकतम करना ।

(2) विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, स्थापना तथा चालू करने में तेजी लाना ।

(3) दामोदर घाटी निगम के प्रचालन में सुधार करने के उपाय ।

(4) कुछ जल तथा ताप विद्युत संयंत्रों के रोजी से पूर्ण होने को सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए उत्पादन संयंत्रों तथा उपस्कर का आयात करना ।

(5) कृषि संबंधी पंपिंग तथा उद्योगों में स्टेंडवाई संयंत्रों के लिए डीज़ल उत्पादन सैटों का प्रतिष्ठापन करना ।

(6) लिग्नाइट की कमी को पूरा करने और विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नेवेली में कुछ विद्युत संयंत्रों को तेल फाईरिंग में परिवर्तित करना ।

(7) इस्पात उद्योग के लिए कैप्टिव विद्युत संयंत्र ।

(8) ताप विद्युत संयंत्रों के लिये कोयले तथा इंधन तेल की सप्लाई तथा परिवहन के प्रबंध करना ।

(9) ताप विद्युत संयंत्रों के लिये इंधन की किस्म में सुधार करने के लिए प्रबंध करना ।

(10) औद्योगिक तथा कृषि संबंधि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए विद्युत सप्लाई हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण करना ।

मध्य रेलवे के लेखा विभाग में पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पदों का सीधे भरती किये गये स्नातकों के लिये आरक्षण

319. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एस) -1-61/सी पी सी/88 दिनांक 16/17 अप्रैल, 1962 में जारी किये गये इस आशय के आदेशों को मध्य रेलवे के लेखा विभाग

में क्रियान्वित किया गया है कि दर्जा बढ़ाने के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 1956 को 80—220 रु० के ग्रेड (निर्धारित) में होने वाली पद रिक्तियों में से 20 प्रतिशत पदों की सीध भरती किये गये स्नातकों के लिये आरक्षित रखा जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो (1) पदोन्नति के लिए योग्य स्नातक लिपियों की संख्या कितनी है और (2) इन आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय रेलवे बोर्ड के 16/17-4-1962 के पत्र सं० ई (एस) 1-61/सी पी सी/83 है। उक्त पत्र में दिये गये आदेश मध्य रेलवे के लेखा विभाग में कार्यान्वित कर दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में तेल की खोज करने के लिए रूस द्वारा खुदाई रिगों की सप्लाई

320. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल संसाधनों की खोज करने के सहयोग कार्यक्रम के अंश के रूप में रूस की सरकार से खुदाई रिगो की सप्लाई करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितने रिगो की सप्लाई करने की मांग की गयी है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मेसर्स टेक्नो एक्सपोर्ट, मास्को को 2000, 4000, 5000 एवं 6000 मीटर क्षमता के व्यधन रिग के लिए प्रस्ताव दिये है। इसके जवाब में 2000 4000 एवं 5000 मीटर क्षमता के व्यधन रिगों के बारे में रुस के अधिकारियों ने प्रस्ताव दिया है। 6000 मीटर क्षमता के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने रूस से 2000 मीटर क्षमता के 3 रिगो, जिन्हें तकनीकि आधार पर उपयुक्त पाया गया है, की खरीद के बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजे है। दिये गये 4000 मीटर क्षमता के रिगो को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तकनीकी आधार पर उपयुक्त नहीं पाया।

एक यात्री गाड़ी में रेल मंत्री के सुरक्षा गार्ड को छुरा घोंपा जाना

321. **श्री एम० एस० संजीवी रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अक्तूबर, 1973 में डाकुओं के एक दल द्वारा यात्री गाड़ियों पर हमले के पश्चात् रेल मंत्री के सुरक्षा गार्ड को घायल करके उसका रिवाल्वर छीन लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां। 1-10-1973 को जब 113 अप कटिहार-जोगबनी सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सिमरहा और ढोलबाजा स्टेशनों के बीच चल रही थी तो 7/8 नौजवान आदमियों ने जो पहल

से ही पूर्णिया स्टेशन पर तीसरे दर्जे के डिब्बा नं० 2004 में चढ़े थे, अचानक चाकू ओर एक रिवाल्वर तान कर उस डिब्बे के मुसाफिरों से उनका माल-असबाब मांगना शुरू किया। चम्पारन (बिहार) के श्री धुप नारायण मिश्र का 440 रु० नकद, एक कलाई घड़ी और एक ऊनी चद्दर लूट लिया गया। रेल मंत्री के सुरक्षा गार्ड श्री गुरुदयाल सिंह (दिली पुलिस के सिपाही) भी संयोग से उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उनका रिवाल्वर 65 रु० नकद और एक सूटकेस छीन लिया गया औंर उनके सिर मे चोट भी आयी । गाड़ी के गार्ड द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया और बाद में उन्हें इलाज के लिए फारबिसगंज के सिविल अस्पाताल में भेज दिया गया ।

कटिहार स्थित सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया । अभी तक 7 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है ।

इस घटना के बाद से राज्य सरकार प्रभावित खण्डों में चलने वाली सवारी गाडियों मे सशस्त्र पुलिस मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था कर रही है।

रूस से टर्बो जनित्र का आयात

322. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से टर्बो जनित्रों के आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता के जनित्रों के आयात किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौत पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो उसकी मख्य बाते क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश में ओब्रा ताप केन्द्र विस्तार परियोजना के लिए रूस से 200-200 मेगा-वाट के दो यूनिटों के आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ग) अभी तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल में नयी वृद्धि की मांग

323. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही दो विदेशी तेल कम्पनियों ने सरकार से कच्चे तेल के मूल्लों में नयी वृद्धि के लिये मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की मांग की गयी है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) आयातित अशोधित तेल पर संचालित समस्त तेल शोधनशालाओं, जिनमें सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाएं भी सम्मिलित है, को 16-10-1973 से प्रभावी आयातित अशोधित तेल के लिए उच्च मूल्य देना पड़ेगा ।

(ख) 16-10-73 से प्रभावी अशोधित तेल के मूल्य की सीमा मे वृद्धि प्रति बैरल डालर 0.956 से डालर 1.27 प्रति बैरल हुई इसके अतिरिक्त लाइट इरानियन तेल के लिए जो उसी दिन से प्रभावी है प्रति बैरल 18 सेन्ट्स की दर से सल्फर प्रिमियम भी अस्थाई रूप मे प्राप्त किया जा रहा है । अमरीकी डालर के साथ साथ अन्य चयन किय गये मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण मूल्यों में और चार सेन्ट्स प्रति बैरल से वृद्धि हुई है ।

(ग) सरकार ने अशोधित तेल के मूल्यों में इन वृद्धियों की अनुमति देने का निर्णय किया है ।

Steps taken to Remove shortage of Wagons

324. **SHRI LALJI BHAI**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there has been shortage of railway wagons for the last so many years;

(b) the number of wagons obtained during 1971-72 and 1972-73 ; and

(c) the efforts made by Government to remove this shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. Upto end of 1969-70, there was no shortage of wagons, After there there has been shortage due to various factors like unsatisfactory law & order situation, agitations, strikes, undue delay in releasing wagons at unloading points etc, resulting in delay in making wagons promptly available to trade.

(b) During 1971-72 & 1972 -73, a total of 8,532·5 & 10,834 wagons (in terms of 4-wheelers) were respectively produced by wagon manufacturers in the Private sector and Railway workshops.

(c) Various steps have been and/or are being taken to improve wagon availability—some of these are:—

(i) Extending the scope of diesel & electric tractaction to speed up movement.

(ii) Demurrage and wharfage rates have been stepped up with effect from 1-12-1972 with a view to encouraging trade to expedite loading and unloading operations.

(iii) Co-operation of trade is being continuously sought to expedite loading and unloading operations, as well as to increase the extent of movement in train loads.

(iv) As on 1-9-1973, orders for manufacture of 41,233 wagons with various wagon manufacturers including Railway Workshops were pending. Further orders for 17,372 wagons in terms of four-wheelers have been placed to ensure adequate availability for the anticipated level of traffic.

(v) Measures and facilities for repair of damaged wagons are being intensified.

Damage caused to Houses, Cattles Crops due to Floods

325, **SHRI LALJI BHAI** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the approximate amount of loss caused to houses, cattle, crops etc. as a result of floods during 1971-72 and 1972-73, year-wise ;

(b) the expenditure incurred on the implementation of the flood control schemes during the said period, year-wise alongwith the main-features of the scheme; and

(c) the number of persons who died in the floods and the amount given to their families during the said period, year-wise?

The Deputy Minister in The Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) to (c) The losses based on the reports received from the State Governments are as follows :—

	1971-72	1972-73
(1) Value of crops damaged (Rs. crores)	422·6	89·7
(2) Value of houses damaged (Rs. crores)	79.8	12.0
(3) Number of cattle lost	12,866	54,247
(4) Number of human lives lost	1,141	440
(5) Damage to Public Utilities (Rs. crores)	129·1	25·9
(6) Total damage (Rs. crores)	631·5	127·5

The expenditure of flood control measures during 1971-72 and 1972-73 was Rs. 27·41 crores and Rs. 42·40 crores respectively. The schemes implemented consisted of construction of new embankments, raising and strengthening of existing embankments, construction and improvement of drainage channels and town protection works.

Information relating to the amounts given to the families of the persons who lost theirlives due to floods is not readily availble,

Expenditure incurred on Construction of Rajasthan Canal upto May, 1973

326. **SHRI LALJI BHAI** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of money spent on the construction of Rajasthan Canal till the end of May, 1973 and the percentage of targets achieved; and

(b) the time by which construction of Canal will be completed?

The Deputy Minister in Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) An amount of Rs. 94·44 crores has been spent on the construction of the Rajasthan Canal by the end of May, 1973.

The progress upto the end of May, 1973, in respect of the major items of work on the Rajasthan Canal is as follows :—

Stage I

Works	Progress	
	Earth-work	Lining
Rajasthan Feeder	completed	completed
Rajasthan Main Canal	99%	79%
Distribution system	56%	21%
Lift Canal	93%	57%
Distribution system Lift Canal	42%	14%

Stage II

No work has yet been started on Stage-II except for some preliminary works.

(b) Stage-I of the project is expected to be substantialy completed by the end of the Fourth Five year plan and Stage II will be taken up during the Fifth P an.

Electrification of Railway Stations

327. **SHRI LALJI BHAI** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations electrified in various States of the country; and

(b) the number of Railway Stations the electrifications of which has been approved?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Number of stations electrified and programmed to be electrified in various States is :

	Electrified	Programmed to be electrified
Andhra Pradesh	439	18
Assam	78	15
Bihar	425	15
Delhi	42	...
Gujarat	363	8
Goa	5	1
Haryana	105	1
Himachal Pradesh	28	1
Jammu & Kashmir	9	...
Karnataka	224	9
Kerala	128	...
Maharashtra	384	14
Madhya Pradesh	271	32
Orissa	133	9
Pondicherry	9	...
Punjab	222	5
Rajasthan	204	12
Tamil Nadu	571	9
Uttar Pradesh	607	35
West Bengal	326	8

सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के बिराती स्टेशन पर ब्लाक उपकरण का खराब होना

328. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में बिराती स्टेशन पर ब्लाक उपकरण और रेलगाडियों के आने जाने के लिए 'लाइन क्लीयर' देने और प्राप्त करने सम्बन्धी उपकरण 28 जुलाई, 1973 को अप और डाउन दिशाओं में खराब हो गये थे और यह खराबी कई दिनों तक रही;

(ख) उक्त स्टेशन पर इस खराबी की अवधि के दौरान रेलगाडियों के गुजरने के लिए किन प्रणालियों को अपनाया गया था;

(ग) क्या उक्त खराबी के कारण रेलगाडियों के रोके जाने के समय जनता ने ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट की थी;

(घ) क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिए उक्त स्टेशन पर कुछ अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किये गये थे और यदि हां, तो कब; और

(ङ) सिगनल और दूर संचार विभाग द्वारा उचित अवधि के भीतर खराबी को ठीक न कर पा सकने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, मध्यम ग्राम साइड से सम्बद्ध ब्लाक उपकरण 28-7-73 को 17.45 बजे खराब हो गया और 30-7-73 की सुबह तक इसी हालत में रहा ।

(ख) गाडियां पेपर लाइन क्लियर प्रणाली से गुजारी गयीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस अवधि के दौरान अतिरिक्त कर्मचारी तैनात नहीं किये गये थे क्योंकि स्टेशन पर सामान्यत: उपलब्ध कर्मचारी ऐसी आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है।

(ङ) इस मरम्मत के काम को कारखाने में किया जाना था इस लिए विलम्ब हुआ।

राजभाषा (विधायी) आयोग के सचिव के पद को भरना

329. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (विधायी) आयोग के सचिव के पद को कब तक भरा जायेगा; और

(ख) सरकार ने उक्त पद को भरने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के कर्मचारीवृन्द निरीक्षण एकक (स्टाफ इन्सपेक्शन युनिट) ने, जिसने कि राजभाषा (विधायी) आयोग के कार्य का अध्ययन किया था, शिफारिश की है कि आयोग में पूर्णकालिक सचिव के पद का कोई औचित्य नहीं है। इस सिफारिश पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

19 अप्रैल, 1973 को कांटे में खराबी आ जाने के कारण सियालदह डिवीजन में कालीघाट स्टेशन के बाहर एस० जी० 11 अप गाड़ी का रोका जाना

330. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन, पूर्व रेलवे में 19 अप्रैल, 1973 को कालीघाट स्टेशन के 'अप स्टार्टर सिगनैल' पर एस० जी० 11 अप गाड़ी को एक कांटें में खराबी आ जाने के कारण जिसे उक्त गाड़ी द्वारा पार किया जाना था रोकना पड़ा;

(ख) क्या पूर्व रेलवे का डी० एस० टी० ई० सियालदह उक्त गाड़ी द्वारा यात्रा कर रहा था जिसने 'डयुटी' दे रहे सहायक स्टेशन मास्टर के विरुद्ध आंदोलन करने के लिये यात्रियों को उकसाया और

(ग) क्या इस मामले की जानकारी सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा दी गई और यदि हां तो उक्त जानकारी का निपटान कैसे किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एस जी 11 अप गाड़ी 19-4-1973 को कालीघाट स्टेशन के अप स्टार्टर पर पाइंट की खराबी से नहीं बल्कि रंगीन रोशनी वाले सिगनल की खराबी के कारण रोक ली गयी थी।

(ख) डी एस टी ई सियालदह इस गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। ड्युटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर के खिलाफ जनता को भड़काने में वे शामिल नहीं थे।

(ग) सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गयी थी। मामले के ब्योरों की जांच कर लेने और आवश्यक पूछ-ताछ के बाद रिपोर्ट फाइल कर दी गयी है।

मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा आयोजित सिंचाई परियोजनाएं

331. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं ;

(ख) क्या पन्ना जिले को केन नहर ऐसी ही एक योजना थी जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो शामिल किया गया था परन्तु बाद की योजना में शामिल नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल न करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कारण बताए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस नहर के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में सिंचाई प्रयोजनों के लिए इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई स्कीमों का आयोजन, अन्वेयण और निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई परियोजना नहीं है।

(ख) से (घ) इस परियोजना का अन्वेषण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और केन नदी की परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

1,20,000 हैक्टेयर को सिंचाई के लिए 18 करोड़ रुपये की लागत पर इस नदी पर एक परियोजना राज्य सरकार की पांचवी योजना के प्रस्तावों के प्रारुप में निहित है। पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश की योजना में इस परियोजना को सम्मिलित करने के प्रश्न पर समुचित समय पर परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत उन्हें तकनीकी एवं आर्थिक रुप में व्यवहार्य पाये जाने पर और इसके कार्यान्वियन के लिए संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

बाणसागर परियोजना पर होने वाले व्यय का मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश द्वारा परस्पर बांटा जाना

332. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नदी के जल को मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में परस्पर बांटे जाने के लिए किए गए करार के परिणामस्वरुप बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के व्यय सहित बाणसागर परियोजना की लागत को इन राज्यों द्वारा अनुपातत: बांटा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संबंधित राज्य को वास्तव में कितना प्रतिशत व्यय उठाना पड़ेगा; और

(ग) उक्त परियोजना पर कितना वास्तविक व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बाणसागर जलाशय की लागत को जिसमें विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास की लागत भी शामिल है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 2 : 1 : 1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

(ग) बाणसागर परियोजना को समझौते की रोशनी में संशोधित किया जाना है। संशोधित रिपोर्ट और प्राक्कलन मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिक्षित हैं।

राज्यों में संसदीय निर्वाचनों के लिये तैयारी

333. **श्री झारखंडे राय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में संसदीय निर्वाचनों के लिये अपनी या ीपूरी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) राज्यवार, कितने संसदीय निर्वाचन कराये जाने हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) इस समय लोक सभा में 12 और राज्य सभा में एक स्थान रिक्त है। लोक सभा के 12 रिक्त स्थानों में से चार स्थानों के लिए उप-निर्वाचन कराने हेतु तैयारियों पहले ही पूरी की जा चुकी है और निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया गया है। ये चार स्थान हैं— गुजरात में 14-साबरकांठा, महाराष्ट्र में 20-रामटेक, 6-बम्बई सेण्ट्रल और 42-कराड। पंजाब में 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की बाबत भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील लम्बित है और वहां उप-निर्वाचन कराए जाने की व्यवस्था अपील के निपटारे के पश्चात् ही की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश राज्य से राज्य सभा में एक रिक्त स्थान की बाबत उप-निर्वाचन कराने हेतु कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

लोक सभा और राज्य सभा में आकस्मिक रिक्त स्थानों (विवरण i-) और लोक सभा और राज्य सभा में निर्वाचनों के विभिन्न प्रक्रमों के लिए तारीखों (विवरण-ii) की बाबत ब्यौरे देने वाले दो विवरण संलग्न हैं [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5675/73**]

कुछ औषध-निर्माता फर्मों को कुछ औषधियों के उत्पादन के लिये दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस

334. **श्री के० एम० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स 'सैंडोज', 'रोश', 'बोरोज बेलकर्न', 'मे एण्ड बेकर,' 'वाइथ', 'वोहिजरनोल' और 'ग्लैक्सो' को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये हैं और ऐसे प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत कौन-कौन सी औषधियों आती है ;

(ख) क्या इन औषधियों में ऐसी औषधियां भी शामिल है जिनका वास्तव में निश्चित तिथी से पूर्व उत्पादन नहीं हुआ था परन्तु जिनके लिये 'प्रभावी कदम' उठाने को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक फर्म ने जो 'प्रभावी कदम' उठाये है उनका सही स्वरूप क्या है;

(घ) क्या सम्बन्धित फर्मों ने औषध नियमों (ड्रग रुल्ज) के अन्तर्गत इन औषधियों के विपणन के लिये आवेदन पत्र दिये है; और

(ङ) क्या सम्बन्धित कम्पनियों ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत इन औषधियों के खुदरा मूल्यों के अनुमोदन के लिये आवेदन-पत्र दिये है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। इन फर्मों को दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस के विवरण लोक सभा में 8 मई 1973 को पूछे गये अ०ता० प्रश्न सं 9529 के उत्तर में प्रस्तुत किये गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) सी० ओ० बी० लाईसेन्स मौलिक रुप से 1967 से 1970 की अवधि के दौरान सम्पादित किय गये अधिकतम उत्पादन के आधार पर दिये गये थे/दिये जा रहे हैं। जहां वास्तविक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ था उठाये गये 'कारगार कदमों' को मान्यता दी गई थी। भूमि तथा भवन की उपलब्धि तथा आवश्यक मशीनों की स्थापना ऐसे कदम हैं जिन पर बचार किया गया था। जहां अतिरिक्त यंत्रों और मशीनों की आवश्यकता नही थीं वहां निम्न-लिखित को कारगर कदम माना गया था (i) निर्माण प्रक्रम का सुनिश्चित किया जाना, प्रस्तावित औषधि के लिये नुसखे का तैयार किया जाना तथा औषध एवं सौदर्य प्रसाधन अधिनियम (ड्रग्स एन्ड कास्मेटिक्स एक्ट) के अधीन अनुमोदन और (ii) प्रार्थना पत्र पेश करना। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अधीन मूल्यों का अनुमोदन। सी० ओ० बी० लाईन्सों के लिए प्रार्थना पत्रों पर डी०जी०टी०डी० और डी०जी०एच०एस० द्वारा जांच की जाती है तथा किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेते समय उनके विचारों को ध्यान में रखा जाता है । विदेशी कम्पनियों को सी० ओ. बी. लाईसेंस लाइसेंसिग समिति के अनुमोदन के बाद प्रदान किये गये थे। इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कम्पनियों में से प्रत्येक द्वारा प्रत्येक मद के लिये उठाये गये कारगर कदमों के सम्बन्ध में सूचना तथा भाग (घ) और (ङ) में पूछी गयी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

कुछ औषध निर्माता फर्मों द्वारा उत्पादन में विविधता लाया जाना

335. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स "सैंडोज", "रोश" "बोरोज वेलकम", "मे एण्ड बेकर", "वाइथ", "बोहिंजर" "नोल" और "ग्लैक्सो", सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई विविधीकरण योजनाओं के अन्तर्गत नई औषधियों का उत्पादन करके अपने उत्पादन में विविधता लाती रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन फर्मों ने विविधीकरण योजना के अन्तर्गत आने वाली औषधियों के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि के अन्दर सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिये आवेदन किया था ; और

(ग) क्या विविधीकरण योजना के अन्तर्गत बनाई गई औषधियों के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारी को कोई प्रतिवेदन भेजा गया था जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) ग्लैक्सों लेबोरेटरीज लि० एवं बोहिरिंगम नाल लि० को छोड़कर सभी फर्मों ने निर्धारित समय में आवेदन किया है।

(ग) इसका पता लगाया जा रहा है तथा सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विदेशी औषध-निर्माता फर्मों को दिये जाने वाले सी० ओ० डी० लाइसेंसों के लिये अनुमति तथा अनापत्ति पत्रों के अन्तर्गत आने वाली सूत्रीकरण फार्मलेशन क्षमता

336. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विदेशी औषध-निर्माता फर्मों को दिये ग अनुमान/अनापत्ति पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत कुल सूत्रीकरण क्षमता कितनी है;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित क्षमता के अनुसार कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य क्या है; और

(ग) यह उत्पादन देश के औषध और फर्मास्युटिकल्स उद्योगों के कुल वार्षिक उत्पादन की तुलना में कितना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन फर्मों, जिन की विदेशी साम्य पुंजी 26% से अधिक है, को दिये गय सी० ओ० बी० लाइसेंसों के संबंध में सूचना दिनांक 8 मई, 1973 के लोक सभा के अता० प्रश्न संख्या 9529 के उत्तर में दी जा चुकी है। बाद में जारी किये गये सी० ओ० बी० लाइसेंसों के आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गय है। पंजीकरण प्रमाण-पत्रों तथा पिछली दो दशाब्दियों में उन को दिये गय अनापत्ति/अनुज्ञा पत्रों में से अधिकांश में क्षमताओं का संकेत नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	लाईसेंस का नम्बर तथा तारीख	निर्माण की क्षमता मद प्रतिवर्ष		
1	मेसर्स स्मिथ किलाईन, एण्ड फ्रैन्च (इंडिया) लि० बंगलोर।	एल/22/484/73— केमिकल, iii दिनांक 29–9–73	गोलियां .	918	लाख
			तरल पदार्थ .	34,000	लिटर
			आयनगन्टस	1,55,300	कि०ग्रा०
			कैंपसूल्ज .	145	लाख
			पाउडर .	43,310	कि०ग्रा०
			इन्हलर्ज .	21,600	नं०
			इजक्टबल्ज .	3	लाख नं०
2	मेसर्स लेबोरेटोरीज ग्रि-माल्ट प्राईवेट लि०	एल/22/486/73— केमिकल iii दिनांक 8–10–73	गोलियां तथा कैपसूल्ज .	381.08	लाख
			तरल पदार्थ (लिटर)	5.72	लाख
			आयनमेन्टस (लिटर) .	2900	
			सोलशन्ज (लिटर)	1900	
			ग्रन्यल्ज (कि०ग्रा०)	16,500	
			इंजक्टबल्स (एम-पोल्सज) .	4.80	लाख
			इंजक्शन्ज (लिटर)	36	

अतिरिक्त सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिये कुछ औषध निर्माता फर्मों द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र

337. **श्री के० एस० चावड़ा:** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स "सन्डोज", "रोश" "बरोज वेलकम", "मे एण्ड बेकर", "बोहिजर", "नोल", और "ग्लैक्सो" ने क्या अनुपूरक अथवा अतिरिक्त सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिये, निर्धारित तिथी के बाद आवदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्रों के विलम्ब से दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ये आवेदन-पत्र किन-किन तिथियों को प्राप्त हुए;

(घ) इन आवेदन-पत्रों में औषधि, क्षमता आदि का क्या ब्यौरा दिया गया है जिनके लिये लाइसेंसों की आवश्यकता है; और

(ङ) इस बात का पता लगाने के लिये सरकार का क्या जांच आदि करने का विचार है कि ये आवदन-पत्र यथार्थ है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। मैसर्स ग्लैंसो लेबोरेटीरीज लि० से केवल एक आवेदनपत्र।

(ख) दिसम्बर, 1969 में मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लि० से क्षमताओं के युक्तिकरण के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। मंत्रालय में इसकी जांच की गई थी और नवम्बर, 1970 में पार्टी को एक औपचारिक आवेदन-पत्र भेजने का परामर्श दिया गया था। इन हालात के अन्तर्गत विलम्ब पर ध्यान नहीं दिया गया था और आवेदन पत्र पर विचार किया गया था।

(ग) 2 मार्च, 1971।

(घ) पार्टी ने अपने आवेदन पत्र में अपनी लाइसेंसकृत/स्थापित क्षमता, सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न अनुज्ञप्तियों के अन्तर्गत मंजूर की गई क्षमताओं तथा 1969—1971 के दौरान उन के वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे भेजे थे।

(ङ) प्रचलित पद्धति के अनुसार, आवेदन-पत्रों की तकनीकी प्राधिकारीयों द्वारा जांच की जाती है और उन की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् मामले लाइसेंसिंग कमेटी को प्रस्तुत किये जाते है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कमाये गये लाभ तथा स्वदेश भेजी गई धनराशि

338. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनियों अर्थात् "बर्माशैल", "एस्सो" तथा "कालटैक्स" ने भारत में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना कितना कुल तथा शुद्ध लाभ कमाया है :

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक कम्पनी द्वारा वर्षवार घोषित किये गये लाभांश की राशि तथा प्रतिशतता क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी कितनी राशि स्वदेश भजी है; और

(घ) क्या सरकार इन कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा निश्चित करने का विचार कर रही है; और यदि नहीं तो क्यों ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इस समय इस मामले की सरकार जांच कर रही है।

डीज़ल से रेलगाड़ियों चलाने के कार्यक्रमों के बारे में मतभेद

339. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीज़ल से रेल गाड़ियां चलाने के कार्यक्रमों पर रेलवे तथा योजना आयोग के मध्य गम्भीर मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने बिजली से चलने वाले इंजनों की अपेक्षा डाज़ल स चलने वाले इंजनों में अनुपातशः अधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख सिंचाई तथा बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की लागत वृद्धि पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

340. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या प्रमुख सिंचाई तथा बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के **संबंध में** अध्ययन करने के लिए स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार इसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने उल्लेख किया है कि लागत में वृद्धि के मुख्य कारण ये है :—

(1) धनकी कमी और फलस्वरुप लम्बी जैस्टेशन अवधि के कारण निर्माण की अवधि में वृद्धि जिसके दौरान कीमत बढ़ जाती है।

(2) निर्माण सामग्री की लागत और मजदूरी में निरंतर वृद्धि।

(3) कुछ मामलों में अपर्याप्त अन्वेषण।

(4) मूल प्राक्कलनों में अपर्याप्त प्रावधान।

(5) प्राक्कलनों के स्वीकृत हो जाने के बाद लाभों को बढ़ाने हेतु परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन।

(6) अभिकल्प में परिवर्तन और निर्माण के दौरान अतिरिक्त आवश्यकताएं।

(7) भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि।

(8) पुनर्वास उपायों को लागत में वृद्धि और ऐसे उपायों की मात्रा में वृद्धि।

(9) देशी उपस्कर के कार्य निष्पादन में कमी।

समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) परियोजना को तैयार करने से निर्माण तक की दीर्घ अवधि में मुद्रा स्फीति के प्रभाव को पूरा करने के लिए उचित वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलनों को बढ़ाया जाना चाहिए ।

(2) व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले परियोजना का उचित अन्वेषण किया जाना चाहिए । 30 करोड़ रु० से अधिक की लागत वाली बहुत बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रथम चरण में केवल एक "अन्वेषण प्राक्कलन" ही स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

(3) परियोजना को पूर्ति रिपोर्टों को तैयार करने पर जोर देना चाहिए और परियोजना के चालू किये जाने के दो से तीन वर्षों के अन्दर उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए, ताकि आगामी परियोजनाओं के लिए प्राक्कलन तयार करने में इन रिपोर्टों से लाभ उठाया जा सके ।

(4) जहां तक संभव हो क्षेत्र में परिवर्तन को टाला जाए । यदि कोई ऐसा संशोधन प्राक्कलन में शामिल किया जाता है इसे "संशोधित प्राक्कलन" के रूप में स्वीकृत किया जाए ।

(5) व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करते समय परियोजना के मिश्रित स्वरूप के कारण प्रत्येक मद्द और आवश्यकता को कल्पना नहीं की जा सकती है चाहे कितने ही पर्याप्त अन्वषण रहे हों । प्राक्कलनों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिये कार्य मद्दों को अनुमानित लागत को उचित अंश में जिसे "मार्जिन आफ एरर" कहा जा सकता है, बढ़ाया जाए । इस उद्देश्य के लिए प्रायोगिक आवश्यक प्रतिशतांश सुझाया गया है ।

(6) पुनर्वास पर एक बृहद् राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए ।

(7) परियोजना को चरणबद्ध किया जाए और चरणवार ही पूरा किया जाए । जब परियोजना अनुमोदित हो जाती है तो उसके कार्यान्वियन के लिए पूरा धन उपलब्ध किया जाना चाहिए ।

(8) प्राक्कलन तयार करने के आधार रूप में लेने के लिए देशी उपस्कर और मशीनरी के कार्य निष्पादन का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा उसके संशोधन किया जाए । देशी उपस्कर के निर्माताओं को अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देनी चाहिए ।

(9) पर्याप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन, मुख्य कर्मचारियों की संतता को आवश्यकता, आधुनिक प्रबंध तकनीकी को अपनाने और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया ।

(ग) रिपोर्ट को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों की समिति की सिफारिशों पर उनके विचार जानने के लिए भज दिया है । यह भी प्रस्ताव है कि सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के अगले सम्मेलन में इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाए ।

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट

341. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० त्रिपाठी की अध्यक्षता में सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इसकी सिफारिशों पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें सरकार के विचाराधिन हैं।

पैट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने का उपाय

342. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पैट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के उपायों पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) दिनांक 28–4–1972 को लोकसभा में पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 4278 के उत्तर में इस बारे में सूचना सभा पटल पर रख दी गई थी।

पश्चिम बंगाल में चलती हुई रेलगाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि

343. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती हुई रेल गाड़ियों में, विशेषतया पश्चिम बंगाल में, डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये है अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, रेलों पर चलती हुई गाडियों में डकैती की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है। फिर भी, पश्चिम बंगाल वाले भाग में गाड़ियां में डकैती के मामलों में कमी हुई है।

(ख) यह वृद्धि देश में कानून और व्यवथा की वर्तामन स्थितियों के कारण हुई है।

रेलों में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा यहे हैं :—

(1) प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात को सभी महत्वपूर्ण गाडियों में यथासंभव सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षकों की व्यवथा की जाती है।

(2) रेलवे सुरक्षादल के कर्मचारियों को निदेश दिया गया है कि रेलों पर अपराध की घटनाओं का पता लगाने में सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस को सक्रिय सहयोग दें।

(3) प्रभावित खंडों में सक्रिय बदमाशों पर कड़ी निगाह रखने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क कायम रखा जाता है।

(4) पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में पीछा करने वाले गश्ती दस्तों की प्रणाली शुरु की गयी है। रेलों पर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए प्रतिरोधी दल बनाने के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है।

(5) रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गाड़ियों/रेलपरिसरों में यात्रियों को प्रभावित करने वाले अपराधों जैसे हत्या, लूटपाट और डकती की बढ़ती हुई घटनाओं से क्षुब्ध होकर 2-11-72 को इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के नाम पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों और खासकर बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था करें। रेलमंत्री ने इस संबंध में 21-3-73 को कुछ राज्यों के गृह मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बठक भी की ताकि यात्रि जनता के लिए अपेक्षाकृत अधिक सूरक्षा की व्यवस्था की जा सके। इस बैठक के फलस्वरूप केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है जो इस बैठक में दिये गये विभिन्न सुझावों को पूरी तरह जांच करेगा और इस समस्या को कारगर ढंग से हल करने के लिए उपाय सुझायेगा।

कार्यकारी दल की अभी तक एक बैठक हुई है जिसमें सर्वसम्मति से यह सहमति हुई कि सरकारी रेलव पुलिस की संख्या में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु, राज्य सरकारों ने यह अतिरिक्त खर्च बर्दाश्त करने में असमर्थता प्रकट की और यह इच्छा व्यक्त की कि केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता देकर इस बढ़े हुए खर्च को बर्दाश्त करे। तदनुसार वित्त आयोग को एक ज्ञापन भेज दिया गया है।

बिजली इंजीनियरों द्वारा हड़ताल के कारण विद्युत परियोजनाओं के चालु होने वाली समय सारणी का बाधित होना

344. **श्री आर० एम० बर्मन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की बिजली इंजीनियरों की देश पर्यन्त हड़ताल के कारण चौथी योजना में चालू होने वाली विद्युत परियोजनाओ के चालू होने की समय सारणी में बाधा पड़ी है;

(ख) यदि हां तो उनकी राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ग) इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केवल विद्युत अभियंताओं द्वारा हड़ताल पर जाने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के चालू होने में देरी की अवधियों की राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया गया है। राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायो अन्य अभिकरणों की सलाह दी गई है कि विद्युत परियोजनाओं के अनुसूची के अनुसार पूण न होने तथा उनको प्रगति में देरों के लिए उत्तरदायी कठिनाइयों का पता लगाया जाए और जहां तक संभव हो व्यय किए गए समय को पूरा करने के लिए भरकस प्रयास करें। इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपस्कर सप्लाईकर्ताओं, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा भारत सरकार के अन्य अभिकरणों से राज्य बिजली बोर्डों आदि द्वारा आवश्यक समझो गई समस्त सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के कार्य में हुई प्रगति

345. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) काय आरम्भ करने में क्या मुख्य कठिनाइयां तथा बाधाये है ; और

(ग) केवल इसी कार्य में कितने व्यक्ति लगे हुये हैं ?

8—27 L. S. S./73

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का निर्माण-कार्य शुरु किया जा चुका है। खंड I में काम (दम-दम सिरे पर उत्थित भाग) हो रहा है। दो और खंडो अर्थात 2 और II के लिए खोले गये टेन्डरों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महानगर परिवहन परियोजना में कर्मचारियों की कुल संख्या 971 हैं।

Suspension of train services due to strike by Electrical Engineers

346. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether train services in many places had to be suspended during the last few months due to the strike of the Electrical Engineers;

(b) if so, the loss suffered by the Railways as a result thereof ; and

(c) the action taken by Government to avoid such a situtation in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd Safi Qureshi) : (a) Yes, In the first ten days of October, 1973, on Tundla-Moghal-sarai electrified section of Northern Railway and adjacent main line section of Eastern Rail way, passenger and goods trains had to be cancelled and regulated due to interruption of power supply, reportedly on account of activities of employees of U.P. State Electricity Board.

(b) About Rs. 8 lakhs,

(c) Steps taken are :—

(i) Close liasion with the Ministry of Irrigation & Power, State Governments and State Electricity Boards,

(ii) Utilisation of portable generators wherever possible for maintaining essential water supply, station lighting etc.,

(iii) Railways are also considering, in consultation with the Ministry of Irrigation & Power, Planning Commission and State Governments, setting up of thier own power plants for electrified sections.

Agreement on Bansagar Project

347. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been reached among the Governments of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in regard to Bansagar Project ;

(b) if so, the main features thereoff; and

(c) the reaction of Government to the issues arising out of the caid agreement?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad : (a) Yes, Sir.

(b) Under the agreement, 7.75 million acre ft. of Sone Waters have been allocated to Bihar ; 5.25 million acre ft. to Madhya Pradesh and 1·25 million acre ft. to Uttar Pradesh. In the flows of the Sone river, 5 million acre ft, will be provided as a priority use for the old irrigation in Bihar from the Sone barrage.

In the Bansagar Project, which is one of the new projects contemplated on the Sone river, Madhya Pradesh will use a storage of 2 million acre ft. for irrigation, while Uttar Pradesh and Bihar will have 1 million acre ft, each. The cost of the common works will be shared by the States in the same proportion. Madhya-Pradesh can develop power below the dam, and power at Chachai falls using only such waters as would be needed eventually for irrigation.

The rules for the regulation of the filling and use of the Bansagar reservoir will be drawn up by a Committee consisting of Chairman, Central Water & Power Commission and Chief Engineers of the three States.

(c) It is a matter of gratification that the States connected evolved an agreement, after proteracted discussions, to their mutual satisfaction enabling undertaking of new projects to serve chronically drought affected areas in the Rewa, Mirzapur and Palamau regions of these States.

Power Crises in States

348. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state :

(a) whether due to power crisis in most of the States of the counrty, industries, irrigation and other developmental works have been adversely affected; and

(b) if so, the reasons for this crisis?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Industries, irrigation and other developmental works are liable to be affected by shortage of power. However, the deleterious effect on the economy is minimised by giving priorities for irrigation and important loads like railways, collieries, steel industry etc,

(b) The power shortages are due to inadequate growth of generation and transmission facilities compared to the growth of demand for power due to increasing industrial and agricultural use of electricity. Last year the power generation was substantially reduced due to inadequate water supplies for hydro-power generation, leading to a power crisis. There were also problems faced due to difficulties in maintaining nuclear power generation and inadequate availability of lignite at Neyveli.

Scheme to Develop Patna Junction Railway Station

349. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a scheme to develop Patna Junction Railway Station on the Eastern Railway;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the time by which Government propose to implement the said scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) A survey has been carried out and the report has been received.

(b) Additional yard lines, passenger platforms and additions to station building have been proposed to meet the requirements of traffic.

(c) The report has been finalised recently and is under examination. A decision about the facilities to be provided and the schedule of the work will be decided after the examination of the report is completed from all aspects.

लोको रनिंग स्टाफ को कठिनाइयों पर ध्यान देने वाली समिति का प्रतिवेदन

350. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री विक्रम महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको रनिंग स्टाफ की कठिनाइयों के निपटारे के बारे में नियुक्त समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ? और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) समिति ने अपने कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है और इसकी अगली बैंठक 29 नवम्बर, 1973 को होने वाली है। मुख्य अनिर्णित विषय लोको रनिंग कर्मचारियों के 10 घन्टे की कार्याविधि को क्रियान्वित करने के ढंग और तरीके से सम्बन्धित है।

इस बीच रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष संगठन बनाये कि 10 घन्टे को कार्याविधि को पूरी तरह क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जायें।

हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर 27 जून और 27 जुलाई को यात्री टिकटों की बिक्री

351. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हावड़ा तथा सियालदह स्टेशनों पर 27 जून, 1973 और 27 जूलाई, 1973 को कितने यात्री टिकटों की बिक्री हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहमम्द शफी कुरेशी) : उक्त तारीख को हावड़ा और सियालदह स्टशनों पर यात्री टिकटों की बिक्री से जो आमदनी हुई वह इस प्रकार थी :—

27 जून, 1973 को

हावड़ा—2,47,603 रूपये

सियालदह—53,299 रुपये

27 जुलाई, 1973

हावड़ा—68,925 रुपये

सियालदह—7,538 रुपये

27 जुलाई, 1973 को बंगला बन्द होने के कारण उस दिन कम आमदनी हुई थी।

Proposed Amendment to Election Law to Reduce the Cost of Election

352. **Shri M. C. Daga**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact a law or amend the existing law to make Lok Sabha and Vidhan Sabha Elections less costly; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) Rendering elections less costly was also one of the objectives underlying the recommendations made by the Joint Committee on amendments to Election Law and with reference to the decisions of the Government on the committee's recommendations, a Bill to amend the Representation of the People Acts, 1950 and 1951 is likely to be introduce during the current session of Parliament.

Performance of R.P.F. Personnel

353. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an expenditure of Rs. 12 crores is incurred annually on R.P.F. whereas theft cases are on the increase every year and if so, whether any improvements would be made to make the R.P.F. useful so that theft incidents may be checked effectively and if so, the time by which it would be streamlined and how it would be streamlined; and

(b) the number of R.P.F. personnel who were punished for negligence of their duties indicating the categories of the personnel and the nature of punishment given to them and the number of personnel whose services were terminated during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The annual expenditure on the R.P.F. during the last three years was Rs. 1264 crores in 1970-71, Rs. 1375 crores in 1971-72 and Rs. 14·92 crores (approximately) in 1972-73. The index for judging the effectiveness of the R. P. F. in checking thefts and pilferages is the amount of compensation claims paid by the Railways. As a result of the effort made by the R. P. F., despite rise in the prices of commodities from year to year, there has been a reduction in the compensation claims paid by the Railways by Rs. 40.23 lakhs in 1972-73 as compared to the year 1971-72.

With a view to effect further improvement a scheme of reorganisation of the Railway Protection Force has been implemented from 1-11-73. The major changes which are being made as a result of the reorganisation in the present set up of the Railway Protection Force are—

(1) Merger of the existing Uniformed and Armed Branches and formation therefrom of an Investigation Branch, a Prosecution Branch and a Protection Branch on standard Company pattern with higher percentage of armed personnel.

(2) Strengthening of the Crime Intelligence Branch and its decentralisation so as to function properly in the Divisions.

(3) Administrative changes at Divisional and Headquarters level.

(4) Changes in the working methods of the Force by replacing the fixed-point duties where possible into beat-cum-patrol duties.

(5) Provision of adequate number of motor vehicles to improve the mobility of the Force.

(6) Increase in the number of supervisory posts including Class III and Class IV with a view to having better supervision at all levels.

(b) A statement showing rankwise punishments awarded to R.P.F. staff during the last three years is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 5676/73]

Special audit of Companys Accounts under section 233 A of the Companies Act during 1971 or 1972

354. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any special Audit of accounts under section 233A of the Companies Act for any Company or Companies was ordered during the year 1971 or 1972; and

(b) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) During the period referred to in the question, special audit under section 233A of the Companies Act, 1956 was ordered in respect of six companies.

(b) Reports of special audit have been received only in 2 out of the 6 cases referred to above. In one case, the report, besides pointing out contraventions of Companies Act, referred to alleged misappropriation by the then Managing Director. The Central Bureau of Investigation were, therefore, approached for further investigation. They have intimated that it would be impossible to fix criminal reponsibility for the misappropriation. Action on contraventions of Companies Act will be taken by the Registrar of Companies. In the other case the special auditor brought out the possibility of the ex-chairman having misused certain loans for which he failed to render accounts. The Central Bureau of Investigation on being approached has advised investigation by Local Police.

Reduction in staff due to computerisation, dieselisation and electrification

355. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any staff was declared surplus by the Railway Administration after computerisation, dieselisation and electrification of traction and, if not, the reasons therefor; and

(b) whether the Railway Administration spent 53.4 per cent of its total revenue on the staff in the year 1970-71 and if so, what steps are being taken to reduce the same?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes. Such surplus staff were absorbed in alternative jobs giving them conversion training where necessary.

(b) The percentage of Staff Cost to Gross Earnings during the year 1970-71 works out to 45·6 per cent. Every effort is being made to contain the growth of staff as far as possible. Economy in staff expenditure is also being effected, where feasible.

Punishment awarded to chemists under the Drugs (Price Control) Order, 1970

356. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the date on which the Drugs (Price Control) Order issued in 1970 was amended, first and the reasons therefor; and

(b) the number of Chemists challaned as also the number of chemists awarded punishment during the last three years under the Drugs (Price Control) Order, 1970 indicating the nature of punishment awarded?

The Minister of State in the Ministry of Petr oleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The Drugs (Prices Control) Order issued on 16th May, 1970 was amended first on 15th June, 1970, to amplify/include certain definitions in order to make them more explicit. Besides, it also provided certain powers for the Central Government or any officer duly authorised by it to direct manufacturers to sell bulk drugs to formulators having regard to certain specified factors. Certain amendments were also made relating to mark-up, period for submission of applications, commission for the wholesalers etc.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राज्यों में बिजली की कटौती

357. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री एम० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय विद्यमान विद्युत् संकट के कारण विभिन्न राज्यों में बिजली की सप्लाई में कितनी कटौती की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : उन राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा उपाबंध–एक पर विवरण में दिया गया है, जहां इस समय विद्युत की कमी है।

विवरण

उपाबंध एक

देश में विद्युत कटौतियों का विवरण

उत्तरी क्षेत्र :

हरियाणा	(क)	6 बजे सायं से 9 बजे रात के मध्य सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई में कटौती ।
	(ख)	ग्रामीण फीडरों को दिन में 18 घंटे के लिए सप्लाई ।
जम्मू व कश्मीर		घाटी क्षेत्र में पीक भार प्रतिबंध ।
उत्तर प्रदेश	(क)	शहरी क्षेत्रों में 7 बजे प्रातः से 9 बजे प्रातः तक दिन में 2 घंटे के लिए सप्लाई बन्द की गई ।
	(ख)	ग्रामीण क्षेत्रों में 9 बजे प्रातः से 9 बजे रात तक दिन में 12 घण्टे के लिए सप्लाई बन्द की गई ।
	(ग)	शहरी क्षेत्रों में लगातार न चलने वाले उद्योगों (नान कंटीन्यूअस इण्डस्ट्रीज) को 9 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक दिन में 9 घण्टे के लिए एक सप्ताह में 5 दिन बिजली का उपयोग करने की अनुमति दी गई । कपड़ा मिलों में विद्युत से चलने वाले करघों तथा कताई भाग को 10 बजे रात्रि से 7 बजे प्रातः तक एक अतिरिक्त पारी की अनुमति दी गई ।
	(ड)	लगातार चलने वाले उद्योगों को एक महीने में एक ही बार में 10 दिन तक बन्द रखने अथवा मांग को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए कहा गया । उर्वरक और वनस्पति को इससे छूट दे दी गई ।
	(च)	शहरी क्षेत्रों में स्थित चलचित्रगृहों को 3.30 बजे सायं से 6.30 बजे सायं वाले शो चलाने की अनुमति नहीं दी गई ।
	(छ)	कोल्ड स्टोरेजेस को दिन में 18 घण्टे बिजली का उपयोग करने की अनुमति दी गई है । शहरी क्षेत्रों में इसका समय है——9 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक तथा 10 बजे रात्रि से अगले दिन 7 बजे प्रातः तक । जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय है——10 बजे रात्रि से अगले दिन 4 बजे सायं तक ।
	(ज)	राज्य में इस्पात आर्क भट्टियों को दो दलों में बिभाजित किया गया है । प्रत्येक दल को बारी बारी से एक एक सप्ताह के लिए विद्युत की अनुमति दी गई ।
	(झ)	अलग-अलग फीडर वाली लिफ्ट पांच नहरों को दो भागों में बांट दिया गया था । प्रत्येक भाग के बारी-बारी से एक-एक सप्ताह के लिए विद्युत दी गई ।
	(ञ)	सभी नए औद्योगिक कनेक्शन देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, जुलाई, 1971 से जून, 1972 की अवधि के दौरान वास्तविक औसत उपभोग के आधार पर 40 प्रतिशत उर्जा की कटौती ।

चण्डीगढ़ — औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 30 प्रतिशत की कटौती ।

पश्चिमी क्षेत्र :

महाराष्ट्र • भार/छुट्टी स्टैगरिंग ।

गोआ • एच० टी० उपभोक्ताओं पर 10 प्रतिशत की कटौती ।

दक्षिणी क्षेत्र

आंध्र प्रदेश • एच० टी० उपभोक्ताओं पर 10 प्रतिशत मांग में कटौती ।

कर्नाटक • एच० टी० उद्योगों पर 20 प्रतिशत ऊर्जा कटौती ।

तमिल नाडु • कृषक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर 15 प्रतिशत ऊर्जा कटौती ।

पूर्वी क्षेत्र :

दामोदर घाटी निगम/पश्चिम बंगाल उपलब्धता पर आधारित पीक भार प्रतिबंध ।

बिहार. • दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई वाले 6 जिलों में 20 से 30 प्रतिशत तक की विद्युत कटौती ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :

अपर असम — पीक भार प्रतिबंध ।

अन्य राज्यों नामशः हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में किसी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की गई ।

विभिन्न क्षत्रों में तापीय विद्युत केन्द्रों के चयन के लिये समिति का गठन

358. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बड़े तापीय विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों के चयन के लिए कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) किन किन स्थानों में संयंत्र लगाए जाएंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बृहत् ताप केन्द्रों के लिए उपयुक्त स्थल चुनने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है किन्तु अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

राष्ट्रीय रेयन निगम के निदेशक बोर्ड में कम्पनिविधि बोर्ड की नामनिर्देशित सदस्यों की अवधि

359. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपाड़िया बन्धुओं के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्टों के बावजूद कम्पनीविधि बोर्ड ने राष्ट्रीय रेयन निगम के निदेशक बोर्ड में अपने नामनिर्देशित सदस्यों की अवधि न बढ़ाने का हाल ही में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमन्, नामनिर्देशितों की पदावधि 30 जून, 1973 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

कुछ विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा अपने एककों के विस्तार के लिये आवेदन पत्र

360. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध निर्माता कम्पनियों ने अपने एककों के विस्तार के लिये सरकार को आवेदन पत्र दिय है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने गत 6 महीनों के दौरान आवेदन पत्र दिए है ;

(ग) किस प्रकार के विस्तार की मांग की गई है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) से (घ) एक विवरण पत्र संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5677/73]

तटीय राज्यों में तेल शोधनशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव

361. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तटीय राज्यों के नाम क्या है जिनमें इस समय कोई पैट्रोलियम शोधनशाला नहीं है; और

(ख) क्या इन राज्यों में अगले 10 वर्षों में कोई शोधनशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसूर, गोवा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एक शोधन-शाला निर्माणाधीन है ।

(ख) इन राज्यों में शोधनशाला के स्थापना के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बम्बई और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन के लिए दासगांव और पानाम्बुर के बीच इंजिनियरिंग सर्वेक्षण

362. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन को पूरा करने के लिये दासगांव और पानाम्बर के बीच अन्तिम रूप से इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दसगांव-मंगूलूर के बीच सम्पर्क लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण की मंजूरी देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

बड़ी सिचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना

363. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको पूरा किया जाना शेष है; और

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में बृहत् संतत स्कीमों की सूची संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5678/73]

(ख) पश्चिमी कोसी (बिहार), कोलाडा (केरल), वर्ना और कृष्णा (महाराष्ट्र), अपर कृष्णा और मालाप्रभा (कर्नाटक), महानदी डेल्टा (उड़ीसा), राजस्थान नहर चरण-दो (राजस्थान), टिहरी एवं शारदा सहायक (उत्तर प्रदेश) को छोड़कर जिनको छठी योजना में ले जाया जाए, सभी स्कीमों के पांचवीं योजना में पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

पन-बिजली परियोजनाओं पर परमाणु बिजली तथा तापीय विद्युत परियोजना को तरजीह

364. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कौन-कौन सी पनबिजली परियोजनायें बनाई जा रही हैं और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में किन-किन परियोजनाओं को बनाया जाएगा ;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा परमाणु बिजली परियोजनाओं तथा ताप बिजली परियोजनाओं को पन-बिजली परियोजनाओं पर तरजीह दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम विवरण-एक में दिए गए हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में ली जाने वाली जल-विद्युत परियोजनाओं के नाम विवरण--दो में दिए गए है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5679/73]

(ख) और (ग) जी, नहीं । जल-विद्युत, परमाणु और ताप विद्युत् परियोजनाओं को प्रत्येक को विद्युत के समग्र विकास में अपनी-अपनी भूमिका निभानी है । सम्बद्ध आर्थिक व्यवहार्यता, भार आवश्यकताओं जल संसाधनों के व्यापक उपयोग, अश्मीभूत ईंधन की उपलब्धता, परिवहन सुविधाएं और लागत तथा बहुत से अन्य तकनीकी-आर्थिक तथ्यों के आधार पर चयन किया जाता है ।

गुजरात में गांवों के विद्युतिकरण के लिए वित्तीय सहायता

365. **श्री प्रभुदास पटेल : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए 1972-73 में राज्य बिजली बोर्डों के लिए 94 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण को पर्याप्त सफलता नहीं मिली है; और

(घ) 1973-74 में गुजरात राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता तथा सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1972-73 वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने देश के 17 राज्य बिजली बोर्डों की 200 स्कीमों के लिए 93.21 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता स्वीकृत की है इसमें से निगम ने गुजरात बिजली बोर्ड की 11 स्कीमें स्वीकृत है जिसमें 3.52 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता शामिल है ।

(ग) चतुर्थ योजना के दौरान गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति संतोषजनक रही है । 2,869 ग्रामों के प्रति जिनका चतुर्थ योजना के आरंभ में विद्युतीकरण किया गया था, अगस्त, 1973 तक विद्युतीकृत किए गए ग्रामों की संख्या 5,445 है । गुजरात में ग्राम विद्यु तीकरण की प्रतिशतता 25.3 की अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा 29.2 है । इसी तरह से, पम्पसैटों के ऊर्जन के संबंध में, चतुर्थ योजना के आरंभ में 42,085 ऊर्जित पम्पसैटों की अपेक्षा अगस्त, 1973 तक ऊर्जित पम्प सेटों की संख्या 94,400 थी ।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्ययोजना परिव्ययों के अंतर्गत व्यवस्थित धनराशि से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं । ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा केन्द्र योगात्मक धनराशियों की व्यवस्था करता है और अब तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा गुजरात के लिए 25 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसमें 11.84 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता शामिल है । इसमें 1973-74 वर्ष के दौरान एक स्कीम स्वीकृत की गई है । जिसमें 39.73 लाख रुपये की ऋण-सहायता शामिल है । 15.74 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तीन स्कीमें इस समय निगम के विचाराधीन हैं । निगम इन स्कीमों के संबंध में ऋण सहायता स्वीकार करने पर विचार करने के साथ अन्य ऐसी स्कीमों पर भी विचार करेगी जो राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भेजी जाएंगी यदि वे तकनीकी तौर पर संभव तथा वित्तीय दृष्टिकोण से व्यवहार्य पाई गई ।

अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी द्वारा विद्युत उत्पादन का बढ़ाया जाना

366. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 110 मैगावाट ताप विद्युत् के उत्पादन के लिए अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कम्पनी की सहायता करने का निर्णय भी किया है; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय आएगा ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । गुजरात सरकार को अगस्त, 1973 में सूचित कर दिया गया है कि अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी द्वारा उनके साबरमती केन्द्र में उनकी प्रतिस्थापन तथा युक्तिसंगत बनाने की स्कीम के एक भाग के रूप में 110 मैगावाट के एक सेट के प्रतिष्ठापन पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(ग) अहमदाबाद, इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(घ) अनुमान है कि परियोजना की लागत 24.81 करोड़ रुपये होगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तबका कुंओं से तेल का परीक्षणात्मक उत्पादन

367. श्री प्रभुदास पटेल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में भड़ौच जिले में जम्बूसर से 18 किलो मीटर दूर तबका स्थित अपने कुंए से तेल का परीक्षणात्मक उत्पादन किए जाने की सम्भावना

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कब शुरू होगा;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक तबका के आसपास आठ कुंओं की खुदाई की है; और

(घ) यदि हां, तो इन कुओं से कुल कितनी गैस मिलने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) कुंआ संख्या ड्बका-4 में 24 सितम्बर, 1973 से परीक्षण उत्पादन चालू हो गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना गोपनीय है तथा इसको बताना जनहित में नहीं होगा।

पटना में प्रस्तावित गंगा पुल परियोजना में रेलवे बोर्ड द्वारा भाग लिया जाना

368. **श्री बरके जार्ज :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या रेल मंत्री पटना में प्रस्तावित गंगा पुल परियोजना में रेलवे बोर्ड द्वारा भाग लिए जाने के बारे में 17 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7278 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में प्रस्तावित गंगा पुल परियोजना में रेलवे द्वारा भाग लिए जाने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लिए गये निर्णयों की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां।

(ख) तकनीकी, आर्थिक और सुरक्षात्मक कारणों से यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया था। फिर भी, कानपुर इलाहाबाद मोकामा–मुगेर के बीच नदी के पूर्व फैलाव में एक उपयुक्त स्थल पर एक पृथक रेलवे पुल बनाने के लिए सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है और यह काम हो रहा है।

भारतीय रेलवे के लिए विश्व बैंक ऋण

369. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री बसन्त साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलों के लिए ऋण के सम्बन्ध में हाल ही में विश्व बैंक से कोई की गई है, और ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की व्यापक रूप रेखा क्या है उनके लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से, जो कि विश्व बैंक को एक सम्बन्द्ध संस्था है, ऋण लेने के लिए एक करारनामें पर 24 जनवरी, 1972 को हस्ताक्षर किये गये थे।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से एक और ऋण की बात चीत इस समय चल रही है।

(ख) 24 जनवरी, 1972 की ऋण के जिस करारनामे पर हस्ताक्षर किये गये थे उसकी रकम 750 लाख अमरीकी डालरों के बराबर है। इस ऋण से डीजल और बिजली रेल इंजनों, बिजली गाडियों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के निर्माण के लिए पुर्जे और कच्चे माल, लाइन क्षमता के कामों, बिजली के कामों पटरियों, सिगनल तथा दूर संचार योजनाओं और बिजलीकरण योजनाओं के लिए उपस्कर तथा सामान, संयंत्र तथा मशीनों और रेलवे के फुटकर उपस्कर और सामान की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा के भुगतान पर खर्च किया जायेगा।

30 सितम्बर, 1973 तक 590 लाख अमरीकी डालरों के बराबर रकम निकाली गयी थी जिसका अधिकांश चल स्टाक के लिए पुर्जों और कच्चे सामान के लिए था। 60 लाख अमरीकी डालरों की रकम के लिए और आवेदन पत्रों पर बैंक के साथ लिखा पढी चल रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण

370. श्री आर० के० सिन्हां : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य मुख्य बातें क्या है। राज्य में उसके लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी तथा कितनी स्वीकृत की गई और योजना के अन्तर्गत अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है, और

(ग) चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है और कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना है?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, जिन पर ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा धन लगाया जाना होता है, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जाती है और प्रायोजित की जाती है। निगम इन स्कीमों को जांच करता है और अगर यह तकनीकी रूप से संभव तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाई जाती है तो उनके लिए ऋण सहायता स्वीकार करता है। अभी तक निगम नें उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को 58 स्कीमें स्वीकृत की है जिनमें 33.16 करोड रूपये की ऋण सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक पाइलट ग्राम विद्युत सहकारिता परियोजना को भी 2.43 करोड रुपये की ऋण सहायता दी गई है। इस समय 3.98 करोड रुपये को 9 स्कीमें निगम के विचाराधीन है। निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों को उसे 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है और इस लिए ये स्कीमें कार्यान्वयनाधीन है। सितम्बर 1973 तक लगभग 600 ग्रामों में बिजली लगाई गई है।

(ग) 1973-74 वर्ष के दौरान निगम ने अक्तूबर 1973 तक 10 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 4.55 करोड रूपये को ऋण सहायता शामिल है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अंतर्गत 1973-74 के वर्ष के दौरान 300 ग्रामों के विद्युतिकृत होने की संभावना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मीटर गेज लाइनों का ब्राड गेज में बदलना

371. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक कितनी लम्बाई में मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज में बदला गया है ।

(ख) उपरोक्त अवधि में उत्तर प्रदेश में कितनी लम्बाई में मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज में बदला गया और इस बारे में वर्ष 1973-74 के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित लम्बाई के अतिरिक्त और कितनी लम्बी लाइन बदलने के लिए बच जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 326.30 किलोमीटर ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कोई मीटर लाइन को बडी लाईन में नहीं बदला गया था । लेकिन 604 किलोमीटर लम्बी बारांबंकी समस्तीपुर मीटर लाईन खण्ड के बदलाव का काम जिसमें से 353.10 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पडता है और जिसकी अप्रैल 1972 अर्थात् चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही स्वीकृति दी गई थी, जारी है । आशा है कि बदलाव का काम 31-3-1977 तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के अनुसार 326.30 किलोमीटर का बदलाव करने के बाद देश में मीटर लाइन की कुल मार्ग किलोमीटर लम्बाई 25,547 किलोमीटर है जिसमे से उपर्युक्त भाग (ग) के अनुसार 604 किलोमीटर मार्ग सहित 1,661 किलोमीटर मार्ग का पहले से ही बदलाव किया जा रहा है ।

सितम्बर, 1973 को लखनऊ-सुल्तानपुर यात्री रेल गाड़ी को एक बस के साथ टक्कर

372. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 सितम्बर, 1973 को लखनऊ के निकट लखनऊ सुल्तानपुर यात्री रेल गाडी यात्रियों से भरी एक बस से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुए; और

(ग) इस दुर्घटना में मारे गये तथा घायल व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इस दुर्घटना में 10 बस यात्री मारे गये और अन्य 19 घायल हुए जिनमें से 9 को गंभीर चोटें आईं ।

(ग) अभी तक घायलों में से किसी को या मारे गये यात्रियों में से किसी के निकट सम्बन्धी को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है ।

सितम्बर, 1973 में पूर्वी रेलवे के कलकत्ता स्थित "सिटी बुकिंग आफिस" से नकदी की चोरी

373. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के कलकत्ता स्थित सिटी 'बुकिंग आफिस' से सितम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में एक लाख बारह हजार रुपये की चोरी हुई थी;

(ख) क्या दोषी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और धन राशि वसूल कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो चोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों को पकड़ने में असफलता के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, 24–9–73 को, पूर्व रेलवे के फेयरली प्लेस कलकत्ता स्थित तीसरे दर्जे के बुकिंग कार्यालय के टिकट स्टाक कमरे के अन्दर रखी तिजोरी तथा उसके ताले व सील को तोडकर 1,13,522.80 रुपये की रेलवे नकदी की चोरी की रिपोर्ट की गयी थी।

(ख) और (ग) हेअर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, कलकत्ता ने धारा 457/380 भा० दं० सं० के अन्तर्गत मामला सं० 668 दिनांक 24-9-73 दर्ज किया है। एक व्यक्ति गिरफ्दार किया गया है लेकिन चोरी हुई रकम अभी तक वसूल नहीं है। पुलिस द्वारा छानबीन जारी है।

काकीनाड़ा में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

374. **श्री के० कोड्डारामी रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर सरकारी फर्म ने काकीनाडा में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए आवेदन दिया है;

(ख) कारखाने की प्रस्तावित क्षमता क्या है और इसमें कितना पूंजी निवेश होगा तथा आवेदक का नाम क्या है; और

(ग) सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) गैर सरकारी क्षेत्र में काकीनन्दा नामक स्थान पर एक उर्वरक संयंत्र को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इस प्रस्तावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बिजली की कमी

375. **श्री बी० मायावन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी वर्षा होने के उपरांत भी देश में बिजली की अत्याधिक कमी है और यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवीं योजना के अन्तर्गत 36 किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग द्वारा कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(घ) बिजली की कमी को दूर करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में उत्तर प्रदेश के अलावा जहां पर इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है साधारणतः विद्युत सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक है । दामोदर घाटी निगम क्षेत्र तमिलनाडु और कर्नाटक में विद्युत की कुछ कमी है । वह कमी इन कारणों से है : (1) रिहन्द और शारावती बाह क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षापात, (2) कुछ तापीय यूनिटों का फोर्सड आउटेपस और (3) विद्युत परि-योजनाओं के चालू होने में देरी।

(ख) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने तत्काल लक्ष्य के रूप में कार्यान्वियन के लिये पांचवी योजना अवधि के अंत तक शुद्ध प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता को लगभग 36 मि० मी० किलोवाट तक बढाने के लिए संभावित विद्युत विकास कार्यक्रम तैयार किया है ।

(ग) योजना आयोग द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(घ) कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे है :

(1) पडोसी राज्यों के बीच विद्युत विनिमय को बढावा दिया जाता है ताकि उत्पादन क्षमता का इष्टतम समुपयोजन किया जा सके और संचयन की आवश्यकताओं को कम किया जा सके ।

(2) स्टेंड बाई सेवा के लिए उद्योगों को अपने कैपटिव संयंत्र प्रतिष्ठापित करने के लिए अनुमति दी जा रही है ।

(3) उन उत्पादन यूनिटों के चालू करने में तेजी लाने के प्रयत्न किए रहे है जो निर्माण की प्रौढावस्था में है ।

(4) अन्तर्राज्यीय लाइनों के कार्यक्रम और भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना में तेजी लाई जा रही है ।

(5) प्रबोधन और कोयला और इंधन तेल, फालतू पुर्जों आदि की सप्लाई और परिवहन का प्रबंध करके वर्तमान विद्युत प्रतिष्ठापनों के समुपयोजन को अधिकतम किया जा रहा है ।

कुछ प्रमुख फर्मों के प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के मामलों की एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच

376. **श्री आर० आर० सिंहदेव :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिन्बधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में हाल ही में बहुत से ऐसे मामलों की जांच आरंभ की है जहां कुछ प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में ग्रस्त होने के समाचार मिले है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध जांच आरम्भ की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में

आरोपित, निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा अनुगामित के सम्बन्ध में शिकायतों एवं संदर्भों में जांच कर रहा है :—

1. बम्बई गुडस् ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बम्बई
2. ईस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी
3. इण्डिया टोबाको कम्पनी लिमिटेड
4. वजीर सुल्तान टोबाको कम्पनी लिमिटेड
5. डनलप इण्डिया लिमिटेड
6. इनचैक टायर लिमिटेड
7. गुडइयर (इण्डिया) लिमिटेड
8. फायरस्टोन टायर एण्ड रबड कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
9. इण्डिया टायर एण्ड रबड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
10. सीट टायर आफ इण्डिया लिमिटेड
11. दि मद्रास रबड फैक्ट्री लिमिटेड
12. प्रीमियर टायर लिमिटेड
13. इण्डियन टयूब कम्पनी लिमिटेड
14. इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड
15. ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड
16. हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड
17. सूरत काटन स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स (प्रा०) लिमिटेड
18. विन्डो ग्लास लिमिटेड
19. एसोसिएटेड पैटनर्ड एण्ड वायर्ड ग्लास लिमिटेड
20. नशनल टोबाको कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड
21. ग्रोज बैकर्ट साबी लिमिटेड
22. अलाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड
23. बंगाल पोटरीज लिमिटेड
24. एमेरीकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड
25. बड़ौदा रायन कारपोरेशन लिमिटेड
26 सेन्चुरी स्पीनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
27. इण्डियन रायन कारपोरेशन लिमिटेड
28. जे० के० काटन मिल्स लिमिटेड
29. केशोराम काटन मिल्स लिमिटेड

9—27 LSS/73

30. नैशनल रायन कारपोरेशन लिमिटेड

31. साउथ इण्डियन विसकोस लिमिटेड

32. ट्रावनकोर रायन्स लिमिटेड

33. पोलीदोर आफ इण्डिया लिमिटेड

34. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड

35. अशोक लेलेण्ड लिमिटेड

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार नहीं, आयोग है, जिसको अगर उसकी राय जांच सम्पन्न करने के पश्चात् कि कोई निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा लोक हित के विपरीत है, तो उचित आदेश देना है।

रेल वैगनों की अनुपलब्धता और कोयला परिवहन में कार्यचालन अदक्षता के कारण उत्पादन में गिरावट

377. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की अनुपलब्धता तथा कोयला परिवहन में कार्यचालन अदक्षता के कारण कोयला खानों से दूर स्थित लगभग सभी राज्यों में औद्योगिक माल के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने इसके कारणों का पता लगाने के लिये मामले की जांच की है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) कोयले क परिवहन को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है और स्थिति में कब तक सुधार हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोयला उपलब्ध न होने के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी, माल डिब्बों की कोई अपेक्षित कमी नहीं है यद्यपि बिजली की कटौती जिसका गाडी संचलन और कोयले के उत्पादन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है,। हताड़लें, रेल कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार और पद के अनुसार काम करना, रल-पथ पर धरना देना, गाडी संचालन में बाहरी हस्तक्षेप, भारी वर्षा, रेलवे के ग्राहकों द्वारा माल चढाने और उतारने में अनुचित विलम्ब के कारण माल डिब्बों का रुक जाना आदि अनेक प्रतिकूल कारण हैं जो प्रायः रलों क नियंत्रण से बाहर है और जिनका परिवहन के लिए माल-डिब्बों की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ता है ।

यह सही है कि सभी उद्योगों की मांगों को पूर्णतया पूरा नहीं किया जाता लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योगों के चालू रहने के निमित्त अपेक्षित कोयला पहुंच रहा है, उपलब्ध कोयले का उनमें समुचित अनुपात में वितरण किया जाता है । इस्पात कारखानों, थरमल बिजली घरों जैसे उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को सन्तोषजनक स्तर पर विशेष प्रयास द्वारा कोयले की सप्लाई जारी रखी गयी जिससे उनके उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि

378. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का आन्दोलन जारी है जिसके परिणाम-स्वरूप गत तीन मास में निरन्तर रूप से बिजली की सप्लाई रुक रुक कर चलती रही;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ और कार्य न करने के कारण हुई हानियों का कोई अनुमान लगाया है, और

(ग) आन्दोलनकारियों को तोडफोड की कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है और विद्युत मण्डल और कर्मचारियों के बीच समझौते के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 18-10-1973 से आन्दोलन समाप्त, कर दिया गया है। बहरहाल कर्मचारियों द्वारा 20-9-73 से 18-10-73 तक की हडताल के दौरान कई बार विद्युत फेल हुई।

(ख) तोडफोड के मामलों के कारण बिजली बोर्ड को हुई हानि का मल्यांकन नहीं किया गया है। बहरहाल, कर्मचारियों द्वारा कार्य बन्द करने से कोई हानि नहीं हुई।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि उन्होंने कर्मचारियों के, एक संघ क साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए हडताल न करने के संबंध में करार कर लिया है तथा अन्य संघों के साथ अभी बात-चीत की जा रही है।

आयातित कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण मिट्टी के तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

379. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ाया जाना है।

(ख) क्या सरकार ने नेफ्था के उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लिये पेट्रोल मिट्टी के तेल और डीजल तेल के उत्पादन में उतनी ही कमी करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी तथा कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण मिट्टी के तेल के मूल्य में दो तरफा वृद्धि हो जायगी; और

(ग) यदि नहीं, तो मिट्टी के तेल और पेट्रोल के मूल्यों को समुचित सीमा से बढने न देने के लिय सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) आयातित कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण नेफ्था को छोडकर सभी प्रपूंज शोधित उत्पादों के मूल्यों में 3 नवम्बर, 1973 की वृद्धि की गई थी।

(ख) कच्चे तेल की उच्च लागत एवं मूल उत्पादन शुल्कों की दरें दर्शाने के लिए मोटर स्पिरिट तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि की गई है। ये कदम, और बातों के

साथ साथ इन उत्पादों के उपभोग में रोकथाम करने मिट्टी के तेल के दुरुपयोग के प्रोत्साहन कों समाप्त करने और उर्वरक तथा पैट्रो–रसायन संयंत्रों के लिये नेफ्था की देशीय उपलब्धि के लिये उठाय गये है । विभिन्न पेंट्रोलियम उत्पादों के लिये मांग पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव के प्रकाश में शोधनशालाओं के उत्पाद पैंटर्न का पुनरीक्षण करना पड सकता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में गहरे समुद्र में तथा त्रिपुरा में तेल संसाधनों की खोज

380. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या हाल में किए गए सर्वेक्षण से बम्बई में गहरे समुद्र में तथा त्रिपुरा में भारी माता में तेल मिलने की सम्भावनाओं का पता चला है,

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या है; और

(ग) देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पैट्रॉलियम उत्पादों के परिरक्षण तथा उपलब्ध संसाधनों कौं हस्तगत करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रोलय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सर्वेक्षणों से इस क्षेत्र में कई बडी संरचनाओं के विद्यमान होने का पता चला है। जबकि यह एक अनुकूल स्थिति है इन संरचनाओं में तेल के विद्यमान होने या न होने का पता केवल इन संरचनाओं पर गहरे अनवेषी कुओं के खोदे जाने के द्वारा लगाया जा सकता है।

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को बनाये रखने के लिये उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में सूचना सभा में 13.11.1973 को पूछे गये अत: प्रश्न सं० 342 के उत्तर में दी गई है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पंच) वर्षीय योजना की अवधि के दौरान क्रियाओं का एक भव्य कार्यक्रम बनाया है जिसमें उसके तेल अन्वेषण विकास और उत्पादन क्रियाओं में महत्वपूर्ण तीव्रीकरण की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य तेल के बडे नये भन्डारों को ढुंढ निकालना तथा पांचवीं योजना के अन्त तक तल उत्पादन दर को 8.42 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष तक बढाना है । जहां तक अपतट्टीय अन्वेषण का सम्बन्ध है, आयोग ने एक स्वयं ऊंचा उठने वाला जैंक अप टाइप का एक चलता फिरता खुदाई प्लैटफार्म प्राप्त किया है और बाम्बे हाई क्षेत्र में पहले अपतटीय कुएं के खुदाई 11 अक्तूबर 1973 को आरंभ की गयी। सरकार कुछ अपतटीय क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों के साथ सामान्य ठेकेदार टाइप प्रबन्ध के आधार पर सहयोग के लिये विचार कर रही है । कुछेक कम्पनियों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं [और यह इस समय विचाराधीन हैं ।

आयल इंडिया लि० जिसमें 50 प्रति शत शेयर सरकार का है, मैं भी अपने सीमित क्षेत्र में अन्वेषण के तीव्रीकरण का निश्चय किया है और देश में कच्चे तेल की मांग को पूरा करने के लिये एक सात वर्षीय (1973–79) कार्यक्रम बनाया है । इसके अंशत: असम के डुम-डुमा क्षेत्र में तथा अरुनाचल प्रदेश के निगम क्षेत्र में 16 कुए खोदे जायेंगे जिनकी कुल गहराई 58712 मीटर होगी। आयल इंडिया से प्रस्तावित अन्वेषण क्रियाओं के लिये अवधि कम करने के लिये कहा गया है ।

महाराष्ट्र के कोयना परियोजना के शिव सागर बांध में प्रकंप

381. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में अक्टूबर 1973 के दौरान 24 घण्टों में 42 प्रकंप महसूस किये गये;

(ख) क्या प्रकंप कोयना परियोजना के शिवसागर बांध में पानी का स्तर बढ जाने के कारण आये हैं;

(ग) क्या इसी क्षेत्र में पहले भी ऐसे प्रकंप आये और विशेषज्ञों ने इनके कारणों की जांच की और यदि हां, तो उन्होंनें क्या निश्चित निष्कर्ष निकाले और ऐंसे प्रकंपों को रोकनें के लिए क्या उपाय सुझाये; और

(घ) क्या बार बार ऐसे प्रकंपो के परिणामस्वरूप कोयना परियोजना पर बुरा प्रभाव पडने की आशा है और यदि हां, तो आने वाले खतरे को ऐसी संभावनाओं से परियोजना को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गए है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ राय यह है कि यह सिद्ध करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि भूस्पन्दन कोयना परियोजना के शिवसागर बांध में ऊंचे जल स्तर क कारण आए थ।

(ग) कोयना में दिसम्बर 1967 के तेज भूकम्प के पश्चात, भूकम्प के संभाव्य कारणों को जांच करने के लिए यूनेस्कों तथा भारतीय विशेषज्ञों को एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने पता लगाया कि सितम्बर और दिसम्बर, 1967 के दो बृहत भूस्पन्दनों के लिए जलाशय में जल स्तर उत्तरदायी नहीं था। जब कि भूस्पन्दनों को रोकना संभव नहीं है, भूस्पंदनों का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञों समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कोयना बांध और इसक आनुषंगिक कार्यों को सुदृढ कर दिया गया है ।

(घ) यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कोयना परियोजना पर कोई कुप्रभाव पडेगा। बहरहाल चुंकि जलाशयों को भरने के पश्चात अक्तूबर, 1973 में भूस्पंदन महसूस किए गए, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया है कि भूस्पंदनों के कारणों की जांच करने तथा किए जाने वाले उपचारी उपायों के संबंध में अपनी राय देने के लिए एक और विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

चिनी उद्योग में कम पूंजी निवेश वाली कम्पनियां

382. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री चीनी उद्योग में कम पूंजी निवेश वाली कम्पनियों के बारे में 7 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच चीनी बनाने के कार्य में लगी शेष कम्पनियों के तुलना-पत्रों की जांच कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है जिनमें कम पुंजी लगी हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) उनमें से कोई कम्पनी ऐसी नहीं है, जिसमें कम पुंजी लगी हो।

उत्तर रेलवे के "खानपान प्रबन्ध" कर्मचारियों द्वारा रेलवे के साथ तथा कथित धोखाधड़ी

383. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के 'खान पान प्रबन्ध कर्मचारी' रेलवे विभाग के साथ प्रतिवर्ष 36 लाख रुपये की कथित धोखाधडी करते रहे हैं,

(ख) क्या इस मामले में कोई विशेष जांच की गई है,

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले है, और

(घ) क्या दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध ग़ोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस तरह की शिकायतें मिली है कि उत्तर रेलवे की विभागीय खान पान यूनिटों में अनाचार के कारण रेलों को प्रतिवर्ष 36 लाख रुपये का घाटा होता है ।

(ख) से (घ) : इन आरोपों की रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है जांच पूरी होने के बाद इस बारे में आगे कार्रवाई की जायेगी।

बदरपुर बिजली परियोजना के चालू किये जाने एवं उसके निष्पादन में विलम्ब

384. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर बिजली परियोजना के चालू किये जाने एवं उसके निष्पादन में कुछ विलम्ब हुआ है,

(ख) क्या इस विलम्ब के कारण सरकारी खजाने को कोई हानि हुई है और यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई है, और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण है और सारी परियोजना को समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परियोजना रिपोर्ट में प्रथम यूनिट को 1971-72 में चालू करना परिकल्पित है। इस यूनिट के चालू होने में देरी हुई है ।

(ख) परियोजना के पूर्ण होन में देरी परियोजना की लागत में वृद्धि के कारणों में से एक है, मुख्य कारण संयंत्र और उपस्कर और सिविल कार्यों की उंची लागत है ।

(ग) देरी के मुख्य कारण है – परियोजना के स्वीकृत होने में देरी, कठिन स्थल स्थितियां अपेक्षित अवसंरचनात्मक इस्पात सैक्सनों को अनुपलभ्यता के कारण मुख्य विद्युत घर भवन के निर्माण में देरी, ठेकदारों द्वारा पूर्ण करने की लक्षित तिथि पर कायम न रहने के कारण बृहत् सिविल कार्यों में देरी, संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में देरी, रेल साइडिंग के निर्माण में देरी भारत पाक संघर्ष के कारण इस्पात, सीमेन्ट और अन्य सामग्री की सप्लाई में रुकावटें और सीमेन्ट इस्पात आक्सीजन एसीटोलाइन गैस आदि दुर्लभ सामग्री का सामान्य अभाव ।

ठेकेदारों/संभरकों के साथ उच्च स्तर पर थोडे थोडे समय के बाद पुनरावलोकन बैठकें होती रहीं हैं और प्रत्येक अवस्था में कार्य की प्रगति में रुकावट डालने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी प्रयत्न लगातार किए जाते रहे। अस्थायी कठिनाईयों को दूर करने के लिए, इस्पात को प्राथमिकता कोटे से प्राप्त करने के साथ साथ अन्य परियोजनाओं से व्यपवर्तित करने में ठेकेदारों को सहायता दी गई। जब कभी आवश्यक हुआ अन्य परियोजनाओं से सीमेन्ट, आक्सीजन, एसीटोलीन गैस प्राप्त करने में भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में शीघ्रता लाई गई है। यूनिट दो और तीन के लि निर्माण कार्य के लिए अभिकरण नियत की जा चुकी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

एकाधिकार कम्पनियों का अच्छी और बुरी के रूप में वर्गीकरण

385. **श्री बी० वी० नायक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री एकाधिकारी गृहों में नियंत्रक हित वाली कम्पनियों से सम्बन्धित 17 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 755 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में एकाधिकारी कम्पनियों का अच्छी और बुरी के रूप में वर्गीकरण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार उनके नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एकाधिकारी गृहों के अच्छे और बुरे के रूप में वर्गीकरण करने के लिये कोई ठीक ठीक मानदंड उद्विकास करना सभव नहीं पाया गया है। एक एकाधिकारी गृह में बहुत सी कम्पनियां सम्मिलित होती हैं, जिनमें कुछ किसी एक दृष्टिकोण से अच्छी होती हैं, जबकि कुछ किसी अन्य दृष्टिकोण से बुरी हो सकती हैं। अतः एक एकाधिकारी गृह को पूर्णरूपेण इस प्रकार के वर्गीकरण के अन्तर्गत नही ला सकते।

बड़े पैमाने पर कास्टिक सोडा बनाने वालों को राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रियायतें

386. **श्री बी० वी० नायक :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने बड़े पैमाने पर कास्टिक सोडा बनाने वालों को भूमि, जल, बिजली तथा अन्य रूपों में क्या रियायतें दी हैं;

(ख) क्या काश्तकारों से कृषि भूमि जब्त करने के बाद भमि अर्जित करके कच्चे माल अर्थात् सामान्य नमक का उत्पादन करने के लिये भूमि दिया जाना कास्टिक सोडा निर्माताओं को रियायत दिया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की रियायत पाने वालों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

विद्युत उपकर का राज्यों को विकास सहायता के लिये दिया जाना

387. **श्री बी० वी० नायक :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् उत्पादन की दृष्टि से किन राज्यों में उसकी अधिकता अथवा कमी है;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि विद्युत् परिशुल्क को जल विद्युत् उत्पादन के स्थानीय क्षेत्रों को वापिस दे दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जहां तक विद्युत् के उत्पादन का संबंध है, इस समय, फालतू विद्युत् वाले राज्य ये हैं:—मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और संघीय क्षेत्र दिल्ली। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के राज्यों और संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़ और गोवा, दमन तथा दियु में बिजली की खपत पर कटौतियां अथवा पाबन्दियां लगाई गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की कलोनोयों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की रोकड़ वसूली सुविधा

388. श्री ईश्वर चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–110035 को मनोहर पार्क, अशोक पार्क एक्सटेंशन, चमामल पार्क और पंजाब गार्डन कालोनियों से घिरे मदन पार्क में दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को रोकड़ वसूलो सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इस क्षेत्र में लगभग 50,000 निवासियों को बहुत असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि पूर्वी पंजाबी बाग, पश्चिम पंजाबी बाग और शिवाजी पार्क में गश्ती रोकड़, गाड़ियों द्वारा रोकड़ वसूली सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां पर मदन पार्क, मोहन पार्क, अशोक पार्क विस्तार, जय देव पार्क और पंजाब गार्डन कालोनी जैसी अन्य निकटवर्ती कालोनियों से भी बिजली के बिलों की अदायगी स्वीकृत की जाती हैं। दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान इन कालोनियों में भी गश्ती रोकड़ गाड़ियों के रोके जाने की व्यवस्था के प्रश्न की जांच कर रहा है।

कर्नाटक में एक अन्य उर्वरक संयंत्र की स्थापना

389. श्री के० मालन्ना : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार केन्दीय सरकार से यह अनुरोध करती रही थी कि मंगलौर उर्वरक संयंत्र की क्षमता को दुगनी के अतिरिक्त उस राज्य में एक अन्य उवरक संयंत्र की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मंगलौर में एक फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये मैसूर राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव, जिसका राज्य सरकार द्वारा समर्थन किया गया है, का मूल्यांकन किया जा रहा है।

बंगलौर-मैसूर-कोम्बेटूर बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण

390. श्री के० मालन्ना :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने बंगलौर-मैसूर-कोम्बेटूर बड़ी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मैसूर राज्य ने केन्द्र सरकार से यह परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) बैंगलूर-मैसूर-चामराज-नगर खंड को मीटर रेलवे लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए हाल ही में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं या अभी किये जा रहे हैं। बैंगलूर-मैसूर खंड की सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल चुकी है और मैसूर-चामराजनगर खंड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्टों की प्रत्येक दृष्टि से जांच कर लने के बाद ही इन दो खंडों के आमान-परिवर्तन के बारे में कोई विनिश्चिय किया जायेगा। जहां तक कि चामराजनगर-कोयम्बटूर खंड का संबंध है, बड़ी लाइन या मीटर लाइन में से कोई भी नयी लाइन बिछाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि 1948-49 में किये गये इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण और 1970 में किये गये पुनर्मुल्यांकन दोनों से मालूम हुआ है कि इस खंड में मीटर लाइन सम्पर्क भी वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। वर्तमान आर्थिक संकट में इस रेल सम्पर्क का निर्माण व्यावहारिक नहीं मालूम पड़ता।

(ग) जी नहीं, फिर भी, कर्णाटक की राज्य सरकार बेंगलूर-मैसूर-चामराजनगर खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए जोर देती रही है लेकिन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है यह प्रश्न पहले से ही विचाराधीन है।

स्वदेश में तैयार किये गये उर्वरक संयंत्रों के डिजाइनों में दोष

391. श्री डी० जी० देसाई : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 सितम्बर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि स्वदेश में तैयार किये गये उर्वरक संयंत्र दोषपूर्ण डिजाइनों के कारण स्थायी रूप से संकटग्रस्त हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो डिजाइन के दोषों को दूर करने के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) रिपोर्ट में उल्लेखित 3 प्लांटों में से दो, यानी दुर्गापुर और कोचीन स्वदेशी परिकलन तथा इंजिनीयरिंग को बाहर की न्यूनतम सहायता से, अधिकतम बनाने के लिये हमारे पहले प्रमुख प्रयत्नों का प्रमाण है। यह दोनों प्लांट यांत्रिक रूप से 1971 के द्वितीयार्ध में पूरे किये गये थे परन्तु प्रमुख आयातित यंत्रों की खराबी के कारण ये उसके शीघ्र बाद चालू नहीं किये जा सके। कोचीन प्लांट ने अप्रैल 1973 में उत्पादन आरम्भ किया परन्तु उसे अभी अपनी क्रियाओं को स्थिर करना है। दुर्गापुर प्लांट चालू किये जाने के अन्तिम चरणों में है और अमोनिया तथा यूरिया की थोड़ी सी मात्रा का उत्पादन करने में समर्थ रहा है। जांच के लिये चलाये जाने के दौरान देखी गयी खराबियों तथा कमीयों का अन्य के अतिरिक्त विदेशी प्रदताओं के विशेषज्ञों के सहयोग से पता लगाया गया है। आवश्यक शोधक कदम उठाये जा रहे हैं।

वरौनी प्लांट सम्पन्न होने के निकट है और यहां दुर्गापुर एवं कोचीन में पाये गये विकारों के फिर उठने को रोकने के लिये कदम उठाये गये हैं।

Constitution of Central Board for Rajghat Dam Project in Bundelkhand

392. **Dr. Gobind Das Richcharia** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Board for the proposed Raj Ghat Dam project in Bundelkhand has deen constituted;

(b) if so, the names of the Chairman and Members thereof;

(c) the funds sanctioned for the dam; and

(d) the present progress of the project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) The Control Board for Rajghat Dam Project has not yet been set up. The matter is under correspondence with the State Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

(c) The Govt. of Uttar Pradesh have made a provision of Rs. 51 lakhs in their budget for 1973-74 for the construction of the Rajghat Dam Project. An outlay of Rs. 25 crores has been proposed by them for this project in the State Fifth Plan.

The Government of Madhya Pradesh have made a lump sum provision of Rs. 125 crores for all unapproved schemes (including the Rajghat Project) in the Fifth Plan. The Fifth Plan has not been finalised so far.

(d) Preliminary works have been commenced from this year.

मिराज और लोंधा (दक्षिण-मध्य रेलवे) के बीच मीटर लाइन बड़ी लाइन में बदलते समय उसे बरास्ता गोकक ले जाने के लिये मर्चेंट्स एसोसिएशन, गोकक से अभ्यावेदन

393. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज और लोंधा (दक्षिण-मध्य रेलवे) के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये एक सर्वेक्षण दल ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मर्चेन्टस एसोसिएशन, गोकक से कोई अभ्यावेदन मिला है कि वर्तमान रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलते समय बरास्ता गोकक नगर ले जाया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ख) जी, हां ।

(ग) इससे पहले की 1963-64 की सर्वेक्षण रिपोर्ट में गोकक रोड स्टेशन के रास्ते वर्तमान मार्ग के साथ आमान परिवर्तन का सुझाव दिया गया था, क्योंकि यह बताया गया था कि रेलवे लाइन को घुमाकर गोकक टाउन के रास्ते ले जाना कठिन होगा और इससे सीधे यातायात के लिए गमन दूरी भी बढ़ जायेगी। फिर भी, गोकक के मर्चेन्ट्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन को, चालू सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक जांच-पड़ताल के लिए दक्षिण-मध्य रेलवे को भेज दिया गया है।

अकोडिण मंड़ी के लोगों द्वारा प्लेट फार्म उंचा करने तथा एक प्रतिक्षालय बनाये जाने की मांग

394. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकोडिण मंड़ी (पश्चिम रेलवे) के लोगों ने प्लेट फार्म ऊंचा करने तथा एक प्रतीक्षालय बनाये जाने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, और

(ग) यदि उक्त कार्य आरम्भ करने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अकोदिया पश्चिम रेलवे के भोपाल-उज्जैन खण्ड पर स्थित एक मार्गवर्ती स्टेशन है। इस स्टेशन पर होने वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां पटरी की सतह के बराबर एक प्लेटफार्म तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय के रूप में प्रतीक्षा स्थान, जो 1599 वर्ग फुट का है और प्लेटफार्म पर 50′ × 61″ की एक छत पहले से मौजूद है। रेलवे उपयोगकर्ता सुविधा समिति का अनुमोदन मिलने और धन उपलब्ध होने पर, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करने और प्रतीक्षालय के विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को आगामी वर्षों के निर्माण कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए विचार किया जायेगा।

गुना–मक्शी लाइन को पुरा करने में विलम्ब

395. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना मक्शी लाइन को दिसम्बर, 1972 तक पूरा किया जाना था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन के पूरा न होने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) यातायात के विकास की गति धीमी होने और धन की कमी के कारण गुना-मक्सी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये जो लक्ष्य तारीख निर्धारित की गयी थी उसमें कई बार फेर बदल करने पड़े। फिर भी, गुना और ब्यावरा राजगढ़ के बीच के खंडों और मक्सी-सारंगपुर खण्ड जिसकी कुल लम्बाई 132.21 किलो मीटर हैं, का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। धन की कमी के कारण ब्यावरा राजगढ़ और सारंगपुर के बीच के खण्ड (61.27) कि० मी० पर निर्माण-कार्य की गति धीमी कर दी गयी है, फिर भी, शेष खण्ड के निर्माण कार्य को दिसम्बर, 1974 तक पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

Demand and Supply of Petroleum Products in the Country

396. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the present position of demand and supply of petrol, diesel and kerosene oil in the country; and

(b) the arrangements made for making these things available in time to the consumers in far off and small places on fair price?

The Minister of State in the Minisry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawz Khan (a) The supply and demand position of MS (Petrol), kerosene, HSD (High speed Diesel Oil) and LDO (Low Diesel Oil) is at present satisfactory. There are adequate inverntories to meet the full requirements of the country. Import commitments have also been made to fully bridge the gap between indigenous availability and anticipated demands.

(b) MS and HSDO are being satisfactorily made available through the retail outlets (pumps) of the oil companies located throughout the country, including in far off and small places. With the equalisation of the price of kerosene and HSDO, similar arrangements are being made for the sale of kerosene oil. Special attention is also being given to the availability of LDO.

हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा नई दिल्ली स्थित अपने भवन को मैसर्स ओरियन्टल कम्पनी को फरीदाबाद, कथित बिक्री

397. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टाइम्स कर्मचारी संघ मे सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है की हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड नई दिल्ली, में कर्जन रोड (कस्तुरबा गांधी मार्ग) स्थित अपने भवन की छः मंजिले मैसर्स ओरियन्टल कम्पनी, फरीदाबाद को बेचने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान्

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी भी उपबन्ध का वर्णन नहीं है, जो केन्द्रय सरकार को विक्री करने से, रोकने में समर्थ करेगा।

रेलवे के प्रबन्ध में रेलवे कर्मचारियों का भाग लेना

398. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के प्रबन्ध में रेलवे कर्मचारियों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (क) प्रबन्ध में मजदूरों का अधिकाधिक भाग लेने के उद्देश्य से एक तंत्र गठित किया गया है जिसका नाम निगमित उद्योग समूह है। इसमें दोनों फेडरेशनों के प्रतिनिधि और बोर्ड के सदस्य कुछ मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं। रेलों पर कर्मचारी कल्याण के लिए गठित विभिन्न समितियों में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था है।

कर्मचारियों के काम और उसके कल्याण से संबंधित मामलों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी समय-समय पर विचार विमर्श किया जाता है।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

399. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान मिट्टी का तेल, पेट्रोल तथा चिकनाई तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है तथा क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उनके मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5680/73**]

(ग) आयातित कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक तथा सतत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्यों में कोई कमी किये जाने पर विचार करना कठिन होगा।

गत छः महीनों के दौरान हुई रेलवे दुर्घटनाएं

400. **श्रीमती सवित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में कई रेलवे दुर्घटनाएं हुई है,

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटनाए किस प्रकार की थी तथा उसके क्या कारण थे,

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई,

(घ) रेलवे ने इस संबंध में कितना मुआवजा किया, और

(ङ) इन दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान अर्थात् मई 73 से अक्तूबर, 1973 तक भारतीय रेलों पर टक्करों पटरी से उतरने, समपरों पर सड़क यातायात से गाड़ियों के टकरा जाने, और गाड़ियों में आग लगने की 409 गाड़ी दुर्घटनाए हुई। इन दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिये गये हैं :—

1. रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या . .	197
2. रेल कर्मचारियों के भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या	59
3. रेलवे उपस्कर की खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या . .	75
4. तोड़ फोड़ के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या	3
5. आकस्मिक	35
6. उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके कारण सिद्ध न हो सके . . .	7
7. जिनके कारणों का अभी तक अन्तिम रुप से निर्णय नहीं हुआ . .	33
जोड़ . .	409

(ग) इन दुर्घटनाओं में 103 व्यक्ति मारे गये थे।

(घ) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 71 51 रुपये 70 पैसे की राशि का का भुगतान किया गया है।

(ङ) इन दुर्घटनाओं में दोषी पाये गये उनतालीस रेल कर्मचारियों को अभी तक इस प्रकार दण्ड दिया गया है :—

(1)	निम्नतर ग्रेड में या उसी ग्रेड में पदोंनति	7
(2)	विभिन्न अवधियों के लिए वेतन-वृद्धियों को रोक देना . .	25
(3)	परिनिन्दा/चेतावनी	5
(4)	पास और पी० टी० ओ० को रोक देना	2
	जोड़ .	39

देश में बिजली बोर्डों के विद्युत इंजीनियरों की हड़ताल

401. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न बिजली बोर्डों के विद्युत् इंजीनियरों और कर्मचारियों ने गत छह महीनों के दौरान हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनकी क्या मांगे थी; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाई है कि आगामी तीन वर्षों में कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । देश के कुछ राज्य बिजली बोर्डों के विद्युत् अभियंता और कर्मचारी पिछले छः महीनों के दौरान हड़ताल पर गए हैं ।

(ख) विद्युत् अभियंताओं द्वारा हड़ताल के लिए मुख्य कारण पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में भूतपूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्युत् अभियंता महासंघ के अध्यक्ष, श्री हरबंस सिंह की की मुअत्तली को वापस लेने की मांग थी । उनकी अन्य मांगें ये थी :—अभियंताओं को अखिल भारतीय सेवा बनाना, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बराबर वेतनमानों का संशोधन और विद्युत् सप्लाई उद्योग जिसमें राज्य बिजली बोर्ड शामिल हैं, को पुनसंरचना करना । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कर्मचारी वेतनमानों में तत्काल संशोधन, पहले से किए गए वेतन निर्धारण और वर्गीकरण आदि को अपनी मांग पर जोर डालने के लिए हड़ताल पर गए थे ।

(ग) अधिकांशत: विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण राज्य बिजली बोर्डों का उत्तरदायित्व है और अधिकांशतः विद्युत् अभियंता और बिजली कर्मचारी इन बोर्डों में कर्मचारी हैं । अत: विद्युत् अभियंताओं और बिजली कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना होता है । राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकारें इस मामले पर विचार करने में तल्लीन हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी

402. **श्री के० सूर्यनारायण:** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने देश में बिजली को कमी को पूरा करने तथा विशष रूप से आंध्र प्रदेश में बिजली के विकास के पीछे रह जाने के बारे में क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : विद्युत् की कमी का सामना करने वाले राज्यों में, कुछ हद तक, कमी को पूरा करने के लिए पड़ौसी राज्यों से सहायता का प्रबंध किया जा रहा है। उद्योगों को उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए तथा स्टैंडबाई/आपातकाल सेटों के लिए कैपटिव विद्युत् संयंत्र के प्रतिष्ठापन की अनुज्ञा दे दी गई है। नए विद्युत् उत्पादन यूनिटों के चालू करने में शीघ्रता लाने तथा उनका वाणिज्यक प्रचालन करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश को उसकी वर्तमान कमी का सामना करने के लिए उड़ीसा से सहायता दी जा रही है। आंध्र प्रदश में इस समय दो विद्युत उत्पादन स्कीमें नामश: लोअर सिलरु (4× 100 मेगावाट) और कोठागुडाम (2×110 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वियन के लिए आंध्र प्रदेश के लिए हाल ही में निम्नलिखित विद्युत् उत्पादन स्कीमें स्वीकृत हुई हैं।

1. नागार्जुनसागर (जल विद्युत्) . . . . 100 मैगावाट
2. विजयवाड़ा ताप विद्युत् केन्द्र . . . . 400 मैगावाट
3. कोठागुडम ताप विद्युत् केन्द्र चरण-चार . . . 220 मैगावाट
4. अपर सिलेरू विस्तार (जल विद्युत्) . . . 120 मैगावाट
5. कोठागुडम ताप विद्युत् केन्द्र चरण-पांच . . . 220 मैगावाट

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a matter of Urgent Public Impbrtance

दिल्ली में हशिश का तस्करी करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के पता लगने का समाचार

श्री सतपाल कपूर (पतियाला): मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दे।

"दिल्ली में हशिश की तस्करी करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगने और 1.5 लाख रुपये के मूल्य की अवैध हशिश और 4 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा के पकड़े जाने का समाचार"

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : दिल्ली पुलिस को विदेशी मुद्रा और नशीली वस्तुओं की एक कूट योजना के बारे में सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर 10 नवम्बर 1973 को बहुत सवेरे उन्होंने एक भारतीय नागरिक अशोक सोलोमन को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया जब वह बम्बई से आने वाली एक स्थानीय फ्लाइट से उतरा था। बताया जाता है कि उस व्यक्ति से लगभग ढाई लाख रुपये की विभिन्न विदेशी मुद्राएं बरामद की गई हैं। नई दिल्ली में उसके मकान की तलाशी से लगभग एक लाख रुपये मूल्य की और विदेशी मुद्रा, 4,970.00 रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा, कुछ कारतेस तथा तेज़ धार के हथियार बरामद किये गये बताये जाते हैं। पुरानी दिल्ली में उसके व्यापार के परिसरों से साढे पांच किलो हशीश को बरामद किया गया बताया जाता है। श्री अशोक सालोमन और तथा उसकी पत्नी को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया।

नई दिल्ली में स्थित अन्य रिहायशी मकानों की जो श्री अशोक सोलोमन के एक अधिकार में थे उसी दिन तलाशी ली गई और 140.3 किलोग्राम हशीश, भारतीय मद्रा में 7,000 रुपये तथा कुछ जाली दस्तावेज भी बरामद किये गये बताये जाते है। उस व्यक्ति तथा उसकी पत्नी को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया।

12 नवम्बर, 1973 को श्री अशोक सोलोमन की मां के नाम में नई दिल्ली में एक बैंक लाकर की दिल्ली पुलिस तथा कस्टम स्टाफ ने तलाशी ली और 16 गिन्नियों समेत लगभग दो किलो सोना तथा 10 तोले वजन की मूलत: एक सोने की छड़ बरामद की गई बताई जाती है।

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

अशोक सोलोमन के अन्य साथी के व्यापार के परिसरों पर गत रात्रि को छापा मारा गया और 4.7 किलोग्राम हशीश बरामद की बताई जाती है। उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में 4 अपराधिक मामले दर्ज किये है और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभियुक्तों से पूछ ताछ की जा रही है।

Shri Sat Pal Kapur : Sir, I had referred this case to the Ministry of Finance, as this problem is related with the Customs Department. So many things are being smuggled in this country on very large scale in an organised manner. Delhi police had seized foreign currency and hashish here. But may I know that what are you doing to check the menace of smuggling in the whole country. May I also know whether any international gang is behind this smuggling. We want to know whether any multi-national parties or companies are involved in it.

It is very clear that the smugglers are doing this work with the help of custom staff and police of this country. They bribe those people, who prepare the case for court and thus some difficulty is there. In the circumstances the court is forged to give the verdict of not guilty in their favour. I warn that if it is not taken seriously, it would adversely effect the economy of the country.

We want to know the number of persons in customs department and police department, who have been punished during the last three years because they were in connivance with the smugglers? What is the number of employees who have been charge-sheeted and what reforms have been introduced in the customs and police departments to check it? What are the measures proposed to tighten the law?

I want to know the names of those influential persons involved in organising the smuggling and the action being taken by the Government to check it? A comprehensive report should be given to us.

Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : Mr. Speaker, Sir, The Hon'ble member has made it a very comprehensive question. The question of calling attention was very limited. When it was known that the concerned person is coming, he was immediately arrested and his house and the factories were searched and seized foreign currency and Hashish etc. were confiscated. No doubt that we are being helped in getting the smugglers gang arrested. But it is difficult to tell everything about smuggling.

We would surely consider the question of tightening the law regarding smuggling. We would ask the Finance Ministry also to consider them.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) **:** The reply of the minister of this calling attention has been circulated in English only. Its Hindi translation has not been circulated.

Mr. Speaker : Hindi translation must have been circulated.

Shri Hukam Chand Kachwai : It has not been circulated. Always it is said that Hindi question must be replied in Hindi.

The Hon'ble minister cannot deny that goods are being smuggled in the country in a very large scale. The leaders are also involved in it.

Shri Uma Shankar Dikshit : What do you mean by the 'leaders' and who are these leaders?

Shri Hukam Chand Kachwai : Ministers, people like you.

Shri Uma Shankar Dikshit : Please tell their names. (*Interruption*)

Shri Sat Pal Kapur : Members also can be connected with it.

Shri Hukam Chand Kachwai : I would explain briefly. If I am wrong, you can expunge it from the proceedings.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय के लिय असंसदीय बात की कार्यवाही से निकाल देना अनिवार्य होता है । माननीय सदस्य ने माननीय गृह मंत्री के प्रति दोष लगाया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : He had said that the ministers are also involved. He had not mentioned the name of Shri Dikshit.

Shri Sat Pal Kapur : This is very wrong thing.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The matter regarding Shri Antule, Minister of Maharashtra was raised in this House. Shri Ganesh had replied that we are asking the Maharashtra Government for permission to inquire against him. When the ministers are involved in it, how can you check it?

Mr. Speaker : Please let him speak.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उन्होंने कहा है कि कुछ मंत्री . . .

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कुछ मंत्री ऐसे है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : व्यवस्था का एक प्रश्न है । माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के एक मंत्री के संबंध में दिये गये मेरे एक वक्तव्य का उल्लेख किया है । म यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्होन मेरे वक्तव्य का इस तरह से उल्लेख किया है जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य से महाराष्ट्र के मंत्री क विरुद्ध कोई आरोप लगाया था। . . . (**व्यवधान**) मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं । यह बहुत ही गम्भीर मामला है . . . (**व्यवधान**) मै उस बात का विरोध करता है जो माननीय सदस्य ने कहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह सोचा था कि श्री वाजपेयी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri Ganesh was clarifying something on his point of order.

Mr. Speaker : He had also raised the point of order like Shri Vajpayee.

Shri Hukam Chand Kachwai : The smuggling trade is in the hands of big people. May I know whether it is not a fact that Shri Ganesh had referred to this point that an inquiry would be held against the Minister of Maharashtra.

Mr. Speaker : The calling attention is regarding Delhi.

Shri Hukam Chand Kachwai : Ashok Soloman is engaged in this smuggling trade for a very long time. May I know whether any inquiry has been made against him, whether he is being prosecuted in one case or in many cases. For how many times he was permitted to go abroad. Contraband gold is being smuggled into this country. I have no hesitation in saying that many officers and ministers are involved in it.

Last time one person named Kuli Mastan was arrested. I want to know that what action was taken against him. May I know whether you would inquire about his property. Because he is giving finance for elections, therefore no action is being taken against him.

10—27 LSS (ND)/73

[Shri Hukam Chand Kachwai]

Abnu Vakra, a Pakithani national was arrested. He escaped after bribing the concerned persons who are responsible for this lapse.

Shri Uma Shankar Dikshit : That person is being prosecuted in three cases. When it was known that he is coming his movements were watched. As far as police and Union Home Ministry are concerned, we would inquire fully into the matter and we would seek the co-operation of the Enforcement Directorate in regard to the seized gold or other articles. We have conveyed the information to the House whatever we have got immediately. Still this matter is being inquired into. Therefore nothing more can be said about it. We have arrested four-five persons. It is not proper to ask other things...

As far as I know, no officer and no minister was involved in this case.

श्री समर गुह (कन्टाई) : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि केवल दो या तीन दिन पहले हशिश की तस्करी का पता चला था । किन्तु समाचार पत्रों तथा कुछ सीमा तक माननीय मंत्री द्वारा बताये गये तथ्यों से पता लगता है कि काफी समय से हशिश की तस्करी का षडयंत्र चल रहा था ।

तस्करी का यह गुट संसार भर में फैला हुआ था। श्री सोलोमन और एक और व्यक्ति श्री शर्मा के विरुद्ध पहले ही बैंकों के साथ धोखा करने के मामले चल रहे है । वह बदनाम धोखेबाज है । उन के विरुद्ध तीन या चार साल से ये मुकदमे चल रहे हैं।

समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ था कि श्री आनन्द नामक एक और व्यक्ति को भी इस संबंध में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उस को रिहा कर दिया गया था क्योंकि उसे निर्दोष पाया गया था । श्री आनन्द को निर्दयता पूर्वक पीटा गया, परन्तु श्री सोलोमन के साथ गयें। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस कुछ सीमा तक इससे संबंधित है ।

क्या इस बात का पता लगाने के लिए जांच की गयी है या की जायेगी कि श्री सोलोमन और श्री शर्मा ही केवल ोषी नहीं है और क्या पुलिस का तस्करों के साथ कोई संबंध है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गम्भीरता से इस ओर ध्यान दिया है कि विदेशी मुद्रा जारी करने वाले बैंकों की किसी प्रकार की ढील आदि के कारण ऐसा होता है । अन्यथा एक कुख्यात अपराधी के पास इतनी मुद्रा कहां से आ गयी ।

क्या गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को इस मामल पर विचार करन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कानून और अधिक कड़ाई से लागू करेगा कि विदेशी मुद्रा की तस्करी को रोका जाये ।

क्या सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर कोई संयुक्त प्रयास कर रही है क्यों कि हशिश की तस्करी वहां से होती है तांकि हशिश की इस तस्करी को रोका जा सके। क्या सरकार हशिश की इस तस्करी के संबंध में षड़यंत्र का पता लगान के संबंध म केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा समूचे मामल की जांच करायेंगी ?

श्री उमा शंकर दिक्षित : माननीय सदस्यों ने अनेक गम्भीर तथ्यों का उल्लेख किया है । हमन इन सभी तथ्यों की जानकारी वक्तव्य म दे दी है । मुझे विश्वास है कि वह इस बात से प्रभावित हुये होंग कि इतनी अधिक हशिश और विदशी मुद्रा पकड़ी गयी है और सभी संबंधित स्थानों पर बहुत शीघ्र कायवाही की गयी है ।

जहां तक श्री आनन्द का संबंध है, वह दिल्ली हवाई अड्डे पर अशोक सोलोमन का स्वागत करने गया था। जब तक हमें उसके विरुद्ध कोई निश्चित बात मालूम नहीं होता है, तब तक पुलिस उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है।

इस मामले में जहां सभी संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया हो और गम्भीर प्रयास किय जा रहे हों वहां यह शिकायत करना, कि पुलिस इस मामले में संबंधित है, उचित नहीं है।

श्री समर गुह : क्या भारत सरकार ने इस बारे में नेपाल सरकार के साथ कोई संयुक्त प्रयास किया है और क्या सरकार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में नियम स्पष्ट है कि एक प्रश्न पूछा जा सकता है। किन्तु जब माननीय सदस्य एक से अधिक प्रश्न एक साथ पूछते है, तो माननीय मंत्री उत्तर देते हुय भ्रम में पड़ जाते है.....

श्री समर गुह : ये एक ही प्रश्न के भिन्न भाग थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें संक्षिप्त रूप से प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री उमा शंकर दीक्षित : यदि आवश्यक हुआ तो, हम अवश्य ही नेपाल सरकार से सहयोग के लिये कहेंगे।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिये सभी आवश्यक पग उठाये है और इस के लिये हमें सरकार को बधायी देनी चाहिये।

गत कुछ मासों में अनेक मामलों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में 'ब्लिटज' में एक कहानी प्रकाशित हो चुकी है।

विदेशी माल को खरीदने के लिये काले धन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार काले धन का प्रचलन होता रहता है।

ऐसे तस्करी किये गये सामान की बिक्री करने वाली दुकानों पर अवश्य ही रोक लगायी जानी चाहिये। उन्ह यह रहस्य बताने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये, कि किन लोगों ने उन्हें यह माल बेचा है। इस प्रकार मुख्य व्यक्तियों को पकड़ा जा सकता है। कई बार कोई एक राजनीतिज्ञ तथा हजारों व्यापारियों और अनेक पुलिस कर्मचारियों का भी इसमें हाथ हो सकता है। अतः ऐसी बात को, जिससे हमारी लाखों रुपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति विदेशों में चली जाती है, अनिवार्य रूप से रोका जाना चाहिये।

'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि कुछ दूतावासों का भी इस में हाथ है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भारत में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी राष्ट्रिक तस्करों के साथ कोई संबंध न रखें तथा स्वयं तस्करी भी न करें। ऐसे लोगों को भी अवश्य पकड़ा जाना चाहिये।

मैं अन्त में गृह मंत्री महोदय से देश के कानून को अधिक मजबूत बनाने तथा तस्करी करन वालों तथा उसे सहायता देने वालों को कड़ा दण्ड देने की अपील करता हूं।

श्री उमा शंकर दीक्षित : हम इन सभी सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सीमा शुल्क विभाग तस्कर किये गये माल को बेचता है। किसी भी ऐस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये जो सीमा शुल्क विभाग से इस माल को खरीदता है।

पैट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि संबंधी अध्यादेश जारी करने के बारे में

RE ISSUE OF ORDINANCE INCREASING EXCISE DUTY ON PETROL, KEROSENE OIL ETC.

अध्यक्ष महोदय : जारी किये गये अध्यादेश के बारे में जो कल व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, उस पर प्रकाश डालने के लिये मैंने मंत्री महोदय को कह दिया है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यदि आपका यह निर्देश है कि मुझे इस प्रश्न के संबंध में वक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have to submit that this matter is mainly connected with you.

Mr. Speaker : If you don't want, it can not call the Minister.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, you might have read the views expressed by Shri Mavlankar, the speaker of first Lok Sabha. Law minister can speak only about legal aspect, but you have to protect the rights of the parliament.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता पूर्व) : हम आप की व्यवस्था चाहते है और उससे पूर्व आपने विधि मंत्री की सहायता चाही। अब आप अपनी व्यवस्था दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री महोदय को सुनना चाहते है ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्री वाजपेयी ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया था। यह प्रश्न देश के संसदीय लोक तंत्र से संबंधित है । आपने विधि मंत्री के विचार जानना चाहे। अब आप को अन्य सदस्यों को भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस प्रश्न पर व्यवस्था अध्यक्ष महोदय को ही देनी चाहिये। हां, हमें विधि मंत्री के हस्तक्षप पर कोई आपत्ति नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी इस बारे में अपनी व्यवस्था है परन्तु यदि आप सरकार के विचार सुनना चाहते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अधीन जारी किया गया है । उसे पढने से स्पष्ट होता है कि सरकार अध्यादेश के जरिये निधियां अथवा राजस्व एकत्र कर सकती है । यही इसका स्पष्टीकरण भी है । फिर यह निर्णय मंत्री मंडल का निर्णय है तथा विधि मंत्री भी उस मंत्रीमंडल के ही अंग है । यदि आप को इस बारे में कोई मन्त्रणा लेनी ही है तो आप महा अधिवक्ता से ले लें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri D. K. Barooah has already explained the reason for issuing this ordinance. But the question is of its propriety. If he wants to explain it we are prepared to listen.

Mr. Speaker : If you want to listen to him you can, but if you want my ruling I can give.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : श्री बनर्जी की बात ठीक है । अध्यादेश जारी करने का निर्णय सारे मंत्री मंडल का है अतः स्वाभाविक है कि विधि मंत्री उसका समर्थन ही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस विषय का संबंध है मुझे अपनी व्यवस्था देने के लिये विधि मंत्री की सलाह की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : हम अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दे रहे। स्पष्ट है कि सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है । प्रश्न यह है कि कर लगाने के लिये अध्यादश जारी करने में क्या संवैधानिक औचित्य है ? हम आप से यह जानना चाहते है कि सरकार का कदम ठीक है अथवा नहीं ।

श्री बी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह प्रश्न संसदीय लोक तन्त्र और हमारे संविधान दोनों से संबंधित है । आप व्यवस्था देने से पूर्व विधि मंत्री से सलाह ले सकते है और साथ ही हमें भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूर्वोदाहरणों का अध्ययन किया है तथा मैं समझता हूं कि मुझे विधि मंत्री की सलाह की आवश्यकता नहीं है ।

22 नवम्बर, 1971 को श्री इन्द्रजीत गुप्त ने संसद के सत्र के प्रारंभ होने के समय के लगभग अध्यादेश जारी करने का प्रश्न उठाया तो मैंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही उचित नहीं । जब तक विशेष परिस्थितिया न हो इस प्रकार के अवसरों पर सरकार को अध्यादेश नहीं जारी करने चाहिये। इसी प्रकार की व्यवस्था मेरे पूर्वाधिकारियों ने भी दी थी।

Shri Madhu Limaye : But the Government has been persistently defying the chair. It should end.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, Your responsibility does not end with this ruling. You should see to it that Government acts accordingly.

Mr. Speaker : I have given my ruling about the propriety. I can not say anything about legality.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसमें कानूनी अथवा संवैधानिक उपबन्धों की कोई बात नहीं । लोक तंत्र में कई बातें परम्पराओं पर निर्भर करती है और हम ऐसी परम्परा की स्थापना करना चाहते है कि जब संसद का सत्र बुलाया जा चुका हो तो सरकार किसी प्रकार का अध्यादेश जारी न करे। मेरा यह मत नहीं है कि सरकार को कराधान के संबंध किसी भी समय कोई अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिये। क्यों कि कोई ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि राजस्व को हानि को रोकने के लिये सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़े। यदि सत्र के बुलाये जाने के उपरान्त कराधान संबंधी कोई अध्यादश जारी किया जाय तो वह इस तरह होना चाहिये कि संसद की अनुमति लेने के पश्चात ही करों की उगाही पिछली तिथि से की जा सके । इस समय संसद की अनुमति के पूर्व ही इस कर का भार लोगों पर डाला गया है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : अध्यक्ष पीठ द्वारा प्रारंभ से ही इस प्रकार की कार्यवाहियों के औचित्य के विरुद्ध विचार प्रकट किये गये हैं परंतु फिर भी सरकार द्वारा अध्यक्ष पीठ के निदेश का उल्लंघन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है और यह अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम, का एक अवशेष है और इसके परिणाम स्वरुप नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है।

[श्री० एच० एन० मुखर्जी]

विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश के द्वारा विधान बनाया जा सकता है उसका औचित्य है। परंतु अध्यादेश के द्वारा कराधान, और विशेष रूप से संसद के सत्र के प्रारंभ होने के समय, लोकतंत्र की भावनाओं के प्रतिकूल है। यह कार्यवाही संसद का अवमान है। मेरे विचार से यह कार्यवाही संवैधानिक, राजनैतिक तथा वित्तीय दृष्टिकोणों से पूर्णतया असंवैधानिक हैं।

आप की स्वयं की तथा आपके पूर्व के पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था के बावजूद सरकार ने उनका उल्लंघन किया है। यह स्पष्टतया संसदीय औचित्य के विरुद्ध है।

कई माननीय सदस्य उठे

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा होगी अतः अब मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमें आपकी व्यवस्था से प्रसन्नता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1903 संबंधी विधि आयोग के 54 वें प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5662/73]**

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (आन्ध्र प्रदेश) संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 445 (ड) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5663/73]**

(3) लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 505 (ड) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5664/73]**

(4) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०आ० 461 (ड) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 5 दिया हुआ है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5665/73]**

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) कोककारी और गैर-कोककारी कोयला खानें (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1973.

(2) उड़ीसा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973

(3) मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973

2. मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों की प्रतियां भी राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणिकृत रूप में सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1973

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1973

(3) लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1973

(4) सीमा-शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, 1973

(5) कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1973

(6) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक, 1973

(7) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1973

(8) भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1973

(9) विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक 1973

(10) संविधान (31 वां संशोधन) विधेयक, 1973

कार्य मंत्रणा समिती
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

कार्य मंत्रणा समिति के बारे में 33 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
Motion re. Thirty-third Report of the Business Advisory Committee

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 33 वें प्रतिवेदन से, जो 12 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

कई **माननीय सदस्य** उठे

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार जब मंत्री द्वारा अगले सप्ताह के लिये सभा के कार्य की घोषणा की जाती है तब उस पर चर्चा हो सकती है। कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के मतदान पर नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It has to be decided that notices are given under rule 193 and 184 but is it to left to be decided by the Government whether it likes Motion under rule 193 or rule 184. If we want to raise any matter under rule 184 can the Government say it can have under rule 193?

Mr. Speaker : It is a decision of the committee and not that of the Government.

प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 33 वें प्रतिवेदन से, जो 12 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

पटसन के माल पर निर्यात शुल्क में कमी करने के बारे में जानकारी देने में सरकार की कथित असफलता

Shri Madhu Limaye : The Government had fixed price of Assam Bottom jute @ 157.68 per quintal for Calcutta delivery. The Minister of Commerce held a Press Conference at Calcutta on 19th August and said that his Ministry had suggested the reduction or removal of export duty on jute products so that jute products could complete with synthetic products in Internal markets. He also said that this suggestion was under the consideration of the Ministry of Finance and their reaction appears to be favourable.

In my view the Minister has violated two proprieties. Firstly he has announced the decision before the receipt of the final concurrence of the Ministry of Finance. Secondly he announced this decision in a Press Conference at Calcutta. It has many times been observed by you that Government decision regarding taxation should be first anncunced in the House, when it is in session.

Central Government instructed Jute Mill-owners on 26th September, 1973 to make purchases of 14 lakh bales of raw jute by the end of October on the prescribed price. The Commerce Minister had also instructed the Jute Corporation to purchase 15 lakh bales on the fixed price from jute growers.

But these instructions were neither complied by Jute Mill-owners nor by Jute Corporation. Mr. Chattopadhyaya had to observe that he was not satisfied with the Jute Industry.

Government action in reducing the export duty on Jute goods did not had the expected results and prices of Hesian and Sackings has increased on the other hand. It is well known that international prices depend upon the internal prices.

There has been a 20 per cent increase in prices of jute products and even then Commerce Minister has connived to give concessions to Jute Industry. It is being provided a loan of 30 crores with approval of Reserve Bank and State Bank.

Due to inefficiency and wrong policies of the Commerce Minister Jute Producers have been deprived of Rs. 20 crores. In addition Jute Mill owners have been provided Rs. 18 crores more by reducing and abolishing the export duty. Jute Industry has been able to earn so much profits which they could not earn since independence of the country.

I, therefore, demand that

1. Export duty should be reinforced, as according to "Capital" synthetic products are in short supply in internation market.

2. Government should impose a new levy or a cess on Jute Industry and utilize this amount by giving assistance to jute growers for making improvements in jute production.

3. Government should make its purchases from the Jute Industry at fixed prices.

I request that Minister of Commerce should apologise to the House for his action in the matter.

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० बी० चट्टोपाध्याय) : वाणिज्य मंत्रालय अब कुछ समय से पटसन माल के निर्यात में गिरावट के रुख के बारे में चिन्तित है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि निर्यातों में इस रूख का मुख्य कारण संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों से प्रतियोगिता का होना है । संश्लिष्टों की कीमत अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर एक समान थी और इस तथ्य को देखते हुए कि एक बड़ी क्षमता पहले ही सृजित कर ली गई है, यह आशा कि गई कि उत्पादन स्तर में वृद्धि होने से कीमत और भी गिर जाएगी। हम निरन्तर संयुक्त राज्य अमरीका के बाजार को खो रहे हैं लेकिन पूर्व यूरोपीय देशों में जो लाभ हम प्राप्त कर सके हैं, यदि वे भी न किये जाते तो हमारी स्थिति और भी काफी खराब होती। बंगला देश द्वारा उत्पादित पटसन माल की भी कीमत भारतीय उत्पादों की कीमत की तुलना में औसतन लगभग 5 से 10 प्रतिशत कम थी। यद्यपि लागत में कमी करना अनिवार्य समझा गया, परन्तु चूंकि यह स्वयं में एक दीर्घावधि प्रयास था, यह अनुभव किया गया कि निर्यात शुल्कों को समाप्त करने अथवा उनमें कटौति करने से भारतीय पटसन उत्पादों की प्रतियोगी स्थिति पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह मूल्यांकन 1973 की द्वितीय तिमाही के दौरान उपलब्ध अनुभव जन्य आंकड़ों के आधार पर और विभिन्न बाजारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर किया गया। अतः इस मामले को वित्त मंत्रालय के विचारार्थ उठाया गया और टाट तथा हैसियन पर निर्यात शुल्क को घटाने के लिए एक मामला तैयार किया गया। इससे पहले, वित्त मंत्रालय कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क में कमी करने के लिए सहमत हो गया था और इससे कालीन अस्तर के निर्यात पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा था। उद्योग निर्यात शुल्क को पूर्णतः समाप्त किये जाने के लिए निरन्तर दबाव डालता रहा था और इसी संदर्भ में मैंने 18 अगस्त, 1973 को कलकत्ता में हुई "पटसन उद्योग की समस्याओं और संभाव्यताओं" पर हुई बैठक में यह संकेत दिया कि हैसियन तथा टाट पर कर संबंधी राहत देने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यह भी उल्लख किया कि कोई निश्चयात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पटसन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कटौति/समाप्ति आदि की कोई घोषणा नहीं की गई थी। चूंकि निर्यात शुल्क के समायोजन के संबंध में अन्तिम विनिश्चय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाता है, अतः वे ही इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। निर्यात शुल्क में कटौति के संबंध में वास्तविक घोषणा 28 अगस्त, 1973 को वित्त मंत्रालय दवारा एक अधिसूचना के अन्तर्गत की गई थी। अतः यह उल्लेख किया जाता है कि समाचारपत्रों में उद्धृत वक्तव्य का अभिप्राय यह नहीं है कि निर्यात शुल्क में कटौति अथवा उसकी समाप्ति की घोषणा की गई है और केवल इस बात का ही संकेत दिया गया था कि सरकार द्वारा उद्योग के अभ्यावेदनों पर समुचित रूप में ध्यान दिया गया है और मामले के उचित परिप्रेक्ष्य में उस पर विचार कर रही है। अतः मैं यह कहूंगा कि इसमें विशेषाधिकार भंग का कोई मामला अन्तर्गस्त नहीं है।

Shri Madhu Limaye : It is not such an ordinary matter. I want your ruling on the matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। आपने 377 के अधीन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहा। मंत्री महोदय ने अपना उत्तर दे दिया है।

श्री मधु दंडवते : क्या आप उससे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस में मेरे सहमत होने अथवा न होने की बात नहीं। यह तो सदन का निर्णय है। इसमें मेरी व्यवस्था देने का भी कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Is it your ruling that taxation decisions can be announced outside the House? There have been earlier rulings and if you want to change your ruling it is a separate matter.

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर उन्नीस मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Nineteen minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Deputy Speaker *in the Chair*]

भारतीय खाद्य निगम (उत्तर प्रदेश क्षेत्र) में छंटनी के बारे में
RE. RETRENCHMENT IN FOOD CORPORATION OF INDIA (U. P. REGION)

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : भारतीय खाद्य निगम (उत्तर प्रदेश खंड) के 800 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं और 288 लोगों को जबरन सेवा निवृत्त कर दिया गया है। यह एक गम्भीर मामला है और इस पर मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये।

कोयले की कमी के कारण 250 यात्री गाडियों को रद्द करने के बारे में
RE. CANCELLATION OF 250 PASSENGER TRAINS DUE TO SCARCITY OF COAL

Shri Madhu Limaye (Banka) : 250 trains have been cancelled due to shortage of coal. Railway Ministry should clarify the matter.

Twenty four flying clubs were closed due to shortage of Aviation fuel, I want that some clarification regarding this matter may also be given.

टेक्सटाइल समिति (संशोधन विधेयक)
TEXTILE COMMITTEE (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि टेक्सटाईल समिति अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

टेक्सटाइल समिति, टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अन्तर्गत 22 अगस्त 1968 को गठित की गई थी। समिति ने गठित विपणन अनुसंधान के संबंध में बड़ा उपयोगी कार्य किया है तथा कलकत्ता, कोयम्बटूर, दिल्ली और मद्रास के दो क्षेत्रीय केन्द्रों में परिक्षण गृहों के साथ उसने बम्बई में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कार्यवाही की है। इस समय समिति की गतिविधियों का वित्तपोषण सरकार द्वारा कुल उत्पादित सूती कपड़े, सलूलोज और

गैर सेलूलोज फिलामेंट धागे, उनी धागे तथा टेक्सटाइल मशीनों पर लगाये गये शुल्क से होता है। संशोधित विधयक में टक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी के कुल उत्पादन पर एक प्रतिशत यथा मुल्य उपकर लगाने का विचार है, समिति द्वारा की गई वसूली को भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया जायेगा और बजट व्यवस्था के अनुरूप संसद की स्वीकृति से समिति की आवश्यकताओं के अनुसार इसका विनियोग किया जायेगा। इस समय अधिनियम जम्मू और काश्मिर राज्य पर लागू नहीं होता है। प्रस्तावित संशोधन में इसका विस्तार जम्मू और काश्मीर राज्य तक करन का विचार है।

पुनरीक्षीत अधिनियम में 'टक्सटाइल' की परिभाषा को युक्ति संगत बनाया गया है। संशोधित विधेयक में, जो व्यापक रूप दिये जाने के लिए सभा के समक्ष है, 'टेक्स्टाईल' की पुनः परिभाषा की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :--

"कि टैक्सटाइल समिति अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री बोरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : संशोधित विधेयक का ध्येय टेक्सटाइल समिति की निधि को बढ़ाना है, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में इस दिशा में क्या किया गया है। पता चला है कि समिति खराब माल के निर्यात को नहीं रोक सकी है। कमियों के बावजूद भी समिति के निधि को बढ़ाने और उन लोगों को और अधिकार देने के लिए, जिन्होंने इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया है; यह विधेयक लाया गया है। इसमें लाभ की तुलना में हानि अधिक होगी।

प्रशिक्षित लोगोंने एक गुट बना लिया है तथा वे व्यापारियों से सांठ गांठ किए हुए हैं तथा वे माल के मानकीकरण की दिशा में तनिक भी सहायता नहीं पहुंचा रहे है। अतः किसी भी दश को भारतीय मानक का पता नहीं है। इस और भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

ी एस० आर० दामाणी (शोलापुर): वस्त्र उद्योग के उत्पादों की किस्म को नियंत्रित करना और वस्त्र उद्योग के लिए देश में निर्मित मशीनरी की किस्म को नियंत्रित करना विधेयक का उद्देश्य है। वस्त्र उद्योग की परिभाषा विस्तृत कर दी गई है। सूती सिल्क, उनी रेयन और नाइलोन कपड़ा बनाने के लिए 95 प्रतिशत मशीनों का निर्माण देश में ही किया जाता है जिसका कई देशों को निर्यात किया जाता है। अतः इसकी किस्म का नियंत्रण करना अत्यावश्यक है। इस उद्योग के कुछ एकको को आवश्यक कच्चा माल नहीं मिल रहा है। उद्योग के कुछ एकक न तो देश की मांग को पूरा कर पा रहे हैं और न ही निर्यात बढ़ा पा रहे हैं। मशीन आदि बनाने वाले एकको क लिए अपनी प्रयोगशालायें रखना सरकार को अनिवार्य बनाना चाहिये। सरकारी प्रयोगशालाओं के परीक्षण में आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध नहीं है। एकत्र किए गये धन का उपयोग सरकारी प्रयोगशालाओं में आधुनिकतम उपकरण लगाने में किया जाना चाहिये।

वस्त्र उद्योग देश और निर्यात की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस हेतु मशीनों के उत्पादन को बढ़ाया जाए तथा पूर्ण सज्जित प्रयोगशालाओं को भी उनमें रखा जाए। देश में सप्लाई होने वाले कपड़े का भी पूरा परीक्षण किया जाय जिससे लोगों को मजबूत कपड़ा मिल सके।

एक प्रतिशत यथामूल्य उपकर लगाना बहुत अधिक है। सरकार पहले ही 400 से 500 करोड़ रुपये तक उत्पादन कर, आयात कर आदि के रूप में वसूल कर रही है। किस्म नियंत्रण पर होने वाले केवल कुछ लाख खर्च के लिए एक प्रतिशत उपकर क्यों लगाया जाए? इस एक प्रतिशत उपकर से जनता पर और भार नहीं पड़ना चाहिए।

डा० रानेन सेन(बारसाट) : इस विधेयक का संबंध किस्म नियंत्रण और उपकर से है। इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति तभी होगी जब टेक्सटाइल मशीनों और टक्सटाइल माल का उचित परीक्षण और निरीक्षण किया जाए। भारतीय वस्त्रों का आयात करनेवाले देशो ने खराब माल सप्लाई किए जाने की शिकायतें की हैं। इस बात का कोई पता नहीं कि मंत्रालय ने इन शिकायतों पर विचार किया है अथवा नहीं अथवा क्या कोई जांच की गई है। और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले।

कोयला अथवा इस्पात के समान एक मिला जुला पूल होना चाहिये जिससे देश भर में रुई का मूल्य समान हो सके। महाराष्ट्र और गुजरात की प्रतियोगिता को देखते हुए बंगाल, बिहार और उड़िसा आदि पूर्वी राज्य लम्बे समय से यह मांग कर रहे हैं। इस भाग में सूती कपड़ा उद्योग को कच्ची रुई उचित मूल्य पर मिल रही है जबकि पूर्वी भाग में बड़ा ऊंचा मूल्य चुकाना पड़ता है। पूल के अभाव में उत्तर प्रदेश को भी रुई अधिक मूल्य पर लेनी पड़ती है। हमें इस बात की जानकारी है कि मूल्य बढाए जाने पर हमें चीन और जापान जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतियोगिता करनी होगी। अत: निर्यात किये जाने वाले कपड़े का मूल्य उपयुक्त होना चाहिए। आन्तरिक खपत के लिए वस्त्रों के मूल्यों की क्या स्थिति है? यह एक आवश्यक वस्तु है। उद्योगपति अपनी प्रत्येक उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ाने के अवसर की तरक में रहते हैं।

संशोधित विधेयक की धारा 5 (क) में केन्द्रीय सरकार को धारा 5(क) के अन्तर्गत लगाए जाने वाले उत्पादन शुल्क को पूरा अथवा उसके एक भाग को अधिसूचना में उल्लीखित कुछ किस्मों के वस्त्रों अथवा मशीनों पर से हटाने का अधिकार दिया गया है। यह समझ में नहीं आया कि सरकार ने कुछ वस्तुओं को छुट देने का अधिकार क्यों लिया?

अत: इन सभी बातों को स्पष्ट किया जाए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The hon. Minister has not indicated the extent of revenue accruing from the imposition of 1 per cent levy. It would have facilitated the House to judge whether it is really essential to impose this levy. It should be reduced to 1/2 per cent, because ultimately its burden has to be borne by the consumer. Imposing such a heavy cess will provide a fresh opportunity for the textile manufacturers to raise the prices on textile goods.

In the International markets, for our textile industry goods, there is not much scope for the competition. If correct policies in regard to import of yarns like nylon caprolactem which are scarce in our country and cause rise in prices, are followed, it will bring a larger revenue to Government.

There have been complaints that in Tamil Nadu discrimination have been made against certain textile mills in regard to cut in power. Their quotas should be fixed on the basis on their average consumption of yarn for the last three years.

We all wish that the production should be raised, export should be increased but the hon. Minister should also bear in mind the interest of a common consumer. A Select Committee should be set up to examine the question of imposing a cess of 1 per cent.

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore) This is not an ordinary Bill. I wish to know from the hon. Minister what is its aim. The powers which you want to entrust with the Textile Commissions are always there with him. This Bill seeks to assume powers to raise the prices of textile goods and offer opportunities to the Textile Comissioner department to indulge more freely in the exploitation of the situation. Imposition of 1 per cent cess on textile production will bring a revenue of Rs. 8 crores, while it cost the Textile Commissioner only about Rs. 2 lakhs. Quantity of per capita consumption of textile has come down from 15 meters to 12 meters.

The Textile department checeks reed and peak, whereas the record shows that cloth is of 40 reed and 40 peak while in fact it is of 36 reed and 36 peak.

The Textile Industry is more than hundred and twentyfive years old. It has made enormons gain since 1947. The industry has developed considerably. As against 378 mills with 1 crore 9 lakh spindles in 1951, there are now 684 mills with 1 crore 83 lakh spindles. Inspite of this why 3,95,00,00,000 meter was produced in 1971 when the production of cloth in the year 1956 was 4,85,00,00,000. The production of cloth has fallen short because of decrease in labour strength. Therefore the price of cloth has gone high. The Ministry has not paid any attention to it. While the price of cotton has fallen the price of cloth has gone up. The price index of the cotton yarn has gone up to 208.5 in the year 1973 from 162.2 of the year, 1970. The traders are indulging in black marketing.

The textile commissioner is in know of the production and distribution of cloth. Why all this muddle then?

The Balance sheet of Bombay, Ahmedabad and Kanpur textile mills have since been published. There is lot of mismanagement in the mills. There is lot of dishonesty in marking the length. Length of 1 yard is marked as one meter. There is no limit to the mismanagement of textile department.

I request the hon. Minister to make use of my services because I am in the know of the practical aspect. I know how the production can be increased. This is all what I wanted to submit.

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ कमियां भी हैं। टैक्सटाइल मशीनरी, टैक्सटाइल धागों तथा कपड़ों तथा रशों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। किन्तु टैक्सटाइल मशीन निर्माताओं ने इसे रोकने के लिए नए उपाय अपनाए है। कपड़े और धागे के संबंध में भी यह तरीके अपनाए गये है। जब वाणिज्य मंत्रालय द्वारा धागे पर नियंत्रण लगाया गया और एक निर्धारित दर पर बचने के लिए कहा गया तो मिल मालिकों ने एक नई युक्ति अपनाई और सरकार द्वारा लगाई गई सीमा का उल्लंघन कर बहुत लाभ कमाया ।

यह ठीक है कि सरकार ने मानकीकरण तथा किस्म नियंत्रण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। बड़ी संख्या में कपड़े की गाठें विदेशों मे अस्वीकार कर दी जाती हैं क्योंकि वह घटिया किस्म की होती है। इसका कारण यह है कि प्रबंध तथा निरीक्षण अधिकारियों के बीच आपसी सांठगांठ होती है।

अब यह कहा गया है उपकर लगाया जाएगा और उस राशि को कर्मचारियों पर प्रशिक्षण देने के लिए व्यय किया जायगा किन्तु यह समझ नही आता कि प्रशिक्षण के लिए क्यों शुल्क लिया जा रहा है। जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तो आपको निरिक्षण कार्य के लिए भी कर्मचारियों की जरुरत पड़ेगी। आजकल कपड़े की इतनी किस्मे प्रचलन में है कि मिल मालिकों की यही कोशिश रहती है कि कपड़ की विभिन्न किस्मे बार बार बना कर ऊंची कीमत पर, टैक्सटाइल समिति को कोई शुल्क दिए बिना, बेची जाएं। जय यह विधेयक अधिनियम बन जाय तो मंत्री महोदय को उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ईमानदारी से समुचित कदम उठाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Dr. Laxminarayan Pandey (Mandsaur) : Through this Bill the Government is in fact imposing a new cess which will yield nearabout 8 crores of rupees. The price of the cloth manufactured in the country is about 14 crores. If half of the production is on handlooms and powerlooms even then half production worth 7 crores of rupees remain on which you are imposing the new cess. This burden on the common man is certainly not justified.

[Dr. Laxminarayan Pandey]

The Textile Committee has not been functioning properly. Several complaints have been received about the textiles that we had exported and orders have been cancelled. I wish to know whether the committee has gone into those cases and found out the reason why sub-standard material was allowed to be exported.

It was reported in newspapers that a Gwalior textile mill has made a wrongful gain of 60 lakhs by under measurement of cloth. When such complaints are received why stern action is not taken.

It has been said that by imposition of cess the quality will be improved. Till now you have been spending 70 or 80 lakhs on the committee and now you want to increase it to Rs. 8 crores. What is the justification behind it? Mill owner will take undue advantage of this increase of one per cent tax. There is no need at all to impose this heavy tax burden on the people.

There has been decline in the production of cloth with the result prices have increased but the price rise has not been proportionate. The price of cotton has increased by 15 per sent whereas the price of cloth has increased by 80 per cent. Price of the controlled cloth has also increased.

Many textile mills have been taken over by the Government but they are not working satisfactorily. The Government should see to it that the appointed controllers work properly.

You are over burdening the public by imposition of this cess.

Shri M. C. Daga (Pali) : Under this Bill the Government wants to establish certain laboratories in order to improve the quality of textile and textile machinery. I want to know why can't the big Industrialists like Tata and Birla, who have earned crores of rupees in this trade, establish the laboratories themselves. After all how much money the Government want to collect in the name of establishing laboratories.

In the year 1971 the Government had appointed a bureau of Industries Costs and Prices. I wish to know the recommendations of the bureau and also whether those recommendations have been implemented or not.

What is the necessity of appointing a Tribunal under this Bill whon there is already a committee with a chairman duly appointed by the Central Government ? It has also been said that this Tribunal will follow its own procedure. Why should it not follow the Civil Procedure Code? Why is the Government increasing its expenditure unneccessarily.

The purpose of the Bill is not clear. The hon. Minister should clarify the position.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं इस विधेयक के कुछ औपचारिक विधायी पहलुओ की चर्चा तक स्वयं को सिमित रखुंगा।

खण्ड 5 (ख) में (न्यायाधिकरण) ट्रिब्यूनल के गठन का उल्लेख किया गया है। खण्ड 5(ग) में उन अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है जो कि कमेटी के फैसले के खिलाफ की जाएगी। खण्ड 5 (ग) के उपखण्ड में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के लिए जब तक कोई नियम नही बनाए जाते तब तक वह ऐसी प्रक्रिया अपना सकता है जो उसकी दृष्टि में उचित हो। एक व्यक्ति या एक न्यायाधिकरण को अत्यधिक अधिकार सौंप देना निश्चय ही असंवैधानिक है। जहाँ तक मामले के विधायी पहलु का संबंध है यह अनिश्चितता के तत्व को जन्म देता है। उपखण्ड (7) में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल को दीवानी अदालत के समान अधिकार प्राप्त होगे मैं समझता हूं कि यह जाँच न्यायालय की तरह कार्य नहीं करेगी।

इसका अर्थ यह हुआ इस विधेयक के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल के कार्यकरण के लिए तीन प्रकार की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। यह तीन प्रक्रियाएं हैं—उस के अन्तगत बनाए गए नियम, खण्ड 5(ग) में विहित उपबन्ध और यथेच्छ प्रक्रिया जिसे यदि ट्रिब्यूनल ठीक समझे तो अपना सकता है। यह सर्वथा आप्रासंगिक है और उचित भी नही।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : टैसक्टाइल समिति की स्थापना टैक्सटाईल समिति अधि-नियम, 1963, के अन्तर्गत स्टेंडर्ड कपड़े प्राप्त करने के लिए की गई। इस अधिनियम के खण्ड 12 के अधीन यह समिति टैक्सटाईल और टैक्सटाइल मशीनरी के निरीक्षण हेतु नियमानुसार कुछ फीस लगा सकती है । इस संशोधनकारी विधेयक में सभी वस्त्रों तथा टैक्सटाइल मशीनरी पर एक प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर लगाना है । यह प्रसन्नता की बात है कि हथकरघा और विद्युत चालित करघा टैक्सटाइल को इस अतिरिक्त उपकर से छूट दी गई है। मैं इस छूट का स्वागत करता हूँ। समिति टैक्सटाइल मशीनरी के निरीक्षण के प्रश्न पर समुचित ध्यान नहीं दे पाई है। लगभग सभी टैक्सटाइल मिलों में मशीनरी घिस पिट गई है तथा पुरानी पड़ चुकी है। 1970–71 के दौरान हमारे देश से 7.12 करोड़ रुपये के मूल्य की टैक्सटाईल मशीनरी तथा उपकरणों का निर्यात किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या टैक्सटाइल समिति किसी भी वर्ष में सभी मशीनों तथा उपकरणों का निरीक्षण कर पाई है जिनका निर्यात किया गया। वाणिज्य मंत्रालय की 1972–73 वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 124 पर कहां गया है की टैक्सटाईल समिति द्वारा केवल 18 महत्वपूर्ण कम्पोनेंट्स (Camponents) का निरीक्षण किया गया। इसलिए मुझ यह पक्का सन्दह हुआ। इस वार्षिक रिपोर्ट में केवल निरीक्षण का उल्लेख किया गया है लकिन मशीनरी की मरम्मत या उनको बदलने के सबंध में कोई सुझाव नही दिए गए। टैक्सटाईल समिति की गतिविधियों का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट में अवश्य किया जाना चाहिए। और यदि यह पता लगता है कि टैक्सटाईल मशीनरी की जांच और निरीक्षण के लिए यदि कुछ अधिक धन की आवश्यकता है तो सदन उसके लिए स्वीकृति बिना हिचकि चाए दे देगा।

सदन में इस बात से कोई इन्कार नहीं करेगा कि देश में आंतरिक खपत के लिए और निर्यात के लिए स्टैण्डर्ड कपड़े के उत्पादन की आवश्यकता है और जब तक कपास को उचित दरो पर मिल वालों को सप्लाई नही कि जाएगा धागे की कीमत बढ़ती जाएगी। हम मिस्त्र, सुडान और अन्य अफ्रीकी देशों से 100 करोड़ रुपये के मूल्य की कपास की बढ़िया किस्म का आयात कर रहे हैं यद्यपि यह हथकरघा उद्योग के लिए है फिर भी इस पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाता है। कच्ची रुई पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना अनुचित रूप से अधिक है और इसे स्वभावतः धागे का मल्य बढ़ेगा।

यह दु:ख का विषय है कि धागे के वितरण पर कोई नियंत्रण नही । धागा सीधा मिल मालिकों के पास आता है वह धागे की सप्लाई के लिए बिल तो नियंत्रित दर पर बनाते है लेकिन वास्तव में उसके लिए ज्यादा पैसा वसूल कर लेते है। और इस तरह धागे की बिक्री से वह बहुत लाभ कमा रहे ह। धागे के वितरण का तुरंत नियंत्रण किया जाए तथा वितरण का यह भार राज्य सरकारों को सौंपा जाए। जब कि धागे संबंधी आंतरिक मांग पूरी नही हो रही तब उसका निर्यात करने का क्या अर्थ है इसे बन्द किया जाना चाहिए। नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने अपना त्यागपत्र देने से पूर्व सितम्बर में धागे के वितरण और उत्पादन के संबंध में असंतोष व्यक्त किया और कहा कि कच्ची कपास की अधिकरण विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि वाणिज्य मंत्रालय को राष्ट्रिय कपड़ा आयोग के भूतपूर्व चैयरमैन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

कृत्रिम रेशन, रेयन और नायलान आदि के धागों की समस्या गंभीर होती जा रही है। कृत्रिम रशम के 454 ग्राम धागे की कीमत 6.70 रुपये निर्धारित की गई है जबकि खुले बाजार में वह 27.00 रुपये पर बिक रहा है। इसी कारण से इस उद्योग के हथकरघा बुनकरों को

*तमिल मे किए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर

*English translation of the speech deliverd in Tamil.

[श्री ई० आर० कृष्णन्]

असीम कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अकेले तमिलनाडु राज्य में लगभग 1.5 लाख हथकरधा बुनकर कृत्रिम रेशे से अपनी जीविका कमाते हैं। कृत्रिम रेशम का कुल धागा केन्द्रीय समिति को मिलता है। उसका 20 प्रतिशत कृत्रिम रेशम के वस्त्र निर्यात करने वालों को मिलता है। इसका 40 प्रतिशत केन्द्रीय समिति की क्षेत्रीय समितियों को दिया जाता है और शेष 40 प्रतिशत खुले बाजार में जाता है । ये क्षेत्रीय समितियां अस्तित्व में नहीं हैं। वास्तव में यह धागा वास्तविक हथकरधा बुनकरों को नहीं मिल पाता है । इस प्रक्रिया से बिचौलियों को सर्वाधिक लाभ होता है। वर्ष 1960 में प्रशुल्क आयोग ने रेयन धागे , नायलन धागे और स्टेपल रेशे आदि के मूल्य-ढांचे और वितरण के समुचित ढंग आदि के बारे में सुझाव दिये थे किन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया।

तमिलनाडु के कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि कृत्रिम रेशम के धागे के वितरण पर नियंत्रण करने वाली केन्द्रीय समिति और उसकी क्षेत्रीय समितियों को समाप्त किया जाये और इसके वितरण का कार्य राज्य सरकार को सोंपा जाना चाहिए ताकि वास्तविक हथ-करधा बुनकरों को वह धागा उचित मूल्य पर मिल सके तमिलनाडु सरकार मे भी केन्द्रीय सरकार से ऐसा ही अनुरोध किया है, जो केन्द्रीय सरकार को मान लेना चाहिए।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करता हूं। यह बात प्रोत्साहन ने वाली है कि सरकार ने कपड़े की किस्म के मानकीकरण की आव-श्यकता को समझा है और उसकी किस्म पर कठोर नियंत्रण हेतु एक विधेयक लायी है। मैं विशेष रूप से हथकरधा और खादी से तैयार कपड़ों की किस्म नियंत्रण के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मणिपुर राज्य मुख्यतः बुनकरों और नर्तकों का प्रदेश कहा जाता है और यह सही भी है :

[**श्री के० एन तिवारी** पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

खादी अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है। खादी से हमारे देश की पुरातन बुनाई, डिजाइन बनाने की प्रतिमा रंग संबंधी, परिष्कृत रुचि का परिचय मिलता है। खादी और हथकरधा उद्योग की ओर अब और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किन्तु इस क्षेत्र में समन्वय और किस्म-नियंत्रण का अभाव है। मेरा यह सुझाव है कि किस्म को नियंत्रित और नियमित करने वाली मशीनरी सुदृढ़ बनाया जाये और खादी तथा हथकरधा के लिए विभाजन सुविधाओं को सुधारा जाये। कम से कम खादी और हथकरधा वस्त्रों को निरीक्षण शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिए । किन्तु किस्म नियंत्रण कठोरतः से लागू किया जाना चाहिए। उत्पादों के निरीक्षण मात्र से कोई ठोस लाभ न होगा अतः मैं सुझाव देता हूं कि खादी और हथकरधा को धागे की सप्लाई, उचित किस्म और डिजाइन के प्रश्नों की जांच सरकार को करनी चाहिएं ताकि उस प्रकार के रंगों और डिजाइनों का चयन किया जा सके। जो किसी पीढ़ी विशेष को अच्छे लग सकें। इसके लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। सभी राज्यों में इस कार्य के लिए संस्थाएं होनी चाहिए और केन्द्र द्वारा उनमें समन्वय लाया जाना चाहिए। अतः किस्म नियंत्रित करने के साथ-साथ अन्य सभी ऐसे उपाय किये जाने चाहिए जिससे अच्छी किस्म के कपड़े का उत्पादन हो।

चुंकि इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है इसलिए मणिपुर के हथकरधा उद्योग की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मणिपुर में हथकरधा उद्योग के लिए एक पृथक निदेशालय बनाने और बुनकरों को अपेक्षित काउन्ट, का सूत उचित समय पर उचित मूल्य पर दिये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। किन्तु ये मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। अतः मेरा निवेदन है कि अब केन्द्रीय सरकार इनकी और ध्यान दे और उक्त मांगों को पूरा करें ताकि बिचौलिए बुनकरों का शोषण न कर सकें। मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण देश में हथकरधा

उद्योग के प्रति सरकार को एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि हथकरधा उद्योग के द्वारा तैयार कपड़े के निर्यात से हमारे देश को न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है बल्कि हमारे राष्ट्र की प्रतिमा दूसरे देशों में बनती है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर): सभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से एक प्रतिशत उपकर सभी प्रकार के सूती कपड़ों और सूती कपड़ा तैयार करने वाली मशीनरी पर लगाया जा रहा है। इसके द्वारा उपभोक्ताओं पर 8 करोड़ रुपये का बोझा डाला जा रहा है। लोगों पर कर लगाने का यह तरीका ठीक नहीं है। सरकार का तर्क है कि 'नियंत्रित किस्म' का कपड़ा तैयार करने और उसे उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्य पर दिलाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। किन्तु यह कपड़ा खुले बाजार में उपभोक्ताओं को नहीं मिलता है। वह चोरबाजारी से बेचा जाता है। "नियंत्रित कपड़े" को भी इस उपकर से मुक्त रखा जाना चाहिए, जैसे हथकरधा उद्योग को इससे मुक्त रखा गया है। यह कर सभा के अनुमोदन के बाद लगाया जाना चाहिए और सभा को यह भी बताया जाना चाहिए कि कपड़ा समिति की मांग क्या है और वह चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित करना चाहती है।

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. But I would like to point out that the burden of one per cent increase in excise duty on textiles etc. will have to be borne ultimately by the consumers as the producers and traders increase the prices of their products and thus take advantage of such kind of increase in taxes, though it is not the intention of Government to further burden the customers. The prices of cloth have already gone up very high and this enhancement in excise duty will also have its effect on cloth prices.

As regards controlled cloth, it is not available in the open market. There is no proper arrangement at State level for fair distribution of controlled cloth. State Governments should take necessary steps in this direction. Consumers are not getting cloth at cheap rates. Here I want to give one suggestion. Now thousands of varieties of cloth are being produced. In my opinion it is wastage and it should be banned. There should be only a few varieties of cloth. It will help in making cloth available to masses at cheaper rates.

Another suggestion I want to make is that the Textile Committee should develop an intermediate technology in respect of textile machinery so that small textile factories may be set up in place of big textile mills and young enterpreneurs can set up such factories at small investment. I also support what Shri Tombi has already expressed.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ बातें स्पष्ट करने के लिये प्रार्थना करता हूं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को पढ़ने से यह पता लगता है कि एक प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगाने से संभवत: सरकार को लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये की आय होगी। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, क्योंकि मूल्य तो पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य के लिये टैक्सटाइल समितियों को इसका कितना प्रतिशत भाग मिलेगा और सरकार को इससे क्या ठोस लाभ होगा। मेरे विचार में यह उपकर के नाम पर उपभोक्ता पर भार डालने का एक अन्य तरीका है।

यदि सरकार का इरादा सस्ता कपड़ा, कमीज का कपड़ा अथवा धोती आदि देने का है, तो यह उपकर लगा कर कपड़े के मूल्यों को क्यों बढ़ाया जा रहा है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं। यह नया उपकर वर्तमान शुल्कों से अतिरिक्त है। मैं माननीय मंत्री से इस बात को स्पष्ट करने तथा इस दोहरे कराघात से बचने के लिये प्रार्थना करता हूं। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इन उपायों से गरीब लोगों पर कर नहीं लगाया जायेगा। अन्यथा गरीब लोगों पर कर लगाने का यह तरीका ठीक नहीं है।

11—27 L.S.S./73

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं चाहता हूं कि पुरानी मिलों की मशीनों का निरीक्षण करने तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें लगाने के लिये प्रबन्ध करने के लिए उन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत लाने हेतु इस विधेयक के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये। हमारी कुछ कपड़ा मिलें 120 वर्ष पुरानी है तथा उनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये। किन्तु मिल मालिक ऐसा नहीं कर र हैं। अत:, कई मिलों के संकटग्रस्त हो जाने के कारण सरकार को उन्हें लेने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है। हम 60 करोड़ रुपये की मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। 50 प्रतिशत मशीनों का निर्यात किया जाता है। हम 30 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह इन मिलों के आधुनिक बनाने के लिये मिल मालिक को किस प्रकार बाध्य करेंगे। अन्यथा सभी मिलें संकटग्रस्त हो जायेंगी और सरकार को उन्हें अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। मिल मालिक अपने लाभांशों को अन्य व्यापारों में लगाते जा रहे हैं। उन्हें इन कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण में अपना सारा धन लगाने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये।

यद्यपि रुई की कीमत कम हुई, तथापि कपड़े का मूल्य बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि कपड़े के निर्माण में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ गय हैं। श्रमिकों की राशि भी तीन या चार गुना बढ़ गयी है। जब श्रमिक अवैध हड़ताल पर भी होते हैं, तो उन्हें बोनस दिया जाता है। किन्तु श्रमिकों की कार्यकुशलता भी कम हो गयी है। आधा काम करने पर भी उन्हें पूरा वेतन मिलता है। ऐसा दिन दूर नहीं है जब उन्हें कोई काम न भी करने पर पूरा वेतन मिलेगा। **(व्यवधान)** जहां भी 'इंटक' की शाखायें हैं, वहां श्रमिक ठीक काम नहीं कर रह हैं। साथ ही वे लोग बाधायें भी डालते रहते हैं। उन द्वारा डाली जा रही बाधाओं के बावजूद भी देश श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में प्रगति करता जायेगा ... **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I oppose this Bill. The proposed one per cent of cess would have to be borne by the poor people. Govt. wants to increase or impose this cess so that more amount may be spent on the Textile Committee. But it has not told as to how much amount would be spent on it. The large quantity of imported cloth was not accepted there & returned back to this country as the Textile Committee was not properly checked. I want to know as to how much cloth was sent to abroad and how much of it has been returned back.

The Government have taken 109 textile mills and have appointed controllers there. These controllers have not got any technical knowleage regarding cloth and mills. If the mills run these mills, they would be incurruing huge losses. These people adopt such measures by which they misappropriate the money in the purchase of goods etc. for the mills only technical persons should be appointed to run these mills.

This one per cent of cess would have adverse effect on the poor people. I request the Govt. to withdraw this Bill.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : श्री दत्ता ने यह कहा है कि हमनें जो कपड़ा बंगला देश का निर्यात किया है, उसकी किस्म खराब है। समाचार पत्रों और जनता में इस बात की चर्चा होती रही है। सरकार को इस मामले में कुछ विशेष बात नहीं कहनी है क्योंकि बंगला देश ने शीघ्र कपड़ा सप्लाई करने का अनुरोध किया था, इसलिये कपड़ा शीघ्र भेजना पड़ा। अत: अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया जा सका। हमें इतनी शीघ्रता से कपड़ा भेजना पड़ा कि हम इसकी जांच नहीं कर पायें। किन्तु इस बार किये गये व्यापार समझौते के अनुसार अब दोहरा निरीक्षण हुआ करेगा। किन्तु, दोहरे निरीक्षण में, बहुत समय लगता है। हम हर सम्भव उपाय करेंगे ताकि बंगला देश को भेजा जाने वाला कपड़ा दोषों से मुक्त हो।

यह भी कहा गया है कि हमारे कपड़े के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं। तथ्यों से ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। गत वर्ष हमने 70,000 खेपों का निर्यात किया, उनमें से केवल 10

के संबंध में ही हमें शिकायतें प्राप्त हुई। फिर भी सरकार किस्म नियंत्रक तंत्र के बारे में कोई ढील पूर्ण रवैया नहीं अपना रही है। वास्तव में हमे इसे और मजबूत बनायेंगे। मैं माननीय सदस्यों के इस उद्देश्य की सराहना करता हूँ कि वे चाहते हैं कि हम किस्म को सुधारें और इस प्रकार अपने विशेषज्ञों के काम को भी सुधारा जाये। मैं आश्वासन देता हूं कि हम इस और ध्यान दे रहे हैं।

कुछ मित्रों ने पूछा है कि हम एक प्रतिशत कर, जिससे 8 करोड़ रुपया प्राप्त होगा, क्यो लगा रहे हैं। संशोधन विधेयक को पढ़ने से स्पष्ट हो जायेगा कि हमने कहा है कि यह एक प्रतिशत से अधिक नहीं लगाया जायेगा। हम मूल्यांकन और निरीक्षण के पश्चात् ही इसकी दर को निश्चित करेंगे तथा यह आवश्यक नहीं है। हम इस एक प्रतिशत ही निर्धारित कर के 8 करोड़ रुपये वसूल करेंगे। यह तो अधिकतम सीमा है कि यह एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। हम वास्तव में कितना कर लगायेंगे, यह हमारी आवश्यकता पर ही निर्भर करता है।

डा० रानेन सेन ने समाजवादी देशों से शिकायतों का भी उल्लेख किया है। बंगला देश के बारे में हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। किन्तु अपने समाजवादी मित्र देशों से हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली हैं।

श्री रामसिंह भाई ने कपड़े के प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि शायद यहां पर 12 मीटर प्रति व्यक्ति की दर से कपड़ा उपलब्ध है। यह 14.96 मीटर प्रति व्यक्ति है। हमारा मिल निर्मित सूती कपड़े का उत्पादन लगभग 40,000 लाख मीटर है।

अनेक सदस्यों ने कपड़ा उद्योग द्वारा अर्जित किये जा रहे भारी लाभ का भी उल्लेख किया है। इस लाभ को गिनने के कई तरीके हैं। लाभ की गणना किसी वर्ष विशेष की कुल बिक्री के आधार पर अथवा गत वर्ष की बिक्री के आधार पर की जा सकती है। एक अन्य तरीका पुंजीगत निवेश के प्राप्त लाभ के आधार पर गणना की जा सकती है, यह एक वैज्ञानिक तरीका है। 1972-73 में यह लाभ 4.1 प्रतिशत हुआ, जबकि 1971-72 में यह लाभ 2.4 प्रतिशत हुआ था। यह कहना सही नहीं है कि यह लाभ बहुत अधिक है।

श्री पी० एम० मेहता ने अनुरोध किया है कि नियंत्रित कपड़े को इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में न लाया जाये। इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री टोम्बी सिंह ने कहा है कि हथकरधे के कपड़े इस विधेयक के क्षेत्र से मुक्त रखा जाये। यह पहले ही इसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया है।

इस समय हमारा मंत्रालय एक समेकित कपड़ा नीति तैयार करने मे व्यस्त है, क्योंकि कपड़ के संबंध में एक विवकपूर्ण नीति तब तक नहीं बनायी जा सकती जब तक हम मिल क्षेत्र, हथकरधा क्षेत्र तथा विद्युतचालित क्षेत्र, कच्ची कपास के मूल्य ढांचे, विशेषज्ञ क्षेत्र घरेलू उपभोग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समेकित न करें, तब तक कपड़ा संबंधी नीति को तर्क संगत नहीं बताया जा सकता। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इस मास के अंत तक या आगामी मास के आरंभ में किसी निष्कर्ष पर पहुँच जायेंगे और सभा को इस बारे में सूचित कर देंगे।

डा० रानेन सेन (बारसार) : मूल्य वृद्धि की आशंका के बारे में उनका क्या कहना है?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 6 पर श्री मूल चन्द डागा के नाम से तीन संशोधन हैं । क्या वह उन्हें पेश कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं संशोधन संख्या 1 पेश नहीं कर रहा हूं । मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं ।

आपने धारा 5क के अधीन अपीलीय न्यायालय को शक्ति प्रदान की है जो सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधिकरण होगा । सरकार ने इस न्यायाधिकरण को नियुक्त कर दिया है और कि न्यायाधिकरण को अपीलीय शक्तियां भी प्रदान कर दी है । और उस पर उपधारा (7) के अन्तर्गत विचार किया जायेगा ।

आप यह कहते हैं कि सिविल प्रक्रिया, 1908 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये तक वह 'ऐसी प्रक्रिया' शब्द क्या हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बात खण्ड 6 में दी गयी है ।

"ऐसी प्रक्रिया जैसी कि यह उपयुक्त समझे" ।

बात यह है कि इस प्रकार की प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं बना लेते हैं और इसी कारण से हमने इसका उल्लेख नहीं किया है । यह सर्वविदित प्रक्रिया है. . . **(व्यवधान)** जो हां यह स्वयं पालन की जाने वाली है अतः, सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू करने की प्रक्रिया जटिल होगी तथा उसमें अधिक समय लगेगा तथा इस प्रकार के न्यायाधिकरण के उद्देश्य के अनुसार नहीं होगा । अतः यह सुझाव मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री मूल चन्द डागा : उपखण्ड में यह कहा गया है कि न्यायधिकरण को एक सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे ।

सभापति महोदय : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है । अब मैं श्री डागा के खण्ड 6 के संशोधन संख्या 2 और 3 को मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 2 and 3 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 6 विधेयक का भाग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 से 10 तक भी विधेयक में जोड़ दिये/गये ।

Clauses 7 to 10 were also added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जायें"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने सदस्यों द्वारा उठायी गयी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । लगभग सभी सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही है कि इस कराधान का लाभ उठाकर उद्योगपति कपड़ों का मूल्य 10 से 20 प्रतिशत के बीच बढ़ाने का प्रयास करेंगे । क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करने जा रही है जिससे इस उपकर के लगाने के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि को रोकना सुनिश्चित किया जा सके ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Bill seeks to empower the Government to levy the cess without coming to the Parliament every now and then. It is not proper to issue the notification without seeking the approval of the Parliament.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पूरी स्कीम नहीं लगाये जा रही है और हम 8 करोड़ रुपये नहीं ले रहे हैं । हम एक स्वीकृत कपड़ा नीति प्रस्तुत करेंगे जिसके अन्तर्गत हम मूल्य वृद्धि की समस्या का समाधान करेंगे । मंत्रालय हर प्रयत्न करेगा कि उपकर का प्रभाव मूल्यों पर न पड़े ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब हम प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने तथा कतिपय सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाल विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अपने बजट भाषण में मैंने कुछ चुने हुए क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा अनुसंधान और विकास तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कतिपय उपायों का उल्लेख किया था। मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि इन उपायों को क्रियात्मक रूप देने के लिए इस वर्ष आवश्यक विधान पेश किया जायेगा। इस विधेयक को लाने का एक मुख्य उद्देश्य उस आश्वासन को पूरा करना है। विधयक में प्रत्यक्ष कर विधानों के सामने आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने और कुछ अन्य वर्गों को छूट देने सम्बन्धी प्रस्ताव भी है।

चुने हुए क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 31 मई, 1974 के बाद लगाई गई मशीनों और संयंत्रों पर प्रारम्भ में 20 प्रतिशत मूल्य ह्रास भत्ता देने का प्रस्ताव है। निर्यात प्राथमिकता, बिचोलियों और निवेश माल की आवश्यकता, जन उपयोग की आवश्यकता, क्षमता, उत्पादन पर रोक तथा अन्य सम्बन्धित बातों की दृष्टि से प्रस्तावित छूट देने के लिए उद्योगों का चुनाव कर लिया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये विधेयक में कर योग्य लाभ का अनुमान लगाते समय विशिष्ट क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों द्वारा कमाए गये लाभ का 20 प्रतिशत कम करने का प्रावधान है।

जिन औद्योगिक उपक्रमों ने 31 मार्च, 1973 के बाद उत्पादन शुल्क दिया है उन्हें यह छूट उपक्रम के उत्पादन शुरु करने के वर्ष से अगले दस वर्ष तक मिलती रहेगी। उन औद्योगिक उपक्रमों को जिन्होंने अपना उत्पादन 31 दिसम्बर, 1970 पर 1 अप्रैल, 1973 से पहले प्रारम्भ किया है यह छूट उनके उत्पादन प्रारम्भ करने से 10 वर्ष तक के समय में से बचें शेष समय तक मिलती रहेगी। पिछड़ क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्वीकृत होटल भी इस कर की छूट के हकदार है।

औद्योगिकी का विकास तथा उद्योगों में आत्म-निर्भरता पैदा करने की दृष्टि से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए करों में छूट देने के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है। करदाताओं द्वारा उत्पादन आरम्भ होने के तुरन्त बाद के तीन वर्षों में अनुसंधान कर्मचारियों के वेतन तथा आवश्यक सामग्री पर किए गये व्यय को जिस वर्ष उत्पादन शुरु हुआ था उस वर्ष के कर योग्य लाभ में से घटा दिया जायेगा। यह छूट केवल 31 मार्च 1973 से पहले किए गये व्यय तथा उस सीमा तक सीमित होगी जिसके कि उचित अधिकारी वास्तव में व्यय हुआ प्रमाणित करेगा। यह भी प्रस्ताव है कि करदाताओं द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं को अपने उद्योग के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए दिए गय धन के एक तिमाही की छूट दी जायेगी। इन अनुसंधानों के लिए उत्पादन शुरू होने से तीन वर्ष पहले के समय में किए गये भुगतान को भी उत्पादन शुरू हुए वर्ष के कर योग्य लाभ में से घटा दिया जायेगा।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करदाता द्वारा आय सम्बन्धी विवरण भेजने में देरी करने पर जुर्माना किया जा सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में यह फैसला दिया है कि जुर्माना केवल करदाता द्वारा अपने अनुमान अथवा अस्थायी अनुमान के आधार पर किए गए भुगतान को भुगतान की कुल राशि में से घटाकर निश्चित किया जाना चाहिए। इस फैसले के अनुसार अपनी आय का विवरण भेजने में करदाता किसी प्रकार के जुर्माने के डर के बिना, देरी कर सकता है। इस फैसले से दूसरा प्रभाव यह होगा कि विभाग द्वारा अब तक प्रयोग में लाई

जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार आय का विवरण न भेजने अथवा भेजने में देरी करने पर जुर्मानों के आदेशों को यह तो समाप्त किया जायेगा अथवा उनमें समुचित संशोधन करना पड़ेगा। इससे प्रशासनिक कार्य में अत्याधिक वृद्धि होगी तथा जुर्माने के रूप में वसूल किए गये बहुत से रुपये को वापिस करना पड़ेगा।

यह संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 के लागू होने की तिथि 1 अप्रैल, 1962 से लागू होगा। विधेयक में विशेष रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह संशोधन उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयक के लागू होने से पहले करदाताओं के पक्ष में अपना फैसला दे दिया था।

विज्ञान, साहित्य कला और खेलकूद के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए साहित्यिक, वैज्ञानिक और खेलकूद सम्बन्धी पारितोषिक पर छूट देने का उपबंध भी किया गया है। कानून में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा जनहित में दिए गये पारितोषिक को भी इससे छूट देने का प्रस्ताव है।

भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीशियनों को स्वीकृत करारों के अन्तर्गत कुछ कर सम्बन्धी रियायतें दी जाती हैं। कर की छूट देने की एक मुख्य शर्त यह है कि विदेशी तकनीशियन भारत आने के तुरन्त पहले के चार वित्तीय वर्षों में भारत में नहीं रहता हो। इससे कई कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं जिन्हें दूर करने के लिये सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि चार वर्षों में भारत में न रहने की शर्त को हटाया जा सके।

विदेशी साहूकार को भुगतान किये गये लाभ को आयकर से छूट दी गयी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधीनस्थ विधानों को कर दाताओं के हित में पिछली तिथि से लागू करने के अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक में किये गये उपबंध सराहनीय हैं और आशा है कि इसे सभा का सर्वसम्मत समर्थन मिलेगा।

श्री सेझीयान (कुम्बकोणम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को दस सदस्यों की एक प्रवर समिति को भेजा जाए जो अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट दे दे।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : यह विधेयक देश के सम्पन्न वर्ग अथवा एकाधिकार धारी वर्ग को कर लगाने की तुलना में करों से छूट अधिक देता है। पिछड़े क्षेत्र के उद्योगपतियों को कर से छूट दी जायेगी जिसका अर्थ यह है कि टाटा और बिड़ला बहुत सा काला धन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के नाम पर खपा देंगे। इस प्रकार वे पुनः देश को धोखा देंगे।

वित्तीय संस्थाओं और बैंककारी संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त किये गये ऋणों पर दिय जाने वाले ब्याज पर भी कर की छूट दी गई है; सम्पन्न और एकाधिकार प्राप्त लोग फिर से इसका लाभ उठायेंगे।

उद्देश्य और कारणों के अनुसार सम्पत्ति कर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम में किये जाने वाले संशोधन का उद्देश्य कुछ सम्पत्ति उपहार और कर योग्य लाभ का विवरण देरी से भेजने पर जुर्माना लगाने वाले उपबन्ध को लागू करना और आयकर अधिनियम में प्रस्तावित उपबन्धों को अनुरूप उपबंध लागू करने के अधिकार देना है। विधेयक भर में केवल यही एकमात्र अच्छी बात है। क्या सरकार केवल कुछ जुर्माना लगाकर ही संतोष कर लेगी? सरकार को कर अपवंचकों को कठोर सजा देने का उपबंध करना चाहिये।

मैं अपने दल की ओर से पिछड़ क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने, स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधानों, निर्यात बाजार तथा मूल्य ह्रास के लिए छूट देने का विरोध करता हूं। यह जनता के हितों के विरुद्ध है।

[श्री डी० के० पंडा]

इन सभी वर्षों में हम अनेक परिसंवादों, सम्मेलनों, गोष्ठियों, कक्षों आदि की, बात करते रहे हैं। वित्त मंत्रालय में पहले ही एक कक्ष काम कर रहा है, किन्तु, हमें सही स्थिति का पता नहीं चल पाता। एक ओर तो हम करों की बकाया राशि को कम करना चाहते हैं, दूसरी ओर हम अधिक सुविधायें और छूट देने को उत्सुक हैं। सरकार ने करों की इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष कर बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक द्वारा सम्पन्न वर्ग-एकाधिकारी गृहों पर प्रत्यक्ष कर बढ़ा दिये जायेंगे। सरकार इसके प्रति एक वर्ग दृष्टिकोण अपनाती रही है।

इस बात को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इन सुविधाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच केवल अनुपात ही बढ़ेगा। अतः, इन उपबन्धों का केवल बड़े औद्योगिक गृह ही लाभ उठायेंगे। यही कारण है कि हमने सुझाव दिया है कि बड़े एकाधिकारियों को रियायतें देने की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने तथा उद्योग स्थापित करने का काम अपने हाथ में ले ले।

केवल दंड संबंधी उपबन्ध बना देने से ही इस समस्या का तथा संकट का समाधान नहीं हो सकता।

यदि सरकार सम्पत्ति कर, भूमि शुल्क, अतिरिक्त कर तथा उपहार कर बढ़ाती है, तो हम यह समझेंगे कि सरकार अपनी घोषणाओं के प्रति दृढ़ है। यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि कृषि और औद्योगिक, क्षेत्रों में सम्पत्ति कर के जाल से काफी संख्या में अमीर व्यक्ति कैसे बच जाते हैं? जहां तक कृषि संबंधी सम्पत्ति कर का संबंध है, हम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इसे वसूल नहीं कर सके हैं।

सम्पत्ति कर के संबंध में हम बिड़ला गृह के उदाहरण को ले सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार इन से वसूल की गयी सम्पत्ति कर की राशि पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गयी है। अप्रत्यक्ष कर बढ़ते जा रहे हैं जिनका भार गरीब लोगों पर अधिक पड़ रहा है। मैं सभा का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिड़ला परिवार के मामले में सम्पत्ति कर की राशि कैसे कम होती जा रही है।

इस विधेयक को लाने की बजाय हमें इन लोगों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। हम देख रहे हैं कि हम उन्हीं गृहों को रियायतें तथा छूट दे रहे हैं जो आयकर आदि के निर्धारण के लिये हेर-फेर करके गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। टाटा बन्धु, बिड़ला बन्धु तथा अन्य ये सभी बड़े-बड़े एकाधिकार गृह मूल्यह्रास के नाम पर सरकार को धोखा दे रहे हैं। हम उनकी दमन के लिय कार्यवाही करने की बजाये उन्हें और सुविधायें प्रदान कर रहे हैं। उन्हें और अधिक सुविधायें बिल्कुल ही नहीं दी जानी चाहिये। इस विधेयक के सभी उपबन्धों का अभिप्राय उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करना है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : इस विधेयक का समर्थन करते समय मुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 पर पहले ही प्रवर समिति विचार कर रही है जिसका सभापति होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वेजीटेबल प्रोडक्टस लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को प्रभावहीन करने के लिये इस विधेयक का लाना आवश्यक था। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि जब तक इस धारा का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन नहीं किया जाता, तब तक इससे प्रशासनिक एवं राजस्व कठिनाइयां पैदा होती रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय के विशेष

निर्णय को प्रभावहीन करने के लिये धारा 271(1)(i) का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रयास किया गया है। कठोर कार्यवाही, कड़े जुर्माने, मुकदमा चलाने और जेल में डालने संबंधी बातों के लिये कठोर उपबन्ध लागू करने के बारे में एक प्रवर समिति विचार कर रही है जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत दी जानेवाली छूट और कर में कमी को व्यवस्थित करना है। मैं वित्त मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि यदि वह कानून को स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं, तो कराधान कानून को स्थिरता प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। इससे कानून मजबूत बनेगा तथा करापवंचन का भी दमन होगा।

उच्चतम न्यायलय ने प्रत्यक्ष कराधान के वित्तीय विधान की पद्धति संबंधी दोष के बारे में निर्णय दिया है। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 271 की उपधारा 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा बिना किसी उचित कारण के आय का विवरण देरी से अथवा न देने के दोषी कर-दाताओं के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का उपबन्ध किया गया है। इसके द्वारा कुछ जुर्माना लगाने का उपबन्ध किया गया है तथा हमें यह निर्धारण करने में 13 वर्ष लग गये कि उस दण्ड को कैसे लगाया जाये। केवल गलत और असावधानी से तयार किये गये प्रारूप के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। किन्तु, क्या हमें यह निर्णय करने के लिये 12 वर्ष लगने चाहिये थे कि क्या जुर्माना लगाया जाये? यह अनुचित तथा गलत प्रारूप तयार करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : इस विधेयक, पर भी प्रवर समिति ने विचार किया था। इसका प्रारूप प्रवर समिति द्वारा भी स्वीकृत हुआ था।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं यह नहीं कहता कि प्रवर समिति पूर्ण गारंटी है। संसद सदस्य ही प्रवर समिति के सदस्य होते हैं। संसद सदस्य कराधान और प्रारूप तैयार करने के विशेषज्ञ नहीं होते। यह सुनिश्चित करना विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री का काम है कि प्रारूप ठीक है या नहीं। संसद का यह इरादा कभी भी नहीं था कि विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिये करदाता पर बकाया कर का 2 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाये।

जहां तक प्रत्यक्ष कराधान संबंधी विधान के दोषों का संबंध है, इस प्रकार के गलत प्रारूप तैयार करने से जटिलता एवं अनिश्चतता पैदा होती है। इसके परिणामस्वरूप करापवंचन होता है। इसके कारण अधिकारियों और कर दाताओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये मैं कहता हूं कि इससे बचना चाहिये।

विधेयक के खंड 3 में 31 मई, 1974 से विकास छूट के स्थान पर ह्रास छूट दिये जाने का उपबन्ध किया गया है। यह एक नया उपबन्ध है जो केवल कुछ उद्योगपतियों अथवा कुछ एकाधिकारी गृहोंके लिये ही नहीं है। यह 9वीं सूची में दिये गये सभी छोटे तथा बड़े उद्योगों के लिये है। वास्तव में जिस ढंग से इसे अधिनियमित किया गया है, उससे पता चलता है कि एक छोटे उद्यमी को राहत देने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इस विधेयक के कुछ पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। विकास संबंधी रियायत एक सरल उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत करदाता को संयंत्र और मशीनों की स्थापना के बारे में सहायता देकर राहत देने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु इससे व्यापक विवाद पदा हो गये हैं। आरक्षण देने के बारे में किये गये उपबन्ध के दोषपूर्ण रूप से तयार किये जाने के कारण कितने हीं विवाद उठ खड़े हुये हैं, जिनका निपटान कई वर्षों तक नहीं हो पाता।

जहां सभी प्रकार के संयंत्र और मशीनों के संबंध में विकास छूट उपलब्ध है, वहां प्रारम्भिक मूल्य ह्रास केवल उद्योग के कुछ चुने हुये क्षेत्रों को ही उपलब्ध है। अनुसूची में 22 उद्योगों को

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे]

शामिल करने का तर्क समझ में नहीं आ रहा है। अन्य उद्योगों को इस में शामिल क्यों नहीं किया गया है ? इससे सराहनीय उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि 9 वीं अनुसूची को जिसमें उन उद्योगों को शामिल किया गया है जिन तक यह प्रारम्भिक मूल्यह्रास सीमित है, पूरी तरह रद्द किया जाना चाहिये और प्रारम्भिक मूल्यह्रास प्रत्येक स्थापित संयंत्र तथा मशीन के लिये उपलब्ध किया जाना चाहिये। इन 22 उद्योगों में होटल उद्योग को क्यों शामिल नहीं किया गया ? क्या सरकार पर्यटक यातायात को बढ़ाना नहीं देना चाहती ? इसी प्रकार के अन्य उद्योगों को भी छोड़ दिया गया है।

वित्त मंत्री महोदय को चाहिये कि वह 9 वीं अनुसूची पर, जिसमें उन उद्योगों की सूची दी गयी है, फिर से विचार करें और प्रत्येक स्थापित संयंत्र और मशीन के लिये प्रारम्भिक मूल्य-ह्रास उपलब्ध किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आठवीं अनुसूची में पिछड़े क्षेत्रों की गिनती दी गयी है। उससे यह पता चलता है कि सचिवालय के अभिलेखागार में जिलों की जो सूची थी और उसी से पिछड़े क्षेत्र लिये गये हैं और आठवीं अनुसूची में रखे गये हैं।

20 वर्षों की अवधि के लिये अर्जित लाभ 20 प्रतिशत राहत के रूप में दी जाती है। 20 प्रतिशत की यह राहत इस विचार से बहुत ही अपर्याप्त है कि उन क्षेत्रों में न तो पर्याप्त जल है और न ही परिवहन सुविधायें आदि उपलब्ध हैं। पिछड़े क्षेत्रों में सरकार कुल ब्लाक निवेश पर और पूंजी निवेश पर 10-15 प्रतिशत तक राजसहायता दे रही है। इससे सरकार के लिये और आर्थिक कठिनाइयां पैदा होंगी। मंत्री महोदय को पिछड़े क्षेत्रों में सभी उद्योगों के सभी अर्जित लाभों पर पांच वर्ष के लिये 100 प्रतिशत छूट देनी चाहिये। उन्हें किसी प्रकार की सहायता न दीजिये, उन्हें लाभ अर्जित करने दीजिये।

अतः, मैं इन दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों, अर्थात् पिछड़े क्षेत्रों में प्रारंभिक ह्रास तथा लाभ, पर विशेष बल दे रहा हूं। विधेयक के उद्देश्य तो सराहनीय है, परन्तु जिस ढंग से यह विधेयक लाया गया है, वह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अपर्याप्त है।

श्री वीरेंद्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : हम बहुत ही कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या इस विधेयक से स्थिति का सुधार करने तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी ? हम कर क्यों लगा रहे हैं ? जब तक हम उत्पादन के लिये आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान नहीं करेंगे, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

विकास छूट का उद्देश्य बढ़ी हुयी लागत पर प्रतिस्थापन के लिये तथा नये उद्योगों को स्थापित करने के लिये धन की व्यवस्था करना था। किन्तु 1971 में वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश करते हुये नये उद्योगों को स्थापित करने, उनका विस्तार करने, परिसम्पत्तियों का आधुनिकीकरण अथवा प्रतिस्थापत करने और प्राथमिकता उद्योगों को शुरू करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहनों में काफी कमी कर दी। प्राथमिकता वाले उद्योगों की आय 8 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दी गयी। इन प्रोत्साहनों में कमी से औद्योगिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और रोजगार के अवसर भी कम हो गये। इससे उद्योगों की स्थापना में, जो अर्थव्यवस्था में आत्म-निर्भर होने के लिये बहुत ही आवश्यक है, विलम्ब हुआ।

1971-72 वर्ष के बजट के संबंध में हुए वाद-विवाद के समय वित्त मंत्री, श्री यशवंतराव चव्हाण ने संकेत दिया था कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अपेक्षाकृत अधिक बल देने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये चयनात्मक आधार पर कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिय विचार करेगी।

वर्तमान विधेयक जिसका मैं बेशक स्वागत करता हूं आर्थिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था करता है और इसी कारण मैं इस विधेयक को विदेशी तकनीशियनों जैसे विभिन्न वर्गों, भारत से लिये गये ऋणों पर ब्याज, तकनीकी, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्यों के लिये इनामों प्रारम्भिक मूल्य ह्रासों, विकास दर का प्रतिस्थापन, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय, निर्यात विपणन संबंधी विकास भत्ता, गैर-कम्पनियों आदि को छूट देने हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों वाला विधेयक कहता हूं ।

इस नये विधयक के द्वारा 9 वीं अनुसूची में विशेष रूप से दी गयी केवल 22 मदों के लिये प्रारम्भिक मूल्यह्रास भत्ता देने की व्यवस्था की गयी है । यदि सरकार ईमानदारी से औद्योगिक विकास की गति बढ़ाना चाहती है, तो सरकार द्वारा अन्य उद्योगों के लिये भी इस प्रकार का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिये, क्योंकि इस विधयक में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिनके संबंध में, जहां तक कर निर्धारण का संबंध है, समस्याओं के समाधान में सहायता मिलने की बजाये और कठिनाइयां पैदा हो सकती है ।

चूंकी सरकार ने समाजवादी समाज के निर्माण का वचन दिया हुआ है, इसलिये इसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि रोज़गार प्रधान उद्यागों को विकसित किया जायेगा तथा उन्हें विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने चाहियें । उन्हें अतिरिक्त एवं काफी मात्रा में छूट भी दी जानी चाहिये । इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को भी कच्चा माल, सड़कों, विद्यालयों, औषधालय और अन्य नागरिक सुविधाओं जैसी मूल सुविधायें दी जानी चाहिये ।

यह सुझाव दिया गया है कि लाभांश आय पर छूट की सीमा को 3000 रुपये से बढ़ा कर 5 000 रुपये कर दिया जाना चाहिये सरकार को चाहिये कि वह कर की छूट की सीमा को भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करें । इससे समाज के कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी । पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योगों की स्थापना को विकास संबंधी छूट जैसी रियायतें दे कर प्रोत्साहन देना चाहिये । परिसम्पत्तियों की वास्तविक लागत तथा प्रारम्भिक मूल्य ह्रास की राशि को मिलाकर बनती है । हमें अनिवार्य रूप से एक भत्ते के रूप में उसकी व्यवस्था करनी चाहिये । इससे नयी मशीनों तथा संयंत्र की स्थापना के लिये प्रेरणा मिलेगी ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधेयक का समाजवाद की विचारधारा से किसी प्रकार का संबंध नहीं है । हमें समाजवाद के साथ इसे नहीं मिलाना चाहिये । यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत है, जिसे हमने स्वीकार किया हुआ है । छूट दिये जाने की प्रणाली के बारे में हमें पूरी तरह से विचार करना चाहिये न कि आधे दिल से जैसा कि इस विधेयक में किया जा रहा है ।

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 नवम्बर, 1973/23 कार्तिक, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 14th November 1973/ Kartika 23, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०—से 3—27 लोक सभा/73—6-2-1974—490